राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 1] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 69 वां दिवस [संख्या 30

सोमवार, दिनांक 10 जुलाई, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.5 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(स्वायत्त शासन, पशुपालन, यातायात, यातायात, कृषि, वन, सार्वजनिक निर्माण, जनस्वास्थ्य, पचायत व सहकारी विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री भीमसेन।

मुक्ताप्रसाद नगर योजना, बीकानेर

702. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा मुक्ता प्रसाद नगर योजना कार्यान्वित की जा रही है ?

(2) क्या उक्त योजना क्षेत्र में रामपुरा हरिजन बस्ती भी आती है अगर हां, तो इस बस्ती को हटाने अथवा नियमित करने के सम्बन्ध में न्यास ने कोई निर्णय लिया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के प्रस्तावित किए जाने से पूर्व उक्त बस्ती के अधिकतर मकानात सन् 1952 व 57 से पहले के बने हुए हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना को बनाने हेतु न्यास द्वारा नगर आयोजना विभाग को प्रेषित जमीन के नक्शे में उपरोक्त बस्ती को नहीं दिखाया गया था ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां।

(2) इस नाम की कोई हरिजन बस्ती नहीं है। अतः हटाने व नियमित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(3, 4) जब ऐसी बस्ती नहीं है तो पुराने मकानात के बने रहने का या नक्शे के दिखाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

Page No. 2

श्री भीमसेन : क्या मन्त्रीजी जाकर मौका देखेंगे कि बस्ती है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : बस्ती नहीं है। अनग्राथोराईज्ड ग्राकुपेन्ट्स हैं।

श्री भीमसेन : यह आपका गलत ख्याल है। क्या यह आदेश सरकार ने नहीं निकाला कि जो सन् 52 से पूर्व के हैं उनको बेदखल नहीं किया जा सकेगा। जो 52 से पूर्व से वहां रह रहे हैं इसलिए ऐसे लोगों के बारे में सरकार क्या सोचती है ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास योजना का नक्शा भी है। इसमें ये अनग्राथोराइज्ड ओकूपेन्ट्स है। किसी ने बाड़ा बना लिया है किसी ने कुछ बना लिया है। फिर भी हमने यू. आई. टी. को आदेश दिए हैं कि अगर उसमें से कोई 52 या 57 में जो भी राज्य सरकार के आदेश हैं उसके अन्तर्गत आते हैं और वोटर लिस्टों में उन सालों में उनका नाम दर्ज है तो राज्य सरकार ने उनसे पजेसन को रेगुलेराइज करने का आदेश दिया है डिसपजेसन नहीं करने के भी आदेश दे दिए हैं। यू. आई टी., बीकानेर अपने सर्वे रिकार्ड से देख लेगी कि कौन कौनसे साल से वहां रह रहा है।

श्री भीमसेन : जब आप मानते हैं कि अनग्रोथोराइज्ड काबिज हैं तो जो वहां 52 से काबिज है उनको नक्शे में क्यों नहीं बताया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : 52 से पहले की बात मैं नहीं कहता। 52 और 57 में वोटर लिस्टों में जिनके नाम थे उन अनग्रोथोराइज्ड ओकूपेन्ट्स की जमीनें यदि बीच में आती हैं तो योजना बनाते वक्त उनका ध्यान रखा जाना चाहिये इस प्रकार के राज्य सरकार के आदेश हैं। यू आई० टी. को किस साल से वहां वे रह रहे हैं इनकी जानकारी नहीं है। सर्वे रिकार्ड से जांच करने के बाद में राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अनग्रोथोराइज्ड ओकूपेन्ट्स आपने बताया और अगर वे माकूल पुराने हुए तो उनको हटाने का मुआवजा दिया जावेगा या नहीं ? आपका इस बारे में निर्णय क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : माकूल पजेसन नहीं है। पर ऐसे आदेश दिए गये हैं कि यू. आई- टी. योजना तैयार करे तो उनके बारे में पूरी जानकारी पहले से करे कि आया वे कब से रह रहे हैं अपने रिकार्ड से देखें, नहीं तो डिसपजेसन एक दम कर देने से प्राबलम खड़ी हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री पी. के. चौधरी।

जयपुर दुग्ध वितरण योजना के अन्तर्गत ऋण

703: **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा): क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर दुग्ध वितरण योजना के अन्तर्गत अब तक कितना रुपया लोन दिया

(श्री पी. के. चौधरी)

गया है ? तथा किस किस व्यक्ति को कितना कितना रुपया कर्ज दिया गया है ?

(2) उपरोक्त ऋण प्राप्त करने वालों ने अब तक कितनी कितनी गायें कितने रुपयों में कहां से कब खरीदी हैं ?

(3) क्या सरकार और भी रुपया इस काम के लिए कर्ज देना चाहती है ? यदि हां, तो कितना रुपया ?

पशुपालन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जयपुर दुग्ध वितरण योजना द्वारा आजकल 845350 रुपया लोन दिया गया। जिन जिन व्यक्तियों को जितना–जितना रुपया लोन दिया गया है सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सन् 63-64 तथा 64-65 में जिन दुग्ध उत्पादक समितियों को ऋण दिया गया था उन्होंने अभी तक 300 गाएं खरीदी हैं सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सन् 66-67 में जो ऋण दिया गया उस ऋण से अब तक 475 गायें खरीदी गई हैं, ये गायें अप्रेल, मई व जून माह में खरीदी गई हैं। गाय जो खरीदी गई हैं, वे हरियाना तथा गीर नस्ल की है, कितने रुपये में और कहां से खरीदी गई है इसकी जानकारी नहीं है। ऋण प्राप्त करने वालों द्वारा खरीदी गायों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अभी तक सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री पी. के. चौधरी : एक गाय खरीदने के लिए कितना रुपया लोन दिया जाता है ?

श्री परसराम मदेरणा : 500)

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : इस लोन के अगेन्स्ट में कितनी गायें खरीदी जानी चाहिये थीं ?

श्री परसराम मदेरणा : 1700 गायें।

श्री भैरोंसिह : कम गायें खरीदी गई तो उन डिफाल्टरों के खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : 63-64 में जो ऋण वितरित किया गया था वह पंचायत समितियों की मार्फत वितरित किया गया। 3 लाख 55 हजार दिया गया है। 300 गायें खरीदी हैं। तो पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को लिख दिया है कि रिकवरीज की प्रोसीडिंग्स शुरू करें।

श्री भैरोंसिह : ये गायें कब तक खरीदी जानी चाहिये थीं ?

श्री परसराम मदेरणा : लोन देने के तीन महीने के भीतर।

Page No. 4

श्री भैरोंसिंह : फिर 63-64 के इन डिफाल्टरों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अब पत्र लिख रहे हैं आप ? तीन वर्ष तक क्यों किसलिए वेट किया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो कंडीशन्स क्या होंगी और किस तरह से गायें खरीदेंगे क्या इन्टरेस्ट लिया जावेगा और किस प्रकार से लोन का वितरण किया जावेगा यह पूरी जानकारी डिटेल में राज्य सरकार के आदेश के साथ वित्त विभाग से भेज दी गई थी। यह अब एक्शन विकास अधिकारियों को लेना चाहिए था। फिर हमने उनको यह एक बार ही नहीं लिखा है। पहले भी लिख दिया था। पर विकास अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की इसको सूचना नहीं मिली।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार उन विकास अधिकारियों के विरुद्ध भी जिन्होंने नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसे विकास अधिकारियों के खिलाफ जांच इन्स्टीट्यूट करूंगा।

श्री पी के. चौधरी : जिन लोगों ने लोन लेने के बाद पांच सौ रुपये के पीछे एक गाय नहीं खरीदी उनसे रुपया वसूल करने की क्या कार्यवाही की ?

श्री परसराम मदेरणा : पांच इन्स्टालमेंट में रिकवरी करनी चाहिये थी। लोन छः महीने के बाद राइप हो जाता है। यह सब अधिकार विकास अधिकारियों को दिए गये हैं। हमको यह स्वयं को करना चाहिये था। इसलिए मैंने कहा कि मैं इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : जो लोन बिलकुल रिकवर नहीं किया गया वह पी. डी. आर. में एक मुश्त किया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : गाय खरीदने के बाद इन्स्टालमेंट मेच्योर हो जाती है तो उसकी रिकवरी करनी चाहिये थी। कानूनी कार्यवाही और भी करनी चाहिये थी। गवर्नमेंट मनी का युटिलाइजेशन न हो तो रि-एप्रोप्रियेशन की सज्ञा में आता है।

श्री भैरोंसिंह : एक बार गाय खरीद कर गाय बेच दी गई। इसलिए जयपुर दुग्ध वितरण योजना को इन सोसायटीज से दुग्ध नहीं मिल रहा है।

श्री परसराम मदेरणा ; सिर्फ एक सोसायटी है जिसका नाम सावरदा दुग्ध उत्पादक सोसाइटी है 700 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। अब उन्हें गायें बेच दी हैं या नहीं यह जानकारी में नहीं है। यह सोसाइटी देती है। एक सोसाइटी लगातार दे रही है। 700 लीटर आज भी दे रही है। बाकी नहीं दे रही हैं।

श्री भैरोंसिह : बाकी नहीं दे रही हैं इसकी जांच की गई ? लोन के विरुद्ध गायें खरीदी गई वह डिस्पोज़ ओफ कर दी गई ?

Page No. 5

श्री परसराम मदेरणा : सोसाइटीज को लोन देने की पंचायत समिति के मार्फत थी। योजना का प्रश्न नहीं था। विकास अधिकारी को जांच करना चाहिये कि लोन का युटिलाइजेशन ठीक हुआ या नहीं अन्यथा लानीज के खिलाफ एक्शन लेना चाहिये था।

श्री भैरोंसिंह : पेरेन्ट डिपार्टमेंट जयपुर दुग्ध वितरण योजना है। उसके अकाउन्ट्स में पेमेन्ट्स और वसूली का हिसाब रखा जाता है और सारी रेस्पोन्सिबिलिटी इसी डिपार्टमेंट की है।

श्री परसराम मदेरणा : लोन की रिकवरी और वितरण करने, सोसाइटी को शेयर केपिटल वितरण करने आदि का ताल्लुक है यह पचायत समिति से सम्बन्धित है। योजना डाइरेक्टली जिम्मेदार नहीं थी। सोसाइटी जहां पर होती है वह ठीक काम नहीं करती तो कोआपरेशन डिपार्टमेंट उसमें आता है। कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट के नीचे एक्शन लेना चाहिये था जिस परपज के लिये सोसाइटीज ने लोन लिया उसको गायें खरीदने में युटिलाइज नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट के सरकुलर 66 के अनुसार यह सारी रेस्पोन्सिबिलिटी पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट पर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट पर डाली है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सरकुलर निकला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री पी. के. चौधरी : 152 आदमियों को लोन दिया। 10-12 आदमियों ने पूरे लोन को युटिलाइज किया। बाकी हजार रुपये के पीछे एक गाय खरीदी। 140 ने हजार रुपये के पीछे एक गाय खरीदी है।

श्री परसराम मदेरणा : यह पांच लाख का लोन वितरण किया गया। यह दुग्ध वितरण योजना के मार्फत किया गया। एक हजार गाय खरीदनी थी। जून तक वितरण किया। तीन मास का समय था। जुलाई सितम्बर में यही मौसम है गायें ब्याहती हैं ब्याही हुई गायें ही खरीदेंगे इसलिये तीन महीने के समय में खरीदना चाहते थे। एक व्यक्ति किशोरसिंह ने सरेन्डर कर दिया। 270 गायें खरीदी जानी चाहिये थीं। तीन महीने के समय में गायें लेनी चाहिये थीं। हरियाना ब्रीड की गायें खरीदने की कन्डीशन थीं।

श्री पी. के. चौधरी : यह जो लोनी हैं जिन्होने गायें नहीं खरीदीं हैं दूसरे लोगों से दूध लेकर पाउडर मिलाकर दुग्ध वितरण योजना को सप्लाई करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : प्रश्न संख्या 404।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या इस ढिलाई के सम्बन्ध में सरकार ने विकास अधिकारियों से कोई जवाब

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तलब किया है ? यदि किया है तो कितने विकास अधिकारियों से जवाब तलब किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : कार्यवाही करने के लिये लिखा गया है। कम्युनिटी डेवलपमेंट और पंचायत डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत यह आता है। उसमें क्या कार्यवाही हुई यह मुझे जानकारी नहीं हैं। लोन ड्यू की जवाबदारी विकास अधिकारी की रहती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : 66-67 वर्ष के अन्दर जयपुर दुग्ध वितरण योजना के द्वारा लोन के दुरुपयोग और भारी अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं, क्या यह सही है ? और हुई हैं तो क्या हुई हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : लोन अप्रेल में दिया गया था। तीन महीने में गायें खरीदने की कन्डीशन थी। जुलाई तक गायें खरीदने का समय है। दुरुपयोग होने की शिकायतें जरूर आयीं थीं। समय अभी तक है। गायें भी इस मौसम में नहीं ब्याती हैं यह माननीय सदस्य भी जानते हैं। अप्रेल से तीन महीने और जून से तीन महीने गुजरने के बाद लोन का प्रोपर युटिलाइजेशन हुआ है या नहीं यह देखा जायगा।

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्री।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : नो मोर क्वेश्चन्स। प्रश्न संख्या 704।

चारभुजा जस्सा खेड़ा वाया टाटगढ़ बस रूट पर बसें

704. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि एस. टी. ए. के नियमानुसार एक गाड़ी को प्रतिदिन 80 मील से ज्यादा चलने की इजाजत नहीं दी जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि चारभुजा जसाखेड़ा वाया टाटगढ़ रूट पर चलने वाली एक गाड़ी को प्रतिदिन 140 मील रन करना पड़ रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि इस गाड़ी के ब्रेक डाउन हो जाने पर यात्री को कोई अन्य सवारी नहीं मिलती है ?

(4) यदि हां, तो लगभग दस साल से एक ही गाड़ी को कैसे चलने दिया जा रहा है ?

(5) अन्य मार्गों पर बसें बढ़ाई जाती हैं फिर इस मार्ग पर क्यों नहीं बढ़ाई जाती हैं ?

(6) क्या सरकार भविष्य में नई बस लगाने की आज्ञा देने का विचार रखती है ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (1) यह सही नहीं है।

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

(2) जी हां, यह सही है ।

(3) यह सही नहीं है । जिस व्यक्ति के नाम इस मार्ग पर परमिट मिला हुआ है उसके पास स्पेयर बस का भी परमिट है, जो ब्रेक डाउन होने की सूरत में लगाई जा सकती है । ऐसी सूरत में यात्रियों को अन्य सवारी नहीं मिलने की आशंका नहीं है ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) इस मार्ग पर बसें बढ़ाई जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए हैं जो आर. टी. ए. के विचाराधीन है ।

(6) जो प्रार्थना पत्र उक्त मार्ग पर बसें बढ़ाने के लिये आर. टी. ए. के समक्ष विचाराधीन हैं उन पर निर्णय होने के बाद में बसें और बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा सकते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि प्रार्थना पत्र कई साल से दिये जा रहे हैं लेकिन वहां के मोनोपोलिस्ट्स उन प्रार्थना पत्रों पर विचार करने नहीं देते ?

श्री अमीनुद्दीन : कई वर्षों से प्रार्थना पत्रों की मेरे को जानकारी नहीं है । लेकिन दो प्रार्थना पत्र जो अभी मौजूद हैं उनके लिये एक टाइम मुकर्रर कर दिया जावेगा दूसरी मिटिंग में सुनाई हो रही है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है तो मैं उनको जानकारी दे रही हूं प्रार्थना पत्र एक तो एजेन्डा पर नहीं लिये जाते और लिये जाते हैं तो उन पर विचार नहीं किया जाता है । बार बार टाला जा रहा है बसों में बड़ी भीड़ जाती है । भेड़ बकरियों की तरह लोगों को उनमें भरा जाता है । क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे ?

श्री अमीनुद्दीन : कई वर्षों से पड़ी है तो जांच जरूर करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मूलचन्द डागा ।

नगरपालिका पाली के निलम्बित कर्मचारी

705, **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली नगरपालिका (वर्तमान) : में किन किन नगरपालिका पाली के कर्मचारियों को सेवाओं से निलम्बित कर रखा है और कब से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या उन कर्मचारियों को जीवन निर्वाह के लिये कुछ दिया जाता है यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार जीवन निर्वाह दिये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) सर्व श्री रेवाकुमार व नैयर को क्रमशः दिनांक 20-8-66 व 23-3-67 से निलम्बित कर रखे हैं ।

(श्री परसराम मदेरणा)

(2) नहीं । नगरपालिका द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने हेतु विचार किया जा रहा है ।

(3) यदि नियमानुसार देय होगा तो दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में जिलाधीश, पाली द्वारा मामला जेर कार्यवाही है !

श्री मूलचन्द डागा : 20.8.66 को निलम्बित किया और उसके बाद आज तक रेवाकुमार को कितना रुपया जीवन निर्वाह के लिये दिये ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने जैसा उत्तर में निवेदन किया कि नहीं दिया गया है। भाग (2) मे निवेदन किया है कि जी नहीं ।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा निवेदन यह है कि 20-8-66 को जिस व्यक्ति को निलम्बित कर दिया गया तो उसको आज एक साल का समय होने को आ गया और आप उसके जीवन निर्वाह के लिए रुपया नहीं देते तो उसको कितनी कठिनाई हो सकती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए राज्य सरकार म्यूनिसिपल बोर्ड को आज्ञा क्यों नहीं देती कि उसको निर्वाह भत्ता दिया जाय ।

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर पाली ने अपने पत्र दिनांक 4 जुलाई, 1967 को पूरे फैक्ट्स की जानकारी करके म्यूनिसिपल बोर्ड पाली को आदेश दिया है कि इन लोगों को सब-सिसटेन्स अलाउंस देना चाहिए था और वह नहीं दिया गया है, यह गलत है। वे अलाउंस पाने के मुस्तहक हैं रूल 36 के अनुसार और इस तरह से उनको सबसिसटेंस अलाउंस मिलना चाहिए । मैं समझता हूं कि कलेक्टर के डायरेक्शन्स के अनुसार म्यूनिसिपल बोर्ड अब सबसिसटेंस अलाउंस देना शुरू कर देगी और इसके बाद भी अगर नहीं करती है तो राज्य सरकार इस पर आगे कार्यवाही करेगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री हरिबल्लभ शर्मा ।

(प्रश्न सं. 706)

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(प्रश्न सं. 707)

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री हरलाल मीणा ।

अवैध कटाई का माल

708. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़ सु) क्या वन मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माह अप्रैल और मई, 1967 में जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़, फोरेस्ट रेन्ज देवगढ़ में अवैध कटाई का माल चोरी द्वारा बाहर जाता हुआ एक हजार गाड़ी पकड़ा गया ? यदि हां तो किसके द्वारा कितने दिनों में पकड़ा गया ?

(श्री हरलाल मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि जो माल पकड़ा गया है वो, किसी अन्य अधिकारी द्वारा पकड़ा गया है ? यदि हां, तो स्थानीय अधिकारी ने इस सम्बन्ध में अपना क्या कर्त्तव्य निभाया था ?

(3) क्या यह सच है कि इस मामले की जांच अभी तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां, 15-4-1967 को वन शाखा देवगढ़ में सिर्फ चार बैल गाड़ी सहायक वन सरक्षक प्रतापगढ़ द्वारा और पांच बैल गाड़ी शाखा वन अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा कुल 9 बैलगाड़ी पकड़ी गई।

(2) जी नहीं। माल सहायक वन संरक्षक व शाखा वन अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा पकड़ा गया।

(3) जी नहीं। पांच गाड़ी का केस पुलिस को सौंप दिया गया है। चार बैलगाड़ी के केस की कार्यवाही जारी है। इसके मुलजिमान फरार हो जाने से जांच पूर्ण नहीं हो सकी।

श्री हरलाल मीणा : अप्रेल, मई के अन्दर कुल कितनी गाडी अवैध पकड़ी गई।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि 9 गाड़ियां पकड़ी गई और इसके अलावा कुल मिलाकर जो माल पकड़ा गया उसमें सागवान की 9192 की नाद पकड़ी गई। बल्लियां 343, पाट के 11 दरखत, खम्भ 15, झूरा 9....

श्री अध्यक्ष : एण्ड सो ओन।

श्री हरलाल मीणा : क्या इस....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री हरलाल मीणा : क्या इस मामले में किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां। 2 फोरेस्टर्स, और एक असिस्टेंट फोरेस्टर सस्पेंड हुए हैं।

श्री हरलाल मीणा : क्या यह भी सही है कि इस अवधि में जो माल पकड़ा गया है उससे भी बहुत अधिक माल जंगलों में पड़ा हुआ था और उसमें आग लगा दी गई ?

श्री परसराम मदेरणा : इसकी जानकारी नहीं है मुझ।

श्री हरलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि 9 गाड़ी माल पकड़ा गया लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दस हजार गाड़ी माल तक अवैध रूप से बाहर चला गया और उसके बाद में जंगल में आग लगा दी गई। आप कहते हैं कि तीन चार कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं। मैं कहता हूं कि

(श्री हरलाल मीणा)

वहां के रेंजर का ट्रांसफर कर दिया गया है और कुछ नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य बात यह है कि क्या जगल में आग लगी है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो इन्होंने प्रश्न पूछा था उसका मैंने जवाब दे दिया है, यह अलग से प्रश्न है कि आग लगी या नहीं लगी। जंगल में आग लगी या लगाई गई या किस कारण से लगी और इस वजह से ही अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं, जैसी मुझे जानकारी दी है, इन्होंने अच्छी तरह से गार्ड नहीं रखा और इसमें इनका कनोयेंस होना पाया गया इस वजह से सस्पेंड किया गया है। अब आप जो कहते है तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री नन्दवाना।

श्री हरलाल मीणा : यह बात नहीं है। वहां पर आग जानबूझ कर लगाई गई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री हरलाल मीणा : यह तो पेपरों में निकला है कि आग लगी है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बतायें....

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रश्नकर्त्ता को इन्कार किया है।

(व्यवधान) (अश्रव्य)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। श्री नन्दवाना।

श्री रामकुमार नन्दवाना : प्रश्न संख्या 709।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह तो साफ है कि वहां पर आग लगी है। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि नहीं लगी। आग लगाई गई या नहीं या आग लगी या लगाई गई यह तो निश्चित रूप से साबित होना बहुत कठिन है। किन्तु आग अवश्य लगी है। हजारों रुपयों की लकड़ी कटी हुई थोकबन्द बिल्कुल जल गई। क्या मंत्री महोदय यह बात नहीं जानते कि इन जगलों से रात दिन चोरी हो करके ठेठ नवाबशाह और जावरा तक लकड़ा जाती है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय कोई रोकथाम का प्रबन्ध करें, यदि नहीं किया गया हो अभी तक तो प्रबन्ध होना चाहिए। इस सम्बन्ध में रोकथाम का इन्तजाम करें ताकि जो चोरी होती है वह नहीं हो सके। मंत्री महोदय ने कहा कि दो फोरेस्टर्स सस्पेंड हुए हैं लेकिन उनके सम्बन्ध में क्या अभी तक कोई सरकार के द्वारा फैसला नहीं हो पाया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोयल।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सारे केस के पीछे, मैं निवेदन करूं कि जो रेंजर है, जो इससे सम्बन्धित व्यक्ति है उसका केवल वहां से ट्रांसफर किया गया है। इस सारे काण्ड के पीछे जो रेंजर है उसका ऐसे कई

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मामलों में हाथ रहा है। इससे पहले भी कई जगह इस प्रकार के काण्ड हुए हैं और उस रेंजर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। वह जहां पर भी रहता है वहां पर इसी तरह का काण्ड होता है। जब वह छुट्टी पर चला जाता है तो उसकी एब्सेंस में ही गार्डों के द्वारा इस प्रकार के काण्ड करवाये जाते हैं और वह आदमी छुट्टी का बहाना बना कर बच जाता है। कई जगहों पर इस तरह के काण्ड हुए हैं और आप उस रेंजर के काण्ड को दबाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मीणा।

श्री हरलाल मीणा : उसने तो माल निकलवा कर सारे जंगल में ही आग लगवा दी।

श्री परसराम मदेरणा : केस को दबाने का कोई प्रश्न नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : यहां दबाने का ही प्रश्न है। मंत्री महोदय दबाने की कोशिश ही कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : (श्री मदेरणा की ओर मुखापेक्ष) आप उत्तर दीजिए।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : वहां पर जो कुछ हुआ है उस सब पर लीपापोती कर रहे हैं।

श्री सतीश चन्द अग्रवाल : यह फोरेस्ट डिपार्टमेंट में जो घोटाला होता है उसका कारण यही है कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट से आप पैसा वसूल करते हैं। मंत्री महोदय के पास फोरेस्ट का पैसा पहुंचता है। इस प्रकार की शिकायत लिखित में भी की गई है कि चुनाव के मौके पर दो लाख रुपया फोरेस्ट रेंजर से वसूल किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : I take exception to what Mr. Agrawal has said. मंत्री महोदय के पास पैसा पहुंचता है, यह कहना बिल्कुल गलत है। किस के पास पैसा पहुंचता है, इसका आपके पास कोई सबूत नहीं है। मैं जैसा निवेदन कर रहा हूं........

श्री सतीश चन्द अग्रवाल : वह शिकायत सरकार के पास लिखित में मौजूद है, नामजद मौजूद हैं कि दो लाख रुपया चुनाव के लिए रेंजर से वसूल किया गया है।

(व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, शेम शेम करने से तथ्य नहीं छुपाया जा सकता है।

(व्यवधान) (शोरगुल) (अश्रव्य)

इस प्रकार कहने से क्या हो जाता है। आपके पास कोई फैक्ट हो तो बतायें। तो मै निवेदन कर रहा था कि....

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): जब रेंजर ने इतने घोटाले किये हैं तो उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि देवगढ़ जंगल से जो अवैधानिक तौर पर गैर कानूनी तरीके से कटाई हुई उसके सम्बन्ध में जो मामले पकड़े गए हैं उनका चालान किया गया है और उन पर कार्यवाही की जा रही है । कुछ केसेज के अन्दर लोग गाड़ियां छोड़ कर भाग गये हैं और इससे उनकी आइडेन्टीफाई नहीं हो सकी और इससे केस को आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही है । इसके बाद में नाजायज कटाई के अन्दर जिन कर्मचारियों का हाथ होना समझा गया उसको निलम्बित कर दिया गया है और उनके खिलाफ कार्यवाही जारी है । कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस रेंजर का हाथ ऐसे और भी कई मामलों में है तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं इस तमाम मामले के अन्दर इन्क्वायरी करवा लूंगा कि ऐसे कौन 2 से मामलों में रेंजर का हाथ है । मैं इस प्रकार के आदेश आज ही सी.सी.एफ. के पास में दे रहा हूं । यह तो रहा एक सवाल ।

अब दूसरी बात जो है कि जंगल में आग लगी या लगाई गई तो आग तो दूसरी जगहों पर भी लग जाती हैं । बाड़मेर में भी घास में आग लग गई और जगहों पर भी आग लग जाती है । मुझसे यह उम्मीद नहीं रख सकते आप कि मैं हर एक फोरेस्ट के बारे में तमाम जानकारी रख सकूं । जो यहां पर प्रश्न पूछा गया उसका मैं जबाब दे रहा हूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री मैं पूछना चाहता हूं । यह जंगल विशुद्ध सागवानी जंगल है । अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में यह सबसे अच्छा जंगल है । इसमें कई महीनों से बिल्कुल लूट मच रही है, और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने कहा है कि वे जानकारी प्राप्त करेंगे । कृपा करके यह जानकारी भी प्राप्त करिये कि अंगार से बचाने के लिए वहां पर फायर लाइन्स भी विशुद्ध रूप से कटी हुई है । फायर लाइन्स के ऊपर सूखे पत्ते के डगले पड़े हुए हैं और कोई हटाने की चेष्टा भी नहीं करता । अध्यक्ष महोदय, ऐसी लूट ऐसे बढ़िया जंगल के अन्दर जारी रहे तो मैंने देखा है कि इस जंगल की हालत 5 साल में क्या हुई है और दूसरे दो साल में बिल्कुल साफ सत्यानाश हो जायगा अगर सरकार ने इस बारे में कार्यवाही नहीं की तो । अभी तक लाखों रुपयों की, कम से कम एक करोड़ रुपये की लकड़ी पड़ी हुई है । आपको चाहिए कि इस सम्बन्ध में कुछ करें ।

श्री परसराम मदेरणा : जब राज्य सरकार को यह जानकारी मिली कि इस जंगल के अन्दर नाजायज कटाई हो रही है तो उसके बाद राज्य सरकार ने और वन विभाग के कर्मचारियों ने समय समय पर स्टेप लिए हैं और वहां पर पेट्रोलिंग पार्टीज लगी हुई हैं और चार डिविजन में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनमें 44 पार्टियां लगी हुई हैं । वहां पर मोबाइल ट्रक्स और जीप्स लगी हुई है और जो अधिकारी हैं उन पर पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई है कि कहीं भी नाजायज कटाई नहीं होना चाहिये । उसके

(श्री परसराम मदेरणा)

बाद कटाई बन्द है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस जंगल की रखवाली के लिये राज्य सरकार अपना पहला कर्त्तव्य मानती है और जो एरियाज अनएक्सेसेबल हैं और पूरे जंगल की रखवाली नहीं हो रही है तो और कर्मचारियों की मोबाइल पार्टीज लगाए गे और देखेंगे कि जंगल का एक पेड़ भी नाजायज नहीं काटा जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका जो कटा हुआ जंगल है उसमें मवेशी और बकरियां चर रही हैं और शूट्स को खा रही हैं और कोई परवाह नहीं है....

श्री अध्यक्ष : अब पर्याप्त हो गया। दिस इज सफिशियेन्ट।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप कहते हैं कि आपका पुनीत कर्त्तव्य है वह तो हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उस पुनीत कर्त्तव्य को वहन करने के लिए क्या कुछ करेंगे ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना चाहता हूं। अभी यह कहा गया कि सारा माल पकड़ा गया और जंगलात के अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया तो यह माल कई रोज से कट कट कर मध्यप्रदेश में भेजा जा रहा है और जंगलात के अधिकारियों पर समय समय पर शिकायतें की गई लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो लोगों ने जाकर कलेक्टर चित्तौड़ को अप्रोच किया तो कलेक्टर, चित्तौड़ ने उस माल को पकड़ा है। कलेक्टर चित्तौड़ ने स्वयं ने जाकर उस माल को सीज किया है। जंगलात विभाग के कर्मचारियों ने तो जान बूझकर उस माल को कटवाया है।

श्री अध्यक्ष : इन सरकम्स्टान्सेज को भी देख लीजिए।

श्री शंकरलाल !

श्री रामकुमार नन्दवाना : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन तो रह गया।

श्री अध्यक्ष : कौन सा क्वेश्चन ?

श्री रामकुमार नन्दवाना : 709।

श्री अध्यक्ष : यस।

पंचायत समिति भदेसर का कृषि फार्म हेतु भूमि का अलाटमेंट

709. **श्री रामकुमार नन्दवाना** : (चित्तौड़गढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ को कृषि फार्म के लिए 100 एकड़ भूमि एलॉट की गई है ? यदि हां, तो किस तारीख को उसकी स्वीकृति हुई ?

(2) क्या यह सही है कि यह कृषि फार्म की भूमि पंचायत समिति के अधिकार

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

में नहीं है ? यदि हां, तो उस भूमि पर किसका कब्जा है ? यदि इस भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा है तो राज्य सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया है ?

(3) क्या पंचायत समिति द्वारा जिलाधीश चित्तौड़गढ़ को भूमि सुपुर्द करवाये जाने हेतु लिखा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या यह भी सही है कि यह भूमि पंचायत समिति भदेसर को दिये जाने हेतु सरकार से स्वीकृति हुई और उसके बाद भी जिलाधीश चित्तौड़गढ़ ने यह भूमि पंचायत समिति को अभी तक सुपुर्द नहीं की है ?

कृषि मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) से (4) जी हां। पंचायत समिति भदेसर को 100 एकड़ भूमि आवंटित करने की सिफारिश कृषि विभाग ने की थी जिसके अनुसार राजस्व विभाग ने दिनांक 4-3-65 को भूमि आवंटित करने के आदेश जारी किये क्योंकि उस समय यह फार्म पंचायत समिति भदेसर के आधीन ही चलाये जाने को था परन्तु बाद में राज्य सरकार की नीति के अनुसार यह फार्म कृषि विभाग द्वारा ही चलाये जाने का निर्णय लिया गया इसलिए यह फार्म अब कृषि विभाग द्वारा ही चलाया जा रहा है और उस पर सरकार का ही कब्जा है । अतः इस भूमि पर न तो किसी का अनधिकृत कब्जा ही है और न इसे वहां की पंचायत समिति को देने का प्रश्न है ।

श्री रामकुमार नन्दवाना : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि यह फार्म कृषि विभाग को दिया गया था और कृषि विभाग को ही फार्म अलॉट हुआ था। मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 190 एकड़ जमीन पंचायत समिति भदेसर को राज्य सरकार ने एलॉट की थी और उस पर कृषि विभाग का नाजायज कब्जा है और पंचायत समिति बार बार डिमाण्ड कर रही है लेकिन वह फार्म पंचायत समिति को नहीं दिया जा रहा है । तो मन्त्री महोदय से मैं जानकारी चाहूंगा क्योंकि कृषि विभाग और पंचायत विभाग ये दोनों ही विभाग आपके अन्तर्गत हैं तो आप इस समस्या को हल करें और वह जमीन पंचायत समिति को एलॉट करवायें ।

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है कि फार्म की जमीन पंचायत समिति को एलॉट हुई थी, अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसके बाद में यह जो फार्म जो राज्य सरकार ने वहां पर बनाया था तो उसके लिए भारत सरकार के बार बार यह आदेश थे कि सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स जो हैं उनको कृषि विभाग को ही चलाना चाहिये । तो उसके अनुसार पंचायत समितियों के पास जितने भी सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स थे उनको राज्य सरकार ने ले लिया है और यह जमीन पंचायत समिति को सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के लिए एलॉट की गई और कृषि विभाग उस पर सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म चला रहा है । यह ठीक है कि जमीन एलॉट की गई थी पंचायत समिति को । इसको कृषि विभाग के नाम ट्रान्सफर करने को

(श्री परसराम मदेरणा)

लिख दिया है और मैं समझता हूं कि यह जमीन विभाग के नाम ट्रान्सफर हो जायगी इसलिये मैं इस वक्त इससे एग्री नहीं करता हूं कि यह फार्म पंचायत समिति को सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री शंकरलाल।

(स्थगित किया गया)

श्री ओमदत्त भाटी!

बेघरबार मजदूरों को बसाने के लिए भूमि का एलॉटमेंट

711 **श्री ओमदत्त भाटी** (जोधपुर) : (श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) फिदूसर व देवरिया (जोधपुर) पत्थर उद्योग के पास पड़ौस में स्थानीय नगर सुधार न्यास द्वारा मजदूरों को बसाने हेतु रियायती दर पर कितने प्लाट अलॉट किये गए हैं?

(2) अगर एक प्लॉट भी एलॉट नहीं किया गया तो कृपया यह बतावें कि प्रमुख मजदूर क्षेत्र होने के बावजूद भी बेघरबार गरीब मजदूरों को बसाने हेतु प्लाट एलॉट करने में क्या दिक्कत है?

(3) क्या यह सही है कि फिदूसर के पास ही कालूरामजी की बावड़ी के पीछे जमीन एलॉट करने हेतु गत छः वर्ष पूर्व मजदूरों ने एक प्लान प्रस्तुत किया था?

(4) अगर हां, तो क्या यह भूमि बेघरबार मजदूरों को बसाने हेतु एलॉट कर दी गई?

(5) अगर नहीं, तो सरकार का उपरोक्त भूमि नियमानुसार एलॉट करने का इरादा कब तक है?

कृषि मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) :

(1) एक भी नहीं।

(2) इस क्षेत्र के मजदूरों को बसाने हेतु राजबाग योजना स्वीकृत की गई किन्तु स्वीकृत दर पर एक भी मजदूर प्लाट लेने को तैयार नहीं हुआ।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) योजना के स्वीकृत होने पर इस क्षेत्र के मजदूरों को नगर न्यास द्वारा प्लाट आवंटित किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री किशनलाल शाह।

श्री किशनलाल शाह (नावां) : प्रश्न संख्या 712।

विकास मन्त्री : (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है इसलिये इसको पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोण्ड ।

श्री किशनलाल शाह : इस क्वेश्चन को कई महीने हो गए । जानबूझ कर ऐसा क्वेश्चन छुड़ाया जा रहा है और उनका जवाब नहीं दिया जाता है जिससे लगता है उसमे घोटाला है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थगित किया गया ।

श्री रावतराम !

चाड़वास–छापर रूट पर बस का किराया

713. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीदासर से चाड़वास (चुरू) 6 माइल है और इस बीच यात्री बसों द्वारा 40 पैसे किराया वसूल किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि चाड़वास से छापर केवल 2 माइल है इस बीच का प्रति व्यक्ति किराया भी 40 पैसे लिया जाता है ? यदि हां, तो माइल कम होते हुए भी ज्यादा किराया क्यों वसूल किया जाता है ?

(3) क्या सरकार चाड़वास से छापर तक का किराया कम करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

यातायात मंत्री : (श्री अमीनुद्दीन) (1) जी हां, यह सही है ।

(2) जी हां, राज्य सरकार की आज्ञा संख्या एफ–1 (9) (19) गृह–ख 1-65 दिनांक 25–10–66 के तहत बस मालिक 10 किलोमीटर से कम का किराया लेने को बाध्य नहीं हैं ।

(3) कानूनन 38 पैसे किराया इस मार्ग का वसूल होना चाहिए जो तारीख 18–6–67 से वसूल किया जा रहा है ।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, बीदासर से चाड़वास 6 मील है उसका 40 पैसा किराया और चाड़वास से छापर 2 मील है उसका भी 40 पैसा किराया तो इस तरह के आदेश बस मालिकों को क्यों दे रखे हैं ?

श्री अमीनुद्दीन : इसलिए कि वह हकदार हैं 10 किलोमीटर का किराया लेने के ।

श्री रावतराम : वह हकदार हैं, बस मालिक तो हकदार हैं ही, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि एक तरफ तो 6 मील का उतना ही किराया और एक तरफ 2 मील का उसी रूट पर, उसी साइड पर चलता है उसका भी वही 40 पैसा किराया तो इसके लिए सरकार कार्यवाही क्यों न करें । रूल्स में अमेंडमेंट करके या जो कुछ भी प्रोसीजर है उसको ठीक करना चाहिए । इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भविष्य में वे क्या आश्वासन देते हैं ठीक करने का ?

श्री ग्रमीनुद्दीन : हकदार है बस मालिक 10 किलोमीटर का चार्ज करने का। सरकार ने हुक्म दिया है इसलिए वे करते हैं। इसमें एमेंडमेंट हो सकता है या नहीं इसकी जानकारी इत्मिनान के लिए कर लूंगा कि ग्राया यह मुमकिन होगा कि नहीं।

श्री रावतराम : इसमें तो स्पष्ट बात है। सरकार को विचार करना चाहिए ग्रौर मंत्रीमहोदय को रूल्स में ग्रमेंडमेंट करना चाहिए।

श्री ग्रध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि शायद सम्भव होगा तो करेंगे।

श्री रावतराम : एक तरफ तो 6 मील का किराया 40 पैसे ग्रौर दूसरी तरफ 2 मील का 40 पैसा........

श्री ग्रध्यक्ष : किस रूप में करना चाहिए यह मंत्री महोदय समझते हैं।

श्री रावतराम : इससे पब्लिक में ग्रसन्तोष की भावना पैदा होती है ग्रौर कोई सुनने वाला नहीं है कि 2 मील का भी उतना ही किराया ग्रौर 6 मील का भी उतना ही। मंत्री महोदय कुछ निश्चित बतायें। यह बात बहुत घपले में पड़ गई।

श्री ग्रध्यक्ष : जैसा था वैसा उन्होंने फरमा दिया।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : क्या ग्राप इसको उचित समझते हैं कि 6 मील का भी उतना ही ग्रौर 2 मील का भी उतना।

श्री ग्रमीनुद्दीन : मैं जो उचित समझता था वह कह चुका हूं कि कायदा कानून यह है ग्रौर उसकी जांच करवा लूंगा कि ग्रमेंडमेंट मुमकिन हो सकता है कि नहीं ?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापने फरमा दिया। श्री जुझारसिंह !

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : 10 किलोमीटर का इसी रूट पर लागू है या सब जगह राजस्थान में लागू किया हुग्रा है ?

श्री ग्रमीनुद्दीन : सारे राजस्थान में लागू है।

श्री किशनलाल शाह (नावां) : 2 मील का ग्रौर 6 मील का एक ही किराया लेने के राज्य सरकार ने जो ग्रादेश दिये हैं वह किस कानून के तहत दिये हैं ?

श्री ग्रमीनुद्दीन : यह कानून है जिसके तहत है। उसको मैं पढ़कर सुना चुका हूं ग्रौर कानून का हवाला दे चुका हूं।

श्री किशनलाल शाह : कानून की धारा बताइये।

श्री ग्रमीनुद्दीन : ग्राज्ञा संख्या एफ (1) (9) (19) गृह-ख-1।65।

श्री किशनलाल शाह : यह तो सर्क्यूलर है। इसमें एमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। इसमें कानून की कौनसी रुकावट है ?

श्री अध्यक्ष : श्री कालूराम।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि मंत्री महोदय यों ही करके टाल दें, क्योंकि जहां यात्री बैठता है वहां लड़ाई होती है और यहां तक लड़ाई होती है कि उनको गाड़ी से उतार दिया जाता है। इसलिए यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि इसको यों ही छोड़ दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार 10 किलोमीटर मिनिमम चार्ज करने का जो रूल है उसको स्थगित रखने का विचार रखती है ?

श्री अमीनुद्दीन : मैं तो आपसे कह चुका हूं कि अब तक 10 किलोमीटर का कम से कम किराया चार्ज करने का बस मालिक हकदार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चीज तब्दील हो सकती है तो इसकी जांच करवाई जायगी कि ऐसा एमेंडमेंट हो सकता है या नहीं और कहां तक यह पासीबल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है। यह तो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : आपके कहने का मतलब यह है कि उस रूट को खत्म कर दिया जाय। रावतराम जी से पूछ लें।

एक माननीय सदस्य : 10 किलोमीटर का आपने जो किराया लेने का नियम बना रखा है इसको निकाल दें तो 1 किलोमीटर होता तो 1 का चार्ज करेंगे और 2 होगा तो 2 का चार्ज करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट। श्री कालूराम !

प्रश्न संख्या 714

श्री अध्यक्ष : श्री कालूराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 715

श्री परसराम !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री रोशनलाल शर्मा

श्री रोशनलाल शर्मा : 716.

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकती है अतः निवेदन है कि इसे दस रोज के लिए मुलतवी किया जावे।

श्री रोशनलाल शर्मा : महीना भर हो गया इस प्रश्न को पूछे। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री दिग्विजय सिंह।

सरपंच ग्राम पचायत नगर देवली के विरुद्ध मुकदमा

717. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री रतन लाल सरपंच, ग्राम पंचायत नगर देवली, जिला टोंक के विरुद्ध हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान में कोई 409 आई. पी. सी. का मुकदमा चल रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि श्री रतनलाल सरपंच, नगर के विरुद्ध मुन्सिफ टोंक में धारा 395 420, 423, 527 आई. पी. सी. में कोई मुकदमा दायर किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या सरकार उक्त सरपंच को धारा 17 पंचायत एक्ट के तहत निलम्बित करने के आदेश करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) हाई कोर्ट में धारा 409 के अपराध में मामला रेफर किया गया है जो सरपंच बनने के पूर्व काल का है ?

(2) जी हां। आई. पी. सी. की धारा 395, 342, 427 147 व 149 के अपराध में मुकदमा दिनांक 17-12-66 को दायर किया गया है।

(3) जब तक सरपंच के विरुद्ध नैतिक पतन सम्बन्धी अपराध का ट्रायल आरम्भ नहीं हो जावे तब तक सरपंच को निलम्बित नहीं किया जा सकता।

श्री दिग्विजय सिंह : यह आप मानते हैं कि उसके खिलाफ 395, 342 आदि सेक्शन्स के तहत मुकदमा दायर हो चुका है, तो क्या ट्राइल शुरू होने के बाद में उसको सस्पेन्ड करने का विचार रखते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : प्राइवेट कम्पलेन्ट, 395, 342 धाराओं के अन्तगत जो अपराध हैं, उनकी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पास हुई है और पुलिस ने 147 व 149 के तहत मुकदमा दायर किया है। अभी इस्तगासे की तहकीकात की जा रही है और चार्ज शीट नहीं दी गई है। जब तक ट्राइल बिगिन नहीं होता है है तब तक 417 के अन्तर्गत राज्य सरकार को पावर नहीं है कि सरपच को निलम्बित कर सके।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति सरकार ने प्रदान की थी ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मुझे नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए अर्ज करूं कि ट्राइल शुरू हो चुकी है और पेशी की तारीख पड़ चुकी है और आप कह रहे हैं कि ट्राइल शुरू नहीं हुई है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो जानकारी मुझे दी गई है उसके अनुसार अभी तक

(श्री परसराम मदेरणा)

इस्तगासे की तहकीकात की जा रही है और शहादत की पेशी पांच छः मात मुकर्रर है। अभी पहली पेशी मुकर्रर हुई है और जैसा आप जानते हैं केस रजिस्ट्रेशन होने के बाद में चार्ज शीट तैयार होती है और चार्ज शीट तैयार होने के बाद में ट्राइल बिगिन होती है। जब तक ट्राइल बिगिन नहीं होती तब तक हम सस्पेन्ड नहीं कर सकते। यह भी हो सकता है कि मोरल टर्पीट्यूड इन्वाल्व हो- इसमें मैं देखूंगा कि ट्राइल बिगिन होने के बाद उसके खिलाफ जो आफेन्स थे और जिन आफेन्स में चालान हुआ उसमें मोरल टर्पीट्यूड इन्वाल्ड है या नहीं। और उसके बाद ही फैसला ले सकते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : 409 का मामला है वह हाई कोर्ट में रेफर किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी में वह जब कर्मचारी था उस समय का मामला था। उसमें आफेन्स साबित नहीं हुआ तो सेशन कोर्ट के फैसले के रिवीजन के लिए हाई कोर्ट में गया है। इस वास्ते इस मामले में सरपंच को कैसे सस्पेन्ड किया जा सकता है?

प्रश्न संख्या 718

श्री अध्यक्ष : श्री लाभचन्द वैद !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 719

श्री जसराज !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री फतेहसिंह !

रिटायरिंग रूम्स का उपयोग

720. **श्री फतेहसिंह** (ब्यावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या जोधपुर बस स्टेशन पर रिटायरिंग रूम्स बने हुए हैं?

(2) यदि हां, तो ये रूम्स कब बन कर तैयार हुए थे और अब तक कितने मुसाफिर इनका उपयोग कर चुके हैं?

(3) क्या यह बात सही है कि रात्रि के समय किसी भी मुसाफिर को जोधपुर बस स्टेशन पर नहीं ठहरने देने के सरकारी आदेश हैं?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) :

(1) जी हां।

(2) ये कमरे 26-1-65 को बन कर तैयार हो गये थे। परन्तु इनको रिटायरिंग रूम के लिये दिनांक 15-3-66 से काम में लेना शुरू किया गया। इस तारीख से अब तक 74 यात्रियों ने इनका उपयोग किया है।

(3) जी नहीं।

श्री फतेहसिंह : क्या मन्त्री महोदय को यह मालूम है कि यह कमरे मुसाफिरों के काम में नहीं आकर अन्य व्यक्तियों को किराये पर दिये जाते हैं और इनका किराया स्थानीय कर्मचारी खा जाते हैं ?

श्री अमीनुद्दीन : इसकी जानकारी मुझे नहीं है और मैं यह जरूर जानकारी कर लूंगा ।

श्री फतेहसिंह : क्या माननीय मन्त्री को यह मालूम है कि रात्रि के समय इस जोधपुर बस स्टेशन पर किसी यात्री को ठहरने नहीं दिया जाता ?

श्री अमीनुद्दीन : इसकी मेरे पास इत्तला है कि ठहरने से किसी को रोका नहीं जा सकता ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह बात सही है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री फतेहसिंह : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री को एक जानकारी देना चाहता हूं कि 10 मई 67 को राजस्थान की हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ जो चुनाव याचिका दायर की गई है उसकी सुनवाई थी । मै 9 मई को आर. एस. एल 5276 से सफर करके रात्रि के साढ़े बारह बजे जोधपुर पहुँचा वहां पर कोई टैक्सी, रिक्शा या तांगा उस समय बस स्टेशन पर उपलब्ध नहीं था । मेरे साथ में श्री अर्जनदास एडवोकेट, जो इस सदन के भूतपूर्व सदस्य रह चुके हैं, भी थे । किन्तु हमें वहां बस स्टेशन पर नहीं रहने दिया गया । मैंने वहां शेड में रहना चाहा लेकिन वहां भी हमें नहीं रहने दिया गया । वहां के कर्मचारियों ने कहा कि इस प्रकार के आदेश हैं कि किसी मुसाफिर को नहीं रहने दिया जाय । मेरी आइडेंटिटी श्री अर्जनदास ने डिस्क्लोज की, उसके उपरान्त भी हमें वहां नहीं ठहरने दिया गया । और लाचारन बस स्टेशन से हमें रेल्वे स्टेशन जाना पड़ा । मैं रेल्वे कर्मचारियों को धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने, जब कि मैं रेल्वे का पैसेन्जर नहीं था, वहां हमें ठहरने दिया ।

एक माननीय सदस्य : यह सवाल है क्या है ?

श्री अध्यक्ष : This is pleading one's own cause.

श्री फतेहसिंह : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले की जानकारी करें जिस बस से मैंने सफर किया उससे और इस मामले में कार्यवाही करें ।

श्री अमीनुद्दीन : मुझे बहुत दुःख है कि माननीय सदस्य को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी और कोर्पोरेशन ने इतनी बेहूदी हरकत की । इसकी पूरी जांच होगी और जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ जांच होगी और ऐसा होने नहीं दिया जायगा ।

प्रश्न संख्या 721

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 722

श्री पृथ्वीसिंह !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र

श्री नथमल चोहला : 723 !

सहकारी होल सेल भण्डार, सीकर

723. **श्री रामाचन्द्र** (खन्डेला) नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़ सु.) द्वारा पूछा गया : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सीकर में सहकारी होल सेल भण्डार की स्थापना कब हुई ?

(2) स्थापना के तीन महीनें के भीतर उपरोक्त भण्डार के डाइरेक्टरों का नियमानुसार चुनाव क्यों नहीं कराया गया ? यह तीन महीने की अवधि कब समाप्त हुई ?

(3) क्या राज्य सरकार ने मौजूद बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की अवधि बढ़ाई है ? यदि हां, तो कितने समय के लिए व किस कानून के अन्तर्गत ?

(4) बढ़ाई हुई अवधि की मियाद गुजरने के पश्चात् भी अब तक इस भण्डार के डाइरेक्टर्स के चुनाव न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार के यह भी ध्यान में है कि इस भण्डार की फतेहपुर ब्रान्च में काफी गबन हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सहकारी मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) (1) सीकर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. सीकर की स्थापना दिनांक 15. 3. 66 को हुई थी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)- आवाज नहीं आ रही है ।

श्री परसराम मदेरणा- (1) सीकर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि० सीकर की स्थापना दिनांक 15. 3. 66 को हुई थी ।

(2) स्थापना के तीन माह के भीतर निर्वाचन न कराये जाने का कारण यह था कि भण्डार के 6297 सदस्य की वार्डवार सूचियां बनानी थीं एवं उस नियमानुसार निर्वाचन क्षेत्र का गठन करना था यह कार्य अल्प अवधि में किया जाना सम्भव नहीं था। संचालक भंडार के प्रारम्भिक तीन माह की अवधि दिनांक 14-6-66 को समाप्त हुई ।

(3) जी हां । अवधि 31-8-67 तक बढ़ा दी गई गई है। ऐसा राजस्थान सहकारी अधिनियम 1965 की धारा 139 के तहत किया गया है ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) विभागीय ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में फतेहपुर शाखा में सेलसमैन के द्वारा भण्डार की राशि का दुरुपयोग व गबन किये जाने का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में ऑडिटर के द्वारा सहायक रजिस्ट्रार (उपभोक्ता)

(श्री परसराम मदेरणा)

सहकारी समितियां, अजमेर खण्ड एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर खण्ड व चीफ ऑडिटर को सूचित कर दिया गया है और उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, अजमेर खण्ड के द्वारा राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल- क्या यह सही है कि उपभोक्ता भण्डार का कार्य क्षेत्र केवल म्यूनीसिपल एरिया है ?

श्री परसराम मदेरणा- उपभोक्ता भंडार का कार्य क्षेत्र, एरिया आफ आपरेशन सात म्यूनीसिपल क्षेत्र हैं, सात म्यूनीसिपल टाउन।

श्री कृष्णकुमार गोयल- क्या यह सही है कि इसके अन्दर कई डाइरेक्टर एपाइन्ट हुए हैं वह म्यूनीसिपल एरिया के बाहर के व्यक्ति है ?

श्री परसराम मदेरणा - इसका एरिया आफ आपरेशन म्यूनीसिपल टाउन तक हैं सीकर, खण्डला आदि- इसलिए उन जगहों के डाइरेक्टर अपाइन्ट किये गये हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ये सारे के सारे म्युनिसिपल टाउन्स हैं, मैंने पूछा है कि कुछ ऐसे व्यक्ति डायरेक्टर हैं जो उन म्युनिसिपल एरियाज के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि पंचायत क्षेत्र के हैं।

श्री परसराम मदेरणा: बाई लाज के अनुसार वह हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री नथमल चोहला।

स्थगित प्रश्न

(2 6.67 और 9.6.67)

सीकर बीकानेर नेशनल हाईवे का निर्माण

189. **श्री नथमल चौहला** (लक्ष्मगढ़सु.) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सीकर से बीकानेर नेशनल हाईवे को विभिन्न शहरों से जोड़ने हेतु जो सड़क के निर्माण कार्य होने हैं उनके सम्पूर्ण न होने से यातायात में असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों को शीघ्र पूरा कराने का इरादा रखती है? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों को शीघ्र पूरा कराने का इरादा रखती है? यदि हां तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : जी हां, फतेहपुर शहर को जोड़ने वाली सड़क का काम पूरा हो चुका है लक्ष्मणगढ़ को जोड़ने वाली सड़क का काम प्रगति पर है। आशा है इस वर्ष पूरा हो जायगा।

श्री नथमल चोहला : फतहपुर से जोड़ने वाली सड़क का काम पूरा नहीं हुआ है।

श्री अमीनुद्दीन : मेरी जानकारी में तो यह है कि यह काम पूरा हो चुका है।

श्री नथमल चोहला : काम पूरा डामर रोड़ बनने के बाद माना जाता है या कच्ची रोड़ बनने पर ही मान लिया जाता है?

श्री अमीनुद्दीन : कच्ची रोड़ ग्रेवल रोड़, बनने के बाद पूरा माना जाता है।

श्री नथमल चोहला : उसमें तो खड्डे पड़े हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नेशनल हाई वे में कच्ची सड़क होती है क्या ?

श्री अमीनुद्दीन : यह नेशनल हाई वे नहीं है।

श्री नथमल चोहला : लक्ष्मणगढ़ में प्रवेश होने वाली सड़क का कार्य कब पूरा होगा ?

श्री अमीनुद्दीन : ये दोनों लिन्क रोड्स इसी साल पूरी हो जायगी।

श्री विजयसिंह : क्या यह नेशनल हाई वे की ....

श्री अध्यक्ष : नैकस्ट । प्रश्न सख्या 353।

श्री विजयसिंह : आपने कहा था कि पक्की होनी चाहिये मिट्टी डलवाने पर बरसात में मिट्टी घुल जाती है ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 354।

स्थगित प्रश्न

(9:6:67)

उप-जिला धौलपुर के निर्माणाधीन सार्वजनिक मार्ग

353. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) धौलपुर उपजिले में कौन कौन से सार्वजनिक मार्ग निर्माणाधीन हैं तथा इनके कब जक पूरा होने की संभावना है ?

(ख) इन मार्गों में से कौन कौन से मार्गों पर पहले से प्रारम्भ हुआ कार्य रोक दिया गया है तथा क्यों ?

(ग) क्या मनियां से मरेना जाने वाली सड़क इन्ही निर्माणाधीन मार्गों में एक है?

यदि हां, तो इस सड़क का कार्य कब प्रारम्भ हुआ, कब रोका गया और अब कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) :

(क) बाड़ी से सथऊ तथा बयाना से बसेरी वाया कोट थगर सड़कों का काम निर्माणाधीन है। आशा है यह दोनों काय वर्ष 1967-68 तक समाप्त हो सकेंगे।

(ख) इन मार्गों का कार्य नहीं रोका गया है।

(ग) यह काम योजना में शामिल नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मनिया से मरेना सड़क जाती है वह 4 मील का टुकड़ा बन चुका है, 10 वर्ष हो गये इस सड़क को बने इसे कब तक पूरा कर देंगे, कब बननी शुरू हुई, कब बन्द कर दी गई, क्यों बन्द कर दी गई और अब कब शुरू किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : अभी सड़क है वहां पर ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां, है।

श्री अमीनुद्दीन : तब क्या सवाल है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरी गुंजारिश है कि 10 मील में से 4 मील बनी है, 10 वर्ष पहले बननी शुरू हुई, उसे 4 मील बनाकर बन्द कर दिया। मैंने पूछा है कि कब बननी शुरू हुई, कब छोड़ा, अब कब शुरू किया जायेगा और कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मुझे तो अफसोस है कि माननीय सदस्य को खयाल नहीं कि धौलपुर डिवीजन में 3 दिन तक ठोकरें खाकर आया, माननीय सदस्य के साथ उनकी मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम बनाया, फिर भी आज सवाल उठाया गया है, माननीय सदस्य क्या ऐसी सड़क बनवाना चाहते हैं जहां आदमी तो क्या जानवर भी नहीं जा सकता।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं मन्त्री महोदय का बहुत शुक्रगुजार हूं....

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : यह शौकिया सवाल पूछा जा रहा है, यह तो शौकिया सवाल है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं मन्त्री महोदय का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं इस प्रश्न को पूछना नहीं चाहता था, पर पहले पूछ लिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्री महोदय और माननीय सदस्य कई दिन तक साथ घूमे हैं फिर भी निर्माण नहीं हुआ ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : आपको क्या पता होगा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। बयाना से बसेड़ो का कार्य निर्माणाधीन है, यह मन्त्री महोदय ने कहा तो इसमें केवल सड़क का कार्य ही है या पुलिया भी शामिल है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जब प्रोग्राम बनता है तो उसके डिटेल्स अलग होते हैं।

श्री रामकिशन : पूरा काम करेंगे तो पुलिया भी बना देंगे या सडक ही बनाई जायगी ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जैसा प्रोग्राम में आयेगा।

श्री रामकिशन : यह कोई जवाब है क्या, पुलिया बनेगी या नहीं बनेगी ?

श्री अध्यक्ष : सड़क से पुलिया, अलग से प्रश्न है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

स्थगित प्रश्न

(12.6.67 व 19.6.67)

बालानन्दजी मोरी, जयपुर के जरिये आवागमन

407. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर के शहर पनाह के कुल कितने दरवाजे और कितनी मोरियां हैं? प्रत्येक का नाम बताने की कृपा करें ?

(2) बालानन्दजी की मोरी पर राज्य सरकार की ओर से कब तक चौकीदार रखा गया और क्या अब यह मोरी यथावत् आगमन के लिये सार्वजनिक मार्ग के रूप में खुली हुई है ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जयपुर नगर शहर पनाह के 12 दरवाजे और 30 मोरियां हैं। सूची संलग्न है।

श्री रामकिशन : क्या है यह ?

श्री अध्यक्ष : जायसी की कथा है ?

(हसी)

श्री परसराम मदेरणा : (2) बालानन्दजी की मोरी पर चौकीदार रखे जाने का मामला नगर परिषद् से सम्बन्धित न होने के कारण जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस मोरी के आवागमन के मार्ग में जो एक अनधिकृत व नाजायज तामीर करवा ली गई थी वह अब हटा दी गई है और मोरी सर्व साधारण के आने जाने के लिये खुलवा दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : शहर की चाहर दीवारी, दरवाजे और मोरियों पर अधिकार नगर पालिका का है या पी. डब्लू. डी. का। इनका इन्तजाम, मरम्मत वगैरह कौन कराता है ?

श्री रामकिशन : यहां अध्यक्ष महोदय, मोरियों में से आदमी पास होते हैं या पानी पास होता है ?

एक माननीय सदस्य : यह जयपुर है।

श्री परसराम मदेरणा : यह मुझे जानकारी नहीं है, अन आथोराईन्ड पजेशन नहीं है, यह म्युनिसिपैलिटी का काम है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय, दो तीन बार स्थागित कर दिया गया। यह दरवाजे और मोरियों का प्रश्न है पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमेशा यह परम्परा रही है कि शहरपनाह दरवाजे मोरियां स्टेट प्रोपर्टी रहा हैं अब यह राजस्थान सरकार की प्रोपर्टी हो गई, इनमें से किसी पर

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

किसी इन्डिविज्युग्रल का ग्रधिकार नहीं होना चाहिये, बड़े दरवाजे के रूप में हैं सारे पब्लिक वेज है। इसमें जानकारी मन्त्री महोदय को नहीं है ग्रौर उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि इनका सम्बन्ध स्वायत्त शासन विभाग से है या पी. डब्ल्यू. डी. से है इतनी भी जानकारी नहीं है तो यह ग्राव-श्यक हो गया है कि मैं निवेदन कर दूं कि पूरी जानकारी करके बतायें। जितनी मोरियां थीं गवनमेंट की तरफ से स्टेट के समय में उन सब पर चौकीदार मुकर्रर थे। मैं निवे-दन करूंगा कि ग्राप जांच करेंगे तो पता चलेगा कि इन पर बराबर चौकीदार रहते थे, किसी इन्डिविज्युग्रल का इन पर कब्जा नहीं रहा। शिक्षा मन्त्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि फलां व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, पुलिस को लिखा पर पुलिस ने ग्रभी कोई कार्यवाही नहीं की, शिक्षा विभाग को प्रोपर्टी दी तो वह उसका इन्तजाम नहीं कर सकता........

श्री ग्रध्यक्ष : मैं खुद ग्रसमन्जस में हूं कि मैं सवाल सुन रहा हूं या भाषण सुन रहा हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्न यह है....

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं दोहराइये वह हो गया। भाषण में से प्रश्न निकाल लिजिये ग्रौर उत्तर दे दीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : डिटेल्स दे दिये गवर्नमेंट मालूम करे कि किसके ग्रधि-कार में है, पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर से मालूम कर सकते हैं कि कब तक इन पर चौकीदार रहे हैं। पी. डब्ल्यू. डी. को पूछते हैं तो शिक्षा विभाग को बताते हैं शिक्षा विभाग को पूछते हैं तो स्वायत्त शासन विभाग को बताते हैं, स्वायत्त शासन विभाग को पूछते हैं तो कहा जाता है कि इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने की मन्शा थी कि दरवाजों ग्रौर मोरियों से ग्रावागमन नहीं रुकना चाहिये, मैंने उनको जानकारी दी कि 12 दरवाजे ग्रौर 31 मोरियां हैं, उन पर किसी का ग्रनधिकृत कब्जा नहीं है। माननीय सदस्य यदि बतावें कि किसी जगह पर किसी ने ग्रनधिकृत कब्जा कर लिया है, ग्रावागमन रोक दिया है तो मैं ग्रनधिकृत कब्जे को रिमूव करा दूंगा। माननीय सदस्य मरम्मत का पूछते हैं....

श्री दुर्गालाल बाढदार : पांच-सात दिन पहले शिक्षा मन्त्री ने स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने कहा कि एक इन्डिविज्युग्रल का कब्जा है, दरवाजा बन्द कर रखा है, वे डिप्टी मिनिस्टर हाउस में मौजूद हैं, एक मन्त्री यह स्टेटमेंट देते हैं ग्रौर दूसरे मन्त्री यह स्टेटमेंट देते हैं, कौनसा सही है ?

श्री ग्रध्यक्ष :Where is the statement ? Please refer to the actual contents of the statement and then confront the minister.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं निवेदन कर रहा था कि जब मैंने शिक्षा मन्त्री से पूछा था इसी स्थान के बारे में कि इस पर किसी ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है तो उपशिक्षा मन्त्री ने, जो यहां पर बैठे हुए हैं, कहा था कि अमुक व्यक्ति ने इस पर कब्जा कर लिया है और हमने पुलिस विभाग को 10-15 बार लिख दिया है लेकिन पुलिस विभाग शिक्षा विभाग की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं। यह उनका स्टेटमेंट था- If he has got something to say, it is left for him to say before the hon'ble chair.

श्री अध्यक्ष : बिफोर दी बार आफ दी हाऊस।

श्री परसराम मदेरणा : आप कौन सी मोरी के लिए कहते हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बालानन्दजी की मोरी।

श्री परसराम मदेरणा : जिस समय उपशिक्षा मन्त्री ने कहा था, हो सकता है 27-6-67 तक इल्लीगल पजेशन था, यह पजेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने हटाया है उसके बाद, इसलिये वह भी सही हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका निराकरण ऐसे नहीं हो सकता। यह तो तभी हो सकता है जब आगे आगे वह और पीछे पीछे आप, मोरियों में घुसते जायं।

श्री अध्यक्ष : श्री हन्सराज आर्य (अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह : स्थगित प्रश्न हमारा है न. 625।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न अब तीन और हैं, 625 भी है, 626 भी हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह बहुत ही जरूरी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आज बिजनेस मेरे पास काफी है। मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं। मैं इस प्रश्न को दो, तीन दिन के बाद ले लूंगा। आज क्योंकि बिजनेस हेवी है इसलिए प्रश्नों को समाप्त करता हूं।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सवाई माधोपुर जिले में खाद एवं बीज का वितरण

706. **श्री हरिबल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई माधोपुर जिले में इस वर्ष की खरीफ एवं रबी फसल के लिए राज्य सरकार ने कितने खाद एवं बीज के वितरण का लक्ष्य निश्चित किया है ? फसलवार ब्यौरा दीजिए ?

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(2) 31 मई, सन् 67 तक सवाई माधोपुर जिले में लक्ष्य पूर्ति हेतु कितने खाद व बीज की व्यवस्था करली गई है तथा अब कितनी कितनी व्यवस्था और करना शेष है ?

(3) शेष बीज तथा खाद कब तक सवाई माधोपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाया जावेगा तथा उपलब्ध कितना कितना खाद तथा बीज ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक पहुंचाया जा चुका है ?

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में खाद तथा बीज के वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई गई है ?

उत्तर

खाद :

(1) इस वर्ष सवाई माधोपुर जिले में रसायनिक खाद वितरण करने के लिये कुल 4000 टन नत्रजनीय (अमोनियम सल्फेट की शक्ल में) 3000 टन सुपरफास फेट और 100 टन म्यूरेट आफ पोटास के लक्ष्य रखे गये हैं। संकर-जाति की फसलों के लक्ष्य इस प्रकार से है :

खरीफ :

	नत्रजनीय खाद	सुपरफास फेट	म्यूरेट आफ पोटास
बाजरा	309	193	0
ज्वार	60	37	0
मक्का	100	62	7
योग	469	292	7

रबी

मक्सीकन गेहूं	380	237	42

बीज :

इस वर्ष सवाई माधोपुर जिले के लिये निम्न खरीफ व रबी बीज के वितरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है।

(कृषि मन्त्री)

खरीफ

	लक्ष्य		उपलब्धि क्विटलो
	क्षेत्रफल	मात्रा क्विटलों	
शंकर ज्वार	300	9:00	9:30
शंकर बाजरा	2060	25:75	22:96
शंकर मक्का	500	30:00	30:00
उन्नत बाजरा	10000	100:00	—
धान	3150	315:00	—
मूंगफली	750	300:00	105:00
रबी			
गेहूं सोनारा–64	1900	920	400
गेहूं आर०एस–31	3950	1580	—
जौ आर.एस–17	250	100	—
चना आर.एस–10	750	150	—

(2) **खाद**

सवाई माधोपुर जिले में लक्ष्य की पूर्ति हेतु 2533 टन नत्रजनीय खाद 2422 टन सुपरफास फेट और 81 टन म्यूरेट आफ पोटास की व्यवस्था करदी गई है। अब तक कुल लक्ष्य की पूर्ति हेतु 1467 टन नत्रजनीय खाद, 578 टन सुपरफास फेट और 19 टन म्यूरेट आफ पोटास की व्यवस्था करना शेष है। इन सब उर्वरकों की व्यवस्था राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ जयपुर द्वारा की जा रही है।

बीज :

सवाई माधोपुर जिले के लिये विभाग द्वारा निम्न बीज का आवंटन कर दिया गया है :

शंकर मक्का	30 क्विटल
शंकर ज्वार	9:30 ,,

(कृषि मंत्री)

शंकर बाजरा	22.96	क्विन्टल
मूंगफली	10 5	,,

3. खाद :

खाद की शेष मात्रा सवाई माधोपुर जिले में माह जुलाई के अन्त तक पहुचने की संभावना है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1187 टन नत्रजनीय खाद, 1422 टन सुपरफासफेट और 81 टन म्यूरेट आफ पोटास पहुंचा दिया गया है। अधिक उपज देने वाली फसलों के लिये खाद की पूरी व्यवस्था करदी गई है।

बीज

अधिक उपज देने वाली जातियों के बीज का प्रबन्ध किया जा चुका है केवल बाजरे में 2.79 क्विटल बीज कम दिया गया है क्योंकि नेशनल सीड कार्पोरेशन ने जो 600 क्विटल बीज राजस्थान को देना था उसके मुकाबले सिर्फ 200 क्विटल बीज ही दिया हैं। शेष बीज के लिये विभाग द्वारा पंचायत समितियों को बीज की खरीद के लिये 62000) रु० का आवंटन कर दिया था। पंचायत समितियों के पास गत वर्ष को 52891) रु० की धन राशि उपलब्ध थीं।

रबी बीज की खरीद के लिये विभाग द्वारा 1,21,000) रु० की धन राशि का आवंटन कर दिया गया हैं और अब उसकी अतिरिक्त मांग के अनुसार 1,78,497) रु० की धन राशि का आवंटन किया जा रहा है। पंचायत समितियों द्वारा बीज कितना खरीदा जा चुका है और वितरण का प्रबन्ध कहां कहां कर दिया गया इसकी जानकारी जिला कृषि अधिकारी से प्राप्त करने पर ही दी जावेगी।

4. राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के द्वारा अपने सदस्यों को खाद उधार पर देने की नीति तय की है जो किसान शंकर जाति की फसलें बोयेंगे उनको भी उधार पर खाद देने का प्रावधान है जो सदस्य न तो सहकारी समितियों के सदस्य हैं और न ही शकर जाति की फसलें बोयेंगे उनको नकद पर ही खाद दिया जावेगा।

राज्य पथ परिवहन निगम की बस नं. आर. जे. एल. 7254

707. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस नम्बर आर. जे. एल. 7254, जयपुर में

Page No. 32

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सोडाला पुलिस चौकी पर खड़ी है? यदि हां, तो कितने दिनों से और क्यों ?

(2) क्या यह सच है कि उपरोक्त बस नम्बर आर. जे. एल. 7254 को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है और बस को जमानत पर छोड़ा जाना सम्भव है किन्तु उक्त बस की जमानत नहीं होने से पुलिस ने उक्त बस को छोड़ा नहीं हैं ?

(3) इस बस की गिरफ्तारी से निगम (यातायात निगम) को कितनी आर्थिक हानि हुई और उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

1- जी नहीं।

2- जी नहीं, पुलिस ने उक्त बस को अपनी हिरासत में 22-3-67 को ले लिया था और वह पुलिस चौकी सोडाला पर जब तक कोर्ट के द्वारा कोई आदेश प्रदान नहीं किये गये खड़ी रही उक्त बस पुलिस की हिरासत से 25-5-67 को छोड़ी गई।

3- इससे कोई आर्थिक हानि नहीं हुई तथा देरी के लिये कौन जुम्मेदार है इसकी जांच की जा रही है।

ग्रामीण नल योजना कार्य, सिवाना

714. **श्री कालूराम** (बिलाड़ा)—क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिवाना में ग्रामीण नल योजना का कार्य करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध पाइप लाइन डालने के कार्य में लोगों से पैसे लेकर गड़बड़ करने की शिकायत सरकार से की गई है ?

(2) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

जी हां ?

शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच की गई और यह पाया गया कि शिकायत निराधार है।

पंचायत समिति परबतसर द्वारा स्वीकृत ऋण

715. **श्री परसराम** (परबतसर)—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति परबतसर, जिला नागौर में ता. 1 अक्टूबर, 1966 से 28-2-67 तक कितना ऋण कुआ खोदने तथा डेरी फार्म स्थापित करने हेतु स्वीकार किया गया ?

(2) क्या यह रकम सम्बन्धित कार्य में ही लगाई गई है ?

(3) क्या जो डेरी फार्म बने हैं उनके प्रमाण प्राप्त किये गये हैं ?

(श्री परसराम)

(4) क्या श्री ग्राईदान सरपंच ठाठोता (पं. स. परवतसर) ने कोई निजी कुग्रा खोदने का लोन लिया लेकिन कुग्रा नहीं खोदा गया व झूठा प्रमाण–पत्र भी प्राप्त कर लिया गया ?

उत्तर

(1) कुग्रा खोदने हेतु 42,500) तथा डेरी फार्म हेतु 28,000) का ऋण स्वीकृत किया गया।

(2) जी हां।

(3) जो डेरी फार्म पूरी तरह बन गये हैं, उनके प्रमाण पत्र दिये गये हैं।

(4) ऋण लिया, किन्तु कार्य पूरा नहीं होने से प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया।

चूरू में पानी की सप्लाई में गड़बड़

718. **श्री लाभचन्द वेद** (सुजानगढ़)–क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चूरू में माह मई, 1967 में वाटर वर्क्स द्वारा पानी की सप्लाई में काफी गड़बड़ी हुई है? ग्रौर समय पर पानी दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 19 मई को किसी सरकारी ग्रफसर के यहां शादी होने के कारण सुबह शाम जनता को पानी नहीं देकर दिन को एक बजे सिर्फ एक ही लाईन में पानी दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, बिजली कम मिलने तथा पम्पों में कुछ खराबी ग्रा जाने के कारण गत मई में चुरू शहर को पानी की सप्लाई कम रही।

(2) जी नहीं, ता० 19 को सुबह को पूरे शहर में सप्लाई हुई थी परन्तु शाम को सप्लाई बिजली की कमी की वजह से नहीं हो सकी थी।

सहकारी प्रशिक्षण कार्य

719. **श्री जसराज** (भिनाय) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी सघ राजस्थान में सहकारी प्रशिक्षण का कार्य कर रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि संघ को संचालन, प्रशिक्षकों के वेतन एवं स्टाइपन्ड हेतु राजस्थान सरकार शतप्रतिशत ग्रनुदान देती है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1966-67 में इस ग्रनुदान की राशि में कुछ कटौती की गई है ? यदि हां, तो किस मद में से ग्रौर क्यों ?

(श्री जसराज)

(4) क्या इस कटौती का सहकारी प्रशिक्षण कार्य, जो सहकारिता की रीढ़ है, पर विपरीत असर नही पड़ेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) राजस्थान सहकारी संघ को गैर सरकारी प्रशिक्षण योजना के तहत सहकारी शिक्षा अधिकारी एव सहायक शिक्षा अधिकारियो की वेतन इत्यादि तथा सहकारी साहित्य एवं टीचिंग एड की वेतन इत्यादि तथा सहकारी जिला संघों की पेरीपेटेटिक पार्टीज के लिए सहकारी प्रशिक्षकों के वेतन प्रशिक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों को स्टाइफन्ड के लिये शतप्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है ।

(3) जी हां, 3 लाख की कटौती की गई है । यह कमी प्रशिक्षण इकाइयों में कमी करके की गई है ।

(4) जी नहीं । क्योंकि प्रत्येक जिले में कम से कम एक पेरीपेटिक यूनिट चालू रहेगी जो गैर सहकारी प्रशिक्षण यूनिट का कार्य करती रहेगी ।

एक पंचायत क्षेत्र में दो पंचायतें

721. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनु) : क्या पचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नागौर जिले में कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिनमें एक ही पंचायत क्षेत्र में दो-दो पचायतें चलती हैं और उनकी अलग अलग बैठकें होती हैं ? तथा उनकी फाटकें (काईन हाउस) व स्टाक भी अलग अलग है ? यदि हां, तो कौन कौन सी पंचायतों में किन किन व्यक्तियों ने यह अनधिकृत रूप से पंचायतें चलाई हैं और इनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

इस समय कोई समानान्तर पंचायतें नहीं चल रही हैं ।

स्टेट रोड़वेज की जोधपुर एवं बीकानेर रीजन की एडवाइजरी कमेटी की बैठकें

722. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान स्टेट रोड़वेज की जोधपुर एवं बीकानेर रीजन की एडवाइजरी कमेटी की स्थापना हुई है ?

(2) अगर हां, तो किस वर्ष में हुई है ?

(3) स्थापना होने के पश्चात् कमेटी की मीटिंग कितनी बार हुई ?

उत्तर

1. जी हां ।
2. जी हां, 5 मार्च 1965 को ।
3. कमेटी की मीटिंग अब तक दो बार दिनांक 15-3-66 व 28-6-66 को हुई है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

फतेहपुर चूरू वाया रामगढ़ शेखावाटी सड़क का निर्माण कार्य

190. **श्री आलमअली खां** (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) फतेहपुर चूरू वाया रामगढ़ शेखावाटी सड़क अकाल राहत कार्यों के लिए ही चालू की गई थी या विभाग ने इसे अलग से मजूरी देकर बनाया है ?

(ख) अगर यह सड़क सिर्फ अकाल राहत कार्यों के लिए ही चालू की गई थी तो गत आम चुनाव मे कार्य फिर से क्यों और किसकी आज्ञा से चालू किया गया ? चुनावों के एकदम बाद कार्य क्यों बन्द किया गया ?

(ग) इस सड़क का कितना कार्य हो गया तथा कितना बाकी है ?

(घ) बाकी काम के लिए क्या ठेके दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

(सरकार द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

रूपारेल नदी पर पुल के निर्माण की मांग

191. **श्री मुकुटबिहारीलाल** (बयाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सच है कि इलाका सीकरी, तहसील नगर के जलालपुर, निहाम, तेसकी, बूडली खोहरी, बुर्जा, धनौता आदि गांवों के निवासियों का बाहरी आवागमन कस्बा गोविन्दगढ़ (जिला अलवर) के रास्ते से होता है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांवों एवं गोविन्दगढ़ के बीच रूपारेल नदी पड़ती है ?

(3) क्या यह सच है कि वर्षा के दिनों में जब रूपारेल नदी में बाढ़ आ जाती है तो बहुत से मवेशी, आदमी व बच्चे आदि नदी में बह कर मर जाते हैं।

(4) क्या यह सच है कि पिछले बीस वर्षों से उक्त इलाके की जनता उक्त नदी पर आवागमन हेतु पुल के निर्माण की मांग करती चली आ रही है ? यदि हां तो सरकार कब तक उक्त मांग को पूरा करने का इरादा रखती है।

उत्तर

(1) जी हां

(2) जी हां

(3) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) यह मार्ग इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है अतः प्रश्न नहीं उठता।

बिचूण से फुलेरा सड़क का निर्माण कार्य

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि बिचूण से फुलेरा जाने वाली रोड को ग्राम हरिपुरा के पास विद्युत विभाग द्वारा बनने से रोक दिया गया है ? अगर हां, तो निर्माण कार्य कब तक बन्द रहेगा ?

(2) क्या यह सही है कि आने जाने वाले वाहनों को इससे असुविधा हो रही है।

(3) क्या इस रोड के निर्माण के कार्य को रोका गया है वह स्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क हेतु एक्वायर कर लिया गया था ?

उत्तर

(1) विभाग के डंडें के निकट सड़क बनादी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

बिचूण फुलेरा सड़क पर पुलियाओं का निर्माण

193. **श्री सुवालाल चौधरी** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बिचूण से फुलेरा तक रोड़ का निर्माण हो चुका है ? अगर हां, तो क्या इस रोड़ की पुलियाओं का निर्माण किया जा चुका है ?

(2) अगर नहीं, तो क्यों नहीं बनाई गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, पुलियों का निर्माण कार्य अभी नहीं हुआ है।

(2) अर्थाभाव के कारण।

बाड़ी के सरमथुरा आदि सड़कों का निर्माण कार्य

194. **श्री बलवंत राम अजर** (बाड़ी सु०): क्या सावजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बाड़ी से सरमथुरा सड़क का पूरा निर्माण हो चुका है ? यदि नहीं, तो किस कारण ?.

(2) पुलिया अभी तक क्यों नहीं बनाई गई ?

(3) क्या यह सत्य है कि नांदनपुरा की सड़क की बुरी हालत है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे शीघ्र तैयार करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री बलवन्तराम अजर)

(4) क्या बाड़ी से रामसागर तक सड़क का सोलिंग बिल्कुल खराब हो गया है ? यदि हां, तो सरकार उसे कब तक तैयार करवायेगी ?

(5) क्या बाड़ी में से सिहोली तक सड़क की मरम्मत सरकार करवाने का इरादा रखती है ?

(6) क्या बाड़ी से त्रिसुवन तक 4 मील का नया टुकडा सरकार बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अर्थाभाव के कारण

(3) यह मार्ग इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है तथा यह कार्म योजना में स्वीकृत नहीं है।

(4) सड़क का सोलिंग ठीक दशा में है।

(5) जी हां।

(6) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

रेणी ग्राम (जिला अलवर) तक सड़क बनाने का कार्य

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या सार्वजनिण निर्माण मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे।

(1) रेणी सड़क, तहसील राजगढ (अलवर) का सर्वे कब किया गया था?

(2) उसका निर्माण कब शुरू हुआ ?

(3) आज तक वह सड़क पूरी क्यों नहीं हुई ?

(4) उसका सर्वे कितनी मील का हुआ था ?

(5) अब उससे आगे रेणी ग्राम तक सड़क को बनाने का कब का निश्चय है ?

उत्तर

(1) सन् 1964-65 में

(2) इस सड़क के 5 मील का कार्य दिसम्वर 1965 मे शुरू हुआ है।

(3) अर्थाभाव के कारण ।

(4) 11 मील का सर्वे हुआ था।

(5) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

राजगढ़ से मंडावर सड़क पर डामर का कार्य

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजगढ़ से वाया गढ़ी सवाई राम जो सड़क मंडावर को जाती है वह कब बनी थी ?

Page No. 38

(श्री समर्थलाल)

(2) उस पर आज तक डामर क्यों नहीं डाली गयी है ?

(3) क्या उसकी दशा सुधारने की सरकार की कोई योजना है ?

उत्तर

(1) करीबन 8 साल पहले बनी थी।

(2) अभी तक डामर डालने की योजना नहीं है।

(3) विचाराधीन है।

माचाड़ी ग्राम से चिमरावली तक सड़क के निर्माण की योजना

197. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या फरवरी, 1967 में माचाड़ी ग्राम से चिमरावली तक सरकार की कोई सड़क बनाने की योजना थी ? यदि हां, तो उसे अब बन्द क्यों करा दिया ? और उस रास्ते पर करीब 1 मील की दूरी तक सड़क निर्माण का कार्य किस लिये कराया गया ?

उत्तर

जी हां। अर्थाभाव के कारण कार्य बंद किया गया है तथा उपलब्ध धन राशि अनुसार कार्य कराया गया है।

सांगानेर से मालपुरा जाने वाली सड़क को चौड़ी आदि बनाने की योजना

198. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सांगानेर से मालपुरा जाने वाली सड़क का पक्का गोला कितना चौड़ा है ?

(2) क्या उक्त सड़क को चौड़ी बनाने की राज्य सरकार की कोई योजना है ?

(3) सांगानेर से फागी तक उक्त सड़क में कितने मोड़ व झीलें पड़ती हैं और क्या यह सही है कि उन पर संकेत चिन्ह नहीं हैं, जिससे आये दिन दुर्घटना होती रहती है ?

(4) क्या उक्त मोड़ एवं झीलों को सीधे करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) 10 फीट चौड़ा है।

(2) जी नहीं

(3) 36 मोड और 11 झीलें हैं। कुछ स्थानों पर चिन्ह नहीं हैं दुर्घटना के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) जी नहीं। अर्थाभाव के कारण

अजमेर शहर में रोड़वेज की बस चलाने की योजना

199. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर, पश्चिम): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार अजमेर शहर में रोड़वेज की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है ?

(3) रोड़वेज का बस स्टेशन अजमेर में कब तक बन जायेगा ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. जी नहीं।

3. अजमेर में निगम को बस स्टेन्ड के लिए उपयुक्त भूमि नहीं मिल पा रही है। उपयुक्त भूमि मिलते ही बस स्टेन्ड बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा।

रोड़वेज की बसों में यात्रियों को सामान उतारने एवं चढ़ाने में मदद करने हेतु की गई व्यवस्था

200. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या राजस्थान स्टेट रोड़वेज की बसों में यात्रियों के सामान उतारने एवं चढ़ाने में मदद करने हेतु कोई व्यवस्था है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

निगम के बड़े बड़े स्टेण्डों पर पोर्टर यात्रियों का सामान बस की छत पर रखाने व छत पर से नीचे पकड़ाने के लिए नियुक्त है। इसके अलावा मार्ग में बस का परिचायक यात्रियों का सामान चढ़ाने व उतारने का जिम्मेवार है।

जयपुर से पाली वाया टोंक सवाई माधोपुर रूट का राष्ट्रीयकरण

201. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार द्वारा अब तक किन बस रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर से पाली वाया टोंक-सवाई माधोपुर रूट का भी राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है ? यदि हां तो रोड़वेज की बसें कब से चालू हो जावेंगी ? यदि इस रूट का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है तो क्यों ?

(3) इस वर्ष कौन कौन से नए रूट्स पर रोड़वेज की बसें चलाने की व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) अब तक राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। अभी निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत किए जाने वाले मार्गों में इस भाग को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस मार्ग का राष्ट्रीय करण तभी मुमकिन होगा जब निगम द्वारा इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण का निर्णय ले लिया जायेगा।

(3) वर्तमान में राष्ट्रीयकरण की निम्नलिखित योजनाएं संयुक्त विधि परामर्शी के अनुमोदनार्थ विचाराधीन हैं। यह योजनाएं संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा स्वीकृत होते ही इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जायेगा :

1. अजमेर-भीलवाड़ा
2. भीलवाड़ा-उदयपुर
3. रावतसर गंगानगर-रायसिंह नगर
4. जयपुर भरतपुर (मोडिफाइड स्कीम)
5. जयपुर-अलवर (मोडिफाइड स्कीम)
6. सिरोहीरोड-सिरोही-कालन्दरी-रामसीन
7. सिरोही-अनादरा-मन्डार

(कृपया—परिशिष्ट 1 देखिये)

ड्राईवरों का प्रमोशन

202. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में सरकारी ड्राइवरों के प्रमोशन सम्बन्धी क्या प्रावधान हैं और उनकी ग्रेड कितने से चालू होकर कहां तक है ?

उत्तर

1. मोटर गैरेज के ड्राईवरों के प्रमोशन सम्बन्धी कोई नियम अथवा प्रावधान नहीं हैं। क्योंकि ड्राईवर के पद पर नियुक्ति होने के उपरान्त वे सेवा निवृत्ति तक इसी वेतन शृंखला में कार्य करते रहते हैं।

2. ड्राईवरों की वेतन शृंखला 1-4-66 से रु. 75-3-90-4-110-120-5-145-एस बी.-इ. बी. 155-5-175 स्वीकृत है।

रतनगढ़ नगरपालिका का गबन का केस

203. श्री **लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चुरू जिला स्थित रतनगढ़ नगरपालिका में एक हरमोनियम, तबला व निवार के ढोलिये थे वे अभी उपलब्ध नहीं हैं ?

Page No. 41

(श्री लाभचन्द वैद)

(2) अगर हां, तो वहां के अधिकारियों ने क्या कदम उठाये ? क्या इस गबन के केस को पुलिस के सुपुर्द किया गया ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कस्बा बामनवास की नल योजना

204. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (बामनवास)— क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास जिला सवाई माधोपुर के कस्बा बामनवास में नल योजना की स्कीम सरकार के विचाराधीन कई वर्षों से है ?

(2) क्या यह सही है कि जनता ने पंचायत समिति द्वारा दस हजार रु. नल योजना के लिये जमा करा दिये है ? यदि हां, तो इस स्कीम में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1964 से।

(2) जी हां, योजना बनाई जाने के लिए सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है तथा स्कीम बनाई जा रही है।

धौलपुर जल वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना

205. **श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** (बयाना)— क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या धौलपुर जल वितरण व्यवस्था, नगरपालिका धौलपुर के अधीन है ? यदि हां, तो क्या जल वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है ? कितने घंटे रोजाना पानी दिया जाता है ?

(ख) क्या जल वितरण व्यवस्था विद्युत् अभाव के कारण बन्द हो जाती है ? यदि हां, तो क्या नगरपालिका की ओर से राजस्थान विद्युत् मण्डल से सम्पर्क स्थापित कर शिकायत दूर कराने की कोशिश की गई ?

(ग) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका की ओर से एक पम्पिंग सेट भी खरीदा गया ? यदि हां, तो कब और कितने मूल्य का ? क्या वह दैनिक उपयोग में आ रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि वह तकनीकी खराबी के कारण बन्द है ? यदि हां तो ठीक क्यों नहीं कराया गया ?

उत्तर

(क) जी हां, दिन में छः घन्टे पानी वितरण किया जाता है।

(श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल)

(ख) जी हां, नगरपालिका द्वारा राज. विद्युत् मण्डल से शिकायत को दूर कराने हेतु यथा समय कोशिश की गई है।

(ग) जी हां, पम्पींग सेट 5574 रुपये की लागत का दिनांक 30. 3. 66 को क्रय किया गया। सेट में खराबी हो जाने के कारण फिलहाल उपयोग में नहीं आ रहा है।

(घ) जी हां, पम्पींग सेट को ठीक कराने की कार्यवाही जारी है।

फुड एडल्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत मुकदमों का चालान-नगरपालिका पाली

206. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पाली नगरपालिका की ओर से 1 अगस्त 1966 से आज तक कितने मुकदमें फूड एल्डट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत चालान किये गये? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) 1 अगस्त, 1966 से आज तक किन किन मुकदमों में राजीनामा नगर—पालिका पाली ने पेश किया और क्यों? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) 1 अगस्त, 1966 से आज तक किन किन मुकदमों को नगरपालिका ने विद्ड्रा किया और क्यों? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(सरकार की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बारां नगरपालिका के कर्मचारियों की वर्दियां

207. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां नगरपालिका के कर्मचारियों को नियमानुसार गर्मी व सर्दी के मौसम की प्रति वर्ष क्या क्या वर्दियां दी जानी चाहिये?

(2) क्या यह सही है कि पालिका कर्मचारियों को नियमानुसार प्रति वर्ष दी जाने वाली वर्दी पूरी नहीं देते हैं? यदि हां, तो कितने वर्षों से क्या क्या वर्दी कब दी गई और किन कारणों से?

उत्तर

(1) नगर पालिका के कर्मचारियों को गर्मी व सर्दी के मौसम की वर्दियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका (कर्मचारियों) के वर्दियां दिये जाने सम्बन्धी नियम प्रचलित किये जा चुके हैं जिनमें दी जाने वाली वर्दियों का स्पष्ट उल्लेख है।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(2) कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। यदि नगरपालिका के कर्मचारियों को उक्त नियमानुसार वर्दियां नहीं दी गई तो नगरपालिका से जानकारी प्राप्त की जाकर नगर पालिका का ध्यान इन नियमों की ओर आकर्षित कर दिया जावेगा ।

नगरपालिका चिड़ावा में रकम के गबन के केस में की गई जांच

208. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी)- क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नगरपालिका चिड़ावा (जिला झुंझुनू) में किसी रकम के गबन के बारे में कोई जांच हाल हीं में की गई है ?

(2) अगर हां, तो यह जांच किस अधिकारी के द्वारा की गई है ? और उसकी गबन के बारे में क्या सम्मति रही ?

(3) आज कल इस बारे में क्या कार्यवाही चालू है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस मामले का पुलिस में केस दर्ज कराए जाने के आदेश दे रही है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

चिड़ावा शहर में पक्की नालियां बनाने की योजना

209. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चिड़ावा शहर 'जिला झुंझुनू' में जलदाय योजना चालू होने के कारण रास्तों व गलियों में कीचड़ रहता हैं जिससे लोग बहुत परेशान हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इस शहर में पक्की नालियां बनवाने की योजना बनाकर कार्य अति शीघ्र चालू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. पक्की नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में नगर पालिका से यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ तो उस पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जयपुर नगरपालिका सीमा में हरिजनों के सार्वजनिक कार्यों के लिए निशुल्क जमीन दिये जाने की योजना

210. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. जयपुर नगरपालिका सीमा में

Page No. 44

(श्री कालूराम सुलानिया)

हरिजनों 'परिगणित जाति' के धार्मिक स्थानों व पाठशालाओं के नाम पर कितनी जमीन दी हुई है तथा इस जमीन में से कीमत पर कितनी दी हुई है और निशुल्क कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें :--

2. क्या सन् 1967 में हरिजनों के स्कूल के लिए निःशुल्क जमीन देने की कोई योजना है ? यदि हां तो कहां पर ?

3. क्या हरिजनों के लिये सार्वजनिक धर्मशाला व छात्रावास के लिये भी कोई जमीन देने की योजना है ? यदि हां, तो कहां पर ?

उत्तर

1. गत पांच वर्षों में ऐसी कोई जमीन नगरपरिषद द्वारा नहीं दी गई है।

2. जी हां। चौकड़ी तोपखाना देश में।

3. धर्मशाला के लिए जमीन देने की कोई योजना नहीं है। छात्रावास के लिए एक भूखण्ड चौकड़ी तोपखाना देश में देने की कार्यवाही चल रही है।

अलवर शहर की नई बस्तियां

211. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) अलवर शहर में कितनी नई बस्तियां बनाई गई हैं।

(2) प्रत्येक बस्ती में कितने कितने प्लॉट हैं ?

(3) इनमें प्रत्येक बस्ती में अनुसूचित जाति के लोगों को कितने प्लॉट दिये गये है ?

(3) यदि नहीं दिये, तो क्यों नहीं दिए गये ?

उत्तर

1. नई बस्तियां बनाई गई हैं जिनमें 3 तो रिहायसी हैं तथा 3 वाणिज्य हेतु।

2. सूची संलग्न है।

3. एक भी नहीं।

4. किसी भी व्यक्ति ने प्लाट के लिए अर्जी नहीं दी अतः प्लॉट देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

नगरपरिषद अलवर द्वारा चलाई जाने वाली शालाओं के अध्यापकों को रेशनेलाइज वेतन श्रृंखला में नियुक्ति

212. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की

(श्री गंगासहाय)

कृपा करेंगे: -

(1) क्या यह सही है कि रेशन्लाइजेशन ग्राफ पे-स्केल्स जो 1. 3. 56 से लागू किया गया था उसका लाभ सभी प्राइमरी स्कूलों में कार्य कर रहे अध्यापकों को मिल रहा है चाहे वे अध्यापक शिक्षा विभाग के निरीक्षणालयों के अधीन शालाओं के हों अथवा नगरपालिका के अधीन हों ?

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद् बीकानेर, सुजानगढ़, तथा बूंदी में नगर परिषदों द्वारा चलाई जाने वाली शालाओं के सभी अध्यापकों को वेतन रेशन्लाइजेशन ग्राफ पे-स्केल्स के अनुसार नियुक्ति की तारीख से ही दिया जा रहा है ?

(3) यदि हां, तो नगर परिषद् अलवर द्वारा चलाई जाने वाली शालाओं में कार्य कर रहे अध्यापक को रेशन्लाइज्ड वेतन श्रृंखला नियुक्ति की तिथि से क्यों नहीं दी जा रही ?

उत्तर

1. जी नहीं। नगर परिषद अलवर के अध्यापकों को यह लाभ दिनांक 22-8-65 से मिल रहा है।

2. जी हां।

3. नगर परिषद् अलवर के कर्मचारियों को यह वेतन श्रृंखला दिनांक 22. 8. 65 से प्रभावशील हुई तथा उसी तिथि से दी जा रही है।

ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए मास्टर प्लान

213. **श्री रावत राम** (छापर)–क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए सरकार ने कोई मास्टर प्लान तैयार किया है ? यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी धन राशि की योजना है ? कृपया चूरू जिले के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो यह कार्य कब से चालू हो जायगा ? और योजनानुसार कब तक पूरा होने का अनुमान है ?

उत्तर

1. जी हां यह सही है। मास्टर प्लान की कुल लागत 70 करोड़ रुपये हैं। चूरू के मास्टर प्लान की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. उक्त योजना भारत सरकार को मई 1966 में भेजी गई थी, अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। कार्य का चालू होना व पूरा होना मास्टर प्लान की स्वीकृति होने पर तथा धन राशि की उपलब्धिता पर ही निर्भर करता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है।)

Page No. 46

जयपुर के जल संकट निवारणार्थ सरकार की योजना

214. **श्री दुर्गा लाल बाढदार** (हवा-महल, जयपुर)--क्या जल प्रदाय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(6) जयपुर के जल संकट निवारण हेतु क्या राज्य सरकार ने कोइ योजना बनाई है जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके और यदि हां, तो इस योजना की कितनी प्रगति हुई है ?

(2) क्या जल समस्या के अस्थायी समाधान हेतु राज्य सरकार ने जयपुर नगर के स्थानीय कूवों से पानी वितरण की व्यस्था की है ? यदि हां, तो कुल कितने कुवों से पानी वितरण किया जाना निश्चित किया गया है और कितने कुवों से पानी निकालने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. जी हां। जयपुर की बढती हुई जन संख्या को पेय जल वितरण हेतु बनास नदी से नल योजना का सर्वेक्षण अनुसंधान हो रहा है।

इस योजना की एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करली गई है।

2. जी हां। अकाल राहत योजना के अन्तर्गत 10 स्थानीय कुओं में मोटर पम्प लगाने का एवं 16 नये नल कूप बनाने का प्रावधान है।

दसों कुओं पर मोटर पम्प लगाये जा चुके हैं जिसमें 7 से वितरण चालू हो गया हैं और शेष का परीक्षण चल रहा हैं। 16 नल कूपों का निर्माण किया जा चुका है और जिसमें से 8 से पम्प लगाकर जल वितरण आरम्भ कर दिया है बाकी शेष पर कार्य चल रहा है सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

ग्राम मंगलुणा (सीकर) की जल प्रदान योजना

215. **श्री नथमल चोहला** (लक्ष्मणगढ़)— क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सीकर जिला के अन्तर्गत पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के ग्राम मंगलुणा की जल प्रदाय योजना जनवरी सन् 1965 में स्वीकृत हुई थी व जनता द्वारा 6200) रु० जमा किये जा चुके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उसी इलाके में इसके बाद स्वीकृत की गई योजना का कार्य शुरू हो गया है ? यदि हां, तो उक्त योजना का कार्य कब चालू होगा और कब तक कार्य पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

1. जी नहीं जनता द्वारा 6200) रु० जमा किये जा चुके हैं।

2. मंगलूना ग्राम की योजना स्वीकृत नहीं हुई है अन्य जो योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं

(जनस्वास्थ्य मन्त्री)

उन पर कार्य शुरू किया जा चुका है। मंगलूना ग्राम की योजना का कार्य स्कीम की प्रशासकीय एवं वित्तिय स्वीकृत होने पर ही चालू किया जावेगा। तत्पश्चात धन व आवश्यक सामग्री की उपलब्धि पर योजना का कार्य 2 से 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर दिया जावेगा।

कस्बा पहाड़ी की जल प्रदाय योजना

216. **श्री मजलिस खां** (कामा)— क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर के कस्बा पहाड़ी में खारा पानी है और इस कस्बे की जनता मीलों दूर से पीने के लिये पानी लाती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि खारा पानी होने के कारण, कस्बा पहाड़ी में जल प्रदाय योजना मजूर हो चुकी हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि वहां पर पानी की टंकी तैयार हो चुकी है ?

(4) क्या यह भी सही है कि कस्बा पहाड़ी में पानी की सप्लाई के लिए पाइप लाइन डाल दी गई है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उक्त कस्बे की आज तक पीने के पानी की समस्या हल नहीं हो सकी है ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त कस्बे को पीने का पानी ग्राम छपरा के कुए से सप्लाई किये जाने के लिये मंजूरी दी गई थी ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उक्त योजना को अधूरा छोड़ दिया गया है ?

(6) क्या सरकार उक्त योजना को शीघ्र से शीघ्र पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां।

3 जी हां।

4. जी हां, पाईप लाईन डाल दी गई है। पम्प कुए पर फिट किये जा रहे हैं इसके बाद शीघ्र जल वितरण चालू कर दिया जावेगा।

5. जी नहीं।

6. जी हां। एक माह के अन्दर अन्दर पूरा होने की सम्भावना है :

कस्बा कामां की जल प्रदाय योजना का कार्य

217. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर के कस्बा कामां की जल प्रदाय योजना

(श्री मजलिस खां)

का निर्माण कार्य चालू है ? यदि हां, तो कब से और कितना कार्य अब तक हो चुका है, कितना बाकी है ? और बाकी कार्य कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना को पूरा कराने हेतु पाइप आदि सभी सामान उक्त स्थान पर पहुंच चुका है परन्तु अभी तक पाइप लाइन डालना शुरू नहीं कराया गया और इसमें बड़ी ढिलाई बरती जा रही है।

(3) क्या सरकार उक्त योजना शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. जी हां। कार्य अप्रेल, से शुरू किया गया है और अब तक 40 प्रतिशत कार्य हो चुका हैं। आशा है बाकी इस साल के अन्त तक आवश्यक सामग्री एवं धनराशि की उपलब्धि पर पूर्ण कर दिया जावेगा।

2. जी हां सामान पहुँच चुका है परन्तु पाईप लाईन के कार्य के लिए टेन्डर फिर से मांगे गये हैं।

3. जी हां।

कस्बा बिसाऊ की जल योजना

218. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या बिसाऊ कस्बे के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई जल योजना स्वीकार की गई है ? यदि हां तो उक्त योजना कितने रुपये की है ?

(2) क्या यह जल योजना जीवन बीमा निगम से मिलने वाले ऋण से पूरी की जावेगी यदि हां, तो क्या बिसाऊ की यह जल योजना उस ऋण से पूरी होने वाली जल योजनाओं में शामिल करली गई है ?

(3) क्या राज्य सरकार को मालूम हैं कि इस जल योजना का शिलान्यास जिलाधीश झुंझुनू द्वारा कर दिया गया है ?

(4) यह योजना कब तक पूरी होने की उम्मीद है ?

उत्तर

1. जी नहीं, योजना बनाई जा चुकी है। जिसकी अनुमानित लागत 5.50 लाख रुपये हैं।

2. जी नहीं।

3. जी नहीं।

4. यह योजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है अतः स्वीकृति की प्राप्ति एवं धन की उपलब्धि पर इस कार्य को लेना सम्भव हो सकेगा।

निवाई नगरपालिका क्षेत्र में नल लगाने की योजना

219. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) निवाई नगरपालिका क्षेत्र में नल लगाने की योजना कौनसी पंचवर्षीय योजना में रखी गयी थी और अब तक क्यों नहीं पूरी की गई है ?

(2) क्या यह भी सच है कि इस स्कीम की स्वीकृति भारत सरकार से हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) तृतीय पंच वर्षीय योजना में योजना की स्वीकृति न होने के कारण पूरी नहीं की गई।

(2) जी नहीं। भारत सरकार ने कुछ तकनीकी संशोधन हेतु इस योजना को दिनांक 13. 1. 66 को पुनः प्रेषित करने के लिए लौटाई थी। जिस पर कार्यवाही चालू है।

करौली की पेय जल योजना

220. **श्री शिवचरणसिंह** (महुआ) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली की पेय जल योजना कब तक पूरी हो रही है ?

(2) क्या इस योजना की स्वीकृत धनराशि में ही यह योजना पूरी हो जायगी ?

उत्तर

(1) करौली में जल वितरण योजना चालू है। इस योजना के पुनर्निर्माण के लिए एक और योजना बनाई जा चुकी है। धन की उपलब्धि पर कार्य हाथ में लिया जावेगा।

(2) चालू वर्ष में इसके लिये धनराशि स्वीकृत नहीं है। एल. आई. सी. से ऋण के लिए आवेदन किया गया है।

जिला सवाई माधोपुर की जल प्रदाय योजनायें

221. **श्री शिवचरण सिंह** (महुआ) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि अन्य जिलों के मुकाबले जिला सवाई माधोपुर को अब तक जल प्रदाय कार्यों हेतु वार्षिक धनराशि कम मिली है ? अगर हां, तो क्यों ? इस जिले में आगे कितनी योजनायें कब तक पूरी हो रही हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) इस जिले में 2 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं एवं 3 शहरी जल योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। इस वर्ष चार

(श्री जन-स्वास्थ्य मंत्री)

ग्रामीण जल प्रदाय योजनाऐं (खड़ार, वजीरपुर, रोन्धाई, मंडरायल प्रगति पर हैं) इनमें से वजीरपुर और खंडार की योजनाऐं इस वर्ष की समाप्ति तक पूर्ण हो जावेगीं। आने वाले वर्षों में धनराशि की उपलब्धि के अनुसार ही जिले की महायोजना में प्रस्तावित योजनायें प्रारम्भ की जावेगी।

महुआ कस्बे के कुओं पर पम्प लगाने का कार्य

222. **श्री शिवचरणसिंह** (महुआ) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि महुआ कस्बे की जल प्रदाय योजना में किले के कुओं पर भी पम्प लगना था? यदि हां, तो अभी तक क्यों नहीं लगे और कब तक लग जावेंगे?

उत्तर

अभी तक तहसील वाले कुए से ग्राम की आवश्यकता के लिए प्रर्याप्त पानी प्राप्त हो जाता है। इस कुए के लिए एक साल बाद पम्प लगाने की योजना है।

समाज कल्याण बोर्ड

223. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में समाज-कल्याण बोर्ड का कब गठन किया गया? उसके सदस्य कौन कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यह बोर्ड क्या काम करता है और राज्य सरकार से इसे क्या वार्षिक सहायता मिलती है या कितना कर्जा मिलता है?

उत्तर

(1) राजस्थान में समाज-कल्याण बोर्ड का गठन सन् 1954 में हुआ था। वर्तमान सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह बोर्ड विशेषकर महिलाओं बच्चों और बाधितों के कल्याण कार्य में रत है। वर्तमान में इस बोर्ड के अन्तर्गत 19 समाज-कल्याण परियोजना संचालन समितियों (Welfare Extension Projects) चल रही हैं। इसके अतिरिक्त 29 परिवार नियोजन केन्द्रों का संचालन भी विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है।

बोर्ड को राज्य सरकार से कोई कर्जा नहीं मिलता है। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग एवं विकास विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में स्वीकृत सहायता की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)।

समाज-कल्याण विभाग द्वारा संचालित कोटा डिविजन के छात्रावास

224. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डौली): क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) समाज-कल्याण विभाग द्वारा संचालित कोटा डिविजन के तीनों जिलों में कहां-कहां पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के छात्रावास हैं ?

(2) इनमें छात्रों को दाखला देने का आधार क्या है ?

(3) इनमें छात्रों को क्या सुविधायें दी जाती हैं।

(4) प्रत्येक छात्रावास पर सरकार सालाना कितना व्यय करती है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रत्येक छात्रावास में प्रवेश के लिये नियुक्त समिति द्वारा साक्षात्कार के पश्चात छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

(3) राजकीय छात्रावास में प्रत्येक छात्र निःशुल्क भोजन, नाश्ता, किताबें, बिस्तर, जूते, स्टेशनरी एवं कापियां और स्कूल फीस दी जाती हैं।

(4) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए कन्या छात्रावास

225. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए राजस्थान में कितने कन्या छात्रावास हैं और कहां कहां ?

(2) उक्त छात्रावासो में कितनी-कितनी छात्रायें है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) छात्राओं के लिए क्या विशेष सुविधायें सरकार उपलब्ध कराती है ?

(4) क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर पर अनुसूचित छात्राओं का एक व्यवस्थित होस्टल होना चाहिये ?

(5) क्या चूरू जिले में इस साल कन्या छात्रावास खोलने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक खुल जायेगा?

उत्तर

(1) सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वांच्छित जानकारी सूची (अ) में अंकित है।

(3) सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री समाज-कल्याण मंत्री)

(4) उक्त छात्रावासों में ही छात्राओं की संख्या पूरी नहीं होती है अतः जहां अधिक संख्या या मांग होती है वहीं छात्रावास खोला जाता है।

(5) चूरू क्षेत्र में अभी ऐसा कोई प्रपोजल प्राप्त नहीं है कि चूरू में कन्या छात्रावास खोला जावे अतः बिना कोई मांग एव प्रपोजल के अग्रिम अभी कोई ऐसा विचार खोलने का नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

अनुसूचित जातियों के लिये पोने के पानी हेतु सरकार द्वारा दिया गया अनुदान

226. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जातियों के लिए पीने के पानी हेतु नया कुआ, कुण्ड व कुये पर बिजली का पंप आदि लगाने के लिए सरकार कितना अनुदान देती है ?

(2) पिछले तोन साल में चूरू जिले में कहां कहां और किन किन को उक्त सहायता दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तत्संबंधी अनुदान पचायत समितियों के द्वारा दिया जाता है ? यदि हां, तो चूरू जिले की पचायत समितियों को विभाग की ओर से पिछले तीन साल में कितना अनुदान दिया गया और पंचायत समितियों ने कहां-कहां इस अनुदान का उपयोग किया ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुसूचित जातियों के लिये पीने के पानी हेतु नया कुण्ड, व कुओं पर बिजली के पम्प लगाने के लिये सरकार अनुदान देती है अनुदान की राशि 1000) रु. तक की दी जाती है।

(2) पिछले 3 सालों में विभाग द्वारा सरदार शहर बीदासर को 2000, 200 रुपये कुओं पर बिजली का पम्प लगाने हेतु अनुदान दिया गया।

(3) जी हां, उपरोक्त कार्य के लिये पंचायत समितियों द्वारा विभागीय राशि से अनुदान दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों में पंचायत समितियों को उपरोक्त कार्य हेतु जो अनुदान दिया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को बिना एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज में रजिस्ट्रेशन किये सीधी भर्ती का आदेश

227. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार के ऐसे

(श्री जयनारायण सालोदिया)

आदेश हैं कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और सीधे ही उनको नौकरी में लिया जा सकता है ? यदि हां, तो उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है?

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों को गृह निर्माण हेतु दी गई सहायता-जिला टोंक

228. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को गत एक वर्ष में गृह निर्माण सहायता के लिये टोंक जिले में कितनी धन राशि दी गई व जयपुर जिले में कितनी ? नामवार सूची देने की कृपा करें।

उत्तर

अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को गत 1966-67 के वर्ष में गृह निर्माण हेतु टोंक एंव जयपुर जिले में जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसकी सूची (अ) सदन की मेज पर रखदी गई है।

गृह निर्माण हेतु सहायता की धनराशि इस विभाग द्वारा पंचायत समितियों को हस्तान्तरित की जाती है जो लोगों को वितरित करते हैं। अतः नामवार सूचियें इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

अनुसूचित जाति व परिगणित जन-जाति के लोगों को सहायता मिलने का आधार

229. **श्री कालूराम** (सिवाना): क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सिवाना अनुसूचित जाति व परिगणित जन जाति समिति को सरकार से कोई सहायता या अनुदान नहीं दिया जाता है ? अगर दिया जाता है, तो वहां के लोगों को किस आधार पर सहायता मिलनी चाहिये ?

उत्तर

जी हां कोई अनुदान नहीं दिया जाता।

अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए होस्टल-तहसील सांचोर

230. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर: क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अभी तक पूरी सांचोर तहसील में अनुसूचित एंव

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

अनुसूचित जन जाति का कोई होस्टल नहीं खोला गया है ?

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के लड़कों ने मिलकर पिछले साल एक मकान किराये लेकर होस्टल खोला था ? क्या यह भी सही है कि उसका उदघाटन श्री नाथूराम मिर्धा, भू पू. कृषि मत्री द्वारा किया गया था ? अगर हां, तो कब ? क्या यह भी सही है कि भू. पू कृषि मंत्री ने उस होस्टल को कुछ सहायता भी दी थी ? अगर हां, तो कितनी व वह रकम कब दी गई ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त अनुसूचित जाति के बालकों द्वारा चलाऐ जाने वाले होस्टल को सरकारी होस्टल में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सांचौर में तो छात्रावास नहीं है किन्तु जालोर में अनुसूचित जन जातियों के लिये एक राजकीय छात्रावास है जिसमें 40 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अनुमानित स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जातियों के लिये जालौर में एक छात्रावास चलाया जा रहा है। अनुसूचित जन जातियों के लिये भी स्वय सेवी संस्थाओं द्वारा भीनमाल जिला जालौर में एक छात्रावास चलाया जा रहा है। इन सुविधाओं का लाभ जिलों में स्थित सांचौर निवासी भी प्राप्त कर सकते हैं।

(2) इस विभाग में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इन वर्गों के छात्रों ने अपने आप कोई छात्रावास खोला है, उसका उद्घाटन भूतपूर्व कृषि मंत्री ने किया है, और अपने पास से कोई सहायता दी है, न कोई प्रस्ताव इस विभाग में है।

(3) वित्तीय अभाव के कारण प्रत्येक स्थान पर छात्रावास खोलना सम्भव नहीं है। बिना स्वीकृति के यदि किसी ने कोई छात्रावास खोल दिया है तो उसको चलाने का दायित्व इस विभाग पर नहीं है और न यह विभाग उस छात्रावास को राजकीय छात्रावास में परिवर्तित करने की स्थिति में ही है।

तहसील सांचोर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का न मिलना

231. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचौर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां समय पर कभी नहीं दी गई ? अगर हां, तो ऐसा होने के क्या कारण हैं ?

(2) कितने छात्रों को मन्जूरशुदा छात्रवृत्तियां अभी तक नहीं दी गई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे लड़कों को छात्रवृत्तियां मिलने के फार्म पाठशालाओं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में समय पर नहीं मिलने से लड़के अपनी मांग नहीं भेज सकते और इससे वे छात्र-वृत्तियां लेने से महरूम रह जाते हैं ? अगर, हां, तो ऐसा क्यों होता है ?

(4) तहसील सांचोर में पिछले तीन सालों में कितने ऐसे छात्रों ने छात्रवृत्ति की मांग की जिसमें से कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई और कितनों को नहीं दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

प्राइमरी पाठशाला अखेहपुरा (अलवर) के हरीजन छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने की व्यवस्था

232. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्राइमरी पाठ-शाला अखेहपुरा (अलवर) में 75 प्रतिशत छात्र हरिजन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उस पाठशाला के छात्र प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को भेजते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पाठशाला के एक भी छात्र को बीते शिक्षा-सत्र में छात्रवृत्ति नहीं स्वीकृत की गई है ?

(4) क्या सरकार इस शाला के प्रति बरती जा रही उपेक्षा की जांच करायेगी ?

(5) क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि आगामी शिक्षा-सत्र में उपरोक्त शाला के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सके ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि प्राइमरी पाठशाला अखेहपुरा में 75 प्रतिशत छात्र हरिजन हैं।

(2) इस शाला के किसी भी हरिजन छात्र का फार्म छात्रवृत्ति के लिये विद्यालय निरीक्षक अलवर के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुवा।

(3) गत सत्र में किसी भी हरिजन छात्र द्वारा छात्रवृति का फार्म भरकर नहीं भेजा गया।

(4) भाग 2 व 3 को देखते हुवे जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) यदि उस शाला के हरिजन छात्र छात्रवृति का फार्म भरकर भेजेगें तो उन पर अवश्य विचार किया जावेगा।

तहसील हिन्डौली के ग्राम चैता और बोरदा की जमीन

233. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डौली): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बूंदी, तहसील हिण्डौली के ग्राम चैता से कौन से नम्बर की आराजी श्री हर्षवर्धन शर्मा के पिता के नाम ट्रेसपास दर्ज है ? क्या यह आराजी जंगलात के डिमार्केशन के अन्दर की है ?

(2) कृष्णदासजी महाराज ने ग्राम बोरदा में जो आराजी काश्त करली है वह क्या जंगलात के डिमार्केशन के अन्तर्गत आती है ?

(3) यदि हां, तो यह जमीन जंगलात के कौन से नम्बरों के अन्दर आती है ?

(4) ग्राम चैता में जो जमीन श्री हर्ष-वर्धन शर्मा के पिता ने ट्रेसपास करली उसे बेदखल करने के नोटिस डी. एफ. ओ. बूंदी ने क्यों नही दिया, जब कि श्री कृष्णदास जी को डी. एफ. ओ. ने नोटिस दिया ?

Page No. 56

उत्तर

(1) ग्राम चैता में कोई आराजी श्री हर्षवर्धन शर्मा के पिता के नाम ट्रेसपास अंकित नहीं है। अतः उसके जगलात के डिमार्केशन में आने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां।

(3) वन विभाग की बीड़ ओरदा बन्डगांव में है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

जिला बूंदी के अकोदा ग्राम के नाकेदार के खिलाफ की गई शिकायत की जांच

234. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी के अकोदा ग्राम का नाकेदार श्री शकूर ग्रामीणों से अडूसा (जंगली पौधे) के काटने पर एक घीसे के 5) रु. वसूल करता है ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा अडूसा के घीसे की यह दर स्वीकृत है ?

(2) यदि यह दर स्वीकृत नहीं है, तो क्या नाकेदार काश्तकारों से अनधिकृत दर वसूल करता है ?

(3) क्या सरकार डी. एफ. ओ. बूंदी द्वारा इसकी जांच कराकर उक्त नाकेदार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

जंगलात विभाग के कब्जे की काश्त काबिल भूमि तहसील किशनगंज शाहबाद

235. **श्री नन्दलाल** (किशनगंज): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील किशनगंज शाहबाद में कितनी भूमि ऐसी है जो काबिल काश्त है और जंगलात विभाग के कब्जे में हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त भूमि को भूमिहीन को देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील शाहबाद में करीब 18561 बीघा एवं तहसील किशनगंज में 41161 बीघा 18 बिस्वा भूमि ऐसी है जो काबिल काश्त है और जंगलात विभाग के कब्जे में हैं।

(2) जी नहीं।

जोत रोहल्ला केन्द्र पर औषधालय खोलने की व्यवस्था

235. **श्री मजलिस खां** (कामा) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि ग्राम पचायत पापड़ा, ग्राम पंचायत जोत रोहल्ला और ग्राम पंचायत जोतरी पीपल का क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है और उक्त क्षेत्र में चिकित्सा के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जोत रोहल्ला केन्द्र पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

ग्राम पंचायत पापड़ा एवं जोतरो पीपल पहाड़ी क्षेत्र है या नहीं विभाग को जानकारी नहीं है। ग्राम जोत रोहल्ला में कोई सरकारी आयु. का औषधालय नहीं है। और न कोई प्रस्ताव ही प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र में आयुर्वेद औषधालय खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव जिला परिषद से प्राप्त होने एवं निःशुल्क भवन को व्यवस्था होने पर विभाग औचित्य का परीक्षण कर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने पर खोलता है। अतः जिला परिषद से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार सम्भव है।

परामर्श-दात्री मण्डल द्वारा आयुर्वेद के सम्बन्ध में की गई सिफारिश

237. **श्री मुकुटबिहारी लाल** (बयाना) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(क) क्या राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद का परामर्शदात्री मण्डल का गठन किया हुआ है ? यदि हां, तो कब से ? और इसके कितने अधिवेशन हो चुके हैं ?

(ख) इस बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे। तथा यह भी बतलाया जावे कि सरकार ने जिन सिफारिशों को स्वीकृत नहीं किया है उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(क) जी हां, राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद परामर्शदातृ मण्डल का गठन दिनांक 27-7-55 को हुआ था और उसके पश्चात् तीन बार पुनर्गठन भी हो चुका है। इसके अब तक 11 अधिवेशन हो चुके हैं।

(ख) बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सरकार उन्हीं सिफारिशों पर विचार कर स्वीकार करती है जो औचित्यपूर्ण होती हैं। तथा जिनका आर्थिक व्ययभार वहन करने सम्बन्धी उपलब्ध हो सकते हैं। जिन जिन सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है उनके कारण उनके आगे निर्दिष्ट है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

ग्राम बूडानिया (चिड़ावा) में औषधालय का खोला जाना

238. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी) क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या बुडानिया, ग्राम पंचायत समिति चिड़ावा (जिला झुन्झुनू) में कोई जिला बोर्ड या पंचायत समिति द्वारा आयुर्वेदिक औषधालय का भवन बना हुआ है ?

(2) क्या अभी तक वहां आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोला गया है ?

(3) अगर नहीं खोला गया है, तो क्या राज्य सरकार वहां औषधालय खोलने में प्राथमिकता देगी ?

उत्तर

1. ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

2. जी नहीं।

3. जिला परिषद के प्रस्ताव आने पर जिले की जन-संख्या के औचित्य के निरीक्षण के बाद अन्य स्थानों के साथ औषधालय खोलने न खोलने पर विचार हो सकेगा।

पंचायत समिति बायतु के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री सुखराम का वेतन

239. **श्री अब्दुल हादी** (चौहटन): क्या पंचायत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति बायतु ने दिनांक 31-5-1961 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से बीस प्रतिशत कटौती की थी ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेश थे कि कटौती ऐसे कर्मचारियों की ही की जावे जो सबसे बाद में नियुक्त किया हुआ हो ?

(3) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी ने सरकार के आदेश को नहीं मान कर एक ऐसे कर्मचारी को, जिसका नाम श्री सुखराम है, कटौती में हटाया जिसकी सेवाएं अधिक थीं जब कि उसी दिन एक ऐसा सब से कम सेवाओं का कर्मचारी मौजूद था जिसकी सेवाएं केवल एक माह की थी ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त श्री सुखराम को माह अप्रेल, 1963 में विकास अधिकारी ने वापिस नियुक्त कर दिया और उसकी सेवाएं लगातार मान ली गई हैं ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त श्री सुखराम को सेवाओं से मुक्त करने की तिथि से लेकर वापिस नियुक्त करने की तिथि के बीच की अवधि (करीब दो वर्ष) का वेतन आज तक नहीं दिया गया है ?

(6) क्या सरकार उक्त श्री सुखराम को वेतन देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(श्री अब्दुल हादी)

(7) क्या सरकार उस विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है जिसने सरकार के आदेश का उल्लंघन किया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) श्री सुखराम को हटाया गया, यद्यपि उनसे कम सेवा अवधि के कर्मचारी सेवा में रखे गये थे।

(4) श्री सुखराम को नई नियुक्ति दी गई।

(5) जी हां।

(6) जी हां।

(7) जांच के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

पंचायत समिति दूदू

240. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

पंचायत समिति दूदू के प्रधान श्री मांगी लाल ने सन् 62 से सन् 66 तक कितना टी. ए. व डी. ए. का पैसा लिया और वेतन का पैसा कितना लिया ?

उत्तर

टी. ए. व डी. ए. के 328)69 पैसे और मार्च, 65 तक 150) रुपये प्रति माह व अप्रेल, 65 से दिसम्बर, 66 तक 200) रुपये प्रति माह अलाउन्स लिया।

तहसील लूणकरणसर के गांवों की पेय जल समस्या

241. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर): क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

क्या यह सही है कि तहसील लूणकरणसर में कई ऐसे गांव हैं जहां पेय जल संबंधी कोई सार्वजनिक कुआ या कुण्ड वगैरह नहीं है तथा वहां के लोगों को दूर जाकर पड़ोस के गांवों में पानी प्राप्त करना होता है जिससे उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है ? अगर हां, तो क्या सरकार ऐसे गांवों की पेय जल समस्या के समाधान हेतु चालू वित्तीय वर्ष में प्रावधान करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

जी हां। लूणकरणसर तहसील में पीने के पानी की समस्या है। किन्तु चालू वित्तीय वर्ष में इस काम के लिए धनराशि बहुत ही कम उपलब्ध है, जिससे इस समस्या का समाधान इस वर्ष में होना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

सिंचाई के कुओं के लिये दी जाने वाली धनराशि

242. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सरकार पंचायत समितियों को इस प्रकार के आदेश तुरन्त भेजने का विचार रखती है कि राज्य सरकार से जो सिंचाई के कुओं के लिए धनराशि दी जावे वह धनराशि सर्वप्रथम उन लोगों को दी जावे जिन्होंने पंचायत समिति से प्रथम किश्त प्राप्त करके उसे खर्च कर ली है ?

(2) क्या सरकार ऐसे भी आदेश जारी करने का विचार रखती है कि पेमेन्ट करने वाला अधिकारी जब नए कार्यों के लिए राशि दिये जाने का बिल पास करे तो उस पर यह तस्दीक करे कि इस पेमेन्ट से पहिले उन समस्त कार्यों की दूसरी किश्तों का भुगतान कर दिया गया है जिन्होंने कि पहली किश्त की रकम खर्च कर ली है?

उत्तर

(1) सामान्यतः साधारण वित्तीय सिद्धान्तों के अनुसार दूसरी किश्त देय होते हुए नये प्रार्थी को ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है फिर भी इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

(2) जी नहीं ?

अध्यापकों के वेतन समय पर दिये जाने का आदेश

243. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुंझुनू के अध्यापकों को माह जनवरी, फरवरी, अप्रेल और मई 1967 का वेतन समय पर दिया गया है ?

(2) अगर नहीं, तो किस महीने का किस महीने में दिया गया ?

(3) क्या अब भी किन्हीं अध्यापकों को वेतन दिया जाना बाकी है ?

(4) अगर हां, तो कितने अध्यापकों का किस किस महीने का ?

(5) क्या राज्य सरकार के इस प्रकार के आदेश हैं कि पंचायत समिति के पी. डी. खाते में चाहे जिस मद की रकम हो उस रकम से सर्वप्रथम कर्मचारियों को वेतन दिया जावे ?

(6) क्या यह सच है कि पंचायत समिति के पी. डी. खाते से इसी दौरान दूसरे कार्यों में रकम खर्च की गई और अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया ?

(7) अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इसके बारे में कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जनवरी, 67 का 6-3-67 को फरवरी, 67 का 29-3-67 को मार्च, 67 का 27-4-67 को माह अप्रेल व मई का भुगतान अभी तक कुछ को हुआ है कुछ को नहीं हुआ है।

(3) जी हां।

(4) केवल 5 अध्यापकों को अप्रेल, 67 का व 2 अध्यापकों को मई, 67 का वेतन चुकाया गया है। बाकी के अध्यापकों का वेतन चुकाना शेष है।

(5) जी हां।

(6) पंचायत समिति के पी०डी० खाते से अध्यापकों को वेतन भी दिया गया और अन्य आवश्यक कार्यों पर भी खर्च किया गया।

(7) समय पर वेतन का चुकारा नहीं करने के कारणों की जांच की जा रही है।

ग्राम दबलाना (हिन्डोला) में कंजरों की कालोनी

244. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बूंदी की तहसील हिण्डोली के ग्राम दबलाना में कंजरों के लिये कोलोनी बनाने हेतु कंजरों द्वारा बी. डी. ग्रो. हिण्डोली के पास सरपंच भवानीपुरा के जरिये कब और कितनी धनराशि जमा की गई थी ?

(2) उक्त अनुसूचित जन जाति के लिये मकान अभी तक क्यों नहीं बनाये गये ?

(3) यह कोलोनी कब तक बन जावेगी ? और इसमें कितनी धन राशि खर्च होगी ?

(4) इस योजना के अन्तर्गत सरकार की ओर से अनुदान क्या दिया गया है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) श्रमदान प्राप्त नहीं होने से।

(3) श्रमदान पूरा मिलने पर।

(4) 8000) रुपये।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

ग्राम बंधा (बीकानेर) के कुए की मरम्मत हेतु धनराशि की स्वीकृति

245 श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बंधा, तहसील बीकानेर का कुआ नीचे से गिरना

(श्री भीमसेन)

प्रारम्भ हो गया है जिसकी मरम्मत हेतु पचायत समिति बीकानेर ने अपनी एक बैठक माह अक्टूबर से सितम्बर, 66 के दौरान अन्य गांवों के साथ उपयुक्त धनराशि देने का f फारिश की है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या समय रहते उपरोक्त कुए की मरम्मत हेतु आवश्यक धनराशि की स्वीकृति की जानी आवश्यक है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम बंधा का कुआ मरम्मत योग्य है। पचायत समिति, बीकानेर ने माह अक्टूबर से दिसम्बर, 66 के दौरान बैठकों में धनराशि देने की सिफारिश नहीं की। दिनांक 27. 3. 66 में इस कुए के मरम्मत के सम्बन्ध में विचार हुआ था।

(2) इस वर्ष कुओं के लिए धनराशि बहुत ही कम उपलब्ध है। इसलिये निश्चय पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि मरम्मत के लिए आवश्यक धनराशि की स्वीकृति पंचायत समिति द्वारा कब तक दी जा सकती है।

ग्राम हुडास (तहसील लाडनू) के सार्वजनिक टांके

246. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम हुड़ास, तहसील लाडन, जिला नागौर में पचायत समिति लाडनू में कितने सार्वजनिक टांके पानी पीने के बनवाये हैं ? और क्या वे सभी सार्वजनिक भूमि में हैं ?

(2) यह टांके अलग अलग कौमों के लिए हैं या सामूहिक हैं ? क्या यह सही है कि उन में से कई टांके घरों में भी हैं ?

(3) क्या यह सब टांके माफिक नक्शे में बने हुए हैं और उनमें सब में पानी रहता है ?

(4) क्या इनमें एक टांका जो सड़क के पास बना हुआ है, बनाते ही फूट गया है और उसी को ओवरसीयर ने पास किया है और आज भी वह टांका फूटा हुआ पड़ा है ?

(5) क्या इनमें एस्टीमेट के अनुसार मेटेरीयल लगा है ? अगर नहीं तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) 4 टांके बनवाए हैं जो सभी सार्वजनिक भूमि में हैं।

(2) टांके सार्वजनिक हैं। किन्तु अलग अलग गुवाडियों में होने से उनके नाम से बोले जाते हैं। घरों में कोई टांके नहीं हैं।

(पंचायत मंत्री)

(3) टांके नक्शे माफिक बने हुए हैं। पिछले साल वर्षा के अभाव में कुछ टांकों में पानी नहीं आया।

(4) जी नहीं।

(5) पत्थर के बजाय ईंटे काम में ली गई हैं। ऐसेसमेन्ट भी ईंटों का ही किया गया। किन्तु इससे कोई हानि नहीं हुई। इसलिए किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

पाली जिले में आटा, मैदा, सूजी का वितरण

247. **श्री मूलचंद डागा** (पाली): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में सन् 1967 से अब तक कितना आटा, कितनी सूजी व कितनी मैदा किस किस महीने में अलाट किया गया?

(2) आटा, मैदा और सूजी वितरण करने के लिए किसको दी गई और उसने किस तरीके से तीनों वस्तुओं का वितरण किया? क्या सरकार इन वस्तुओं के वितरण के लिए परमिट इश्यू करती है? यदि हां, तो किन नियमों के आधार पर और किस तरह?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन वस्तुओं के वितरण हेतु परमिट दिये जाते हैं। इनका वितरण जिलाधीश द्वारा स्थानीय मांग व स्टाक स्थिति को देख कर किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है।)

सरकारी गल्ले के वितरण की दुकानें

248. **श्री गंगासहाय** (कठूमर):— क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान में सरकारी गल्ले के वितरण की दूकानें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को दी गई हैं? यदि हां, तो कहां कहां?

(2) यदि नहीं दी गई हैं, तो क्यों?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

शक्कर का वितरण-अजमेर

249. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार अजमेर को शक्कर प्रति व्यक्ति $1\frac{1}{2}$ किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से दे सकती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

जी नहीं।

अजमेर नगर को देशी गेहूं फेयर प्राइस शोप पर देने का प्रावधान

250. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर, पश्चिम) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

सरकार अजमेर नगर को देशी गेहूं फेयर प्राइस शोप पर कब से देना प्रारम्भ करेगी ?

उत्तर

अजमेर के लिए tentative रूप से देशी गेहूं 3500 टन आवटित किया गया है ।

लेवी स्कीम के तहत खरीद की गई मात्रा के अनुसार इसमे से जितना माल अजमेर पहुंच सकेगा, में से लगभग दो माह पश्चात् गेहूं का वितरण प्रारम्भ करने की आशा है ।

चीनी का वितरण-तहसील फागी

251. **श्री लादू राम सुलानिया** (फागी) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) तहसील फागी में जनवरी, 67 से अब तक कितनी चीनी वितरित की गई है ?

(2) उक्त चीनी में विशेष कोटा कितना था ?

(3) उक्त विशेष कोटे में जिस जिस व्यक्ति को चीनी दी गई उसकी मय नाम व पतों के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या उक्त अवधि में रसद विभाग द्वारा तहसील फागी की जनता को गेहूं वितरण करने हेतु दिया गया था ? यदि हां, तो वह कितने परिवारों को दिया गया ?

उत्तर

(1) माह जनवरी से मई, 67 तक 306 क्विन्टल चीनी तहसील फागी में वितरित की गई है ।

(2) 16 क्विन्टल चीनी का विशेष कोटा था ।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) जी हां । यह गेहूं 8250 परिवारों को दिया गया ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

मांडलगढ़ क्षेत्र के पत्थर की खानों के मजदूरों को सस्ता अनाज की व्यवस्था

252 **श्री मनोहर सिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

क्या यह सही है कि मांडलगढ़ क्षेत्र के

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

ऊपर माल में कई पत्थर की खानें हैं जिनमें हजारों मजदूर काम करते हैं ? यदि हां, तो उन के लिये सस्ते अनाज की दुकानें अब तक खुल गई हैं या नहीं ? यदि नहीं खुली हैं, तो कब तक खुलेंगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ऊपर माल क्षेत्र की खानों में हजारों मजदूर काम करते है। सस्ते अनाज की दुकानें नही खुली हैं, क्योंकि यह क्षेत्र अभावग्रस्त नहीं है। दुकानें अभावग्रस्त क्षेत्र या जिला मुख्यालय में ही राज्य सरकार के आदेश से खोली जाती है।

कृषि फार्म्स

253. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

राज्य में सरकार के कहां कहां कब से व कितने बीघों के कृषि फार्म्स हैं ? ये कितनी लागत के हैं और उन पर कितना कितना खर्चा प्रति वर्ष आता है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ट्यूब वैल लगाने हेतु किसानों को आर्थिक सहायता

254. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किन किन शर्तों पर किसान अपनी निजी जमीन में ट्यूब वैल लगा सकते हैं ?

(2) क्या सरकार इसमें किसान की आर्थिक मदद देती है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसी सहायता दिये जाने की कोई योजना है ?

उत्तर

(1) ट्यूब वैल खोदे जाने के लिये इस विभाग की ओर से किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है।

(2) जो ट्यूब वैल कृषि हेतु खोदे जाते हैं उन पर बिना हानि बिना लाभ के आधार पर निर्धारित दरों पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

झुंझुनू जिले में कुआ बना कर पम्पिंग सेट्स लगाने की व्यवस्था

255. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि झुंझुनू जिले में अधिकतर ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत छोटे खेत है इस कारण वे उनमें सिंचाई के लिए कुए नहीं बना सकते ?

(श्री मूलचन्द कटेवा)

(2) क्या सरकार ऐसे किसानों के लिए तीन तीन चार चार खेतों के बीच में एक कुआ बना कर उसमें पम्पिग सेट लगाने की व्यवस्था करने के लिए ग्राम पचायतों को ऋण देने के प्रश्न पर विचार करेगी जिससे कि कम भूमि वाले किसान भी लाभान्वित हो सकें ?

उत्तर

(1) यह इस विभाग की जानकारी में नहीं है परन्तु इस विभाग द्वारा पम्पिग सेट इत्यादि के लिए ऋण देने के लिए धन राशि हर साल पचायत समितियों को आवटन की जाती है। कुए बनाने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता है यह राज्य सरकार निर्धारित नहीं है।

(2) ऐसी कोई योजना इस विभाग के विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समितियों को ट्रेक्टर व हल खरीदने के लिए ऋण दिये जाने की व्यवस्था

256. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी) क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि जिन ग्रामों में बिजली से कुओं के द्वारा सिचाई होती है वहां ट्रेक्टर से जुताई करने की मांग बढ़रही है ?

(2) क्या सरकार जिन पचायत समितियों में सिचाई के लिए बिजली दे दी गई है उन पचायत समितियों को ट्रेक्टर व उनके हल खरीदने के लिए हर पचायत समिति को 50 हजार रुपये ऋण दिये जाने की व्यवस्था अतिशीघ्र करने के प्रश्न पर विचार करेगी जिससे वह दो ट्रेक्टर व उनके हल खरीद सकें ?

उत्तर

(1) जुताई के लिए ट्रेक्टर की मांग राजस्थान के सभी क्षेत्रों से आती है। सिंचित क्षेत्र जहां भी बढ़ता है चाहे बिजली के लगने से अथवा अन्य साधनों से वहां पर जुताई के लिए ट्रेक्टर की मांग बढ़ती है।

(2) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति बाली

257. **श्री दौलतराम** (देसूरी) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बाली, जिला पाली के आदेश कृषि-ऋण 832 दिनांक 28-7-66 के अनुसार व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया गया था ?

(2) उक्त आदेश के जरिये कितने व्यक्तियों को ऋण का भुगतान किया गया ? अगर ऋण का भुगतान नहीं किया गया तो क्यों ?

(श्री दौलतराम)

(3) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के बाबत व्यक्तियों को भुगतान हेतु नोटिस दिया गया था ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

कम्प्रेशर मशीनें

258. **श्री नन्दलाल** (किशनगंज) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) सरकार की कम्प्रेशर मशीन कितनी हैं और वे कहां कहां काम कर रही हैं ?

(2) कुए खोदे जाने के लिये प्रति ब्लास्ट की दर क्या तय की हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि प्राइवेट मशीन वालों पर प्रति ब्लास्ट पर किसी तरह की कोई पाबन्दी नहीं है ? यदि हां तो क्यों और यदि नहीं, तो पाबन्दी क्या है ?

उत्तर

(1) 111 कम्प्रेशर मशीनें हैं। 98 मशीनें विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

कुओं को गहरा करने की दर 65) रू प्रति ब्लास्ट है। काश्तकारों से सबसिडी देने के बाद 50) प्रति ब्लास्ट चार्ज किया जाता है।

प्राइवेट मशीन वालों के चार्जेज पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

पम्पिंग सैट्स खरीदने के लिये धनराशि का प्रावधान-तहसील सरदारशहर

259. **श्री रावत राम** (छापर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में सिंचाई के लिए खेतों में जो कुए बने हैं उनके लिए पंपिंग सैट्स खरीदने हेतु सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है ?

(2) उक्त धनराशि में से सरदार शहर तहसील को कितनी धनराशि दी जायेगी और यह धनराशि पंचायत समिति द्वारा वितरित करने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) सन् 1966-67 में चूरू जिले की पंचायत समितियों को 41 हजार रुपये कुओं पर पम्प लगाने हेतु इस विभाग द्वारा आवंटित किए गये हैं।

(2) सरदारशहर पंचायत समिति को पम्प लगाने हेतु वर्ष 1966-67 में कोई धन राशि का आवंटन नहीं किया गया।

Page No. 68

बाड़मेर जिले के चरागाह

260. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में भेड़ों की नस्ल सुधारने और इनकी जनसंख्या के बढ़ावा देने के साथ साथ इन पशुधन के लिये पर्याप्त चरागाह उपलब्ध कराने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में ऐसे कितने चरागाह होंगे और किन किन स्थानों पर होंगे ?

उत्तर

चरागाह और गोचर भूमि के सुधार का सम्पूर्ण कार्य राजस्व विभाग एवम् वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है फिलहाल इस विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं दी गई है ।

सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, बारां

261. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बारां के सहकारी विभाग के सहायक रजिस्ट्रार ने जनवरी, 1966 से लेकर अप्रेल, 1967 तक किस किस गांव की किस किस सहकारी सोसाइटी का निरीक्षण किया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) बारां के सहायक रजिस्ट्रार ने सोसाइटियों के निरीक्षण करने में किन किन तारीखों में कितना टी. ए. व डी. ए. वसूल किया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सहायक रजिस्ट्रार ने अपने दौरे के कार्यक्रम डायरी में अन्ता मार्केटिंग सोसाइटी का निरीक्षण किया जाना बतलाया है ? यदि हां, तो किस तारीख को किया ?

उत्तर

(1) बारां के सहकारी विभाग के सहायक रजिस्ट्रार ने जनवरी, 1966 से अप्रेल, 1967 तक जिस जिस गांव का जिस जिस सहकारी सोसाइटी का निरीक्षण किया उस की सूची परिशिष्ठ "क" के कालम संख्या 1 से 3 पर है ।

(2) बारां के सहायक रजिस्ट्रार ने सोसाइटियों के निरीक्षण करने में जिन जिन तारीखो में जितना टी० ए० व डी० ए० वसूल किया उस की सूची परिशिष्ठ "क" के कालम संख्या 4 से 7 पर है ।

(3) जी हां । निरीक्षण दिनांक 27-28-2-67 को किया ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई है ।)

वित्तीय समितियों के उम्मीदवारों की नामजदगी

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जनलेखा समिति, 1967-68 एवं प्राक्कलन समिति 1967-68 के चुनावों के हेतु निम्नलिखित उम्मीदवार नामजद किये गए हैं:—

जन लेखा समिति, 1967-68

श्री रघुनाथ बिश्नोई

श्रीमती गोरी पूनिया

श्री किशनलाल

श्री पुखराज कालानी

श्री गिरधारीलाल व्यास

श्री पी. के. चौधरी।

राजा मानसिंह

श्री हंसराज आर्य

श्री नत्थी सिंह

श्री सहदेव शर्मा

श्री लादूराम सुलानिया

श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री शीशराम

श्री कृष्ण कुमार गोयल

श्री भैरोसिंह शेखावत

श्री हरजीराम बुरड़क

श्री रावत राम

प्राक्कलन समिति, 1967-68

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत

श्री समर्थलाल

श्री दीपचन्द छंगानी

श्री गोकल चन्द

श्री बीरबल

श्री वृज प्रकाश

श्री शीशराम

श्री रामकुमार

श्री राम किशन

श्री महेन्द्र कुमार

श्री नाथूराम

श्री माईदान सिंह

श्री विट्ठल प्रसाद

श्री डूंगाराम राजोरिया

श्री रामानन्द

श्री मनफूल राम

श्रीमती प्रभा मिश्रा

श्री नत्थीलाल

श्री हरलाल सिंह

श्री देवीदत्त गाड़िया

श्री कृष्ण कुमार गोयल

श्री नन्दलाल

श्री हरजीराम बुरड़क

श्री रामप्रसाद बोहरा

श्री रावत राम

जो माननीय सदस्य अपना नाम वापिस लेना चाहें वे आज सदन में वक्तव्य द्वारा, जिसमें केवल इस तथ्य को ही व्यक्त किया जाना चाहिए, वापिस ले सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : इसका समय बढ़ा दिया जाय तो अच्छा होगा । शादियों के कारण कई माननीय सदस्य बाहर चले गए हैं, वे शायद उपस्थित होते तो अपने नाम वापस लेते । इसलिए अच्छा होगा यदि दो दिन बाद में चुनाव रख दिए जायं तो नाम बिथड्रा हो जायेंगे और चुनाव के दिन माननीय सदस्य उपस्थित भी होंगे ।

श्री अध्यक्ष : वापस लेने का जो प्रश्न है सदन के उठने के पेश्तर लिया जाय ।

श्री रामकिशन : आज तो हैं नहीं बाहर चले गए हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय खड़े हों तो थोड़ा सा लिहाज रखें । दो बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, उस समय इस प्रश्न को विचारार्थ लिया जाय ।

स्थगन प्रस्ताव

1. नसीराबाद को खाद्यान की सप्लाई बंद करने से उत्पन्न स्थिति पर श्री विजय सिंह रावत ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता किन्तु स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिए मैं चाहूंगा कि खाद्य मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में शीघ्र ही एक वक्तव्य दें ।

2. जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में अध्यापकों आदि की नियुक्ति पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगा देने सम्बन्धी मामले पर श्री रामकिशन ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । मैं इस प्रस्ताव पर भी अपनी अनुमति नहीं देता किन्तु इस मामले के स्पष्टीकरण के लिए मैं चाहूंगा कि सम्बिन्धत मन्त्री महोदय शीघ्र ही एक वक्तव्य दें ।

3. जयपुर रीजन के आर. टी. ओ. द्वारा मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सरेन्डर लेने से इन्कार करने से उत्पन्न स्थिति पर श्री रामानन्द अग्रवाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । यह मामला ऐसा नहीं है कि इस पर विचार करने के लिए मैं अपनी अनुमति दूं किन्तु मैं चाहूंगा कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

4. भरतपुर जिले के रूपबास थाने के खुड़ासा व खेरिया लोधा गांवों में डकैती के सम्बन्ध में श्री नत्थीसिंह एवं श्री रामकि-

मन ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला भी इतना लोक महत्व का नहीं है कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाकर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाय। अतः इस प्रस्ताव पर मैं अपनी अनुमति नहीं देता।

5 ग्राम दामोद तहसील बहरोड़ जिला अलवर की चरागाह की भूमि का एक व्यक्ति को एलाटमेंट के सम्बन्ध में श्री अमीलाल यादव एवं श्री रामकिशन ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं इस प्रस्ताव पर भी अपनी अनुमति नहीं देता हूं।

6. राज्य सरकार द्वारा राज्य के कुछ जिलों में गल्ला वसूली के सम्बन्ध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री कृष्ण कुमार गोयल एवं श्री प्रेमसिंह ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में तथ्यों की जानकारी राज्य सरकार से की जा रही है। जानकारी के प्राप्त होने के पश्चात् ही इस प्रस्ताव पर मैं अपनी व्यवस्था दे सकूंगा।

श्री रामकिशन : बहरोड़ तहसील में चरागाह भूमि की एलाटमेंट का जो सवाल है, इस पर वक्तव्य जरूर दिलायें क्योंकि वहां झगड़ा होने का डर है क्योंकि दूसरे इलाके के आदमी को जमीन एलॉट की गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विद्यार्थियों के लिए जो फार्म्स मुकर्रर किये गए हैं उनसे उनको असुविधा होती है, उस सम्बन्ध में आपने समय दे दिया था....

श्री अध्यक्ष : कब ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : 7 तारीख को।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री स्टेटमेंट दे रहे हैं।

श्री विजयसिंह रावत : आपने जो व्यवस्था दी है वह तो शिरोधार्य है लेकिन खाद्य मन्त्री अपना वक्तव्य दें उससे पहले मैं कुछ तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कब रखना चाहते हैं ?

श्री विजयसिंह रावत : अभी।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं देता।

श्री विजयसिंह रावत : स्थगन प्रस्ताव के वर्डिंग में लिखा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया थोड़ा सा नियमों का साधारणतया अध्ययन कर लें तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है और आपके और मेरे बीच में संघर्ष नहीं होगा। मैंने उनको स्टेटमेंट देने के लिए कहा है, वहां स्थिति समाप्त हो जाती है। मैं आपको बड़ी सुविधा दूंगा जब स्टेटमेंट दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आपने स्टेटमेन्ट के सम्बन्ध में तो व्यवस्था दे दी लेकिन समय निश्चित नहीं किया है। समय निश्चित नहीं होने के

(श्री भैरोंसिंह)

कारण असुविधा होती है जानकारी नहीं रहती कि किस समय वक्तव्य दे दिया जायगा इसलिये अनुपस्थित भी रह जाते हैं तो प्रश्न उठता है वह अन अटेन्डेड रह जाता है।

श्री अध्यक्ष : समय तो बिलकुल निश्चित है और तारीख भी दे दी जायगी।

बारां डिग्री कालेज के द्वितीय वर्ष की कक्षा में विद्यार्थियों को प्रवेश न मिलने व जयपुर शहर के विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश में कठिनाई सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री बरकतुल्ला खां (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां कालेज के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं बारां कालेज के अन्दर सेकन्ड ईयर की क्लासें लग भी सकती हैं या नहीं इस सम्बन्ध में शंका थी ऐसा विश्वास था कि ज्यादा विद्यार्थी नहीं मिलेंगे लेकिन फिर पता लगा कि सेकन्ड ईयर टी० डी० सी० में 11 आर्ट्स में 9, कामर्स और साइन्स में 3 इतने विद्यार्थी हैं इसके लिये आर्डर्स कर दिये गये हैं कि वहां सेकन्ड ईयर की क्लासेज खोल दी जाय और नियमानुसार एडमिशन ले लिया जाय।

दूसरा महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव आया था वह यह था कि जयपुर के अन्दर छात्रा छात्राओं को स्कूलों के अन्दर जगह न मिलने की वजह से परेशानी है इस सम्बन्ध में भी अर्ज करना चाहूंगा कुछ तो यह, प्रोब्लेम यह थी कि हरेक स्कूल के अन्दर भरती के लिये दरख्वास्तें काफी तादाद में आगई, सरकार ने इस पर यह आदेश दिया है जहां जहां भी विद्यार्थी इस प्रकार से आते हैं वहां पर नवीं दसवीं और ग्यारहवीं के लिये स्कूल को डबल शिफ़्ट में चलाया जाय। साथ साथ यदि आवश्यकता पड़े तो और नये सेक्शन्स भी खोल दिये जावें। तमाम वे विद्यार्थी जो भरती होने की योग्यता रखते हैं उन तमाम को एडमिशन मिल जाना चाहिये सरकार के यह पूरे तौर पर आदेश हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आर्डर केवल जयपुर के लिये ही हैं या सभी जगह के लिये है। जनरल आर्डर हैं?

श्री बरकतुल्ला खां : यह आर्डर जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, और शायद अलवर भी उसमें है। बड़े बड़े सब शहरों के लिये कर दिया गया है कि नये सेक्शन्स खोल दिये जांय या डबल शिफ्ट में चलायी जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेन्ट ने जो आर्डर्स जारी किये हैं क्या वे सभी इन्स्टीटयूशन्स के लिये है चाहे वे गवर्नमेन्ट की हों चाहे प्राईवेट हों या एडेड हों?

श्री बरकतुल्ला खां : गवर्नमेन्ट इन्स्टीटयूशन्स के लिये तो है ही उसके साथ साथ प्राइवेट इन्स्टीटयूशन्स के लिये बात करेंगे। गवर्नमेन्ट इन्स्टीटयूशन्स के लिये आर्डर्स दे दिये गये हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जो विद्यार्थी टी० डी० सी० में जाना चाहते हैं उनके गवर्नमेन्ट इन्स्टीट्यूशन नाम की चीज नहीं इसलिये उनकी डबल शिफ्ट का सवाल पैदा नहीं होता। और जो प्राइवेट इन्सटीट्यूशन्स हैं उनके लिये जब तक आप रेकरिंग या नोन रेकरिंग खर्च की व्यवस्था नहीं करेंगे तो उनके लिये क्लासों में लेना मुश्किल है। आप उनको डबल शिफ्ट या अतिरिक्त क्लासें चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जब तक आप रेकरिंग खर्चे के आश्वासन उनको नहीं देते।

श्री देवीदत्त गाड़िया: सेकन्ड ईयर की क्लासें खोलने के जो आर्डर्स आपने बारां कालेज के लिये दे दिये उसके लिये आभार प्रदर्शित करते हैं लेकिन मुझे अभी टेलीफोन से सूचना मिली है कि वहां पी० यू० सी० में भी एडमिशन नहीं दे रहे हैं, वहां के प्रीन्सिपल ने एडमिशन देना बन्द कर रखा है। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में भी उदारता बरतें और प्रीन्सिपल महोदय को आदेश दें कि वहां पी० यू० सी० में भी एडमिशन दे दिया जाय।

श्री बरकतुल्ला खां: आदेश जारी कर दिये गये हैं उनको पूरी तौर से मनवाने के लिये फिर नये आदेश जारी कर देंगे कि पी० यू० सी० में भी एडमिशन दे दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह: मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी फेल हो गये हैं या जो थर्ड डिवीजन में आये है और जिस स्कूल से फेल हुए हैं या थर्ड डिवीजन में आये हैं उनको वहीं एडमिशन मिल जाय यह भी आदेश दिये है या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां: सरकार के आदेश यह हैं कि जो लड़के दो साल से ज्यादा फेल हो गये वे प्राइवेट स्टूडेन्ट्स के तौर पर बैठ सकते हैं और जो एक साल के फेल हैं उनको उसी स्कूल में उसी क्लास में एडमिशन दिया जाय यह आदेश हैं।

जहां तक थर्ड डिवीजन से पास हुए लड़कों का ताल्लुक है साइन्स के अन्दर जिनके 45 परसेन्ट से कम मार्क्स हैं उनको साइन्स में एडमिशन नहीं दिया जायगा। सेकन्ड डिवीजन लड़के लेने के बाद यदि कुछ जगहें खाली रह जाय तो थर्ड डिवीजनर्स को भी मार्क्स के हिसाब से एडमिशन दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: गवर्नमेन्ट ने साइन्स में एप्टीट्यूट टेस्ट लेकर एडमिशन देने का तय किया है उसमें भी क्या हुआ है कि जितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उतने विद्यार्थियों के लिये जगह नहीं होने की वजह से वन-थर्ड विद्यार्थियों को ही एडमिशन दिया गया जैसे अलवर में 300 विद्यार्थी इस टेस्ट में पास हुए थे उनमें से दो सौ को तो ले लिया गया सौ विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया यह क्या मजाक है ? वहां स्थान नहीं होने से दुबारा टेस्ट में 100 विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया अलवर में।

श्री भैरोंसिंह: जब आप सेकन्ड डिवीजनर्स को साइन्स सब्जेक्ट में लेते हैं तो

(श्री भैरोंसिंह)

दुबारा फिर उनका टेस्ट क्यों लिया जाता है ?

श्री बरकतुल्ला खां : साइन्स का टेस्ट दुनियां भर के तमाम मुल्कों में होता है । वह इसलिये लिया जाता है कि आगे चलकर वह लड़का स्टेन्ड कर भी सकेगा या नहीं उसका एप्टीट्यूट साइन्स की तरफ है या नहीं । आयन्दा जाकर कॉलेज में उसको ज्यादा मार्क्स की जरूरत पड़ेगी । साइन्स एप्टीट्यूट है या नहीं इसलिये टेस्ट लिया जाता है उसमें जितने लड़के पास हो जाते है उनको ले लिया जाता है । अगर इसके बावजूद भी किसी को एडमिशन नहीं मिला है, किसी स्थान पर, तो मेरे ध्यान में आने पर मैं उनका पर्सनल तौर पर ध्यान देकर एडमिशन करवाने की चेष्टा करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : आप टेस्ट रख ही क्यों रहे हैं जब कि यह सेकन्ड डिवीजन में पास हो जाता है ?

श्री बरकतुल्ला खां : वह इसलिये रखा जाता है कि साइन्स एप्टीट्यूट न होते हुए भी लड़के या लड़कियां इस सब्जेक्ट में दाखिला चाहती हैं । यह आठवीं क्लास से शुरू होता है उसमें जो मार्क्स मिलते है वह लोकल एग्जामिनेशन के थ्रू मिलते है नवीं तक लोकल एग्जामिनेशन है उसमें हैड मास्टर लोग जो मार्क्स देते है उसका आल राउन्ड स्टेन्डर्ड नहीं होता । पर्सनल लाइक और डिस-लाइक से मार्क्स दिये जाते हैं । इस कारण आगे चलकर उस छात्रा का एप्टीट्यूट साइन्स की तरफ है या नहीं यह देखने के लिये यह इम्तहान रखा गया है । वरना आम तौर पर होता यह है कि लड़के साइन्स लेना चाहते हैं उनको दे दिया जाता है उस हिसाब से लोकल इम्तहान में मार्क्स अच्छे मिल जाने के बाद आगे चलकर उनकी जिन्दगी खराब हो जाती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एप्टीट्यूट साइन्स टेस्ट सभी जगह पर होता नहीं । क्या यह कुछ जगहों के लिये ही रख रखा है ? यह डिस्क्रीमिनेशन क्यों ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह सभी जगहों के लिए है वह इसलिये कि हम साइन्स की फैसीलिटीज से उन छात्रों को वंचित रखना नहीं चाहते जो डिजर्विंग और होशियार हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर तो साइन्स एप्टीट्यूट का मतलब नहीं है । यह तो आपने इसलिये रखा है कि लड़कों को प्रवेश देने में अंकुश रहे ?

श्री बरकतुल्ला खां : कुछ एरियाॅज के अन्दर साइन्स की तरफ ध्यान कम जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : जब आपने सेकन्ड डिवीजन पास के लिये व्यवस्था कर दी । कई बार ऐसा होता है कि सेकन्ड डिवीजन लड़के आगे चलकर होशियार हो सकते हैं बाई चान्स यदि उनको अवसर मिल जाय ।

श्री बरकतुल्ला खां : उनका भी टेस्ट लेते हैं । जहां तक मुझे जानकारी है डिपार्टमेन्ट की तरफ से ।

श्री भैरोंसिह : इस टेस्ट में थर्ड और सेकण्ड डिविजनर शामिल हो सकते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : जो मुझे जानकारी मिली है, उसके आधार पर कह सकता हूं, हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिह : पोजीशन क्या है ? पोजीशन तो आज यह नहीं है जो आप कह रहे हैं। थर्ड डिविजनरों की तो एप्लीकेशन ही एन्टरटेन नहीं करते।

फर्स्ट और सेकण्ड डिविजनरों को इन्वाइट किया जाता है।

थर्ड डिविजनर शामिल हो सकते हैं क्या यह आपकी जानकारी अधिकृत है ? क्या इसके अनुसार आपकी इन्स्टीट्यूशनें इस स्कीम को इम्पलीमेन्ट करने लगी है या नहीं? आज की प्रेक्टिकल पोजीशन क्या है ?

श्री बरकतुल्ला खां : थर्ड डिविजनर भी इलेजिबल हैं और एप्लीकेशन दे सकते हैं।

श्री रामकिशन : लोकल एग्जामिनेशनों में ऐसे वैसे नम्बर दे देते हैं, जो आपने कहा है....

श्री बरकतुल्ला खां : ऐसा नहीं कहा।

श्री रामकिशन : आपने कहा पर्सनल लाईकिंग या डिसलाईकिंग की बात। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपकी यह मान्यता है तो लोकल एग्जामिनेशन बंद क्यों नहीं करवा देते? नहीं तो यह आपका उन पर रिफ्लेक्शन है। सारे डिसप्रोनेस्ट लोग हैं, यही समझा जावेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : मेरी मन्शा यह नहीं है। मेरी मन्शा तो यह है कि एक मास्टर तो यह पढ़ाता है और कहता है यह अच्छा है। मेरे पास कापी आती है मैं उस पर यह सोचता हूं कि वेल्यूएशन अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। वह लड़का जो मास्टर ने पढ़ाया है वह जवाब दे देता है इसलिये मास्टर ने गलत पढ़ाया है यह हो जाता है तो एक तरह से तो वह मास्टर का इम्तहान हो जाता है इसमें बच्चों का कसूर नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं माननीय मन्त्री महोदय से बहुत साफ साफ जानकारी चाहता हूं। मैंने जो स्थगन प्रस्ताव पेश किये थे, जयपुर शहर में जो लड़के-लड़कियों को एडमिशन में असुविधा हो रही है उनको गाईडेन्स नहीं मिल रहा है उन सारी दिक्कतों को किसी प्रकार से मिटाने के लिये प्रयास किया जा सकता है, इसके लिये मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है।

जयपुर शहर में जहां तक लड़कों का सवाल है गवर्नमेन्ट का कोई भी कालेज नहीं है। गवर्नमेन्ट का कालेज नहीं है तो सेकण्ड शिफ्ट चलानी पड़ेगी इसका प्रबन्ध कौन करेगा ? और इस तरह से सेकण्ड शिफ्ट चलाने का सरकार का आर्डर ही बेकार है। इसका मतलब यह है कि लड़कों के एडमिशन्स का सवाल है और जयपुर शहर में आपका सेकण्ड शिफ्ट चलाने का आर्डर है उसका

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कोई लाभ यहां नहीं मिल सकता इसलिए एडमिशन की प्रोब्लम जयपुर की हल होने वाली नहीं है।

जैसी हालत इस समय है, वैसी की वैसी रहने वाली है यह निश्चित बात है।

आपने कहा कि एडेड इन्स्टीट्यूशन्स में सेकन्ड शिफ्ट चले तो रेकरिंग, नान रेकरिंग एक्सपेन्सेज देने को तैयार हैं। पर आप उनको इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते, यह भी साथ ही कह गये। पर इस प्रोब्लम को हल करने की दृष्टि से यह तो आप कर सकते हैं कि उन संस्था के प्रिन्सिपलों की मीटिंग बुलाकर यह एडमिशन की प्रोब्लम कैसे हल की जा सकती है इसके बारे में क्यों नहीं कोई फार्मूला आप एडाप्ट करते हैं और उनसे कहिये कि एक्स्ट्रा क्लासें खोलिये, सेकण्ड शिफ्ट चलाइये, उसका कम्पलीट रेकरिंग और नान रेकरिंग एक्सपेन्सेज सरकार एडवान्स में सेन्ट परसेन्ट देने को तैयार है।

लोगों को शिक्षा की फेसिलिटी देने की सरकार की जिम्मेदारी है। आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। न दूसरों पर डाल सकते हैं। 19 करोड़ रुपया राज्य खर्च करता है। इन सारी हालतों में आप यह कह कर नहीं बच सकते कि आप उनको बाध्य नहीं कर सकते। पर इनीशियेटिव देने के लिए इस बात की व्यवस्था कर सकते हैं आप उनसे मिलकर। यह व्यवस्था जयपुर शहर में आप करने को तैयार है या नहीं?

आज आपके इस कथन के बावजूद यहां के एडमिशन की समस्या ज्यों की त्यों है। थर्ड डिविजनरों की एप्लीकेशन लेते नहीं। 40 परसेन्ट से नीचे की तो बात नहीं करते। 40 परसेन्ट के ऊपर वालों का भी एडमिशन में दिक्कत आती है इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ करना होगा और जब तक एडेड संस्थाओं को रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेन्सेज सन्ट परसेन्ट देकर सेकन्ड शिफ्ट या एक्स्ट्रा क्लासें खोलने की बात आप नहीं करेंगे तब तक यह प्राब्लम सोल्व हो नहीं सकती।

लोगों के एडमिशन फार्म ले लिए गये पर अब रिजेक्ट किये जाते हैं, एक एक साल के फेल्योर को भी उन्हीं संस्थाओं में नहीं लिया जा रहा है। फीस जमा करा दी। पर अब पैसा लौटाया जा रहा है। लड़के मारे मारे फिर रहे हैं। चक्कर खा रहे हैं। आपको स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिये कि जितने लड़के एडमिशन चाहेंगे उनको एडमिशन दिलाने की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकारी और गैर सरकारी कालेजों में चाहे सेकन्ड शिफ्ट चलानी पड़े या एक्स्ट्रा क्लासें चलानी पड़ें, चाहे सारा खर्चा सरकार को देना पड़े एडमिशन दिलाने की यह सारी जिम्मेदारी सरकार की है।

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार जिम्मेदारी मानती है जहां तक स्कूलों में पढ़ने का ताल्लुक है। और जहां तक स्कूलों के अन्दर प्री यूनीवर्सिटी और 11 वीं क्लास की तालीम का ताल्लुक है सरकार जिम्मेदारी मानती है। और जहां तक हायर एजूकेशन का ताल्लुक है यूनीवर्सिटी की जिम्मेदारी है। हमने उनको एप्रोच भी किया है हम उनके काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। पर कहना

(श्री बरकतुल्ला खां)

चाहता हूं कि स्कूलों की शिक्षा की अपनी जिम्मेदारी सरकार वाकिफ है। इसमें चाहे डबल शिफ्ट करनी पड़े या एक्स्ट्रा क्लासें चलानी पड़े हम उसे पूरा करेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या सरकार यूनिवर्सिटी को ग्रान्ट देती है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप रहने दो इसको।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : देती है तो शिक्षा को पूर्ति के लिए देती है या उनकी मनमानी करने के लिए देती है। वे शिक्षा देना बन्द नहीं कर सकते, उनको एजूकेशन सबको देनी पड़ेगी।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : फर्स्ट ईयर टी. डी सी. में इंगलिश में फेल हुए हैं और मेडिकल कालेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके केमिस्ट्री, बायो-लोजी और फिजिक्स में 55 परसेन्ट से ऊपर मार्क्स हैं और आगे उनको एम्फेसिस मेडिकल सब्जेक्ट पर देना है तो ऐसों को अंग्रेजी सब्जेक्ट में फेल होने के बावजूद सक्सेसफुल डिक्लेयर करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है ? अंग्रेजी उसको अबके लेना नहीं है अगर ऐसे सब्जेक्ट में वह फेल हो गया है तो सब्जेक्ट में फेल हुए को डिक्लेयर करना चाहिये कि पास है और मेडिकल कालेज में एडमिशन के लिए उसको लेजिबल होना चाहिये।

श्री बरकतुल्लाखां : अध्यक्ष महोदय, अब तक बदकिस्मती से मेडिकल कालेज में अंग्रेजी के अन्दर ही पढ़ाया जाता है तो जो बच्चे बच्चियां जिनका लेंग्वेज पर कमाण्ड नहीं होगा और जो अंग्रेजी में फेल हो गई हैं और उनको एडमिशन दे भी दिया तो आगे चलकर क्लास में वे कोप नहीं कर सकेंगे। यही डिफिकल्टी इन्जीनियरिंग कालेज में है। वहां अंग्रेजी को भी ठीक किया जाता है।

एक चीज यह। दूसरा एक स्थगन प्रस्ताव था टीचर्स के बारे में।

श्री रामकिशन : अंग्रेजी में फेल होने वालों का क्या हो रहा है ?

श्री बरकतुल्ला खां : आवेंगे, बचकर नहीं जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : अंग्रेजी पर ज्यादा सेंसि-टिव हैं माननीय सदस्य।

श्री बरकतुल्ला खां : टीचर्स के एपॉ-इन्टमेंट का ताल्लुक है। सरप्लस स्टाफ को एब्जॉर्ब करने का एक आर्डर निकाला था कि जो सरप्लस डिक्लेअर किये जावेंगे वे सारे डिपार्टमेंट में लिए जावेंगे इसलिए नया रिक्रूमेंट नहीं होना चाहिये। लेकिन चूंकि अब उम्र सरकारी सर्विस करने की 58 से 55 साल हो गई और बहुत से अध्यापक रिटायर हो गए इसलिए जहां तक एजूकेशन डिपार्टमेंट का ताल्लुक है उसे हटा लिया है और यह कह कर रोक दिया है कि तमाम वे व्यक्ति जो ट्रेण्ड हैं, एजूकेशन के

(श्री बरकतुल्ला खां)

अन्दर अध्यापक बनना चाहते हैं उनको मौका दिया जावे और गवर्नमेंट का सरप्लस स्टाफ है अगर वहां वे इस काबिल हैं कि उनमें से लिया जाय तो लिया जावे। जो जूनियर मोस्ट रिक्रूट हुए हैं उनको हटाकर उनकी जगह उनको ले लिया जावेगा। इसके बारे में सरकूलर इश्यू कर दिया गया है और यह ऑर्डर जिला पचायतों को भी भेज दिया गया है कि टीचर्स का एडमिशन बन्द नहीं किया जावे।

श्री रामकिशन : यह आर्डर कब किया ?

श्री मदनसिंह : आज से आठ रोज पहले तो नहीं किया।

श्री बरकतुल्ला खां : आज दिया है।

श्री रामकिशन : कुछ लोगों को पहले नियुक्तियां दे दीं पर एपॉइन्टमेन्ट रद्द कर दिया आपके पहले सरक्लूर के अनुसार तो क्या उनकी नियुक्तियां भी फिर से बहाल होंगी ?

श्री मथुरादास माथुर : एग्जामिन करेंगे।

श्री रामकिशन : ये तो आपको वैसे ही बहका रहे हैं। जिला कमेटियां बनी हुई हैं। उनके द्वारा पहले तो अध्यापकों की नियुक्तियां कर दी गई हैं उनको चालू रक्खें और नई नियुक्तियों पर पाबन्दी नहीं हो। नहीं तो इसके बिना जिला परिषद् में दिक्कत होगी।

श्री बरकतुल्ला खां : इसके अन्दर तीन चार डिपार्टमेंन्ट इन्वॉल्व थे। एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा जी. ए. डी. और तीसरा फाइनेन्स डिपार्टमेंट इसलिये इसको देखने में और ऑर्डर इश्यू करने में देर हो गई। आज तय करके ऑर्डर इश्यू किया जा रहा है कि तमाम वे लोग जो क्वालिफाइड टीचर थे उनको मौका दिया जावे और जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी मुझे ध्यान दिलाया है उस के बारे में आफ हैण्ड तो कुछ कह नहीं सकता, सरे दस्त कह नहीं सकता पर बातचीत करके जो सही रास्ता निकाल सकूंगा, निकालूंगा।

श्री खेतसिंह : मैं जानना चाहूंगा कि पंचायत समितियों में जो टीचर हैं उनमें से क्वालिफाइड को एब्जॉर्ब किया जावेगा। अब क्वालिफाइड क्या वे हैं जो मैट्रिकुलेट हैं या जो ट्रेण्ड हैं उनसे मतलब है ? एक क्वेश्चन।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि अभी विकास विभाग ने 800 ग्राम सेवकों को सरप्लस किया है। उनको टीचर्स में एब्जॉर्ब किया जावेगा।

तीसरा यह भी जानना चाहता हूं कि सरप्लस जो टीचर्स हैं और क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं वे कुछ जिलों में ही हैं बाकी जिलों में तो नहीं हैं। जिला परिषदों से मांग करेंगे जो हमारे जिले में उन लड़कों को लेकर

(श्री खेतसिंह)

टेम्परेरी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इन तीनों का ग्राप जबाब दे दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक ट्रेण्ड का ताल्लुक है जो एस० टी० सी० पास हैं उनको ट्रेन्ड माना जावेगा। जहां तक वी० एल. डबल्यू.ज. का ताल्लुक है जब तक एस. टी. सी. पास न करले वे ट्रेन्ड नहीं माने जावेंगे। जो क्वालिफाइड हैं वे एस. टी सी. कर लें उनको एजूकेशन डिपार्टमेन्ट में एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो ट्रेन्ड टीचर्स ग्रवेलेबल हैं उनके बारे में कोशिश करेंगे। जिन डिस्ट्रिक्ट में सरप्लस हैं वे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिये तैयार हैं बशर्ते वापिस ग्रलवर, भरतपुर से ग्राने के लिये तैयार नहीं हैं, फिर कहें कि म्युच्युग्रल ट्रान्सफर कर दें वह होगा नहीं। लिस्ट ग्राजाय जहां ट्रेण्ड टीचर्स ग्रवेलेबल नहीं हैं उनको लगा दिया जाय जिला परिषदें उनको भरती करलें।

श्री खेतसिंह : मन्त्री महोदय, ग्राप ऐसा कीजिये कि जहां ट्रेन्ड टीचर्स हैं ग्रौर ग्रनएम्प्लॉयड हैं उनको 15 दिन का नोटिस दीजिये। वे सर्विस सिलेक्शन कमीशन में एप्लाई कर दें। 15दिन के ग्रन्दर जिन-जिन की एप्लीकेशन ग्रा जाय उन्हें सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करके डेफिसिट जिलों में भेज दें। वरना तो चार महीने लग जावेंगे ग्रौर स्कूल बन्द हो जावेगें।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं माननीय सदस्य के सुझाव को मानता हूं ग्रौर मैं उस पर एक्शन ले लूंगा।

श्री रामकिशन : ग्रापने रूल्स बना रखे हैं। डिस्ट्रिक्टवाइज सिलेक्शन होता है। दरख्वास्तें लेते हैं। सिलेक्शन स्टेट के लिये कर रहे हैं। सरकार के पास पॉवर हो, जहां कहीं हो वहां वह उनको भेज दे। वरना सर्विस कमीशन कह देगा कि हमें पॉवर नहीं हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : इस पॉवर को सरकार हाथ में नहीं ले सकती है जो डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषदों को दिये गये हैं। सब को मालूम है कि कौन से इलाकों में ट्रेन्ड टीचर्स की कमी है। जनरली एडवरटाइज करके इनफॉर्म कर दें कि ग्राम तौर पर ट्रेन्ड टीचर्स की जगह खाली है वे जिला परिषद के लिये एप्लाई कर दें।

श्री रामकिशन : 230 टीचर्स जिला परिषदों ने लौटा दिये। सांचोर को भेजे उन्होंने लौटा दिये। एक्जीक्यूटिव ग्रॉर्डर या इस तरह की कोई व्यवस्था करें। हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं कह सकते कि जोधपुर चले जाइये, बाड़मेर चले जाइये। दो चार साल के लिए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी नहीं कर सकते। इसलिए यह स्टेट वाइज हो। बगैर योजना के ज्यादा स्कूल खोल दिये एक तरफ ट्रेन्ड टीचर्स बेकार हैं ग्रौर दूसरी तरफ मांग हो रही है।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : राजस्थान में यह बड़ा सवाल है। मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रेन्ड टीचर्स हर जिले में बैठे हुए हैं। ग्रलवर, भरतपुर में ज्यादा हो सकते हैं। एजूकेशन पर कट

(श्री रोशनलाल)

मोशन के समय भी मैंने निवेदन किया था। यह सवाल बड़ा भारी है। ट्रेन्ड टीचर्स 5 हजार बैठे हुये हैं और आपने कहा कि ग्राम सेवकों को भी एस. टी. सी. करायेंगे। ट्रेन्ड टीचर्स बैठे हुये हैं तो ग्राम सेवकों को कहां खपायेंगे ? भरतपुर के टीचर्स उदयपुर में भेजेंगे तो हमारा यह अनुभव है कि हमारे यहां रखा, एक साल नहीं रहे और ट्रांसफर की मांग करते हैं। 300 मील दूर नहीं रह सकते। किस डिस्ट्रिक्ट में कितने टीचर्स की जरूरत है यह देखिये। जरूरत है तो एस. टी. सी. कराइये वरना बन्द कीजिये। 200 जगह है और 450 एस. टी. सी. में भेजते हैं वे कहां रहेंगे ? एक बड़ी भारी समस्या राजस्थान में पैदा कर रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : सरप्लस ट्रेन्ड टीचर्स मिलते हैं तो जहां टीचर्स उपलब्ध नहीं हैं तो वहां भिजवा देते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि ट्रेन्ड टीचर्स का फायदा उन डिस्ट्रिक्ट्स को भी मिले जहां ट्रेन्ड टीचर्स नहीं हैं। यह हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि ब्लेन्केट रूल निकाल कर जिला परिषदों के नुमाइन्दे प्रतिनिधि पंचायत कमीशन के साथ बैठ कर लोकल एरिया का सिलेक्शन करे उस पॉवर को हम हाथ में नहीं लेना चाहते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर। आधे घन्टे की चर्चा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर जो पुरानी बस्ती के गर्ल्स स्कूल के अन्दर पांचवी, छठी कक्षा के बारे में है माननीय मन्त्री महोदय ने एक लाइन भी नहीं फरमाई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई स्थगन प्रस्ताव हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक उम्मीद करते हैं इस साल सरप्लस टीचर्स काफी मात्रा में एबजॉर्ब हो जावेंगे। काफी ट्रेन्ड टीचर्स 55 साल पर रिटायर हो चुके हैं।

श्री रामकिशन : रिटायरमेंट हुआ तो एजूकेशन डिपार्टमेंट से ज्यादा जावेंगे। शिक्षा विभाग को पाबन्द कर दें कि पंचायत समिति में जो सीनियर है ग्रेजुएट है उनको पंचायत समिति रिक्रूट करदे वरना दूसरे कर देंगे। पंचायत समितियों में रिटायरमेंट बहुत कम होगा और एजूकेशन डिपार्टमेंट में ज्यादा। जिला परिषदों में काफी सरप्लस बैठे हुए हैं। इन्सपेक्टर साहब को हिदायत होनी चाहिये कि नया रिक्रूटमेंट न करे। पंचायत समितियों में पहले काफी शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं उनको वे रिक्रूट कर लें वरना दिक्कतें पैदा हो जावेंगी।

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय सदस्य का सुझाव आया उसको फॉलो करेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे यह निवेदन करना है जैसा आपने फरमाया कि ग्राम सेवकों को ट्रेनिंग देकर स्कूलों में लेंगे। इसके लिए तो बधाई देता हूं कि बिना ट्रेनिंग नहीं भेज रहे है। क्या आखिर शिक्षा विभाग ही ऐसा बेकार का महकमा रह गया

[redacted]

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

है कि जहां पर दस दस साल से जो ग्राम सेवक हैं, पटवारी का काम करते हैं, जिनका शिक्षा से सम्बन्ध नहीं रहा है उनको वहां भेजें उनको तो एग्रीकल्चर में फील्ड मैन की जरूरत हो वहां भेजिये । शिक्षा विभाग में तो नया खून आने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव का जवाब पार्ट में दे रहे हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : टर्न बाई टर्न दे रहा हूं । बाढ़दार साहब का प्रस्ताव मिला नहीं । पांचवी, छठी कक्षा में लड़कियों के दाखिले के सिलसिले में है । मैं कहना भूल गया था । दाखिले में दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर कर रहे हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : 180 लड़कियों को बैठने की व्यवस्था करवा दें ।

श्री बरकतुल्ला खां : अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं । पिछले आने वाले पांच-सात दिनों में इस समस्या को हल कर लेंगे और भी समस्या रह जावेगी उसको हल कर लेंगे ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार ; मैं मंत्री महोदय को सारी स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं कि उसी स्कूल से पास होने वाली लड़कियों का उसी स्कूल में दाखला नहीं होता है तो यह एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है । इसके अन्दर आप दाखले की व्यवस्था कर देते हैं तो यह कोई ओब्लीगेशन या फेवर नहीं है उन लकड़ियों के साथ, बल्कि एज ए मेटर आफ राइट किसी इंस्टीट्यूशन से कोई बच्चा प्रमोट होता है तो उसे उसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलना चाहिए । दिक्कत यह हो गई है. और गर्ल्स के एडमिशन में दिक्कत इस कारण से आ रही है कि हैड मिस्ट्रेस ने कई बाहर की लड़कियों को तो पहले एडमिशन दे दिया और उस इंस्टीट्यूशन से जो लड़कियां पास हुईं या तो उनको एप्लीकेशन देने में डिले हो गई या प्रॉपर टाईम पर वे एप्लीकेशन नहीं दे सकीं इसलिए उनका एडमिशन नहीं हो सका और पहले ही स्थान भर गए । इसलिए अब इन लड़कियों के एडमिशन में दिक्कत आ रही है। जब लड़कियां पहले से ही उस इंस्टीटयूशन में पढ़ रही थीं तो उनको प्रिफरेंस दिया जाना चाहिए था । जिस इंस्टीट्यूशन से बच्चा पास होता है तो वहां एडमिशन के लिए फ्रेश एप्लीकेशन देने का प्रश्न ही नहीं आता है उनको तो ऑटोमेटिकली एडमिशन मिलना चाहिए ।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय सदस्य की बात से मैं जनरली एग्री करता हूं लेकिन अगर जिन लड़कियों ने एप्लाई नहीं किया है तो उनको दाखला कैसे मिल सकता था ?....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उनको तो एप्लाई करना ही नहीं पड़ता । एप्लाई करने का सवाल तो प्रमोटेड होने के बाद में आता ही नहीं है । उनको तो ऑटोमेटिक एडमिशन मिलना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लास्ट डेट से तो पहले ही एप्लाई कर दिया था लेकिन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैडमिस्ट्रेस ने प्रॉयोरिटि बाहर की लड़कियों को दे दी है जिससे कठिनाई खड़ी हो गई ।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य से बातचीत करके उनको पूरा सेटिस्फाई कर दूंगा और अगर कोई दिक्कत हुई तो सदन में हाजिर हो जाऊंगा, यह मैं यकीन दिलाता हूं ।

अब अलवर के बारे में जो एडमिशन की दिक्कत थी उसके बारे में–स्थगन प्रस्ताव है। मैं यह मानकर चलता हूं कि एडमिशन फार्म और प्रोस्पेक्टस रिवाइज करने की जरूरत है और इसके लिए मैं ऑर्डर कर रहा हूं कि प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फार्म्स जो भी हैं उनको रिवाईज किया जाय, और इनको ज्यादा रेशनल बनाया जाय। जिस तरह से दकियानूसी तरीके से अब तक चल रहे हैं उनको बदला जाय । इसके साथ-साथ मैं अर्ज कर दूं कि फुटनोट के बारे में जो कहा गया कि एप्लीकेशन के अन्दर एम. एल ऐज के दस्तखत नहीं मानते हैं तो उसके बारे में अर्ज करूं कि पेज छः में यह दिया हुआ है कि चाहे गजेटेड ऑफिसर के दस्तखत हों, चाहे सैकड क्लास मजिस्ट्रेट के साईन हों, चाहे किसी गजेटेड ऑफिसर या एम. एल. ए. के साइन हों, चाहे प्रधान या सरपंच के हों, तो इन सब दस्तखतों को माना जाएगा । इनके दस्तखत माने जायेंगे। जहां तक यह है कि एक गार्जियन की मृत्यु हो गई है तो उसके बाद में जब दूसरा गार्जियन बदला जाता है या किसी और वजह से गार्जियन बदला जाता है तो यह सेफगार्ड जरूर रखा गया है कि उसके अन्दर मजिस्ट्रेट का सर्टीफिकेट एक दफा जरूर होना चाहिए । क्योंकि यह भी हो सकता है कि एक बच्चा या बड़ा आदमी जब एडमिशन लेने जा रहा है तो उसके पिता की जगह एक गार्जियन लेता है और गार्जियन बदला जाय तो गार्जियन बदलते वक्त इस बात की जरूरत है कि सर्टीफिकेशन होना चाहिए । जहां तक गार्जियन की उपस्थिति का सवाल है एडमिशन के वक्त ....

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री महोदय, आप इसकी हार्डशिप का अन्दाज लगा रहे हैं कि मजिस्ट्रेट से सर्टीफिकेट लाने में कितनी कठिनाई होती है? Can they approach the Magistrate and obtain all these certificates? It is very hard on the students.

श्री बरकतुल्ला खां: माननीय अध्यक्ष महोदय फार्म्स और प्रोस्पेकटस को रेशनेलाईज करने के लिए मैं आदेश दे रहा हूं । मैं तो इस समय आज की जो स्थिति है वह बता रहा था । आगे के लिए तो मैं खुद इनको रेशनलाईज करा रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रश्न केवल फार्म्स और प्रोस्पेकटस को रेशनेलाईज करने का ही नहीं है, प्रश्न तो यह है कि गवर्नमेंट सोसायटी को बेसिकली डिसऑनेस्ट मान कर चलती है। सवाल इसमें एक आता है कि किसी सरपंच का सर्टीफिकेट हो जाय, सिटी मजिस्ट्रेट या

(श्री भैरोंसिह)

गजेटड ऑफिसर की मोहर लग जाय तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जायेगी। कोई इन्कम टैक्स देता है या नहीं देता है और इसका वह गलत सर्टिफिकेट देता है तो पैनल क्लोजेज के अन्दर वह सजा भुगतेगा। आज तो हालत यह है कि एक लड़के को एडमिशन लेने के लिये मजिस्ट्रेट के दस्तखत कराने पड़ते हैं। अपने गार्जियन को बताने के लिए किसी मजिस्ट्रेट या गजेटड ऑफिसर एम. एल. ए. या और किसी से दस्तखत कराने पड़ते हैं। वह इन्कम टैक्स पे करता है या नहीं इसके बारे में दस्तखत कराने पड़ते है। वह गरीब है या नहीं, उसको स्कालरशिप पाने का हक है या नहीं तो इसके लिए दस्तखत होने चाहिए। मैं निवेदन करूं कि न तो कोई एम. एल. ए. प्रत्येक बच्चे की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी रखता है, न किसी सिटी मजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर को जानकारी हो सकती हो सकती है कि यह गरीब है या अमीर है। ज्यादा से ज्यादा वह अपने सेटिस्फेकशन के लिए दो आदमियों की गवाही ले सकता है और गवाही लेने के बाद वह सर्टीफिकेट इश्यू कर देता है, लेकिन इस तरह की जो गवाहियां होती हैं वे भी कौन सी सही ही होती हैं ? इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता तो इस बात की है कि आप लड़कों पर और उनके अभिभावकों पर जिम्मेदारी डालें और अगर वे गलत सर्टिफिकेट देते हैं तो उनको दण्ड देने की व्यवस्था की जाय। आज हालत यह हो रही है कि एम. एल. एज के पास दस्तखत कराने के लिए गवर्नमेंट होस्टल और गवर्नमेंट क्वार्टर्स के अन्दर सुबह से शाम तक लड़कों की भीड़ लगी रहती है। अब कोई हरिजन हैं या शिड्यूल्ड कास्ट का है और उसके लिए एम. एल. ए. लिख देता है कि यह हरिजन है और दस्तखत कर देता है तो भी इतना ही काफी नहीं है। दस्तखत करने के बाद मोहर लगाइए।

अध्यक्ष महोदय, एक एम. एल. ए. अपने दस्तखत कर उसके नीचे सदस्य विधान सभा लिख देता है तो भी उसको मान्यता नहीं है जब तक कि उसके नीचे रबड़ की मोहर नहीं लग जाती। यह दो आने की रबड़ की मोहर नहीं लग जाती तब तक उसको मान्यता नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय लड़कों को इतनी अधिक परेशानी है कि जब तक किसी एम. एल. ए. के या गजेटेड ऑफिसर के या किसी मजिस्ट्रेट या सरपंच के दस्तखत उसके फार्म्स पर नहीं हो जाते उसको एडमिशन नहीं मिल सकता। तो इसलिए यह आवश्यक है कि यह जो तस्दीक कराने का प्रोविजन है इसको तो आउट राइटली आप रिजेक्ट कर दें। लड़के पर जिम्मेदारी आए, लड़के के अभिभावक पर जिम्मेदारी आवे, और अगर वह गलत सर्टिफिकेट देता है तो उसको दण्ड देने का प्रबन्ध हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां तक कि एक लड़के का माइग्रेशन सर्टिफिकेशन खो गया तो उस लड़के से कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट से तस्दीक कराओ कि तुम्हारा माईग्रेशन सर्टीफिकेट खो गया है। या किसी एम. एल.

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ए. से तस्दीक कराओं कि सर्टिफिकेट खो गया है। अब अगर एम. एल. ए. को मालूम हो जाय कि सर्टिफिकेट खो रहा है तो फिर उसको खोने ही क्यों दें? अगर सर्टिफिकेट खोते हुए देखलें तो खोने ही क्यों दें? ऐसे मामलों में भी जब तस्दीक मांगी जाती है तो कोई भी मजिस्ट्रेट या एम. एल. ए. सर्टिफिकेट देता है वह झूठा सर्टिफिकेट होता है। आखिर कोई भी कैसे जान सकता है कि वाकई सर्टिफिकेट खो ही गया है। अब अपने सेटिस्फेकशन के लिए गवाह मांगे जाते हैं तो गवाह भी कैसे जान सकते हैं कि वह खो ही गया है। तो जो भी इस तरह की तस्दीक होगी वह झूठी तस्दीक होगी और जो भी गवाह होंगे वे झूठे गवाह होंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हर साल लड़कों से यह सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि वह चमार है, जो लड़का दूसरी श्रेणी में पढ़ता है तो वहां भी वह चमार ही रहेगा और बी. ए. में जायेगा तो भी चमार ही रहेगा लेकिन हर साल एडमिशन के समय उससे सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि तुम चमार हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बच्चों की परेशानी तो वही जानें जिसके घर में खुद के बच्चे हों। मंत्रीजी के बच्चे हों तो उन्हें मालूम पड़े।

श्री बरकतुला खां : मैं सतीशजी के बच्चों को अपना ही बच्चा समझता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने और आपने भी शिक्षा पाई है। उस वक्त कभी किसी को तस्दीक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, किसी ऑफिसर के दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो कुछ भी अभिभावक लिखकर दे देते थे उसका सम्मान किया जाता था। यहां हम कोई किसी को प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, किसी को सम्पत्ति नहीं दे रहे हैं कि जिससे अगर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझ गए हैं वे।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): इसमें करप्शन भी बढ़ता है ....

श्री अध्यक्ष : करप्शन भी बढ़ता है यह भी इसमें आ गया।

श्री विजयसिंह रावत : मैं दो मिनिट लूंगा, अध्यक्ष महोदय। अजमेर का एक उदाहरण मेरे सामने आया है। एक लडका जो कि आठवीं का था वह तहसीलदार के पास दस्तखत कराने के लिए तहसील के अन्दर गया तो तहसील का जो चपरासी था उसने कहा कि दो रुपया दो तो मैं तुम्हारे फार्म को तहसीलदार के दस्तखतों के लिए सामने रखा दूंगा। इस प्रकार जब लड़कों को दो-दो चार-चार रुपये देने पड़े....

श्री अध्यक्ष : Scope for corruption.

श्री विजयसिंह रावत : इसमें करप्शन बढ़ता है, इसकी ओर आप ध्यान दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया कि इन फार्म्स को, प्रॉस्पेक्टस को रेशनेलाईज करने का आज ही ऑर्डर दिया है और इस पॉइन्ट पर आज जो तमाम माननीय सदस्यों ने इन सदन के सामने अपने विचार रखे हैं उनको दृष्टि में रखते हुए दरख्वास्त और एडमिशन फार्म्स के अन्दर निश्चित रूप से चेंज कर दिया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह : कब तक चेंज कर दिये जायेंगे?

श्री बरकतुल्ला खां : इस साल तो शायद सम्भव नहीं हो सकेगा, अगले साल से लागू करा देंगे।

श्री भैरोंसिंह : दिक्कत तो इस साल आ रही है और आप कह रहे हैं कि अगले साल से लागू करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, एम. एल. एल. के सामने भी इस समय बड़ी दिक्कत आ रही है। एम. एल. एज. के क्वाटर सुबह से शाम तक लड़कों से फ्लडेड रहते हैं। दिक्कत तो आज है और आप कहते हैं कि अगले साल इसका इन्तजाम कर देंगे। एक ऑर्डर इश्यू कर दीजिए कि किसी गजेटेड ऑफिसर, एम. एल. ए. या और किसी से तस्दीक कराने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर तो आज ही इश्यू कर दीजिए और बाकी मामलों को फिर देखते रहिये।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) ऑर्डर प्लीज। माननीय शिक्षा मन्त्री!

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मन्त्री पहले बच्चों की चिन्ता से मुक्त हों तब ही प्रश्न हो सकता है।

श्री रामकिशन : बार-बार बच्चों की बात क्यों कही जाती है? शादी हुए तो काफी दिन हो गये हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : फेमिली प्लानिंग का मुझे ख्याल है। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सारी तकलीफात को बताया और उनको दूर करने के लिए एक दम चला जाय तो ऐसा काम मैं नहीं करना चाहता हूं जो अधूरा रह जाय और फिर आपको तकलीफ हो। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा और समय लगा कर एक दफा में ही फाइनेलाइज करना अच्छा है।

अब मैं कहता हूं कि अंग्रेजी का सवाल आया है, माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार, प्लीज अंग्रेजी।

श्री बरकतुल्ला खां : आप और हम सब वाकिफ हैं....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी शिक्षा मन्त्री रहे हैं और आपने कठिनाइयां अनुभव की हैं, छात्रों की कठिनाइयां अनुभव की हैं तो माननीय मन्त्री महोदय

(श्री भैरोंसिंह)

को समझायेंगे कि जल्दी ही इस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं ले सकते हैं क्या ? इसमें जल्दी की खास बात है। आप आज बैठ जायं, कल बैठ जायं। फार्म आप चाहें तो मैं लाया हूं आप देख लें कि कितनी जगह गजेटेड ऑफिसर या एम. एल. एज. के दस्तखत कराने की आवश्यकता है। आप एक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दें कि कोई भी अभिभावक हस्ताक्षर करके कहता है तो उसको मान लेना चाहिये और किसी गजेटेड ऑफिसर के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं। बाकी की फार्मेलिटीज के बारे में आगे देख लेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : जैसा कि मैंने अर्ज किया कि एक दफा में ही समस्या को समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन कुछ फार्म रिसीव हो चुके हैं और अब उसके अन्दर सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि अगर चेन्ज करेंगे तो काफी लोगों ने दस्तखत करा लिये.......

श्री भैरोंसिंह : उनको तो फायदा मिल ही जायगा।

श्री अध्यक्ष : कराये जो होशियरी में रहेंगे और नहीं कराये वे भी होशियार हो जायेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : 90 फी सदी ने हस्ताक्षर करा लिये हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : तो क्या बुराई है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी, आप आज और कल इस समस्या को देख लें कि कहां तक बात होने वाली है। दूसरा अंग्रेजी के सम्बन्ध में।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक अंग्रेजी का ताल्लुक है आप और हम जानते हैं कि हिन्दी जो हमारे देश की मातृ भाषा बनी है, लिंक लैंग्वेज बनी है और हम यह भी जानते हैं कि हिन्दी को बढ़ाने के अन्दर राजस्थान ने काफी सारे कदम उठाये हैं, और राजस्थान हमेशा यह चाहेगा कि हिन्दी को अपना सही स्थान मिले और पूरे देश की भाषा बने लेकिन उसके साथ-साथ एक चीज का और भी खयाल रखना पड़ेगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर मातृ भाषा हिन्दी है इसलिए दूसरे प्रान्तों की तरह हमें वह तकलीफ नहीं होती है जहां मातृ भाषा भी पढ़ते हैं और अंग्रेजी भी पढ़ते हैं और हिन्दी भी पढ़ें। एक्चुअल प्रेक्टिस में कुछ लोगों को छोड़कर जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है उनको छोड़कर बाकी ज्यादातर लोगों की मातृ भाषा हिन्दी है इसलिए हमारी एक लैंग्वेज कम हो जाती है और उसकी जगह हम संस्कृत को ले लेते हैं जो हिन्दी के अन्दर हमारी मदद देती है। अंग्रेजी को बुरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अंग्रेजों की जबान थी, लेकिन मैं समझता हूं कि भाषा के अन्दर कोई खराबी नहीं होती है, वह तो सोचने वालों के अन्दर खराबी होती है। अंग्रेजी के अन्दर आजादी के बड़े-बड़े भाषण भी दिये गये। अंग्रेजी भाषणों के जरिये बाहरी दुनिया के अन्दर खबरें फैलीं कि हिन्दुस्तान आजादी लेना चाहता है। इसलिए

(श्री बरकतुल्ला खां)

मैं अंग्रेजी भाषा को बुरा नहीं मानता, अंग्रेजी भाषा को बुरा नहीं समझता।

श्री रामकिशन : भाषा के लिए थोड़े ही कहा है।

श्री बरकतुल्ला खां : Actually I am coming to that. I will explaine it.

इसके साथ-साथ जैसा कि मैंने एक्स्प्लेन किया देश के अन्दर बहुत से प्रान्त ऐसे हैं जो हिन्दी को नहीं जानते हैं। हिन्दी के अन्दर वहां पर पत्र-व्यवहार नहीं होता है। बहुत से प्रान्त ऐसे हैं जो आज अंग्रेजी के साथ लगे हुए हैं। देश की एकता को कायम रखने के लिए हम चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर और उनके अन्दर चाहे वे मद्रास के हों, चाहे वे केरल के हों, चाहे वे बंगाल के हों, चाहे वे आसाम के हों, उनसे हमारा सम्बन्ध रहना चाहिए। इसके अन्दर इस तरीके से अलग-अलग हो जायं कि ये तो हिन्दी वाले हैं और ये अंग्रेजी वाले हैं तो हमारे बीच में कोई सम्बन्ध नहीं रहता है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : तो सब अंग्रेजी वाले हो जायं ?

श्री बरकतुल्ला खां : हम कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेजी वालों को हिन्दी की तरफ ले जाया जाय। इस बात की कोशिश करना चाहिए, और केरल ने इस बात की कोशिश की है कि हिन्दी के अन्दर ज्यादा से ज्यादा लड़कों को पढ़ाया जाय। इसके साथ-साथ अपने यहां के लोकल रिज़ल्ट्स को आप देखें तो पता लगेगा कि सेकण्डरी के इम्तिहान का जो टेस्ट चैक करवाया तो उसके अन्दर अंग्रेजी की वजह से 8 पर्सेन्ट लड़के और लड़कियां सिर्फ अंग्रेजी की वजह से फैल हुए हैं। बाकी जो लोग फैल हुए हैं वे दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं। केवल अंग्रेजी की वजह से फैल होने वाले बच्चे सेकन्डरी के अन्दर 8 प्रतिशत हैं। उसी तरीके से....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पास हुओं का टोटल क्या है पर्सेन्टेज का ?

श्री बरकतुल्ला खां : पास पर्सेन्टेज रेग्युलर केन्डीडेट्स की 57-58 पर्सेन्ट है और प्राइवेट का है 20 पर्सेन्ट। ये सब अंग्रेजी में पास हुए हैं तभी तो पास हुए हैं। मैं समझता हूं कि हमारे प्रान्त के अन्दर जो यह एक ऐडेड सुविधा दी है कि हमारी मातृ भाषा हिन्दी है और अंग्रेजी को रखना चाहते हैं इसलिए नहीं कि अंग्रेजों के कोई गुलाम हों, इसलिए नहीं कि हिन्दी बोलते हुए शर्म आती है, बल्कि इसलिए कि हम समझते हैं कि आज जितनी भी ट्रेड और कॉमर्स की इन्स्टीट्यूशन्स हैं वे अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार करती हैं। आज कहीं भी चले जायं कोई भी व्यापारी चिट्ठी लिखता है मद्रास, बंगाल या बिहार वालों को तो वह अंग्रेजी में लिखता है। वहां से जो पत्र आता है वह अंग्रेजी में आता है। इधर हमारी हायर एज्यूकेशन बदकिस्मती से अभी तक इन्जीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज में मीडियम ऑफ इन्ट्रक्शन्स जो है

(श्री बरकतुल्ला खां)

वह इंग्लिश है । तो जो हायर एज्यूकेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। जिस रोज हम अपने आपको इतना डेवलप कर लेंगे तो अंग्रेजी से जरूरत से ज्यादा मोहब्बत नहीं हैं, जैसी और जबानों के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, जैसे फ्रेन्च, जर्मनी उसी तरह से अंग्रेजी जबान के साथ मोहब्बत है और रहेगी।

इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जो आज हिन्दी के अच्छे माहिर हों, जो हिन्दी को अच्छी तरह से जानते हैं वे अगर अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी के भी अच्छे लेखक होंगे, क्योंकि थाट पैटर्न तो वही का वही है। उसका एक्सप्रेशन एक मीडियम के जरिये रहता है। आज जो बच्चे अंग्रेजी में फैल हो गये हैं उनके पास करने का मतलब यह है कि कोई बच्चे किसी सबजेक्ट में फैल हो जाय और उसको उस तरीके से पास करते चले जायेंगे तो फिर इम्तिहान को कोई सीरियसली लेने वाला नहीं है। इसलिए अंग्रेजी के सम्बन्ध में जो सरकार की नीति है वह मैंने सदन के सामने रखी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यहां पर कारोबार की भाषा का कोई प्रश्न नहीं है। जब अंग्रेजी हिन्दुस्तान में नहीं थी तो आपस में लोगों का आदान-प्रदान कैसे होता था? इस दृष्टिकोण से क्या माननीय मन्त्री महोदय ने विचार किया है? इस प्रकार की दलील है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी को बच्चों की सी बात सुनकर बहुत ही हंसी आई क्रोध तो बिल्कुल नही आया, क्योंकि वे थोड़ा बहुत....

श्री अध्यक्ष : हंसी को भी रोकें।

श्री रामकिशन : उनको तकलीफ हुई है। उन्होंने वही तोता रटन्त जो 30 साल पहले कहानी सुनी थी वह दोहरा दी। मेरा प्रस्ताव यह था कि जो लोग अंग्रेजी में फैल हुए हैं उनको फैल नहीं माना जाय, और साथ-साथ मंत्री जी ने यह इत्तिला दी है कि इन्जीनियरिंग कालेज व मेडिकल कालेज मीडियम जो बनी हुई है वह अंग्रेजी बनी हुई है और यह प्रस्ताव भी इसीलिए लाया गया है कि अंग्रेजी को हटाया जाय। सरकार बात समझ नहीं पाती है, लेकिन हिन्दी के तीन प्रान्तों ने-बिहार सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश सरकार ने-घोषित कर दिया है कि अंग्रेजी में जो फेल हों उनको फैल नहीं माना जायगा। ये तीनों राज्य हिन्दी भाषा क्षेत्र हैं। माननीय मंत्री महोदय ने हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का विवाद खड़ा कर दिया। विवाद भाषा का नहीं है। विवाद इस बात का है कि भाषा का ज्ञान भले ही न हो पर विषय का ज्ञान हो सकता है, जिस सब्जेक्ट को लेना चाहता है उसका ज्ञान होगा। अंग्रेजी का ज्ञान होता है कि नहीं यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।

दूसरी बात यह है कि इस तरह से अंग्रेजी के माध्यम से जो लड़के पढ़ेंगे वे न तो अच्छे इन्जीनियर होंगे और न अच्छे डाक्टर ही। उनका सारा दिमाग तो विदेशी भाषा सीखने में ही खर्च हो जाता है। सब-

(श्री रामकिशन)

जेक्ट का ज्ञान प्राप्त करने में उनकी बुद्धि और प्रतिभा लगनी चाहिए वह नहीं लग पाती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि ज्ञान और प्रतिभा को बढ़ाने के लिए यह होना चाहिए कि अपनी मातृ भाषा के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए....

(1 म. प.)

तो मैं आपसे एक निवेदन तो यह करना चाहता हूं कि इस मामले में आप दुबारा विचार करें।

दूसरे आपने यह कहा कि हम मद्रास और ऐसे प्रदेशों से कैसे सम्बन्ध रखेंगे! मैं आपको बता दूं कि आपमें से दो तीन मन्त्री दुनियां के कुछ मुल्कों में घूम आये हैं, आपको मालूम होगा कि दुनियां में केवल पांच मुल्क ऐसे हैं जहां पर अंग्रेजी है- ब्रिटेन अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड....

श्री अध्यक्ष : आस्ट्रेलिया!

श्री रामकिशन : और ऐसा कौनसा देश है जहां पर अंग्रेजी है? अध्यक्ष महोदय मैंने चार मुल्क बता दिये और पांचवा छोड़ दिया, वह इसलिए कि आप आस्ट्रेलिया गये थे, मैंने सोचा यह पांचवा नाम आप बतादें। तो दुनियां में केवल पांच मुल्क ऐसे हैं जहां पर अंग्रेजी है। बाकी के 112 देश ऐसे हैं जहां पर अंग्रेजी नहीं है, फिर भी क्या वहां पर अच्छे साइन्टिस्ट नहीं निकलते हैं? क्या वहां पर अच्छे इन्जीनियर्स नहीं निकलते हैं? दो मुल्कों में तो लोग अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते लेकिन वहां के साईन्टिस्ट बहुत होशियार होते हैं, वह मुल्क हैं- रूस और जर्मनी। मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप इसको अंग्रेजी-हिन्दी का प्रश्न नहीं बनायें। वैसे हिन्दी का ज्ञान जरूरी है। अब तक जो अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई होती रही है उसके कारण ही आप इन्जीनियर्स और डाक्टर्स की कमी महसूस कर रहे हैं। इस सदन के अन्दर आये दिन यह जवाब दिया जाता है कि हमारे यहां डाक्टर्स और इन्जीनियर्स की कमी है। इसका कारण यही है कि हमारे यहां पर विदेशी भाषा के अन्दर शिक्षा दी जाती है और हमारे यहां के विद्यार्थी विदेशों से आने वाले साहित्य के कारण अपने ज्ञान और प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्ताव के द्वारा मैंने चाहा है कि आपका जो पुराना और गैर-क्रांतिकारी शिक्षा का तरीका है, जो आपने तोतारटन्त सीख रखी है और जो आपके परम्परा के संस्कार हैं-उनको आप अपने से दूर करें।

तीसरा प्रश्न इसमें यह है कि हमें अपने देश में पैसा भी बचाना है। आज जो भी लड़के-लड़कियां फैल हो जाती हैं, उनका पर्सेन्टेज कुछ भी हो आठ पर्सेन्ट हो, दस पर्सेन्ट हो- यह बात निश्चित है कि उनका समय बेकार जाता है। मैं समझता हूं, यह जरूरी नहीं है कि यदि कोई अंग्रेजी में फैल हो जाय तो वह साइन्स को जानने वाला नहीं होगा यदि कोई अंग्रेजी में फैल हो जाय तो वह गणित को जानने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं

(श्री रामकिशन)

निवेदन करूंगा कि ग्राप इस पर दुबारा विचार करें। वैसे भी ग्रब ग्रापके सामने ग्रापत्ति नहीं रही है क्योंकि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने ग्रापको रास्ता दिखा दिया है। मैं यह जानता हूं कि ग्राप नया रास्ता ग्रहण नहीं कर सकते हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : पर्याप्त है। श्री रामानन्द ग्रग्रवाल !

श्री रामकिशन : लेकिन ग्राप पीछे पीछे तो चल सकते हैं। इसलिए मैं ग्रापको निवेदन करूंगा कि ग्राप इस पर दुबारा विचार करें। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको ग्राप कल के लिए टाल दें या परसों के लिए टाल दें। ग्रापकी केबिनेट मीटिंग भी हो चुकी है ग्रौर ग्रौर उसमें ग्रापने विचार कर लिया होगा इसलिए ग्रापको ग्राज ही ग्रौर ग्रभी ही फैसला लेना है। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय को ग्रपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब समाप्त करें। श्री रामानन्द ग्रग्रवाल !

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया था उसमें इस बात को भी कहा था कि ग्राप ग्रंग्रेजी को ग्रनिवार्य न रखिये, ग्रौर इसको एक ऐच्छिक विषय बना दीजिये। माननीय मन्त्री जी ने जो ग्रपना भाषण दिया है, उस सारे से ऐसा ग्राभास लगता है कि जैसे हम चाहते हों कि ग्रंग्रेजी का बिल्कुल बायकाट कर दें ग्रौर ग्रपने सिलेबस से ग्रंग्रेजी को हटा दें। जितनी उपयोगिता ग्रंग्रेजी की है, या ग्रौर फॉरेन लेंग्वेज की उपयोगिता है उसके ग्रनुसार जो विद्यार्थी उसकी उपयोगिता का फायदा उठाना चाहेंगे वह उस विषय को लेकर उस में ही पढ़ेंगे। लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि किसी का दिमाग यदि इंगलिश के ग्रन्दर न चले तो उसका इस कारण से विकास रुक जायगा। यह जो मौजूदा प्रणाली शिक्षा की है इसको हटाना हमारे लिए ग्रनिवार्य है। ग्राज सेकन्डरी, हायर सेकन्डरी या ग्रेजुएट क्लासेज टी. डी. सी. ग्रादि—इनमें भी इंगलिश में फैल होने के कारण लाजिमी तौर पर विद्यार्थी फैल डिक्लेयर होते हैं उनको पास करने के लिए हमने ग्रापसे कहा है। ग्राज हिन्दुस्तान में तीन दूसरी स्टेटस हैं, जिनमें कांग्रेस सरकार भी एक में है, जो हिन्दी भाषी प्रान्त हैं उनमें इस प्रकार के सिस्टम को लागू कर दिया गया है, तो, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रब केवल राजस्थान ही ऐसा प्रान्त रह गया है हिन्दी भाषी स्टेट्स में जो इस बात की जिद्द कर रहा है कि यहां पर ग्रंग्रेजी को ग्रनिवार्य बनाये रख कर जो विद्यार्थी ग्रंग्रेजी में फैल होने वाले हैं उनको फैल डिक्लेयर कर दिया जायगा। वरना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में राजस्थान के ग्रलावा कोई भी ऐसा हिन्दी भाषी स्टेट नहीं रह गया है (समय समाप्ति-सूचक घंटी) जिसमें यह सिस्टम लागू न हुग्रा हो। मैं समझता हूं कि एकीकरण के नाते से भी ग्रापको चाहिए कि ग्राप इस स्टेप्स पर चलने की कोशिश करें ग्रौर दूसरी स्टेट्स के ग्रनुसार ग्राप भी लाजिमी तौर पर ऐसा निर्णय लें। ग्रौर यह कोई साधारण निर्णय नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री महोदय ।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने अर्ज किया था, उसके अन्दर एक चीज और मैं अर्ज कर दूं कि जो एक सब्जेक्ट के अन्दर फेल होने वाले हैं उनके सप्लीमेन्ट्री एक्जामिनेशन होते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में फेल होने वाले विद्यार्थी हैं उनके सप्लीमेन्ट्री एक्जामिनेशन होते हैं...........

श्री नत्थोसिंह)
)
श्री रामकिशन): वह तो हम जानते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां-दूसरी चीज यह है कि आल पार्टी मेम्बर्स की एक कमेटी पार्लियामेन्ट की बनी थी, जिसमें कोठारी कमीशन और एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट पर ध्यान दिया गया। वह भी इस निर्णय पर पहुंची कि दो लैंग्वेज के ऊपर जोर देना चाहिए। दो लैंग्वेज का मतलब था

(व्यवधान)

उन्होने इस तरफ ध्यान दिलाया था कि लैंग्वेज दो फार्मूला को मानना चाहिए........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर प्लीज ।

श्री बरकतुल्ला खां : एक मदर टंग, और दूसरी रीजनल लैंग्वेज और लिंक लैंग्वेज। राजस्थान के अन्दर मदर टंग हिन्दी है, अस्सी-नब्बे पर्सेंट हिन्दी भाषी हैं। तो कोठारी कमीशन को डिस्कस करते हुए पार्लियामेन्ट की तमाम पार्टी के मेम्बर्स ने माना है कि दो लैंग्वेज रहनी चाहिए....

श्री रामकिशन : एक तामिल रख लीजिये, दूसरी हिन्दी रख लीजिये। अंग्रेजी मत रखिये। तामिल रखिये इन्टेग्रेशन के लिए।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि सरकार की यह नीति है कि अंग्रेजी को कायम रखना चाहिए और उसको रख रहे हैं, और जो लडके लड़कियां अंग्रेजी में फेल हो जायं उनको पास होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते।

श्री भैरोंसिंह : बाकी की तीन स्टेट्स ने जब निर्णय ले लिया है, तो क्या उस निर्णय के सम्बन्ध में सरकार ने विचार किया है? उन्होंने जो निर्णय ले लिया है उससे भारत की एकता समाप्त हो जायगी क्या शिक्षा का स्तर गिर जायगा? भाषा के सम्बन्ध में जिस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, जिस प्रकार उनका विकास होना चाहिए क्या वह नहीं हो पायगा? इस सम्बन्ध में आपके क्या कमेन्ट हैं?

श्री बरकतुल्ला खां : दूसरी स्टेट्स के बारे में मैं राय नहीं देना चाहता हूं। इस विषय पर सब पहलुओं से विचार कर लिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

माध्यम से सवाल खड़ा किया गया है, मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय ने सही ढंग से उसे समझा नहीं है। प्रश्न इसका नहीं है। सवाल यह है कि कोई भाषा का झगड़ा खड़ा हो रहा हो, या राज्य भाषा क्या हो, या राष्ट्र की भाषा क्या हो–इस बारे में विवाद करने का प्रश्न विचारणीय नहीं है। प्रश्न इसमें केवल इतना सा है कि जो लड़के अंग्रेजी भाषा में फेल हुए हैं, उन लड़कों को जैसे उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार में पास घोषित किया गया है, क्योंकि इसमें भाषा के ज्ञान का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जिस विषय का ज्ञान उनको प्राप्त होना चाहिए, वह उन्होंने प्राप्त कर लिया है और उसके अन्दर अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण हुए हैं, और चूंकि राजस्थान एक हिंदी भाषा भाषी प्रान्त है इसलिए वह अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं और फेल हुए है। यह कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। इससे तो उल्टा स्ट्रांग केस बनता है कि अंग्रेजी में जो फेल विद्यार्थी हैं उनको पास घोषित किया जाय। जिन तीन स्टेट्स में यह सिद्धान्त लागू किया गया है, उनमें उत्तर प्रदेश और बिहार दो में गैर कांग्रेसी सरकार है इसलिए उन्होंने वहां लागू किया, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कांग्रेसी गवर्नमेन्ट है उन्होंने भी इस सिद्धान्त को लागू किया है, वह बड़ा भारी राज्य है तो राजस्थान की सरकार को इस विषय में कदम उठाने में क्या आपत्ति है? इसमें कोई भाषा झगड़ा खड़ा करने का सवाल नहीं है, यह तो इस प्रकार का सवाल है. (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) और इसलिए, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है............

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समझ लिया है मंत्री महोदय ने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके महत्व को उन्होंने समझा नहीं है। आप समझ गये हैं लेकिन वह नहीं समझे है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर देने का प्रश्न है। वे उन्होंने समझा है इसे गहराई से शुरू रखिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गहराई से तो समझ गये हैं लेकिन जवाब देने में वह टालमटोल कर कहे हैं।

श्री रामाकिशन : सवाल केवल मंत्री महोदय के समझने का नहीं है। सवाल सदन के समझने का है। मंत्रियों की तो बुद्धि मन्द होती है।

श्री अध्यक्ष : एक दो विशेषण और कह दीजिये। इससे क्या मतलब है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रश्न भावना का प्रश्न है। सवाल यह है कि राजस्थान सरकार को और मंत्री महोदय को जिस गहराई से इस पर विचार करना चाहिए, उस गहराई से उन्होंने विचार नहीं किया। यह प्रश्न सदन में यों ही खड़ा नहीं किया गया है, यह जान बूझ कर और सोच समझ कर किया गया है। राजस्थान एक हिन्दी भाषी प्रान्त होने के नाते जो आठ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर्सेन्ट लड़कों के फेल होने के आपने फिगर्स दिये हैं, जो अंग्रेजी में फेल हैं और जो इन्जीनियरिंग और मेडीकल कालेज में जाना चाहते थे उनके लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। विषय का ज्ञान होना तो जरुरी है लेकिन उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से विषय का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उसमें वह पास हैं। अब अंग्रेजी का ज्ञान कम भी रहे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और इसलिये अध्यक्ष महोदय मुझे इस बारे में पूरी तरह जागरूकता है कि आप इस विषय को जल्दी ही समाप्त करना चाहते हैं........

श्री अध्यक्ष : सदन के हित में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह राजस्थान के हित में है कि राजस्थान में अंग्रेजी का काला मुंह किया जाय, इससे अंग्रेजी में फेल होने वाले लड़कों को राहत दे सकते हैं, सदन राहत दे सकता है सरकार राहत नहीं देती तो हम इस बारे में बहुत मजबूती से महसूस करते हैं कि अंग्रेजी में फेल हुए विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार को पास घोषित करना चाहिये। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अंग्रेजी में फेल जो लड़के हैं उनको पास घोषित किया है। इसी तरह से राजस्थान सरकार को भी करना चाहिये। सदन के अनेक वर्गों से मन्त्रिमण्डल पर, सरकार पर दवाब डाला गया, तर्क दिये गये, आर्ग्यूमेंट दिये गये, आर्ग्यूमेंटस देने के बाद भी ऐसा लगता है कि सरकार इस जनहित के सवाल पर आंखें मूंद कर टालमटोल करना चाहती है। इस प्रकार का निर्णय राजस्थान के हित में है, राजस्थान के लड़कों के हित में है, राजस्थान के नागरिकों के हित में है, इस प्रकार के निर्णय से हमारे लड़कों का भविष्य सुधरेगा देश की एकता सुधरेगी, देश में आने वाली पीढ़ी राजभक्त हो सकेगी। इस बारे में मन्त्री महोदय इन तर्कों को सुनने को तैयार नहीं हैं, यह सरकार का गलत रवैया है। इस प्रकार का निर्णय लेना सरकार के हित में है, जनता के हित में है, राजस्थान के लड़कों के हित में है, इस बात को यह सरकार मानने को तैयार नहीं है। आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, तर्क नहीं। ऐसा लगता है कि आंख मींच कर केबिनेट ने फैसला कर दिया, उसे यह सरकार सदन से मनवाना चाहती है। ऐसे फैसले का हम टोकन विरोध प्रकट करने के लिये, सरकार की नीतियों के विरोध में, जो अंग्रेजी के सवाल पर सरकार की नीति है, अंग्रेजी में फेल हुए लड़कों को पास नहीं करने की नीति हिन्दी को बढ़ावा नहीं देने की नीति जो राजस्थान सरकार की नीति है, उससे विरोध प्रकट करने के लिये हम सदन से बहिर्गमन करते हैं, मैं माननीय विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा, विरोधी दल की और पार्टियों के नेताओं से निवेदन करूंगा कि यह राजस्थान की दो करोड़ जनता का सवाल है, उन्हें सरकार की इस नीति के विरोध में सदन से बहिर्गमन करना चाहिये। जनता पार्टी को करना चाहिये उन कांग्रेस वालों को सरकार की इस नीति के विरोध

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में सदन से बहिर्गमन करना चाहिये जो हिन्दी के प्रति प्रेम रखते हैं, जिन्हें हिन्दी के प्रति अनुराग है........

श्री अध्यक्ष : That will do.

That can be only an operative action.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : × × × मैं सदन से अपनी पार्टी के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और जनसंघ के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : No speech on a walk out.

श्री रामकिशन : यह तो हमारे दल का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सदन का प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : यह समस्या ऐसी है कि मैं इसमें असमंजस में पड़ गया हूं। केन्द्र का यह निर्णय है, टू लैंग्वेज फार्मूला दो भाषाओं का फार्मूला मैं मन्त्री महोदय का वकील नहीं बनना चाहता लेकिन यह तो अपनी अपनी विचारधारा से सम्बन्धित प्रश्न है। मेरे दल का इसमें विशेष दृष्टिकोण है और जैसा कि यहां कहा गया है कि राजस्थान की मातृभाषा हिन्दी है। अगर इस समस्या को देखें हम, और केन्द्र की नीति को देखें, टू लैंग्वेज फार्मूला को देखें तो मेरे ख्याल में अंग्रेजी का यहां होना कोई अभिशाप नहीं है। 8 परसेंट लड़के अंग्रेजी में फेल हुए हैं तो उनको अधिकार है कि सप्लीमेंटरी द्वारा इम्तिहान में शरीक हो सकते हैं पर राजस्थान के अन्दर अंग्रेजी को विशेष महत्व दिया जाय, मैं समझता हूं इसमें कोई राजस्थान का विशेष लाभ नहीं है और हमारे संयुक्त दल के माननीय सदस्य, संसोपा के नेता, जनसंघ के नेता, उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनके साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति हो सकती है, जब कि खास करके यहां मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया गया हालांकि हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि हम लकीर के फकीर बनकर, मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, उसका अन्धानुकरण करें, पर मध्य प्रदेश एक बड़ी स्टेट है वहां गैर कांग्रेसी सरकार नहीं है, मध्यप्रदेश की सरकार ने जो निर्णय लिया है वह तथ्यहीन नहीं है। वास्तविकता को देखते हुये मेरे ख्याल से मेरा दल जो विशेष विचारधारा रखता है इस विषय में, अन्य हमारे विरोधी पक्ष के दलों के सदस्यों के साथ सहानुभूति प्रकट करें और उनके साथ समान नीति अख्तियार करें तो अतिशयोक्ति नहीं है।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No. 95

श्री केदारनाथ : जो मेडिकल और इन्जीनियर कालेजेज में एडमिशन चाहते हैं और जिनको इंगलिश में सप्लीमेंटरी आ गई है.......

श्री अध्यक्ष : मैं यहां आपके बैठे रहने को ही वाक आउट मान लेता हूं।

श्री रामकिशन : आप भी जल्दी करते हैं।

श्री केदारनाथ : जिन लोगों के इंग्लिश में सप्लीमेंटरी आई है, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजेज में एडमिशन चाहते हैं, एडमिशन जौलाई में खत्म हो जाते हैं और सप्लीमेंटरी सेप्टेम्बर में होते हैं, तो ऐसी हालत में ऐसे लड़कों को कन्डीशनली एडमिट कर लिया जाय....

श्री अध्यक्ष : This will do.

(स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है तो वही रूप है जो राजस्थान में उन्होंने हिन्दी का रूप बनाया है,

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आ प्लीज Adhyaksha mahodaya is on leg.

श्री नत्थीसिंह : × × × मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर No discussion.

(संसोपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सम्बन्ध में हमारे दल की नीति....

श्री अध्यक्ष : सुविधा से वाक आउट कर जाइये....

There should be no statement before walk out. Any statement before walk out may be expunged.

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ऑर्डर।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इसके प्रोटेस्ट के रूप में सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर । आपका स्टेटमेंट रेकर्ड नहीं किया जाय ।

(श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री कालूराम निर्वाचन क्षेत्र सिवाना ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है तथा वे अब कांग्रेस दल के साथ बैठेंगे ।

(बहिर्गमन किये हुए कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पुनः प्रवेश व शेम शेम की ध्वनि)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : वाक आउट के प्रश्न पर कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(1.08 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 6 जून को जो मैंने एक प्रश्न किया था कि अमरपुर राठान पंचायत का जो गठन किया गया है वह बिल्कुल ही गलत है इसके उत्तर में सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया वह स्पष्ट नहीं दिया था । इसलिये मैंने इस सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा की मांग की है । मैं यह बता देना चाहता हूं कि अमरपुरा राठान सूरतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में है और उस पंचायत क्षेत्र में बसने वाले 18 गांव हैं, वहां यह पंचायत बनी हुई है । जब कि राजस्थान में ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसमें इतने गांव हों, इतनी बड़ी जन संख्या हो । जिसका उत्तर मन्त्री महोदय ने दिया उसमें कहा कि 1960 में वहां की जनसंख्या 1325 थी । वह बिल्कुल असत्य बात थी, उसको मैं प्रमाणों से सिद्ध कर देना चाहता हूं । अमरपुरा राठान पचायत क्षेत्र में 5 पोलिंग स्टेशन्स हैं, जिसकी यह पोलिंग लिस्ट है । 4944 वोट उस पंचायत क्षेत्र मे हैं यह वोटर लिस्ट मेरे हाथ में है । तो कैसे कहा जा सकता है कि वहां 1960 में 1325 जनसंख्या थी 10 गांवों की बजाय उस पंचायत क्षेत्र में 18 गांव हैं । पीली बंगा, काली बंगा और भी बड़े बड़े गांव हैं जिनकी जनसंख्या पन्द्रह सौ, पन्द्रह सौ की है । अमरपुरा राठान के नाम का कोई गांव भी वहां नहीं है । वहां पर मनफूलसिंहजी डिप्टी मिनिस्टर का चक है, इसलिये उनके अपने भाई बीरबल के प्रधान होते हुए इस पंचायत का गठन किया गया जो बिल्कुल नाजायज तरीके से, पार्टी बाजी के आधार पर किया गया है और वहां की जनता का आर्थिक शोषण करने के लिये व राजनैतिक शोषण करने के लिये वह पंचायत बनाई गई है । वह नाली का एरिया है, वहां हर साल बाढ़ आती है, लोग उस पंचायत से फायदा

(श्री रामचन्द्र आर्य)

नहीं उठा सकते। जिस प्रकार राजस्थान में पंचायत का पटवार हल्का एक ही माना गया है पर इस पचायत क्षेत्र में 4 पटवार हल्के हैं। मेरे पास वोटर्स लिस्ट है। एक पंचायत के अन्दर 4 पटवार सर्किल हैं और वहां 10 हजार की जनसंख्या है। इतनी बड़ी पचायत होने से मैंने प्रश्न पूछा था, उसका सही उत्तर नहीं दिया गया और टालमटोल की गई। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पचायत का दुबारा पुनर्गठन किया जाय और इस पंचायत में जितने गांव हैं उनमें कम से कम तीन पंचायतें हो सकती हैं। क्या कारण हैं कि आज प्रजातन्त्र में बीस गांवों की पंचायत बना ली गई ? और कोई गांव भी उस नाम का आबाद नहीं उस क्षेत्र में जहां गांव था वह बाढा बाहर से गांव बिल्कुल समाप्त हो गया कई साल हो गए, उनके नाम से पंचायत चलती है और फिर सदन में उसका गलत उत्तर दिया जाय कि माननीय सदस्य सही नहीं कह रहे हैं। मैं आपको प्रमाण के तौर पर 5 पोलिंग स्टेशन्स की सूचियां आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसकी जांच करवायें और इस पचायत का पुनर्गठन किया जाय ताकि लोगों को वहां हर तरह की सुविधा मिल सके। आज इस पंचायत राज्य में कोई भी गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। 10-15 हजार रुपयों का खर्चा किए बगैर क्योंकि वहां 12- 15-15 मील की दूरी पर गांव पड़ते हैं और नाली के पानी भर जाने से लोगों को मंडी से होकर जाना पड़ता है। एक गांव में सिर्फ मनफूलसिंहजी का भाई बीरबलसिंह रहता है। यदि आप इसको गलत समझते हैं तो जो मेरे पास वोटर्स लिस्ट है उसको आप खुद देख सकते हैं कि अमरपुरा राठान नाम का कोई गांव ही नहीं है। इस गांव के नाम से वहां जो पंचायत बनाई गई है, वह गलत बनाई गई है। इसलिए आपसे निवेदन है कि मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोगों के हकों को रक्षा करने के लिए इस पचायत का पुनर्गठन करना जरूरी है। पीलीबंगा की अलग पंचायत बनाई जाय। अमरपुरा राठान की कोई पचायत ही नहीं है। मैं पांचों पोलिंग स्टेशन्स की लिस्ट पेश करना चाहता हूं। इसकी जांच करा लिजिए। मनफूलसिंहजी के वहां होते हुए, उस सरकार का प्रतिनिधि होते हुए, किस प्रकार से लोगों को अपने अधिकार से वंचित रखकर गलत पंचायत बनाई गई है। उनके पंचायत समिति क्षेत्र में न मालूम किस प्रकार से उन्होंने पंचायतें गलत बना रखी हैं। इसकी जांच करानी चाहिए। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि किस प्रकार लोगों के अधिकारों का यह हनन कराना चाहते हैं और लोगों के साथ किस प्रकार से ज्यादतियां होती हैं। मैं अधिक नही कहना चाहूंगा। इन 5 पोलिंग स्टेशन्स के आधार पर आप कहीं भी मुझे बता दें कि राजस्थान में किसी पंचायत के अन्दर 5 पोलिंग स्टेशन्स हैं ? कोई बड़ा कस्बा हो तो मैं कह नहीं सकता लेकिन 18-20 गांवों को मिलाकर पचायत बनाई गई हो और उस क्षेत्र में 5 पोलिंग स्टेशन्स हों और 4944 वोटर्स हों। इस प्रकार राजस्थान की 2 करोड़ जनता में एक भी मिसाल पेश कर दें तो मैं मान लूंगा लेकिन इस प्रकार की

(श्री रामचन्द्र आर्य)

धांधलेबाजी इस राज्य में मैं समझता हूं कोई बड़ा काम नहीं है और आए दिन इस प्रकार की धांधलेबाजियां होती हैं और सूरतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में न मालूम कितनी गड़बड़ियां यह करते हैं जो आपके साथ बैठकर सरकार के प्रतिनिधि बने हुए हैं और वहां के जो गरीब लोग हैं उनका भला नहीं कर सकते इसलिए उनकी आवाज नहीं है। मैंने पूछा तो मन्त्रीजी ने गलत उत्तर दिया था। मैं अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि अमरपुरा राठान को जो पंचायत बनी हुई है उसकी जांच करायें और इस पंचायत का पुनर्गठन किया जाय। वे वोटर्स लिस्ट्स मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

(वोटर्स लिस्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने जो जवाब दिया था उस सम्बन्ध में अमरपुरा राठान पचायत के गठन और उसकी सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया है। जो 1312 की आबादी मैंने बता दी 6-7-67 को वह 1951 की जनसख्या के आधार पर थी और 1951 की जनसंख्या की जो गांवों की आबादी है आज भी मेरे पास है, प्रिन्टेड डाक्यूमेंट है। राजस्थान में जो पंचायत पैटर्न और सीमा निर्धारण हुआ था पुन: सीमा निर्धारण वह 1951 की जनसंख्या के आधार पर किया गया था 1960 में। जो 1312 की आबादी मैंने बताई वह 1951 की है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उस दिन 1966 बताया, आज 1951 कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह गलत लिखा गया है। मैंने कहा था कि 1960 में डिलिमिटेशन हुआ था। सभी जानते हैं कि 1966 में डिलिमिटेशन नहीं था। राजस्थान में पंचायतों का गठन और पुन: सीमा निर्धारण 1960 में हुआ था और 1960 में 1951 की जनसख्या के आधार पर हुआ था और 1951 में जो जनसंख्या हुई उसके अन्दर जो तीन पटवार सरकिल थे और इसके अन्दर 10 गांव थे उनकी आबादी 1312 है। माननीय सदस्य चाहें तो रेकार्ड देख सकते हैं, प्रिन्टेड रजिस्टर्स हैं, सदन की जानकारी के लिए दे सकता हूं।

माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न उठाया कि अमरपुरा राठान नाम का कोई गांव नहीं है, उसकी जनसंख्या नहीं है। 1951 के बाद 1961 में फिर मर्दुमशुमारी हुई और डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैंडबुक निकाली गई गंगानगर जिले की। इसके अन्दर अमरपुरा पटवार सर्किल के 33 नम्बर पर अमरपुरा ग्राम बताया गया है जिसकी आबादी 1216 बताई है। इसलिए यह कहना कि अमरपुरा राठान का कोई गांव नहीं है, सही नहीं है। माननीय सदस्य ने जो 18 नामों की लिस्ट दी है वास्तव में रेवेन्यू विलेजेज 10 हैं। उसके अलावा उसके अन्दर जो चक बने हुए हैं अलग अलग इरिगेशन की वजह से नई नहरें आ गई तो हजार हजार चक बना लिए, किसी का नाम एस. टी. जी. किसी का दूसरा नाम है। कई विलेजेज के अन्दर रेकार्ड तैयार करने के लिए और पानी की

(श्री परसराम मदेरणा)

सुविधा के लिए जहां एक नहर जा रही थी, उसको नहर का नाम देकर चक बना लिया। मैं डिनाई नहीं करता कि वह सख्या 18 होती है लेकिन पंचायत का जो गठन हुआ था वह 1951 की सेन्सस पर हुआ था। 1960 में पंचायतों का पुनः सीमा निर्धारण किया था और 1961 में दुबारा सेन्सस हुआ। 1312 की फिगर जो मैंने आपको उस दिन दी थी और जो सूचना मुझे विकास अधिकारी ने दी थी, वह मैंने आपको बतादी। इसमें जरूर यह बात है कि करीबन पांच हजार से ऊपर जनसख्या बढ़ी है। 6 हजार 67 की आबादी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह भी रिपोर्ट गलत है। मैंने आपको प्रमाणित वोटर्स लिस्ट दी है वहां के 4,944 वोटर्स हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय 1961 की सेन्सस से 6 हजार से ऊपर आबादी चली गई है। कॉलोनाइजेशन और चकबन्दी की वजह से वहां लोग बस गये। वोटर्स लिस्ट हरसाल रिवाइज होती है। पचायतों का गठन 1951 की सेन्सस को आधार मानकर किया गया था। उसके बाद आबादी में वृद्धि होना निहायत आवश्यक है।

माननीय सदस्य ने जो बात कही कि राजस्थान में एक पंचायत में पांच पोलिंग स्टेशन्स से अधिक हों तो मैं अपना प्रश्न वापिस ले लूं। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि लोहावट एक पंचायत है इस पंचायत में पोलिंग स्टेशन 6 हैं। तिनावा में 6 पोलिंग स्टेशन हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक से अधिक के लिये मैंने कहा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य चुपचाप मंत्री महोदय का भाषण सुनें। मंत्री महोदय के उत्तर के बाद आपको कोई शंका हो तो पूछ लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : क्योंकि पंचायतों का पुनर्गठन 1951 की सेन्सस को आधार मानकर किया गया है। उस एरिया के अन्दर नहरें निकल जाने के बाद चकबन्दी की वजह से आबादी बढ़ गई है इसमें दो राय नहीं है।

यहां पर केवल अमरपुरा पंचायत का पुनर्गठन का सवाल नहीं राज्य सरकार स्वयं यह महसूस करती है 1951 की सेन्सस के आधार पर जो डिलिमिटेशन किया गया वह रिवाइज होना चाहिये। यह प्रश्न तहसीलों के और पंचायत समितियों को टरमिनस का प्रश्न है उसके साथ यह जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार पंचायतों की सीमा निर्धारण करना चाहती है यह भी प्रश्न है कि जो पंचायतें बड़ी हों उनको छोटा किया जाय। कुल गांव मिलाकार एक गांव में जहां 1500 की आबादी है या कम है या पन्द्रह सौ से दो हजार के बीच की आबादी है या एक गांव की सीमा दूसरे से आकर मिलती है वैसी सब बातों को ध्यान में रखकर इसका पुनर्गठन होना चाहिये। जिस जनसंख्या को आधार मानकर ये बनायी गई उसको 16 साल का

(श्री परसराम मदेरणा)

समय होगया आबादी बढ़ गयी है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता ।

इसके अलावा आपके यहां की पंचायत समिति ने 15.3 67 को एक प्रस्ताव बना कर के भेजा था राज्य सरकार के पास राज्य सरकार ने 27.3.67 को वापिस लोटाया है इस आदेश के साथ कि पंचायतों के जो रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स की धारा 342 के अन्तर्गत कलेक्टर यह प्रोपोजल एग्जामिन करके विकास विभाग के पास भेजना चाहिये जो कमेटी पचायतों के डिलिमिटेशन के बारे में सन् 1960 में बनायी गई थी आज भी वह कायम है। पचायत एक्ट की धारा 86 के नीचे यह अधिकार है कि राज्य सरकार उस पंचायत समिति को पुनर्गठन कर सकती है और उसमें हेर फेर भी कर सकती है। इस कमेटी के तीन सदस्य हैं जिसके चेयरमेन बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमेन हैं। कलेक्टर द्वारा एग्जामिन होने के बाद रिपोर्ट आती है वह रिपोर्ट पुन: सीमा निर्धारण समिति के सामने जाती है जिसके अध्यक्ष रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन हैं। यह प्रश्न राजस्थान सरकार के विचाराधीन है यह सरकार की नीति सम्बन्धी प्रश्न है जब इस पर निर्णय होगा उसके बाद यह पंचायतों पर लागू होगा ।

इसके अलावा आपने जो अठारह गांवों की बात बतायी है वह भी गलत है इसमें रेवेन्यू के दस गांव ही है। चकबन्दी की वजह से पी० बी० एस० चक बन गए हैं पीली बंगा माइनर गांव वही है जो सेन्सस में दिया गया उसके भी चक बन गये आठ चक अलग बन गये। रेवेन्यू विलेजेज जो सन् 1961 में इन्क्लूडेड थे उसमें दस ही थे वही 1961 में थे और वही 51 में थे। अलग चक के बनने से उसको रेवेन्यू विलेज नहीं मानते। रेकर्ड आफ राइट्स चकबन्दी के आधार पर होने लगे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : पोलिंग स्टेशन्स हैं उसके आधार पर...

श्री उपाध्यक्ष : आप शान्त रहिये। बाद में आपको समय मिलेगा आप अपनी शंका का समाधान कर लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : पोलिंग स्टेशन लुठाणा और 29 एस० टी० जी० एक चक है। सूरतगढ़ ब्रान्च है उसके बाद बागासर और सालासर गांव हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन गांवों की आबादी के अनुसार बागासर रेवेन्यू विलेज था डिलिमिटेशन 1960 के तहत बागासर एक गांव था उस वक्त भी श्री रामासर गांव था। आबादी बढ़ी है जमीन का अलोटमेन्ट हो गया, नहरें आगयी इसके कारण निश्चित तौर से 1300 से ज्यादा आबादी बढ़ी है। 1961 की सेंसस से आबादी ज्यादा बढ़ गई है।

यह केवल एक ही पचायत के लिये नहीं बल्कि सारी पंचायतों के लिये निश्चित तौर से कहा जा सकता है जहां 1951 में पंद्रह सौ की जनसंख्या थी आज वहां दो हजार तो अवश्य मानकर चलना चाहिये तीन हजार तक भी बढ़ सकती है। कॉलोनाइजेशन और

(श्री परसराम मदेरणा)

लेन्ड अलॉटमेंट की वजह से आबादी बढ़ी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी पंचायतों का डिलिमिटेशन होना चाहिये। यह पंचायत समिति और तहसील के साथ जुड़ा हुआ है इसके बारे में जो निर्णय लिया जायगा वह पंचायतों पर लागू होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं मानता हूं आबादी बढ़ गई है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जिस गांव का मैंने जिक्र किया जिसकी आबादी 1325 बताई थी वह बढ़कर तीन हजार हो सकती है लेकिन किसी हालत में 6 हजार या दस हजार तक आबादी नहीं बढ़ सकती है आपने वहां पर इतनी जमीन नहीं दी है जिससे बाहर से आकर लोग भारी संख्या में बस गये हों।

मैंने आपसे अमरपुरा के लिये कहा था वहां सिर्फ एक घर आबाद है वह एक घर भी नाली आती है उस समय पानी के अन्दर हो जाती है। ऐसी हालत में वहां पर पंचायत रखने का क्या मतलब है। पीली बंगा वहां से तेरह मील एरिया में पड़ता है वहां 1500 से ज्यादा आबादी है वहां आप क्यों नहीं पंचायत बनाते ? ये दो मुद्दे हैं एक आप कहते हैं अमरपुर गांव है वह गांव नहीं है।

मैं आपको इसके अलावा पंचायतों के पुनर्गठन के बारे में आपने कहा है उसके लिये धन्यवाद देता हूं साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आप इस किस्म की जो पंचायतें बनी हैं उन पर आप विशेष ध्यान देंगे और पंचायतों का पुनर्गठन करते समय आप अमरपुरा राठान में पंचायत न रखी जाय। पीली बंगा और काली बंगा इन दो गांवों में पंचायत बनायें तो ठीक हो सकता है। अब रहा सवाल पटवार सर्किल का। इसमें तीन नहीं, चार हैं। यह मेरे को वोटर लिस्ट से मालूम पड़ा। मैं गांव में गया। लोगों से मिला। तो उन सबने कहा कि इस प्रकार की यह ज्यादती है। तब मैंने यहां निवेदन किया है। यह बड़ी खुशी की बात है कि पंचायत क्षेत्र को दुबारा बनाने के लिये कमेटी बनाई है। इसके लिये धन्यवाद है। पर यह मामला बड़ा विचित्र है कि दस हजार की संख्या वाली पंचायत बन गई पांच से छ: हजार तक की बन गई है। 10 हजार की जनसंख्या वहां आज भी मौजूद है। इस प्रकार का झूठ बोला जावे इस बात पर ध्यान देना चाहिये और जांच करवानी चाहिये और आइन्दा इस पंचायत के बारे में उन लोगों की शिकायत नहीं आनी चाहिये यह मैं उम्मीद करता हूं और इस मामले में आधे घंटे की चर्चा की है। क्योंकि यह मामला महत्वपूर्ण है और आपके उत्तर से सन्तोष नहीं हुआ। इसलिये सब रिकार्ड पेश किया है। सारी स्थिति बतलाई है। आशा है, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। इससे अधिक न कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक बात कह दूं। आप फरमा रहे हैं वह भी ठीक है और माननीय सदस्य फरमा रहे हैं वह भी ठीक है। आप 51 के आंकड़ों पर कह रहे हैं और वे 66 की लिस्ट पर कह रहे हैं। और इस तरह के इलाके में और नहरी क्षेत्र में आबादी बढ़ना स्वाभाविक भी है। जब पुनर्गठन होगा तो यह ठीक हो जावेगा। इससे माननीय सदस्य को सन्तोष है इसलिये कहूंगा कि इसके क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : एक जानकारी और चाहूंगा। कितने दिनों में यह पुनर्गठन की कार्यवाही पूरी हो जावेगी, इसमें समय कितना लगेगा ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आगामी पंचायत चुनावों से पहले तो हो जावेगा न ?

श्री परसराम मदेरणा : पंचायतों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में, जैसा मैंने निवेदन किया, रेजोल्यूशन पचायत समिति का आया उस पर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट जरूरी है 342 के अन्तर्गत। इसलिये उसे वापिस भेजा गया है कलेक्टर के पास कि वह एग्जामिन करके रिपोर्ट करें। उनके पास से रिपोर्ट आते ही डिलिमिटेशन कमीटी के पास भेज देंगे।

दूसरा रहा सवाल पंचायतों का, पंचायतों के चुनाव जल्दी होने वाले हैं। यह मामला आज तहसीलों के रि-आर्गनाइजेशन करने के साथ भी आया है। पंचायतों के पुनर्गठन का केस उस वक्त लिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जो सर्व श्री गंगासहाय, लादूराम सुलानिया डूंगाराम राजोरिया ने दिया था। पर वन मन्त्री जी आज उपस्थित नहीं हैं इसलिये इसे किसी और दिन ले लिया जावे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप इसके लिये एक तिथि निश्चित कर दें तो अच्छा रहेगा ताकि और भी दूसरे कार्य हैं उसमें एडजेस्ट हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : 18 तारीख से पहिले ले लिया जावेगा।

गैर सरकारी संकल्प। श्री रामकिशन।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव मेरा था उसका आज मन्त्री महोदय उत्तर देने वाले थे।

श्री उपाध्यक्ष : आज की विषय सूचि में यह नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आसन ने एड्जोर्नमेन्ट मोशन अस्वीकार करते हुए कहा था कि इस पर स्टेटमेन्ट देंगे और उस स्टेटमेंट की तारीख निश्चित नहीं की थी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : कोई अन्दाज तो मिले कि कल परसों, तरसों दो दिन में तीन दिन मे। आखिर कब ?

श्री उपाध्यक्ष : 12 तारीख को ।

श्री रामकिशन ।

(1.43 म.प.)।

सभी वयस्क बेरोजगारों को रोजगार दिलाने सम्बन्धी प्रशासकीय संकल्प

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है :

"इस सदन की राय में राज्य में स्थित सभी वयस्क बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा या तो रोजगार दिलाया जाना चाहिये या जीवन निर्वाह हेतु भत्ता दिया जाना चाहिये ।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी योजनाओं की असफलता की पराकाष्ठा है कि 20 साल के आयोजन के बाद हर योजना में रोजगार देने का लक्ष्य रक्खा पर उनसे हम पिछड़ते चले गये ।

और मैं माननीय श्रम मन्त्री जी, योजना मन्त्रीजी और राजस्थान और हिन्दुस्तान की सरकारों से जानना चाहूंगा कि जब आप इस तरह की योजनाएं बनाते हैं, उस समय आखिर आपके दिमागों में कौनसी बात होती है ?

एक तो जो खास तौर से आप यह कहते हैं कि हम फलां चीज इतनी अचीव करेंगे । साथ साथ आप हमेशा हर योजना में यह भी कहते हैं कि इतनी पूंजी के नियोजन के बाद हम इतने लोगों को रोजगार भी दे पावेंगे ।

पर उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की योजनाओं में पहली योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जितने लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य आपने रखा वह लक्ष्य हमने कभी पूरा नहीं किया बल्कि उससे आधे लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाये ।

तो इससे एक तथ्य तो समझ में आया है कि या तो यह श्रम और योजना विभाग अलग अलग या आपस में मिलकर भी कोई गम्भीरता से विचार नहीं करते या ये आंकड़े बढ़ाकर रक्खे जाते हैं या तीसरी बात जो मौलिक और जरूरी बात है, उनके इम्प्लीमेन्टेशन के तरीके गलत हैं ।

तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि केवल यह कह देना कि हम अकाल की वजह से रोजगार नहीं दे सकते या आबादी ज्यादा बढ़ जाने से हम रोजगार नहीं दे पाये सबको । अगर ऐसा जवाब आप देते है तो दुनियां की मूर्ख से मूर्ख सरकार भी ऐसा जवाब नहीं दे सकती ।

आपने 61 में तीसरी योजना बनाई थी । उस समय भी यह बात आपके सामने होनी चाहिये थी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही हिन्दुस्तान में कायम हैं और वे आबादी बढ़ायेंगे । यह कोई नई बात नहीं हुई कि 61 में स्त्री–पुरुष नहीं थे और हमें पता नहीं था कि बच्चे ज्यादा पैदा हो जावेंगे । योजना

(श्री रामकिशन)

बनाने के समय दिमाग में रखी तो जाती हैं ये बातें और आबादी भी इस कदर से बढ़ेगी यही नहीं बल्कि प्लान पीरियड में भी वह बढ़ेगी उसका भी ध्यान रखकर चला जाता है। पर यह सरकार ऐसी आई है कि जो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है, इन फैक्टरों पर वह सोच नहीं रही है । और बराबर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार और कांग्रेस तो आज दोनों जैसे जुड़वां भाई बहन ही हो गये हैं। इनका अन्त तो साथ साथ ही होना है। इस बारे में मुझे अधिक कहना नहीं है।

पर तीनों चीजों के निराकरण के लिए ये लोग सोचते क्या हैं यह देखना है। मैंने जब यह प्रस्ताव रखा तो मन्त्रीजी ने कहा कि यह क्या प्रस्ताव रखा। मुसकरा पड़े। आपको सभी चीजें हमारे मुस्कुराने की मिलती हैं। हमने जब कहा कि छः एकड़ का लगान माफ करो। तो सुखाड़िया जी साहब ने कहा यह सम्भव बात नहीं है। पर आज सम्भव हो गई। साबित हुआ कि छः एकड़ जमीन तक राजस्व लगाना गलत बात थी।

हमारे दल ने विशेषतौर से आन्दोलन और सत्याग्रह किया कि बड़े बूढ़े जो हो गये हैं और जिनके पास आमदनी का जरिया नहीं है, उनको पेन्शन दे सरकार। पहले पहल सदन में प्रस्ताव आया तो राजस्थान की सरकार ने कहा कि यह व्यवहारिक नहीं है। जरूरी भी नहीं है। पर आखिर में उनको वह बात भी माननी पड़ी। आज हम कहते हैं कि अंग्रेजी को हटा दो तो यह बात उनकी समझ में आज नहीं आती, पर साल दो साल बाद यह भी समझ में आ जावेगी।

तो आज चुनौती और चेतावनी यह भी देना चाहता हूं कि चाहे कोई सरकार हो, समाजवादी हो पूंजीवादी हो, साम्यवादी नहीं हो। पर घोर से घोर पूंजीवादी सरकार भी अपने नागरिकों को बेरोजगारी में नहीं छोड़ सकती। अमेरिका को देख लीजिये। इंगलैंड जैसा देश, जहां पूंजीवादी मिश्रित व्यवस्था का देश है, वह भी बेरोजगार नहीं रहने देती, वह भी बेरोजगार अगर कोई होता है या रह जाता है तो पहले तो काम पर लगाने की कोशिश करती है और जब तक काम पर नहीं लगता तो भत्ता देती है।

तो असल सवाल तो है रोजगार दिया जाय। तो वहां की सरकार ने भी नौजवान लोगों के लिए भत्ते का प्रबन्ध किया है। मैं जानता हूं हमारे श्रम मन्त्री जी का जवाब क्या होगा। वही पुराना रटा रटाया जवाब उनका होगा कि पैसा कहां से लावें ? गद्दी पर हम जब आवेंगे तब सब पैसा निकाल देंगे। आज इनको पैसा नहीं दीख रहा है, गद्दी ही दीख रही है। फिर हम से ही इलाज भी पूछते हैं। पर आज इस सरकार की बुद्धि इस दिशा में नहीं जा रही है कि पैसा कहां से आयेगा, कितने पैसे की जरूरत होगी ? फिर बेरोजगार भी हैं कितने दरअसल में ? यह भी पता नहीं है आज तो इस सरकार को

श्री रामकिशन)

पूरी तरह से । मैं पूछना चाहूं तो आज भी नहीं बता सकते कि कितने बेरोजगार हैं ।

सरकार की जितनी आंकड़ो की किताबें हैं चाहे वह आंकड़े विभाग के हों, श्रम विभाग के हों, या योजना विभाग के हों, सबमें आंकड़े गलत हैं एक दूसरे से मिलते नहीं । तीसरी योजना की प्रगति रिपोर्ट है, चौथी योजना की प्रगति रिपोर्ट है आप इन सबको पढ़ेंगे तो अलग 2 आंकड़े मिलेंगे इन सब में । मेरा जैसा आदमी जो हर वक्त किताबों के नजदीक रहता है वह भी इन किताबों को देखकर चक्कर में पड़ जाता है कि वास्तव में सही संख्या क्या है ? चार किताबों में चार अलग अलग संख्या दे रक्खी है । पर जो संख्या अन्त में सेम्पल सर्वे की रिपोर्ट प्रकाशित करते वक्त दी है उसे ज्यादा प्रमाणिक मान लेता हूं । तो पूछना चाहूंगा कि आपकी योजनाओं का क्या हुआ ? मैं पहली योजना की बात छोड़ देता हूं । दूसरी योजना की बात भी छोड़ देता हूं । तीसरी योजना में, उपाध्यक्ष महोदय सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 8 लाख को रोजगार देंगे । लेकिन तीसरी योजना जिस समय बनी 61 में उस समय राज्य में कितने बेरोजगार थे? इसके बारे में उल्लेख रिपोर्ट में नदारत । एक कहता है 72 हजार, श्रम विभाग की रिपोर्ट कहती है 8 हजार, और नेशनल सेम्पल सर्वे को 16 वीं रिपोर्ट कहती है 164 हजार लोग बेरोजगार थे ।

तो मैं समझता हूं कि वह ठीक है । मैं उसी को आधार मान लेता हूं । 164 हजार तीसरी योजना शुरू होने पर थे । राजस्थान सरकार ने 8 लाख को काम देने का लक्ष्य रखा था । सरकार ने असली तथ्य ध्यान में नहीं रखा । 8 लाख की संख्या तो निर्धारित करदी । सन् 61 से 66 तक सक्रियता की तरफ बढ़ेंगे इसका दूसरी तसरी योजना में कोई जिक्र नहीं है । सरकार को यह अनुमान लगाना चाहिये था कि पिछले बेरोजगारों की संख्या है वह रहेगी । पांच वर्ष में जब वयस्क होंगे उनका कोई जिक्र नहीं है । न तीसरी योजना में और न चौथी योजना के प्रारूप में । राजस्थान सरकार ने आर्थिक सर्वे कराया है उसके अनुसार सन् 61 से 67 तक 20 लाख ऐसे लोगों की संख्या होने वाली थी जिनको रोजगार की आवश्यकता थी । 61 से 67 तक कम से कम 12. 13 लाख वयस्क हो चुके हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता है । मैं श्रम मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आंकड़ा विभाग से सामन्जस्य बिठा कर कम से कम विधान सभा के सदस्यों को मूर्ख न समझें, आपकी जिम्मेदारी है सही मेटीरियल उनको पहुंचे । ऐसे आंकड़े पहुंचे कैसे ? मन्त्री जी का जहां तक सवाल है पढ़ने लिखने की तो क्या बात, है कांग्रेस वाले ट्रान्सफर पोस्टिंग के लिए घूमते-फिरते हैं और वे उनके ट्रान्सफर पोस्टिंग में रहते हैं । लेकिन इस प्रकार की कोई घटना राज्य के श्रम मन्त्री, योजना मन्त्री द्वार सोवियत रूस में हो गई होती तो वह सेन्ट्रल जेल में नजर आता । उनका फर्ज होता है कि वह यह देखें कि जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं वह क्यों नहीं अचीव हो पाये । हिन्दुस्तान ऐसा मुल्क है कि जहां विरोधी

(श्री रामकिशन)

दल ही न इतने सशक्त हो पाये हैं और न सरकार ही ऐसी हो पायी है कि जो वायदे टैक्स लगाते समय जनता से किये थे उनको वह निबाह सके। मैं इस वक्त बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। राजस्थान में नया काम चाहने वाले 14 लाख ले लीजिये। तीसरी योजना में 5 लाख 53 हजार को रोजगार दे पाये हैं, 8 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी प्रकारका रोजगार नहीं है। रोजगार की तलाश में सड़कों पर, शहरों में, गांवों में, एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज के दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं। 8 लाख लोगों की रोजी का क्या इन्तजाम है ? सरकार ने जबाब शानदार दिया। ऐसी कोई दूसरी सरकार नहीं देतो। चौथी योजना के प्रारूप में सरकार ने लिखा है कि चौथी योजना और पांचवी योजना में बेरोजगारी को समाप्त करना सम्भव नहीं होगा। 8 लाख तो घूमेंगे बेकार और पांचवीं योजना में32 लाख ऐसे बेकार और बेरोजगार हो जावेंगे जो रोजगार के लिये घूमेंगे। सरकार कहती है कि उनके लिये सम्भव होगा ही नहीं। आपका तरीका क्या है ? सम्भव नहीं होगा तो योजना बनाने से क्या मतलब ? योजना इसीलिये बनायी जाती है कि उत्पादन बढ़े और रोजगार मिले। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा रोजगार मिलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। दोनों चीजें मिली हुई हैं। सरकार की नीति क्या है यह मैं श्रम मन्त्री जी सेजानना चाहूंगा। 8 8।। लाख लोग आज के दिन बेरोजगार हैं उनके लिए रोजी-रोटीका क्या प्रबन्ध है ? हमारी मांग है आप इनको रोजगार दीजिये। उनको मन्त्री पद नहीं चाहिये, डाइरेक्टर का पद नहीं चाहिये, उनके लिये सूखी और खुश्क रोटी का इन्तजाम चाहिये जिसे इस सरकार को करना चाहिये। यह सरकार की जिम्मेदारी है। यह संविधान, वचन भंग और देशद्रोह है। संविधान में हमने यह कहा है कि चौथी योजना तक बेरोजगारी हम समाप्त कर देंगे। राजस्थान सरकार ही नहीं हिन्दुस्तान की सरकार ने तीसरी योजना में 1 लाख 20 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा था लेकिन 70 हजार को हो दे पाये। राजस्थान की ही यह हालत नहीं है हिन्दुस्तान की यह हालत है। हमारी सरकार बगैर योजना और लक्ष्य के चल रही है।

आबादी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके लिए राजस्थान सरकार और हिन्दुस्थान की सरकार परिवार नियोजन और दूसरे कार्यक्रम चला रही है उसके लिये बधाई की पात्र है क्योंकि कोई दुनियां की सरकार बढ़ी हुई आबादी और बेरोजगारी को रोजी रोटी नहीं दे सकती। एक तरफ सरकार परिवार नियोजन की बात करती है रोजगार देती नहीं है, आबादी कम हो। लेकिन दूसरी सरकारों की गलत चीजों की नकल करती चली जा रही है और उससे आबादी घटने के बजाय बढ़ रही है। देश के नागरिकों का फर्ज है कि इस बढ़ती हुई आबादी की समस्या को गम्भीरता से सोचें।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आप जानते हैं परिवार नियोजन तो बिना मनुष्य की साइकोलोजी को समझे चलाया जा रहा है।

(श्री रामकिशन)

मनुष्य की भावना क्या है. क्या वह सोचता है उसको बिना सोचे जो यूरोप ने शुरू कर दिया उसको राजस्थान और दिल्ली ने स्वीकार कर लिया। मैं पुरानी व्यवस्थाओं का समर्थक नहीं हूं। पुराना सनातनी, बाल बढ़ाओ, आदि वैसा भी नहीं हूं। नये जमाने का व्यक्ति हूं। लेकिन सत्य को जरूर मानता हूं। एक तरफ सरकार कहती है कि परिवार नहीं बढ़ने चाहिये। बीस वर्ष पहले अंग्रेजों के टाइम में भी इस प्रकार का उत्तेजक वातावरण नहीं था। बीस वर्ष की आजादी में राजस्थान सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि परिवार नियोजन की बात करने वाली सरकार ने सारे देश में सेक्स का वातावरण क्यों पैदा कर दिया है? हर दिवार पर, सिनेमाघर के सामने चले जाइये, नौ जवान और नवयुवतियों के फोटो। औरत आ रही है प्यार किया जा रहा है। सड़कों पर प्यार किया जा रहा है तो घरों में क्या अन्जाम होगा उसका? विदेश के अन्दर भी सिनेमा हैं, सेक्स है। स्त्री और पुरुष हैं लेकिन हर छविगृह में सामाजिक उद्देश्य है। लेकिन हमारे देश में जानबूझ कर नौ जवान और नवयुवतियों को इस ओर बढ़ा रहे हैं जिसके कारण परिवार नियोजन का जो परिणाम होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। परिवार नियोजन का परिणाम जो होना चाहिये वह उसके विपरीत हो रहा है। इसके लिये मैं राजस्थान सरकार को दोष नहीं देता। दिल्ली सरकार से आपके द्वारा कहना है। महावीर त्यागी ने कांग्रेस की बैठक में कहा था कि बीस वर्ष के कांग्रेस के राज्य में कोई ऐसी बढ़िया फिल्म नहीं बनी जो सामाजिक उद्देश्य को लेकर बनी हो। आप चल चित्र में पश्चिमी सभ्यता का नंगा प्रदर्शन करें जिससे नौजवान और नवयुवतियां परिवार नियोजन की ओर न बढ़कर परिवार बढ़ाने की ओर बढ़ते हैं और फिर आप आशा करते हैं कि देश की आबादी न बढ़े यह संभव नहीं है। श्रम मंत्री जी यह आपके ध्यान में नहीं आवेगा। आप तो दिल्ली सरकार का जैसा हुक्म होगा वैसा ही करेंगे। राजस्थान सरकार तो वैसे ही है जिस प्रकार कलैक्टर हुक्म देता है तो पटवारी बजा देता है। पटवारी यह नहीं पूछता है कि यह हुक्म दिया है वह कैसे है। इसलिये राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि पटवारी वाली वृत्ति को वह खत्म करे और जो स्थिति है उस ओर दिल्ली सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कदम उठाये। आबादी के बढ़ने का मानवीय पहलू है। भौतिक पहलू से काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि दुनियां मे दो ही काम ऐसे हैं जिनमें मनुष्य पूरे मनोयोग से, पूरी तरह से संलग्न है। या तो आबादी को बढ़ाने में या ब्रह्म प्राप्ति में। मैं तो कोई ब्रह्मवादी नहीं हूं, मैं इसको नहीं जानता कि हर एक आज ब्रह्मवादी ही नहीं ब्रह्म में लीन होने वाला ही है। एक साधारण नागरिक की हैसियत से इस बात को जब मैं सोचता हूं कि आखिर इसमें कारण क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई फिल्में देखने नहीं जाता लेकिन अभी यहां पर एक अंग्रेजी फिल्म लगी है "डार्लिंग"! मैं उसे देखने भीतर तो नहीं गया लेकिन मैंने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। मैंने यह जानने

(श्री रामकिशन)

कोशिश की है कि उसका सामाजिक उद्देश्य क्या है। लेकिन हमारे देश की हालत तो यह है कि हम सामाजिक उद्देश्यों की ओर कभी सोचते ही नहीं हैं, उनका नैतिक आधार क्या है उसकी ओर ध्यान नहीं देते और जो साधन हमारे सामने चल रहे हैं उससे हम बच नहीं सकते।

मैं समझता हूं कि इस वक्त इतना ही कह कर कि आबादी बढ़ गई है यह कह कर बचकर निकल नहीं सकते। मैं यह मानता हूं कि आजकी बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यह आबादी है लेकिन इसके अलावा भी दूसरे बहुत से कारण हैं और उन कारणों को हम नजरन्दाज नहीं कर सकते। उन कारणों में एक कारण तो यह है कि हमारे देश में जाति प्रथा है, छुआछूत है और इनकी वजह से राजस्थान और हिन्दुस्तान की 25 प्रतिशत आबादी ऐसी है जिसको हिकारत की नजर से देखा जाता है। इन बातों की वजह से ही आज जो पुश्तैनी काम है वह लोग करते नहीं है। हरिजन के बच्चे का काम सफाई करने का है या जितने चमार हैं उनका काम चमड़े का ही है, या लुहार के बच्चे का काम लुहारी करना ही है। जो बढ़ई का बच्चा है तो वह बढ़ईगिरी का काम करे। इस तरह की जाति प्रथा की वजह से आज लोग अपना पुश्तैनी धन्धा छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि उनके पढ़े लिखे बच्चे उस धन्धे को अपनाना नहीं चाहते। इसके लिए स्वयं राजस्थान सरकार जिम्मेदार है, हमारी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है। क्योंकि इस पेशे को आज नफरत की नजर से देखा जाता है। उन लोगों को अपने धन्धे की ओर किस प्रकार डाईवर्ट करें इस ओर राजस्थान सरकार को सोचना पड़ेगा। इसके सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि जैसे हरिजन के लड़के से हम उम्मीद करते हैं कि वह सफाई का काम करे या चमार का लड़का चमड़े का काम करे तो हमें कुछ इस तरह से प्रावधान करना पड़ेगा कि जो मेहतर का काम, फ्लश साफ करने का काम वह करता है तो एक तरफ मास्टर को जो सौ रुपया महीना मिलता है तो उसके मुकाबले में सफाई करने वाले को अगर हम ढाई सौ रुपया दे दें तो आज की जिस प्रकार की स्थिति है उसमें हरिजन का बच्चा तो क्या बहुत से ब्राह्मणों के बच्चे फ्लश साफ करने को तैयार हो जायेंगे। जब इस तरह से हम सामाजिक व्यवस्था बदलेंगे और लोगों को पृथक्2 धन्धों में लगायेंगे तभी जाकर हम बेरोजगारी की समस्या हल कर सकेंगे और जो धन्धे के प्रति हिकारत की भावना है, छूआछूत और जाति-पांति की भावना है उस भावना को जब हम बदलेंगे तभी जाकर इसका अन्त होगा। जब आप इस तरह से सोचेंगे तभी जाकर आप देश का और समाज का भला कर सकेंगे। लेकिन आपको तो इन सब बातों को सोचने की फुरसत कहां है, आपको अवकाश कहां है कि इन बातों पर विचार करें। आप तो यही सोचते हैं कि एक कालूराम कांग्रेस में मिल गया और एक परसराम मिलगया, भूतराम मिल गया, राजीसिंह को तोड़ लिया। आपमें इतनी बुद्धि कहां है, इतनी समझ कहां है। इतना आप में धैर्य और विवेक कहां है? आप तो राज के भोग में व्यवस्त हैं. यह ठीक

(श्री रामकिशन)

है कि जो राज करता है वह राज को भोगता भी है लेकिन इसके साथ साथ आपके दूसरे दायित्व भी हैं, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है और उन जिम्मेदारियों को इस तरह से आप यदि पूरा नहीं करते हैं तो फिर आप राजस्थान का भला नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए आपको सामाजिक वातावरण को बदलना ही होगा। तो मेरी दृष्टि में एक कारण तो बेरोजगारी का यह है।

दूसरा कारण मैं यह समझता हूं कि हमारे इलाकों का शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। गांवों से शहरों की ओर लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो बेराजगारी के कारणों में एक कारण तो आबादी बढ़ने का है, दूसरा कारण धन्धों को छोड़ने का है और तीसरा कारण शहरीकरण का है। अब शहरीकरण को तो कम से कम राजस्थान सरकार रोक सकती है। मैं मानता हूं कि कारखाने तो कोटा में ही खुलेंगे या कारखाने जयपुर में ही खुलेंगे लेकिन गांवों में जो असुविधायें हैं उनका तरफ राजस्थान सरकार का ध्यान होता तो यह शहरीकरण रुक सकता था। तो यह शहरीकरण की जो रफ्तार आप देखते हैं इस देश के अन्दर तो राजस्थान में सबसे ज्यादा शहरीकरण हो रहा है। यह आबादी जो शहरों में बढ़ रही है तो इसका कारण यह है कि लोगों को गांवों में मोह नहीं है गांवों में लोगों को न्याय नहीं मिलता है, गांवों के प्रति लोगों का आकर्षण नहीं है। लोगों को गांवों के प्रति कैसे आकर्शित करें, गांवों के प्रति कैसे मोह पैदा करें कैसे निष्ठा पैदा करें उनमें इस ओर आपको सोचना होगा। अगर सरकार इसके लिए सुझाव लेना चाहे तो एक दो नहीं, चाहे जितने सुझाव दिए जा सकते हैं लेकिन मैं उन सुझावों को यहां सदन में दोहराना नहीं चाहता लेकिन यदि आप उनको सुनना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप कन्सट्रक्टिव वे में इन पर सोचें तो आप देश का भला कर सकते हैं और राजस्थान स्टेट के लिए भी कुछ कर सकते हैं।

एक तीसरा कारण जो सब से बड़ा कारण मैं मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, और जिससे आप भी सहमत होंगे कि इस बेरोजगारी की समस्या को समझने से पहले आपको राजस्थान की तस्वीर को समझना होगा कि राजस्थान की तस्वीकर क्या है। राजस्थान का पूर्वी जिला सबसे घना बसा हुआ है। जैसे भरतपुर, अलवर सवाई माधोपुर में प्रति वर्ग जितनी आबादी है सारे राजस्थान में उस लेवल पर आबादी नहीं है। आप राजनैतिक कारणों को छोड़ दें तो भी आप देखेंगे कि जहां आबादी सबसे ज्यादा है वहां आपका प्रति व्यक्ति नियोजन सबसे कम है। अब अच्छा कोई नियोजक होता, अच्छा कोई योजना कार होता तो वह समझ सकता था कि बेरोजगारी का असली कारण क्या है? जहां पर आबादी ज्यादा है वहां ज्यादा काम देते वहां पर ज्यादा पैसा योजनाओं में खर्च किया जाता तो इससे जहां लोगों को पूरा रोजगार मिलता वहां स्टेट की वेल्थ में भी वृद्धि होती। जहां आबादी कम है वहां दूसरे ढग से नियोजन किया जा सकता था।

(श्री रामकिशन)

लेकिन चाहे राजनैतिक कारणों से हो चाहे अन्य कारणों से हो, पूर्वी राजस्थान में सारे राजस्थान की आबादी से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक आबादी है । राजस्थान के क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा ही पूर्वी राजस्थान में है लेकिन यहां की आबादी सारे राजस्थान की आबादी में से अधिक है और यह अपने आप में भी समस्या का एक कारण है । सरकार ने आबादी की दृष्टि से कभी नियोजन नहीं किया । मैंने पहली पंचवर्षीय योजना को देखा और मैंने दूसरी पंचवर्षीय योजना को भी देखा और मैंने तीसरी पंचवर्षीय योजना को भी देखा है । सरकार ने कभी आबादी की दृष्टि से नियोजन नहीं किया है । जहां पर प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा आबादी है वहां पर प्रति व्यक्ति सबसे कम खर्च किया गया है । इसका परिणाम यह हुआ कि जहां पर घनी आबादी है वहां पर लोगों को काम नहीं मिल सका, बेरोजगारी बढ़ती गई और जहां पर आबादी कम है और आयोजन के साधन ज्यादा रख दिये गये तो वहां पर लोग रोजगार पाने के लिये नहीं आये जिससे जो काम योजना में होना चाहिये था वह नहीं हो पाया । तो इस प्रकार दो तरह की समस्यायें आपने खड़ी कर लीं । मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपने इस तरह का आयोजन क्यों किया ? लेकिन मैं समझता हूं कि आप इस तरह से नहीं समझेंगे इस बात को मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं । अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर, इन तीन जिलों की आबादी 31 लाख है । मैं किसी राजनैतिक कारण या किसी द्वेष की वजह से आपको नहीं कहता, न मुझे उदयपुर से द्वेष है, न मुझे बूंदी से द्वेष है और न मुझे कोई जोधपुर से नफरत है । मुझे प्यार है राजस्थान से, मैं चाहता हूं कि राजस्थान का कल्याण हो, समूचे राजस्थान की भलाई हो और उसमें जोधपुर की भलाई भी शामिल है, भीलवाड़ा की भलाई भी शामिल है । लेकिन जिन क्षेत्रों की आबादी सबसे ज्यादा है, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर इनको आप ले लें और अगर राजस्थान के केवल अजमेर डिविजन को ले लें तो जनसंख्या की दृष्टि से. सन् 1961 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 81 लाख है और जिसमें केवल 7 जिले हैं । बाकी समूचे राजस्थान के एक चौथाई या एक छठें हिस्से की आबादी 81 लाख की है और जिसमें भी तीन जिले खासतौर से भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर ऐसे हैं जिनमें सबसे घनी आबादी है ।

मैं आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात बताता हूं और इसके साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना की चौथे साल तक के जो फिगर्स हैं उनके आधार पर बताता हूं, लेटेस्ट फिगर्स तो अभी अवेलेबल नहीं हैं लेकिन आपकी इस तीसरी पंचवर्षीय योजना की आप हालत देखें तो सबसे कम आबादी वाले एरिया को सबसे अधिक पैसा दिया गया है । उसका नतीजा यह है कि इन जिलों के अन्दर भयंकर बेरोजगारी है । तो जो तीसरी योजना के चार वर्षों के फिगर्स हैं उनके अनुसार इन जिलों में हमने केवल 23.41 पैसा पर हैड खर्च किया है । अलवर, भरतपुर में जो

(श्री रामकिशन)

कि राजस्थान की सबसे बड़ी घनी आबादी का एरिया है उसमें केवल 23.45 पैसा पर हैड खर्च किया गया है। सवाई माधोपुर में केवल 20.50 पैसा खर्च किया गया है। अब यह जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में 23.45 पैसा खर्च किया गया है उसमें भी भरतपुर की एक फ्लड की स्कीम है, फ्लड को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए जो रुपया लगाया गया है अगर उसको निकाल दिया जाय तो केवल 17 रुपया खर्च किया गया है एक आदमी के पीछे। तो एक तरफ तो जो सबसे घनी आबादी में बसे हुए क्षेत्र हैं उनमें तो प्रति व्यक्ति व्यय सबसे कम किया गया है और दूसरी ओर उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और इसमें जोधपुर भी शामिल है, इन जगहों पर सबसे अधिक खर्च किया गया है। यहां पर आबादी का अनुपात कम है। उदयपुर में प्रति व्यक्ति रु० 45.20 पैसा खर्च किया गया है। भीलवाड़ा में 29.19 और चित्तौड़गढ़ में 41.63 पैसा खर्च किया गया है। अब अगर आपसे कहूंगा कि बेरोजगारी मालूम नहीं है तो आंकड़े अपने आप साबित करते हैं। पूर्वी राजस्थान में खास तौर से अलवर भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर में बेरोजगारी की संख्या कितनी है ? आप 5,53,000 को रोजगार दे पाये जब कि 8 लाख का लक्ष्य था। बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से आज 8 लाख बेरोजगार हैं। राजस्थान के पूर्वी हिस्से में खास तौर से इन तीन जिलों में 3 लाख के आस-पास लोग बेरोजगार हैं। उन तीनों जिलों में जो मैंने बताये हैं उनमें कुल 26 हजार बेरोजगार हैं तो यह आयोजन का असंतुलन नहीं है तो क्या है ? इसमें मेरा पहला आग्रह तो यह है कि आप आयोजन को ठीक कीजिये जिससे राजस्थान के लोगों को रोजगार मिले। जो उदयपुर का हो उसको भी रोजगार मिले, भरतपुर का हो उसको भी रोजगार मिले, और जो बूंदी का हो उसको भी रोजगार मिले। आप केवल इस बात से ही सन्तुष्ट मत हो जाइये कि मैं बूंदी का हूं और बूंदी में प्रोजेक्ट्स बन गये। आप केवल बूंदी के ही नहीं हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप केवल बूंदी के ही न रहें, हालांकि आपकी मन्शा जो है वह तो यही है कोई बूंदी का हो, कोई उदयपुर का हो, कोई जयपुर का हो। मैं तो आपको राजस्थान का पुरुष बनाना चाहता हूं। आपको अपना मन विशाल बनाना पड़ेगा। आपको अपने मन को विशाल करना चाहिए, लेकिन आपमें क्षमता नहीं है। अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो भत्ते का प्रबन्ध कीजिये। कोई भी सरकार इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकती है कि योजना चलती रहे और बेरोजगारी भी साथ साथ चले। कोई भी जनता इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकती है कि देश के नौजवान सड़कों पर भूखों भरें। भरतपुर का यह हाल है कि वहां पर जिला परिषद् के लिए एक क्लर्क की जगह निकालते हैं तो आप ताज्जुब करेंगे कि पिछली बार 3 ग्राम सेवकों की वेकेन्सी निकाली तो 3200 दरख्वास्तें आईं क्या तरीका करेंगे। राजस्थान सरकार कहती है कि हम जिला परिषद् और पंचायत एक्ट में संशोधन नहीं कर सकते हैं। आप ज्यादा लम्बा चौड़ा नहीं तो कम से कम राजस्थान का दिमाग तो बनाइये। सिलेक्शन जो होना चाहिए, चुनाव जो होना

(श्री रामकिशन)

चाहिए वह भरतपुर, अलवर, जोधपुर का नहीं बल्कि राजस्थान की सारी जगहों का होना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र का आदमी बाहर नहीं जाना चाहता है तो भूखों मरे। यदि भरतपुर का आदमी कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता हूं उदयपुर तो भूखों मरे लेकिन रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसका एक कारण तो है असंतुलित आयोजन। हमने एक हिस्से के आयोजन पर ज्यादा जोर दिया और एक पर कम।

एक कारण और यह है कि सरकार अपने आपको समाजवादी सरकार कहती है। मैं इसको रोक नहीं सकता। यह आपके मन, आपकी संस्कृति और आपके दिल की बात है। एक किताब के बारे में मैं सुनाना चाहता हूं। समाजवादी सरकार ने एक किताब प्रकाशित की है उसमें लिखा है कि 1 करोड़ रुपयों से 1330 बेरोजगारों का नियोजन किया जायगा। आपने नहीं पढ़ी है श्रम मन्त्री जी यह किताब। आप क्यों कष्ट करें किताब पढ़ने का। यह कहती है पूंजीवादी ढंग से हिन्दुस्तान में बेरोजगारी दूर करना और इकोनोमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं वह असम्भव है। न पूंजीवादी ढंग और न साम्यवादी ढंग इस व्यवस्था को दूर कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपयों में 1330 आदमियों की बेरोजगारी दूर करेंगे तो हिन्दुस्तान के आयोजक, योजना बनाने वाले इस तरह के मूर्खों के स्वर्ग में रहने वाले दीखते हैं। अगर 1330 बेरोजगारों को एक करोड़ में रोजगार देना चाहते हैं तो 20 लाख जो नये पैदा हो रहे हैं नौजवान और रोजगार चाहते हैं तो उनके लिए 15 अरब, 30 करोड़ और 80 लाख का नियोजन करेंगे। यह पूंजी कहां से आयेगी ? हिन्दुस्तान की सरकार का तो दिवाला निकल चुका है और आपकी सरकार दिवालिया हो गई है। राजस्थान के अर्थशास्त्रियों को यह बात सोचना चाहिए कि हम इतनी पूंजी जुटायेंगे कहां से ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, आधा घंटा तो वैसे ही नियम के अनुसार मेरा है और इसमें कोई संशोधन भी नहीं है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार एक करोड़ के आयोजन के लिए पूंजी कहां से लायेगी ? आपने तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्रों में जितनी पूंजी लगाने का फैसला किया था तो सरकारी क्षेत्र में 2 32, 00,00 000 रुपयों का फैसला किया था उसकी जगह 2,04,00,00,000 रुपये लगा पाये और फिर भी 32 हजार बेरोजगार रह गये। सरकारी क्षेत्र में पूंजी नहीं लगाई गई; लेकिन गैरसरकारी क्षेत्रों में 8 करोड़ का नियोजन करने का था लेकिन 2 करोड़ का भी नियोजन नहीं कर पाये। राजस्थान कैनाल में टोटल खर्च नहीं कर पाये। आप उस क्षेत्र में भी पिछड़ गये। आज जापान ने बेकारी को दूर किया है। जापान संसार का सबसे घना बसा हुआ देश है। लेकिन जापान 1 करोड़ से 1330 आदमियों को रोजगार नहीं देता है। जापान ने क्रुड आइल

(श्री रामकिशन)

के ट्रेक्टर और क्रूड ग्राइल से चलने वाली छोटी छोटी मशीनों का उत्पादन किया है और उनका उत्पादन करके कम लागत पर ज्यादा आदमियों को रोजगार देने की चेष्टा की है। हिन्दुस्तान की तरह से रूरकेला का कारखाना खड़ा करके नहीं किया, भिलाई का कारखाना खड़ा करके बेकारी दूर करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कम पूंजी की लागत में ज्यादा आदमियों की व्यवस्था की है और आगे चलकर बड़े उद्योग-धन्धे खड़े किये हैं। जिस मुल्क में पूंजी की कमी हो, बचत एक प्रतिशत नहीं हो और बड़े बड़े 18-20 अरब के कारखाने खड़े करके रोजगार देने की बात सोचते हैं उसका नतीजा इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से अन्त में मैं यह चाहूंगा कि इसके सारे जो पहलू हैं उसके सम्बन्ध में थोड़ा सा जिक्र किया है। विस्तार से स्थिति को इसलिए नहीं रखा है कि मैं समय से मर्यादित रहने का आदी हूं। क्योंकि यह सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती क्योंकि पूंजी का नियोजन है नहीं तो अगर रोजगार नहीं दे सकती तो जीवन-निर्वाह के लिए भत्ता दे। स्केंडिनेवियन कन्ट्रीज में अगर कोई बेरोजगार रहता है तो वे भत्ता दे देते हैं। इन्गलैण्ड में भत्ता देते हैं। आप कहेंगे कि आप तो एडवान्स्ड कन्ट्रीज की बात करते हैं। हम बेकवर्ड कन्ट्री हैं बल्कि सही रूप में आप बेकवर्ड हैं। बर्मा में क्या है वह बैकवर्ड कन्ट्री है। वहां पर अगर किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार उसकी रोटी का प्रबन्ध करती है। भत्ते का मतलब मैं वेतन नहीं कहता। जब तक वह बेरोजगार है तब तक उसकी रोटी का प्रबन्ध करना पड़ेगा। 8 लाख लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं 50 रुपये मासिक के हिसाब से 4 करोड़ रुपये साल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह रुपया कहां से आयेगा ? इसके लिए हमारी सरकार तो करेगी ही अभी आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि बतायेंगे तो उस पर आप चल देंगे। तो आम तौर पर 3 तरीकों से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। मेरा लक्ष्य भत्ता दिलाने का नहीं है। इसको आप साफ सुन लें। लेकिन आपके दिमाग में तो उल्टी ही बात है इसके लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए। कांग्रेस क्रान्तिकारिता की बात करती है कि राजाओं की पेन्शन बन्द कर देना चाहिए जिसके लिए हम लोग बरसों से कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ क्रान्तिकारी प्रदर्शन की बात करते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमन्त्री, मध्य-प्रदेश के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजाओं की पेन्शन बन्द नहीं होनी चाहिए। कल ही के समाचार पत्रों में मैंने यह खबर पढ़ी है कि पेन्शन बन्द नहीं करना चाहिए। असल में आप पेन्शन बन्द नहीं करना चाहते हैं लेकिन कुछ राजाओं को धमकी देकर सेवा में लाना चाहते हैं। तो पहले मेरा यह सुझाव है कि आप बेरोजगारी को दूर करने के लिए राजाओं की पेन्शन बन्द कर दें।

उसके बाद जो आपका प्रशासन में खर्चा सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको कम कीजिये। इन दोनों चीजों से संभव नहीं हो

(श्री रामकिशन)

तो मैं तीसरी बात यह बतलाता हूं कि आप अनएम्प्लायमेंट का टैक्स लगाइये। नार्वे, स्वीडन और डेनमार्क में अनएम्प्लायमेंट टैक्स है। अनएम्प्लायड लोग रहते हैं तो यह समाज की जिम्मेदारी है। राजस्थान में दो लाख लोग ऐसे हैं जिनकी 1500 और 2000 रुपये से ज्यादा आमदनी है। इन पर 20-25 रुपया अनएम्प्लायमेंट टैक्स लगा दें। इससे भी हम सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम यह नहीं कर सकते हैं तो नक्सलबाड़ी में चाहे चीनी ऐजेन्ट हों लेकिन नक्सलबाड़ी शब्द इन्हीं चीजों पर जीता है। जब लोग भूखों मरते हैं तो न लोग संस्कृति को समझते हैं और न राष्ट्र सेवा को समझते हैं वे तो अपने पेट की बात को सोचते हैं। मैं राजस्थान सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि यहां की समस्या इतनी विशाल नहीं है क्योंकि यहां पर जमीन ज्यादा है और जनसंख्या कम है। वे इस चीज का इलाज कर सकते हैं लेकिन आप राजनैतिक नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से राजस्थान का निर्माण करने की बात सोच। इन बेरोजगारों की समस्या इतनी अधिक नहीं है जितनी अर्ध बेरोजगारों की है। इस तरह के 17 47 000 लोग तो शहरों में है और बाकी लोग देहातों में हैं। आपने तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा था कि 20 लाख की आबादी बढ़ेगी तो उसमें से 7,57,000 लोगों को तो खेती में खपा देंगे और 5,75 000 लोगों को निर्माण में खपा देंगे लेकिन उसको आपने पूरा नहीं किया। आपने यह किताब पढ़ी है जो आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाली है उसमें आपने यह लक्ष्य रखा है लेकिन उसका आज तक पालन नहीं किया।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं राजस्थान सरकार से इस सम्बंध में निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारी समस्या को गम्भीरता से सोचें और गम्भीरता से सोचने की बात करें। जहां तक आबादी घटाने का सम्बन्ध है तो उसके सम्बन्ध में आप लेजिस्लेशन ला सकते हैं। चार बच्चों से जो ज्यादा पैदा करे उसके लिए सजा का पैनल रख सकते हैं और तरीके अपना सकते हैं। बाल-विवाह होते हैं। यहां पर मन्त्री लोग कहते हैं कि आबादी बढ़ रही है लेकिन मैंने मन्त्रियों को बाल-विवाह के जुलूस में जाते हुए देखा है। आपमें से कुछ में थोड़ी नैतिकता है, उनको वह भोजन करा देते हैं। इस तरह आप स्वयं धोखा देते हैं। गलती आपकी है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, मैंने कांग्रेस के लोगों को ऐसी बारात में देखा है जिसके आगे दस साल का बच्चा चल रहा है ऐसी बारात में मन्त्री महोदय भी जाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं।

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि आपके मन में जो कमजोरी है उसको छोड़कर इन सारी बातों को सोचकर अपने विचारों को क्रांतिकारी बनाये, अपने विचारों को मजबूत बनायें और अपने को दृढ़निश्चयी बनायें। आबादी वाली बात आपने बता दी। उसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। आपने कहा कि आबादी

(श्री रामकिशन)

बढ़ रही है और राजस्थान में कई वर्ष से अकाल पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि यह दोनों समस्यायें सुलझाना आपके बस की बात है। लेकिन बीस साल के बाद भी आप न तो नहुष होकर जी सके हैं, न पांडवों की तरह गल सके हैं, न बाली की तरह जमीन में समा सके हैं और न भीष्म पितामह की तरह बाणों की शैय्या पर लेट कर मर सके हैं। आप न तो बाणों की शैय्या पर लेट कर मरे, न पाण्डवों की तरह गल पाये, न जमीन में आप समा पाये और न आप आसमान में उड़ सके। आप बीस साल के बाद भी राज्य के अन्दर बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सके हैं।

मैं नहीं कहता कि आप पाण्डवों की तरह गल कर मर जाइये। पाण्डवो में तो नैतिकता थी, इसलिये ही वह गल सके। आप में नैतिकता नहीं है। और न नहुष की तरह आप दार्शनिक हैं जिससे नहुष की तरह आप आसमान में उड़ सकें और न भीष्म पितामह की तरह आपमें ज्ञान और शक्ति है कि बाणों की शैय्या पर लेट सके। मैं आपसे यह आशा नहीं करता हूं। मैं तो आशा करता हूं कि आप, लोगों को रोजगार दें और उनको जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सहूलियतें दें। लेकिन आपकी मनोवृत्ति तो यह है कि कालूराम को तोड़ लिया और अपनी गद्दी पर आप बैठे रहें। कालूराम और श्वेतराम तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनका पता नहीं लगेगा लेकिन आपकी असफलताओं के कारण देश में जो क्रान्ति होगी उसके कारण मैं तो बृजसुन्दरजी आपके लिए चिन्तित हूं। और लोग तो दुबले पतले हैं वह तो भागकर घरों में घुस जायेंगे लेकिन आप भाग भी नहीं सकेंगे। आपकी तरह ही आपके परिवार की भी स्थिति है, आप और आपकी पत्नी एकसे हैं—इसलिये आप भाग नहीं सकेंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए और बेरोजगारी को राजस्थान में खत्म करिये। अगर आप बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकते हैं तो आप गद्दी को छोड़ दीजिये। यह जो प्रस्ताव मैंने रक्खा है इसका जवाब देते वक्त आप तोता रटन्त को तो छोड़ दीजिये और साथ ही पुरानी किताबों में पढ़े पढ़ाये पाठ को भी मत दोहराइये। मैंने जो तथ्य सदन के सामने रखे हैं, बृजसुन्दरजी आप बुद्धिमान आदमी हैं, इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि बीच बीच में मजाक कर लिये जाते हैं लेकिन आप इस पर गम्भीरता से सोचें, और सोच समझकर ही जवाब दें कि यह सम्भव है या सम्भव नहीं है। वैसे जो सम्भव बात है, वही सोशलिस्ट पार्टी कहती है। असम्भव बात सोशलिस्ट पार्टी कभी नहीं कहती है। लेकिन मुश्किल यह है कि जो बात हमें सम्भव लगती है वह आपको असम्भव लगती है लेकिन पिछले पांच सालों में आप हमारी बातों को मान चुके हैं। मैंने आपको तीन बातें कही हैं, चौथी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया और बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया तो हम राजस्थान के अन्दर एक व्यापक आन्दोलन खड़ा करेंगे, जिस प्रकार के आन्दोलन हम खड़े करते आये हैं और उस आन्दोलन के बाद में आपको झुकना पड़ेगा। आपकी भलाई इसी में है

(श्री रामकिशन)

कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, नहीं तो बाद में आप सड़कों पर घूमते फिरेंगे।

मैं आशा करता हूं कि आप इस पर गम्भीरता के साथ विचार करेंगे और मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। इस सदन में जो दूसरे दल हैं वह इस प्रस्ताव से सहमत हैं और कांग्रेस में भी इस प्रकार के माननीय सदस्य हैं जिनका मुझसे ज्यादा चिन्तन है, मुझसे ज्यादा उनमें ज्ञान है, उनमें त्याग की भावना है, तपस्वी है-ऐसी मेरी मान्यता है। मेरा उनसे निवेदन है कि वह व्हिप के प्रभाव में नहीं रहें और मास्टरों के ट्रान्सफर आदि के कारण मन्त्रियों के चक्कर में नहीं रहें। वह इस प्रस्ताव का समर्थन करके जनता के लिए यह सुविधा उपलब्ध करावें। यदि उनके कारण यह सरकार बदल भी जायेगी तो जो दूसरी सरकार आयेगी वह निश्चित रूप से बेरोजगारी को खत्म करने और बेरोजगारी भत्ता देने का प्रयास करेगी।

मेरा निवेदन है कि जो भी बातें हमने पहले कही हैं उनको आपने माना है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको एक मत से पारित करें। साथ ही मैं मंत्री महोदय को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे विवेकशील हैं. वे तोता रटन्त की तरह जवाब देने की कोशिश नहीं करें, बल्कि इस प्रस्ताव को वे स्वीकार करें। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने पर राजस्थान की सरकार पर ज्यादा भार भी नहीं पड़ेगा, एक तरफ जहां गरीबों को सुविधाएं देने का रास्ता निकलेगा वहां बड़े और समृद्ध लोगों के ऊपर टैक्स लगाने का हक भी उनको हासिल होगा। मेरा निवेदन है कि आप वाणी से क्रांतिकारी और कर्म से कन्जरवेटिव बन कर राजस्थान को इस समस्या से नहीं बचा सकते हैं। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी !

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस प्रस्ताव में एक संशोधन है. वह इस प्रकार से है संकल्प में प्रयुक्त शब्द "जीवन निर्वाह दिया जाना चाहिए" के स्थान पर शब्द "सोशियल सिक्योरिटी स्कीम लागू की जाय" प्रति स्थापित किये जावें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव के द्वारा जो सवाल उठाया है मैं उसको एक बहुत अहम मसला मानता हूं। मैं समझता हूं कि सदन के इधर के या उधर के किसी भी सदस्य द्वारा, इसके पीछे जो उद्देश्य हैं, ध्येय हैं, उसका किसी भी प्रकार से विरोध नहीं हो सकता। सभी इसका स्वागत करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अनएम्प्लायमेंट का सवाल है, यह हमारा आब्जेक्टिव है कि अनएम्प्लायमेंट को हम समाप्त करना चाहते हैं और इस बात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि सब बेरोजगारों को रोजगार दिया जाय। मैं भी मानता हूं कि सबको रोजगार दिया जाय इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जहां तक अनएम्प्लाय का मतलब है, मैं मानता

(श्री पी. के. चौधरी)

हूं कि जो कोई भी एबल व्यक्ति है उसको किसी प्रकार का रोजगार न मिलना अनएम्प्लायमेंट में आता है। इस प्रकार की स्थिति किसी भी मिक्स्ड इकोनोमी और फ्री एन्टरप्राइज वाले देश में इनहेरेन्ट होती है। हमारे देश में मिक्स्ड इकोनोमी है और फ्री एन्टरप्राइज है जब तक हम अनएम्प्लायमेंट को खत्म नहीं कर सकते हैं। इ लिए मैं समझता हूं कि यह कहना कि सारे अनएम्प्लायमेंट को खत्म कर दिया जाय सही नहीं होगी। यह तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि इस देश में हम समाजवादी समाज की स्थापना न कर सकें। यह जरूर है कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक अनएम्प्लायमेंट रहेगा। अब अगर अनएम्प्लायमेंट रहेगा तो इसका दूसरा आल्टरनेटिव होता है कि कम से कम जो अनएम्प्लायड हैं उनको कुछ भत्ता मिले, कुछ राहत मिले। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोन स्टुअर्ट मिल का एक क्वोटेशन देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी रेस्पान्सिबिलिटी है कि रीजनेबल अपोर्चुनिटी आजीविका के लिए देनी चाहिए।

"Since the State must necessarily provide subsistence to the criminal while undergoing punishment; not to do the same for poor , who have not offended........"

और उनका कहना यह था कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसको सरकार सब्सिसटेन्स देती है। जो कोई गुनाह करता है उसको सरकार जेल में ले जाती है और उसको सरकार को सब्सिसटेन्स देना पड़ता है, खाने को देना पड़ता है। परसों मैंने अखबार में एक समाचार देखा था, एक व्यक्ति हरिद्वार में है, वह अट्ठाइस साल में अट्ठाइस दफा जेल जा चुका है। वह जेल में रहना पसन्द करता है क्योंकि बाहर उसे नौकरी नहीं मिलती है। जेल से जब बाहर आता है तो फिर जेल में वह चला जाता है, इस प्रकार अट्ठाइस साल में अट्ठाइस बार जेल गया है। तो जोन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि समाज क्रिमिनल्स को, अपराधी को सब्सिसटेन्स अलाउन्स देता है और जीवन निर्वाह की व्यवस्था इतनी करता है जितनी जेल में मिलनी चाहिए। उसकी व्यवस्था की जाती है उसके लिए। तो जो समाज का, कानून का विरोध नहीं करता है, आफेन्स नहीं करता है और उसको मान कर चलता है तो फिर क्यों वह भूखा मरे? उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिये सरकार को। अगर सरकार नहीं करेगी तो समाज में अनसोशियल एक्टीविटीज-चोरी-डकेती कहिये या जिसको कहते हैं चीटिंग, 420- यह सारी जो हैं वह इसलिए नहीं होती हैं कि जो आदमी 420 करता है वह इसलिए नहीं करता है कि वह बुरा है, चोरी इसलिए नहीं करता है कि चोरी करने में उसे कुछ मजा आता है, दूसरों से कुछ चोर कर ले जाने में उसे मजा आता है, लेकिन वह मजबूर होकर करता है। इसलिए

(श्री पी. के. चौधरी)

यह जो बात है अनएम्प्लायमेंट अलाउन्स की, इसको सारी दुनियां मानती है, आज इसको उसूलन सब लोग मानते हैं, यह चीज सिर्फ समाजवादी समाज में ही नहीं बल्कि इंगलैंड, अमेरिका और जो कैपिटलिस्ट कन्ट्रीज हैं उनमें भी है, उनमें भी अनएम्प्लायमेंट अलाउन्स की व्यवस्था है। मैंने सोशिएलसीक्योरिटी की बात इसमें रखी है, उसमें क्या होता है कि दूसरे भत्ते देने में तो एक प्रकार से असिस्टेन्स होता है और मैं समझता हूं कि व्यक्ति का जो स्वाभिमान है इससे उस पर आघात होता है। हम कोई चीज मांग कर लें, सरकार कोई अनुदान देती है और भत्ता देती है तो उसको मैं स्वाभिमान के खिलाफ मानता हूं। इसके अलावा अगर इन्श्योरेन्स हो जाती है, सोशल सीक्योरिटी की इन्श्योरेन्स होती है, तो उसमें अनएम्प्लायड का कन्ट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट का कन्ट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लायर का भी कन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो जो अनएम्प्लॉयड होता है, मान लीजिये, उसको रोजगार नहीं मिले तो उसके लिए सोशियल सब्सिस्टेन्स होना चाहिए और इस स्कीम से वह गवर्न होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर वह सोशियल असिस्टेन्स के अन्दर आ जाता है। तो भत्ता देने के बजाय सोशल असिस्टेन्स लागू करना जरूरी है। अब इसके सम्बन्ध में यह जवाब देना कि हमारा देश गरीब है हमारे देश मे यह व्यवस्था करना मुश्किल है, मैं समझता हूं, बिल्कुल गलत है। बल्कि जिस देश में फुल एम्प्लायमेंट है, वहां तो बेनिफिट के काम करने की जरूरत नहीं होती हैं, लेकिन जिस देश में गरीबी है उसमें सोशियल सिक्योरिटी की व्यवस्था करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि समाज में सोशियल सिक्योरिटी को पैदा नहीं करते हैं तो लोगों में सबसे ज्यादा भय है वह होता है लॉस आफ इन्कम का, आमदनी घट जाने का भय उसमें होता है...

मिसाल के तौर पर 58 से 55 साल में लोग रिटायर हुए हैं उनमें से बहुत से लोगों से हम मिले हैं, यह उनके चहरों से पता लगता है कि उन लोगों को कितना जबरदस्त धक्का लगा है। लोस आफ इन्कम इन्सान के लिये सबसे बड़ा धक्का है, वह इन्सान की पर्सनलिटी को डेवेलप नहीं होने देती। जो काम नहीं करना चाहिये उस काम को करने के लिये मजबूर कर देती है। अनसोशियलएक्टिविटीज जो नहीं करनी चाहिये उन्हेंकरने के लिये मजबूर कर देती है, जैसे चोरी करना, जुआ खेलना आदि। जिसमें काम करने की क्षमता होती है वह कुछ न कुछ कर के रोजगार कर के आमदनी कर सकता है उसको काम मिलना जरूरी है। इसलिये सोशियल सिक्योरिटी की व्यवस्था हो इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये। इसके लिये आप अनएम्प्लायमेंट टैक्स लगा सकते हैं, जो इन्डस्ट्रीज हैं, उनमें कम्पलसरी देने का होना चाहिये, उसमें गवर्नमेंट का एम्प्लायर का कन्ट्रिब्यूशन रहेगा। ऐसा दुनिया में और जगह हुआ है, सरकार चाहे तो इसे कर सकती है, इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आयेगी। हमारे दिमाग में किसी काम के लिये विश्वास हो कि यह काम होना चाहिये तो वह आसानी से हो सकता है। हमने इन्श्योरेंस स्कीम चालू की है पर छोटे

(श्री पी. के. चौधरी)

स्केल पर शुरू किया है। सोशियल सिक्योरिटी की व्यवस्था करने के लिये हम टैक्स लगा दें, अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स लगा दें सोशियल एम्प्लायमेंट के लिये तो यह बुरा नहीं होगा। समाज में उसका विरोध नहीं होगा। जो जनरल टैक्स लगाते हैं उसका पैसा सरकार के खजाने में जाता है सरकार उसे खर्च कर सकती है पर जैसे प्रोविडेन्ट फण्ड का कन्ट्रिब्यूशन होता है, हर मजदूर से प्रोविडेन्ट फण्ड का पैसा काट लिया जाता है, वह बड़ी खुशी से प्रोविडेन्ट फ़ण्ड में पैसा देता है क्योंकि वह जानता है कि उसका पैसा उसे ही मिलेगा, और किसी काम में खर्च नहीं होगा, इसी तरह से अनएम्प्लायमेंन्ट का टैक्स लगायेंगे तो समाज में इसका विरोध नहीं होगा क्योंकि वह और किसी काम में नहीं लिया जायगा। You cannot utilise that for any other purpose. This Fund will be earmarked.

इसी के लिये ईयर मार्कड होगा, स्टेचुटरी प्रतिबन्ध होगा पर केपिटा बहुत छोटा सा टैक्स लगा देंगे तो उस टैक्स से रुपया आयेगा, ईयर मार्क कर के अलग फण्ड बना देंगे तो मैं समझता हूं इससे सदन के सारे माननीय सदस्य सहमत होंगे। यदि सरकार इस प्रकार के फण्ड की स्कीम ले आवे तो सदन के दोन ओर के माननीय सदस्य उसमें सहयोग देंगे।

माननीय सदस्यों ने कहा, रोजगार देने का सवाल है, केवश्चन ऑवर के बाद मैंने देखा कि जनरल एज्यूकेशन के लिये कहा गया कि जो फेल हो गये, जो थर्ड डिविजन में पास हुए हैं, उनको भी जनरल एज्यूकेशन में लिया जाय; ऐसा माननीय सदस्य चाहते है। आज एम. ए. करते हैं, बी. एस. सी. वगैरह करते हैं, वह अनप्रोडाक्टव है। मैंने रेल्वे यूनियन में काम किया, 8 वीं क्लास जिसने पास की उसको हमने रेल्वे में फिटर मैकेनिक के काम पर लगाया, वे लोग थोड़े अर्से बाद ही अच्छे मैकेनिक बन गये और तीन सौ चार सौ रुपया पाने लग गये। जनरल एज्यूकेशन में कोई एम. ए. कर लेता है तो उम्र भर डेढ़ सौ दो सौ तनख्वाह लेता रहता है। एक तरफ कहते हैं कि सारे के सारे लड़के कालेजों में जनरल एज्यूकेशन में लिये जाने चाहिये और दूसरी ओर अनएम्प्लायमेंट की बात करते हैं, यह ठीक नहीं है। जनरल एज्यूकेशन में उन्हीं लड़कों को लेना चाहिये जो टाप रैंकिग लड़के हों, ब्रिलियेन्ट हों, जो आगे जाकर टैक्निकल लाइन में, रिसर्च लाइन में जा सकें। बाकी को मैकेनिक लाइन में प्राडक्टिव लाइन में लगाना चाहिये। पर जैसा माननीय सदस्य केवश्चन ऑवर में कह रहे थे, उस व्यवहार में अन्कन्सिस्टेन्सी नजर आती है। एक तरफ कहते हैं कि सबको कालेजों में भर्ती करो, सब बी. ए. पास करो, बी. ए. पास करने के बाद सड़क पर फावड़ा लेकर काम नहीं कर सकता, मैट्रिक पास को कोई मुनीम भी रखने को तैयार नहीं। जनरल एज्यूकेशन के लिये हमारे सदन में माननीय सदस्य एक तरफ कहते हैं कि थर्ड क्लास वाले को अंग्रेजी फेल को, हिन्दी फेल को लेना चाहिये....

श्री रामकिशन : हिन्दी फेल नहीं, केवल अंग्रेजी फल ।

श्री पी. के. चौधरी : सारे के सारे कालेजों में लिये जाय....

श्री रामकिशन : बंगला फेल नहीं, तामिल फेल नहीं, हिन्दी फेल नही केवल अंग्रेजी फेल को लिया जाय ।

श्री पी. के. चौधरी : अंग्रेजो में फेल हो जाता है, उसका स्टेन्डर्ड देखें कि...

It shows general lack of intelligence.

श्री रामकिशन : यह गलत है, योजना मंत्रीजी के अंग्रेजी में 33 परसेन्ट ही नम्बर, आये होंगे पर हाउस में वे बहुत इन्टेलिजेन्ट हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे तो अंग्रेजी में 70 परसेंट मार्क्स आये हैं । आप अंग्रेजी अच्छी जानते हैं, मुझे मालूम है । मैं तो फेल भी हो जाऊं तो अंग्रेजी में तो अंग्रेजी अच्छी बोल सकता हूं । आप इस तरह कम्पेअर मत कीजिये ।

श्री पी. के. चौधरी : मैं यह कह रहा हूं कि आप एक तरफ तो चाहें कि सारे के सारे लड़के कालेजों में जायं और दूसरी तरफ अनएम्प्लोयमेंट की बात करते हैं । जो मेट्रिक पास करते हैं उनको टैक्निकल लाइन में लगायां जाय, फिटर, मैकेनिक, पोइन्ट्समैन, तो इस चीज को एन्करेज करना चाहिये, कन्सिस्टेन्सी आपके व्यवहार में रहनी चाहिये । इससे बेकारी दूर होगी ।

सोशियल सीक्योरिटी की ओर हमें कदम उठाना चाहिये, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि, उनको इस स्कीम को स्वीकार करना चाहिये । किसी स्टेट में अनएम्प्लायमेंट रहे और उनको सब्सिस्टेन्स अलाउन्स नहीं दे तो यह उचित नहीं है, जो क्रिमिनल्स हैं उनको देते हैं तो इनको भी देना चाहिये । आज हमारे समाज की व्यवस्था और तरह की है । हमारा पुराना जोइन्ट फेमिली सिस्टम ब्रेक हो गया है । जोइन्ट फेमिली सिस्टम में सोशियल सिक्योरिटी थी, एक भाई कमाता था तो 5 भाईयों का काम चलता था । 5 भाई जोइन्ट परिवार में कमाते थे और यदि किसी एक भाई की नौकरी चली जाती थी तो वह घर जाकर बैठ जाता था, उसको नौकरी चली जाने से किसी प्रकार की चिन्ता नहीं थी, पर आज जोइन्ट फेमिली सिस्टम समाप्त हो गया है । नई सामाजिक व्यवस्था आज हमारे यहां हो गई है, जोइन्ट फेमिली सिस्टम सोशियल सिक्योरिटी के लिए था यह मैं मानता हूं पहले किसी को भय नहीं था कि मेरी नौकरी चली गई तो क्या करूंगा, पर आज वह सामाजिक आर्डर बदल गया है तो ऐसी दशा में नये समाज के लिए नई व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

इसलिए मेरा सुझाव है कि अनएम्प्लायमेंट के लिए अनएम्प्लायमेंट टैक्स कम्पलसरी लगाना चाहिये, जिनको कभी नौकरी नहीं मिली उनके लिए और जिनको एक बार नौकरी मिलनी चाहिये तो आप स्टेट

(श्री पी. के. चौधरी)

एम्पलाइमेंट इन्श्योरेन्स स्कीम को एक्सपैंड करें। उसमें कोई इम्पासीबल बात नहीं है, प्रेक्टीकेबल है, सब करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने 7 तारीख को इस संकल्प पर संशोधन दिया था, वह प्रसारित नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है लेकिन संशोधन क्यों पेश नहीं हुआ इसकी जानकारी की जा रही है।

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न इस-लिए है कि बोलने का समय उस हिसाब से मिलता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): जो संकल्प बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिलाये जाने या जीवन निर्वाह हेतु भत्ता दिए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत हुआ, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राज्य सरकार का ताल्लुक है अब तक इस देश में इस प्रकार की व्यवस्था हुई है यहां पर प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाई गई और उसके बाद में जिस पार्टी का यहां पर राज्य स्थापित हुआ, उसने समाजवादी समाज की रचना करने की अपनी व्यवस्था कायम की। इस व्यवस्था के बाद में किस प्रकार से इस देश में हमने सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी करने का प्रयास किया है। जैसे माननीय सदस्यों ने कहा, जहां तक निजी क्षेत्र का ताल्लुक है उससे ज्यादा से ज्यादा एम्पलायमेंट नहीं मिल सकता। मेरा भी यही अनुभव है। बहुत से लोग कहते हैं कि मिक्सड इकोनोमी को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले। मगर मैं उस राय से इत्तफाक नहीं रख सकता। मेरी निजी राय में इस देश में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर को प्रोत्साहन मिले और पब्लिक सेक्टर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पलाय-मेंट दे। तो इस देश में जबसे इस प्रकार की व्यवस्था कायम की और प्लान्स के जरिये इस देश को बनाने की कोशिश की। हमने इस बात पर थोड़ा सा विचार किया है कि इस देश में बेरोजगारी खत्म हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। आंकड़े रखकर माननीय सदस्य ने बताया कि पहली योजना के बाद में कितने लोग बेरोजगार हुए, दूसरी योजना के बाद कितने लोग बेरोजगार हुए, तीसरी योजना के बाद कितने लोग बेरोजगार हुए और आज स्थिति यह है कि हमारे राजस्थान में करीब 8–9 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो सारी परि-स्थितियों का हम ठीक प्रकार से अध्ययन करें और हमारा जो कर्तव्य है उसको अगर ठीक प्रकार से निभाने की कोशिश करें तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम जल्दी से जल्दी इस बेरोजगारी को खतम करें और देश में हम वह स्थिति पैदा करें जिससे बेरोजगारी की समस्या निरन्तर कम हो जाय। इस बारे में व्यवस्थायें भी की गई हैं। जहां तक उद्योग धन्धों का प्रश्न है, इस देश में और प्रदेश में उद्योग धन्धे पनप गए है। खेती बाड़ी में भूमिहीन किसानों को जमीन दी गई है। इन सब के बावजूद जिस

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

स्थिति में हम पहुँचना चाहते हैं उसमें नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि दूसरी जो विकट समस्याएं है, वह जनसंख्या बढ़ने की है। जन संख्या बढ़ने की रफ्तार को जब तक चेक नहीं करते तब तक जो योजनाएं बनती हैं, वे बेरोजगारी रोकने में असफल हो जाती हैं। तो सब से पहले मुख्य बात जो है, जिसका कि माननीय सदस्य ने संकेत भी किया पर उन्होंने उसके बारे में ज्यादा नहीं कहा, ज्यादा जोर नहीं दिया, कि बेरोजगारी का मुख्य कारण बढ़ती हुई आबादी भी है। यदि हमें बेरोजगारी को हल करना है तो हमें इस बढ़ती हुई पापुलेशन को रोकना पड़ेगा और इस सम्बन्ध में आप और हम मिलकर प्रयत्न करें तो अन-एम्प्लायमेंट की प्रोब्लेम सोल्व हो सकती है, बाकी न तो यह प्रोब्लेम भत्ता देने से रुक सकती है न और कोई सोशियलसिक्यूरेटी मेजर लेने से रुक सकती है। यह तो तब ही रुक सकती है जब हम सब मिलकर इस बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिये प्रयास करें।

राजस्थान के बनने के बाद में हमारे यहां काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है हालांकि वह इतना नहीं हुआ कि दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में राजस्थान खड़ा हो सके। फिर भी राजस्थान के जो साधन हैं उनको देखते हुए राजस्थान ने काफी काम करने की कोशिश की है और इस बात का प्रयत्न किया है कि अनएम्प्लायमेंट की प्रोब्लेम कम से कम हो और निरन्तर इस बात की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

एक और मेरा सुझाव है कि हम रे यहां भूमि काफी ज्यादा है करोड़ों एकड़ भूमि राजस्थान में पड़ी हुई है। उस जमीन पर अगर हम ऐसी व्यवस्था करें कि जो अनएम्प्लायड हैं उनकी टीम्स बनाकर उनमें यह भूमि वितरित की जाय और वहां पर उनको खेती के काम में लगाया जाय तो एक तरफ तो फुड प्रोडक्शन बढ़ेगा, दूसरी तरफ अनएम्प्लायमेंट की प्रोब्लेम भी सोल्व हो सकेगी, कुछ कम हो सकेगा। हालांकि इसमें करोड़ों रुपयों की लागत का सवाल है और काफी खर्चा होगा लेकिन यह इस प्रकार की एक स्कीम है जिससे कि हमारा फुड प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है और अनएम्प्लायमेंट की प्रोब्लेम भी कम हो सकती है वर्ना यह अनएम्प्लायमेंट का बढ़ती हुआ प्रोब्लेम जो है वह एक रोज विकट परिस्थिति पैदा कर सकता है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि आज हमारे देश की जो एज्यूकेशन पालिसी है वह, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, बहुत डिफेक्टिव है। उससे केवल बाबू लोग ही पैदा होते हैं जो न तो टेक्निीकल लाइन में जा सकते हैं न और कोई लाइन अपना सकते हैं जिससे कोई फायदा हो सकता हो। केवल बाबू ही बन सकते हैं। तो हमारा पहला काम यह भी है कि हम शिक्षा को ऐसा मोड़ दें ताकि टेक्निकल लाइन के लोग पैदा कर सकें जो कि देश की प्रोडक्शन बढ़ावें और इस तरह से हमारा सहयोग दें।

आज राजस्थान में लाखों आदमी सड़कों पर बैठे भीख मांगते हैं। यह हमारे देश के लिये लज्जा की बात है। यह ऐसा मामला

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

है जिसका हल करना नितांत आवश्यक है। बाहर के देशों के लोग यहां आते हैं वे जब इन आदमियों को देखते हैं तो हमारे देश के लिये क्या सोचते होंगे इससे हमारे देश की बदनामी होती है। तो इस तरह की बात हमारे यहां कानून द्वारा दूर करनी चाहिये। हमें ऐसे चैरिटेबिल हाउसेज् बनाने चाहिये जहां इन लोगों को काम दे सकें और खाने और रहने का इन्तजाम हो। यह देश के लिये बहुत बड़ा कलंक है। इसको हटाने के लिये जितना भी धन खर्च करना पड़े करना चाहिये। पहले हमारे यहां इस प्रकार का कानून लाया भी गया था, पर बाद में उसका पता नहीं क्या हुआ। आज सभी एडवांस्ड कंट्रीज में एंटी बेगिंग एक्ट लागू हैं और आपको कहीं इस तरह के भिखारी नहीं मिलेंगे। पर यहां लोग रास्ते में बैठकर भीख मांगते हैं। हमारी सरकार का यह काम है कि जो लूले-लंगड़े और अपाहिज हैं जो काम नहीं कर सकते, उनके लिये व्यवस्था करनी चाहिये तो हम को दूसरे देश के आदमियों के सामने नीचा नहीं देखना पड़ेगा।

माननीय रामकिशन जी ने कहा कि सरकार पक्षपात से पैसा खर्च करती है। जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर जिलों में पापुलेशन ज्यादा होते हुए भी कम पैसा खर्च किया जाता है और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर आदि जिलों में कम पापुलेशन होते हुए भी ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। तो मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि अगर आप उदयपुर चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिलों को देखेंगे तो वहां वाटर पोटेंशियल काफी है इरिगेशन पोटेंशियल काफी है, तो स्कीम्स को पूरा करने के लिये पोटेंशियल है और सरकार ने प्रावधान किया है। दूसरी तरफ भरतपुर अलवर, जयपुर और दूसरे जिले हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी वगैरा का एस्टीमेट लगाया जाय तो वहां पर भी सरकार ने बहुत खर्चा किया है। तो कोरा एक क्रिटीसाईज करने के लिये उदयपुर और दूसरे जिलों का नाम लिया जाय तो यह उचित नहीं होगा।

जब राजस्थान बना तो भीलवाड़ा जिले में एक मील सड़क नहीं थी। उदयपुर में केवल उदयपुर को चित्तौड़गढ़ से लिंक करने वाली एक सड़क थी तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिये। इनके मुकाबले में जयपुर, भरतपुर अलवर जिले बहुत ही डेवलप्ड थे। तो जो अनडेवलप्ड जिले थे वहां के लिये साधन बढ़ाने ही चाहिये।

ऐसे स्थानों पर जहां पर इस प्रकार की बातें नहीं है उनको ये साधन दिये जा सकते हैं। उसमें कोई लीडरशिप या पक्षपात की बात नहीं कह सकते। ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए है उन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना उस पर पैसा लगाना कोई बुरी बात नहीं। पिछड़े वर्ग का और पिछड़े क्षेत्र का उत्थान करना हरेक का कर्तव्य है। क्या उन माननीय सदस्य का जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया है क्या उनका कर्तव्य नहीं कि जो लोग बेरोजगार है, पिछड़े हुए हैं उनको ज्यादा प्रोत्साहन देकर ऊपर उठाया जावे ? यह भी उन्हीं लोगों को ऊपर उठाने में खर्च किया गया है बुरी नीयत से नहीं किया गया सब को

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

समान स्तर पर लाने के लिये किया गया है।

तीसरा जो माननीय सदस्य ने तीन सुझाव दिये है जिनके जरिये से लाखों लोग जो बेरोजगार रहते हैं चाहे उनको भत्ते के रूप में या सोशियल सिक्योरिटी के नाम से कुछ भत्ता दिया जाय जिस पर चार करोड़ रूपया खर्च हो सकता है। मैं उनकी इस बात से इत्तिफाक रखता हूं कि राजा-महाराजाओं को जो करोड़ों रुपया प्रिविपर्स के नाम से दिया जा रहा है वह क्या काम का है ? वह पैसा न समाजवादी व्यवस्था लागू करने के काम में आता है। पुराने एग्रीमेंट के तहत या कानून के तहत प्रिविपर्स देने का प्रश्न तय हुआ था क्या वह आज की स्थिति में उसको मानना हमारे लिये उपयुक्त है ? वह पैसा ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो गलत धारणा वाले लोग हैं जिनका समाज को ऊपर बढ़ाने में किसी प्रकार का उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे पैसे बन्द करके उस पैसे को गरीबों में इनवेस्ट करें तो लाखों लोगो को रोजगार मिल सकता है। उन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे गरीब लोगों की सहायता के लिये वे कुर्बानी करें। पुराना इतिहास भी यह कहता है कि राजा महाराजाओं ने वक्त बे वक्त कुर्बानियां दी हैं यह तो एक छोटी सी कुर्बानी का सवाल है इससे हमारे देश के लाखों लोगों का फायदा होगा।

प्रशासन के खर्चे में कमी करने का भी माननीय सदस्य ने जिक्र किया मैं भी इस मान्यता का हूं कि प्रशासन में जितना पैसा बचा सकते हैं बराबर बचाना चाहिये। सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और चाहती है कि प्रशासन के खर्चे में मित्तव्ययता लायी जाय। हमें कोशिश करनी चाहिये प्रशासन के खर्चे में बचत करने की, उससे भी हमारे प्रोब्लम्स् हल होंगे।

अनएम्पलोयमेंट टैक्स के बारे में भी कहा गया इसमें कोई अनुचित बात नहीं होगी कि जिनकी इनकम ज्यादा है उन पर इस प्रकार का टैक्स लगाया जाय इससे भी लोगों को एम्प्लॉयमेन्ट देने में ज्यादा कामयाबी मिलेगी।

हमारा प्रदेश ऐसा है जहां पर 90 प्रतिशत से अधिक लोग खेती पर निर्भर करते हैं उनके पास 6 महिने का काम रहता है बाकी दिनों में वे बेकार रहते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस प्रदेश में कम से कम अर्द्ध बेरोजगारी को मिटाने के लिये सरकार को चाहिये एग्रीकल्चर का काम बारह महीने रहे इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये इसके लिये ज्यादा धन की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिये। आज हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कन्ट्रोल नहीं कर पाये उसको पूरी तरह से कन्ट्रोल करें और हर इलाके को इलेक्ट्रिफाई करें ताकि उसके जरिये किसान अपने अन्य बचत के समय में छोटे-मोटे उद्योग खोलकर अपना जीवन निर्वाह कर सके। हमारी सरकार इस बारे में प्रयत्नशील है। यह कहना गलत होगा कि बिल्कुल प्रयास नहीं किया गया। यह गलत

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

है सफलता हमारी धीमी है इसको तेज करने की आवश्यकता है।

भत्ता देने की जो बात कही गई उससे मैं कतई सहमत नहीं हूं। अगर हम बगैर काम करने वालों को मुफ्त में पैसा देने लगेंगे तो वे आदमी नाकाम हो जायेंगे। आज हमें चाहिये कि लाखों करोडों बीघा जो जमीन खाली पड़ी हुई है उस पर यह मेन पावर लगाकर उसको प्रोडक्टिव बनानी चाहिये इससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और लोगों को एम्प्लोयमेन्ट भी मिलेगा। मुफ्त में भत्ता देने लग गये तो यह बेरोजगारी को प्रोत्साहन देना होगा। इस संबध में जो माननीय रामकिशन जी ने सुझाव दिया है उससे इत्तफाक नहीं करता यह कोई बेरोजगारी का हल नहीं है।

इसके अलावा जितना काम पब्लिक सेक्टर में होना चाहिये वह किया जाना चाहिये। इन्डस्ट्रीज का निर्माण हम इस तरह से करें जिससे यह समस्या हल हो सकती है। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया !

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो संकल्प बेरोजगारी के सम्बन्ध में रखा गया है उसके सम्बन्ध में श्रम मन्त्री महोदय जो दो भुजाएं लेकर बैठे हैं, काश उनके चार भुजायें होती। चार पंचवर्षीय योजनाओं को मैं इन चार भुजा की संज्ञा देता हूं। हां पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस की सरकार ने जो प्रजातन्त्र में विश्वास रखती है उसके द्वारा बनायी गई इन चार योजनाओं द्वारा बेरोजगारी के बढ़ाने के अलावा कुछ काम नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश के अन्दर ऐसी जातियां है जो अपने हाथों से काम किया करती थी जैसे बढ़ई, खाती, जुलाहा आदि जो परम्परागत रूप से काम करती आरही हैं। आज कांग्रेसी सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में वह रोजगार दे दिया है और उनके हाथ से वह छीन लिया गया है। कोटा के अन्दर डी० सी० एम० को कई कारखाने व नाइलोन फैक्टरी बनाने की इजाजत दे दी है। इस प्रकार के काम जब मशीनों के जरिये होने लग गये तो हमारी राजस्थान की जातियां जो परम्परा से काम करती चली आ रही थी वे बेरोजगार हो गयी। आज वे इस कम्पीटिशन में मशीनरी के युग में ठहर नहीं सकते। इसलिये परम्परा से चले आ रहे लोग जो काम करते थे वे बेरोजगार हो गये। इतना ही नहीं, मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं शाहाबाद क्षेत्र के अन्दर 70 हजार आदिवासी रहते हैं उनके पास उनके भरण-पोषण का उनके बाल बच्चों के भरण-पोषण, कोई रोजगार नहीं है। उस क्षेत्र के अन्दर जंगलों की आमदनी है गोन्द उसमें मिलता है और भी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कई प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं की पैदावार वहां होती है जिसके द्वारा आदिवासी अपना पालन-पोषण कर सकते हैं, अपने घरवालों का पेट भर सकते हैं। आज यहां का काम आदिवासियों को न देकर. जगल के बड़े बड़े ठेकेदारों को दिया जाता है। इस प्रकार से वहां के आदिवासी तमाम बेकार हो गये। आज उनकी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि उनके पास अपने परिवार का पेट पालन के लिये कोई साधन नहीं है। आज उनकी लड़कियां को पापी पेट की भूख मिटाने के लिये पंजाब के लोग आकर उनको ले जाते हैं और उनका तस्कर व्यापार चलता है। वहां के भूतपूर्व क्लेक्टर महोदय श्री एस. ए. खुराना को मैंने पत्र दिया था। मैंने उनसे कहा था कि यहां की आदिवासियों की लड़कियों को उठाकर लोग ले जाते हैं और उनको दूसरी जगह जाकर बेचा जाता है और इस तरह से इनका तस्कर व्यापार होता है। इस प्रकार का पत्र मैंने उन्हें लिखा था। उनसे मैंने यह भी निवेदन किया था कि अगर वे मुझे अपनी सुरक्षा की गारन्टी दें तो मैं उनके नाम बतला सकता हूं दूसरे व्यक्ति भी उवके नाम बतला सकते है यदि उनकी सुरक्षा की गारन्टी दी जाय तो। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे उनके जीवन की सुरक्षा की गारन्टी दें। आज हालत यहां तक हो गई है कि आदिवासियों की लड़कियां उनको आजीविका के साधन न मिलने के कारण, जिनके तन पर कपड़ा नहीं होने के कारण, रहने के लिये मकान न होने के कारण अपने घर को छोड़कर दूसरों की दुर्वासना की शिकार बनती हैं। जो सरकार ऐसे लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, उनकी आजीविका के लिये प्रबन्ध नहीं कर सकती उस सरकार में हम कैसे विश्वास करें कि इस सरकार से बेरोजगारी दूर होगी? इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आज तक बनी हुई योजनाओं के द्वारा किसी को लाभ मिला है तो बड़े बड़े उद्योग पतियों को। अगर उनकी सम्पति की जांच करवायी जाय लाखों ही नहीं करोड़ों की सम्पत्ति उनके पास मिल सकती है। जो सरकार समाजवाद का नारा लगाती है और कहती है कि हम गरीबी को दूर करेंगे, पूंजीवाद हमें सहन नहीं, राजा-महाराजाओं के लिये नारे लगाते हैं उस सरकार की हिम्मत नहीं कि वह बेरोजगारी दूर कर सके।

(3. म. प)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

सभापति महोदया, हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अन्दर ऐसे खनिज पदार्थ हैं, ऐसी खानें हैं अगर वे खानें उसी क्षेत्र के मजदूर वर्ग को दे दी जाय तो वे अच्छी तरह से अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन सरकार रॉयल्टी के लालच में आकर उनको नीलाम करती है और इस तरह से उस क्षेत्र में रहने वाली गरीब जनता के पेट पर लात मारती है। क्या कांग्रेस की यह सरकार यह निर्णय करेगी कि इस प्रकार से जिस इलाके

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

में छोटी छोटी खानें हैं या जंगल हैं, वन सम्पदा है वह उसी क्षेत्र के रहने वाले बेरोजगारों, मजदूरों को दी जाय जिससे वे लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकें ?

सभापति महोदया, आज कोटा जिले के अन्दर ऐसे ऐसे जगल हैं जिनके आसपास आदिवासी लोग रहते हैं, जिनके पास पेट पालने के कोई साधन नहीं, उसके कारण वहां के लोग बेकार हो जाते हैं, इस प्रकार लोगों की बेरोजगारी की जांच की जाय तो पता चलेगा इसमें ऐसे लोग काफी मात्रा में हैं जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं है । जिनके पास अपने बच्चों को बीमारी के लिए इलाज कराने को पैसा नहीं, जो तड़फ तड़फ कर मर जाते हैं उन लोगों के लिये जो आप इस प्रकार की योजनायें बना रहे है उनसे क्या फायदा होने वाला है ? आप जो उद्योगपतियो के लिये योजनाओं का निर्माण करते हैं आपको यह निर्णय करना चाहिये कि उस कारखाने के मुनाफे में मजदूर हिस्सेदार होंगे । यदि इस तरह के आदेश आप जारी करदें तो मजदूरों की बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है । आप विधान सभा के अन्दर जरूर कुछ बातें कह सकते हैं, सार्वजनिक सभाओं के अन्दर आप कुछ कह सकते हैं, वहां आप तरह तरह की घोषणायें कर सकते हैं। जिस समय कानून बनता है वह इस प्रकार से बनाया जाता है कि जिससे बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ मिलता है उससे मजदूरों का शोषण होता है और उनके अधिकारों पर कुठाराघात होता है । आज हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी से तंग आकर लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं । आज आपको चाहिये, गांव के रहने वाला मजदूर जिसके पास रोजगार नहीं आज आपको चाहिये कि आप इस बात का सकल्प करें कि बड़े बड़े शहरों में कोई उद्योग धन्धे नही खोलेंगे और गांवों के अन्दर कुटीर उद्योग खोले जायेंगे ताकि उनको रोजगार मिल सके । जो लोग आज उद्योग धन्धों के अभाव में बेकार हो गये हैं उनको रोजगार देना, काम देना सरकार का काम है । जो लोगों को जीवन निर्वाह के साधन नहीं दे सके आज मेट्रिक से लेकर एम ए पास तक के छात्र बेकार फिर रहे हैं जिनके लिये कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं, ऐसी सरकार को प्रजातन्त्र में शासन करने का अधिकार नहीं है ।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपको माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं वे अपना स्वागत बड़े बड़े कारखानों के मालिकों द्वारा कराना बन्द करें । खास तौर से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे बड़े बड़े कारखानों के मालिकों के यहां अपना स्वागत कराना बन्द करें । इससे होता क्या है कि वे पूंजीपति लोग इसका बेजा फायदा उठाते हैं । आज की हालत देखते हुए अच्छा तो यह होता कि सरकार हर इलाके की जांच करवायें कि उस इलाके के अन्दर कितने मजदूर हैं कितने आदिवासी वर्ग के लोग हैं। आज कल हमें रोजाना समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कई विद्यार्थी कई नौजवान व्यक्ति अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट नहीं भर सकते इस कारण कुओं में गिर कर आत्महत्या कर लेते हैं । आज मंत्री महोदय में यह हिम्मत नहीं कि आप इस प्रकार

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

आत्म हत्या करने वालों के आंकड़े पेश कर सकें कि कितने आदमियों ने बेकारी के कारण आत्महत्या कर ली है। जो लोग भूख से मरते हैं उन लोगों के लिये भी सरकार यह सकती है कि भूख से नहीं मरे बल्कि बिमारी के कारण ये मौतें हुई हैं। सभापति महोदया मैं निवेदन करना चाहता हूं जितने भी सरकारी कारखाने है उनके अन्दर भी सरकार अलाउन्स नहीं दे सकती। जिस परिवार के अन्दर एक व्यक्ति है उसको भी रोजगार नहीं मिलता है तो यह सरकार का पुनीत कर्तव्य है कि सरकार जिलाधीशों को ऐसे आदेश दें जो इस बात का पता लगायें कि किन किन परिवारों में ऐसे आदमी हैं जिनकी संख्या पांच है और उसमें से एक भी व्यक्ति को रोजगार न मिला हो। पहले उन कारखानों के लोगों की सूची बनाई जाय जो सरकार के आधिपत्य में हैं। इसके साथ साथ आप जो इन्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में कानून बनाते हैं उन को आप कानून द्वारा इस प्रकार से बाध्य कर दें कि पहले रोजगार उनके परिवार के सदस्यों को दिया जायगा जिनके परिवार का एक भी सदस्य रोजगार में लगा हुआ नहीं है। लेकिन सरकार इस प्रकार का कानून नहीं बना सकती।

इसके अलावा में एक सुझाव और देना चाहता हूं वह यह कि जब तक बेकार आदमियों को आप रोजगार नहीं दिला सकते तब तक उनके पेट भरने के लिये जितनी शासन से सहूलियत देना चाहे वह दी जाय उसके लिये सब के वेतन में से एक परसेन्ट की कटौती की जाय और उससे जो आय हो वह उनको दी जाय। जैसे प्रोवीडेन्ट फन्ड की व्यवस्था मजदूरों के लिये है उसी प्रकार एक संकल्प मंत्री महोदय यह भी है अपने वेतन में कटौती करा कर एक ऐसा फन्ड कायम करें जिससे बेरोजगार लोगों को लाभ मिल सके लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस प्रकार से हिम्मत नहीं कर सकती।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो शिक्षा प्रणाली है उसमें परिवर्तन करें और परिवर्तन करके नौजवान विद्यार्थियों को टेक्निकल शिक्षा दें तो आज जो लाखों नौजवान परेशान फिरते हैं उनको यदि टेक्निकल शिक्षा दी जाये तो थोड़ी बहुत अपनी पूंजी लगा कर या कर्जा लेकर अपना धंधा चला सकते हैं। अपने परिवार का पेट भर सकते हैं।

अन्त में मैं, माननीय सभापति महोदया आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले में कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे वृद्ध हैं जिनकी उम्र 70-80 साल की है, उनके कोई बच्चे वगैरा भी नहीं हैं, वे भूख से तड़फ तड़फ कर मर रहे हैं, पेड़ों की छाल खा कर भूख को मिटाने का प्रयत्न करते हैं, पेड़ों की पत्तियां खा कर जीवित रहना चाह रहे हैं, सरकार उनको सुविधा दे। सरकार कहती है कि जो वृद्ध हैं, जिनको जीवन का और कोई सहारा नहीं हैं उनको सरकार भत्ता देगी।

(लगातार समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

अन्त में मैं माननीय सभापति महोदया, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पहले सरकार इसकी जांच कराये। इस प्रकार टोंक जिले में सकरवाड़ा ऐसी जगह है जहां माइन्स में कई ऐसे मजदूर हैं।

(समय समाप्ति सूचक लगातार घंटी)

एक मिनिट। समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदया, चार कारखानों का एक मालिक है और प्रोविडेन्ट फन्ड बचाने के लिये खान का मालिक एक खान से दूसरी खान में और दूसरी से तीसरी खान में उनको ट्रान्सफर कर देता है और सरकार के रूल्स को तोड़ कर प्रोविडेन्ट फन्ड की चोरी करता है। श्रम मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करायें और लेबर डिपार्टमेंट के अफसर हैं उनको हिदायत करें कि वे गांवों में जाय और जहां छोटी 2 खानों पर मजदूर काम कर रहे हैं, जांच करके मजदूरों को सुविधा देंगे तो राजस्थान में बेकारी दूर होगी और बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। अन्यथा आपकी सरकार पर कलंक होगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय सभापति महोदया, यह संकल्प रामकिशनजी ने रखा है मैं इस प्रस्ताव के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदया, आम तौर पर हमारे समाज में यह धारणा, यह विचार आम लोगों के बने हुए हैं कि अपने लिये काम धंधा ढूंढना रोजगार ढूंढना यह हर एक व्यक्ति का काम है और यदि उसको रोजगार नहीं मिले तो लोग उससे हमदर्दी रख सकते हैं उसके भाग्य को कोस सकते हैं परन्तु उसकी जिम्मेदारी समाज की या राज्य की या उसको रोजगार देने की है या उसको बेरोजगार बनाने की है, जिम्मेदारी समाज की है या राज्य की है इस बारे में मान्यता नहीं है। इस प्रस्ताव में जो मूल बात कही गई है वह यह है कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि जो हमारे नागरिक हैं देश के, हमारे राज्य के, उन लोगों को रोजगार दिया जाय और अगर वह रोजगार नहीं दे पाता है तो अपनी उस त्रुटि के कारण उनको आर्थिक रूप से कोई मदद दी जाय जब तक कि उनको कोई रोजगार न मिल सके।

सभापति महोदया, यह एक बहुत बुनियादी प्रश्न है हमारे समाज के सामने और हमारे देश के सामने कि आखिर यह बेरोजगारी क्यों पैदा होती है। क्या आज जितने हमारे देश में लोग हैं जिन्होंने जन्म लिया है, क्या हमारे देश में उतने लोगों के लिये काम नहीं है ? क्या हमारे लिये कुदरत ने इतना मेटिरियल पैदा नहीं किया है कि जिसमें वे लोग काम कर सकें ? क्या इतने लोगों की आवश्यकता नहीं है कि वे इतनी वस्तुयें प्राप्त करने के लिये उनको जुटा सकें ? वास्तविकता यह है कि समस्या हमारे समाज के सामने यह है कि एक ओर हमारे समाज में मेटिरियल मौजूद है, कृषि उत्पादन भी है,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और कुदरत की पैदा की हुई चीज समाज में है धरती, खानें, वृक्ष और पैदावार और चीजें हैं। इन्सान की आवश्यकता के लिये हमारे देश को विशेष तौर से ऊंचे स्टेन्डर्ड में ले जाना चाहते हैं, हमारे हवाई जहाज नहीं हैं, वैज्ञानिक और चीजें पैदा करना चाहते हैं, स्कूल और सड़कें बनाना चाहते हैं, माननीय सदस्य जगह जगह से सवाल करते हैं कि हमारे क्षेत्र में यह चीज पैदा करो। उसके बजाय आज हम कर क्या रहे हैं? हम कह यह रहे हैं कि हमारे जो टेक्निकल डिपार्टमेन्ट्स हैं, हमने बहुत से इन्जीनियर्स, असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स, जूनियर इन्जीनियर्स ओवरसीयर्स को हमने नौकरी से निकाला है। अभी माननीय सदस्य सजेस्ट कर रहे थे हमारा खयाल जनरल एजूकेशन की तरफ है, टेक्निकल एजूकेशन की तरफ तो ध्यान ही नहीं है इसलिये पूरे रोजगार की बात नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा कि यह बात पूरे तौर पर सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि हमारे देश में, प्रान्त में टेक्निकल लोग भी बेरोजगार हैं। हमारी राजस्थान सरकार ने अभी मैंने प्रस्ताव रखा था वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में करीब 86 ओवरसीयर्स को नौकरी से निकाला है। राजस्थान सरकार ने कितने ही टेक्निकल हैड्स को नौकरी से निकाल दिया है। 1-10-66 के बाद राजस्थान सरकार की नौकरी में जो लगे उनको निकालने का फैसला किया। 58 से 55 वर्ष की आयु वालों को रिटायरमेन्ट में लिया। इसका दृष्टिकोण बुढ़ापे में आराम देने का दृष्टिकोण नहीं था। आर्थिक स्थिति को हल करने का प्रश्न था इनमें से और लोगों को निकाल दें तो रोजगार दे सकें। माननीय सदस्य देवीदत्तजी बोल रहे थे। उन्होंने फरमाया कि हमारे हलवाहक थे, गांवों में गृह उद्योग थे, मशीनें आ गयीं मशीनों की वजह से चौपट हो गये इसके कारण बेरोजगारी हो गयी। यह सही है। बुनियादी प्रश्न यह सोचने का है कि क्या कुम्हार को उसी चक्कर में जाना चाहिये? लोहार को उसी धोंकनी पर जाना चाहिये? या हम इन्डिया को एक मोडर्न नेशन बनाना चाहते हैं? यह प्रश्न बुनियादी है और यह सोचने का है कि जिस सरकार से हम कल्पना करते हैं इतने लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दें, क्या माननीय सदस्य इस बात को नहीं देख रहे हैं कि ज्यादा रोजगार देने की बात तो अलग जिस प्रकार का आर्थिक भूत इस सरकार ने अपनी नीतियों के कारण इस देश में खड़ा कर दिया है उसमें एक भी ज्यादा आदमी को रोजगार देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। हजारों लाखों करोड़ों, देश में बेरोजगार होते चले जावेंगे।

मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हू कि इसकी दुनियाद पर आप जाने की कोशिश करें। इसमें केवल सुखाड़िया जी को दोष दें या किन्हीं और को दें तो यह कोई एक आदमी के बस की बात नहीं है। जिन मान्यताओं को हमने स्वीकार कर लिया है, जिन मान्यताओं को स्वीकार करके वह सरकार चल रही है, जिन नीतियों की बुनियाद पर इस समाज का निर्माण कर रहे हैं उसका लोजिकल कन्क्ल्यूजन उसमें है। उस पर आंसू बहाने से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

काम नहीं चलेगा। उसकी हमदर्दी करने से काम नहीं चलेगा। अगर वास्तव में बेरोजगारी की समस्या हल करने का इरादा है, अगर वास्तव में यह चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो तो आपकी यह बुनियानी मान्यताएं जिसकी बुनियाद पर समाज का निर्माण कर रहे हैं उनको बुनियादी तौर से बदलना पड़ेगा।

मैं आपके सामने अपने शहर की मिसालें रखता हूं। हमारे अलवर में कुछ तेल के कारखाने हैं। हमारे यहां सरसों बहुत होती है। तेल का काम करने वाले मजदूर भी बहुत हैं। चार पांच कारखानों में चार पांच लाख रुपया भी लगा हुआ होगा लेकिन सब के सब कारखाने बन्द हैं। बुनियाद इसकी क्या है ? मालिक चाहता है कि कारखाने चल जायं, सरकार भी चाहती है कि कारखाने चल जाय तो अच्छा रहे। सरसों भी मौजूद है, लोगों की तेल की जरूरत भी खत्म नहीं हुई और मजदूर भी रोजगार चाहते हैं। लेकिन एक ही झगड़ा है। मालिक से पूछेंगे कि क्यों नहीं चलाते तो कहेगा कि पड़ता नहीं खाता। इसमें मुनाफा नहीं है। बुनियाद यह है। आज आप इस सदन के सारे एम. एल. एज.–184 एम. एल. एज,– चले जायं तो वे भी यही कहेंगे कि बड़ा अफसोस है लेकिन जब तक उनको मुनाफा नहीं होना, कारखाना नहीं चल सकता। एक अलवर में ही नहीं, इस तरह का करोड़ों अरबों रुपया इस तरह के कारखानों में, इस तरह की इण्डस्ट्री में, इस तरह के पैदावार के साधनों में आज गड़ा हुआ पड़ा है। सामाजिक संकट में, आर्थिक संकट के अन्दर इसका उपयोग नहीं होने देते। एक तरफ बेरोजगारी है, एक तरफ साधन हैं लेकिन इन सारे साधनों को आपकी यह मौजूदा अर्थ व्यवस्था जो मुनाफे के बगैर मजदूर को उन कारखानों के हाथ नहीं लगाने देती, इसलिए नहीं चल सकेंगे। इसीलिए नहीं चल सकेंगे। इसीलिए बेरोजगारी पैदा हो रही है और अब आप रोते हैं। लेकिन अभी तो बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आपके इस पूंजीवादी समाज में मनुष्य आपका लक्ष्य नहीं है, मानवता आपका लक्ष्य नहीं है, मनुष्य को रोजगार मिले यह आपका लक्ष्य नहीं है, मनुष्य को जिन्दगी देना आपका लक्ष्य नहीं है। इसके लिए काम नहीं करते।

हम और आप, मुनाफे के लिए काम करते हैं, मुनाफा ज्यादा हो इसके लिए काम करते हैं। कितने भी फायदे का और इन्सानियत की जरूरत का कितना भी काम हो, उस ओर ध्यान नहीं देते। मैं माननीय श्रम मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा और जब वे उत्तर दें तो बतायें कि क्या सिवाय इसके कि कारखाने मुनाफे में चलने लगे ? इसके अलावा कोई हल है कि वे कारखाने जो बन्द पड़े हुए हैं उनको और जो मजदूर बेरोजगार हैं उनको मिला दें। आप कहते हैं कि रोजगार ढूंढे।

आप इन क्लर्कों को जो 1–10–66 के बाद नौकर हुए हैं उनको नौकरी से निकाल रहे हैं, उनको आप काम नहीं दे सकते। आप राजस्थान केनाल का काम बन्द कर रहे हैं। क्या आज राजस्थान केनाल आवश्यक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं है आपके लिए। क्यों आप इनको रिट्रेंच कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए आपके पास साधन नहीं हैं। इसके लिए आप कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है और उनके पास कार्य नहीं है। सरकार यह कहती है कि लोगों से हम जो पैसा ले रहे हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है और वह कैपेसिटी वाले यह कहते हैं कि मेरे पास मुनाफा नहीं है। तो इसलिए यह जो सारी सम्पत्ति एक व्यक्ति के हाथ में है वह उस सम्पत्ति को बेरोजगार के हाथ नहीं लगाने देगा जब तक कि उसको मुनाफा नहीं मिले। वह बेशक मर जाय, वह एक केवल आज की कमेन्ट्री है हमारे समाज की। गोदाम के बाहर भले ही वह सड़क पर मर जाय क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है इसलिए धान को हाथ नहीं लगा सकता। वह मर जाएगा तो सेठजी कफन के लिए दया करके दान कर देंगे, मगर पैसा नहीं है तो वह किसी चीज पर हाथ नहीं लगा सकता।

तो, सभापति महोदया मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो यह बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है उसका बुनियादी कारण हमने जो पूंजीवादी तरीका समाज के विकास करने का अपनाया है, पूंजीवादी पद्धति को समाज की बुनियाद में हमने स्वीकार किया है। प्राइवेट सम्पत्ति को हमने समाज का आधार बनाया है। समाज के अन्दर एक ऐसी चीज को, एक ऐसी देवी को अपना लिया है जिसकी रक्षा हर हालत में होनी चाहिए। सम्पत्ति की रक्षा होनी चाहिए भले ही मनुष्य मर जाय, यह कोई बात नहीं। मुनाफे की रक्षा होनी चाहिए, मनुष्य भले ही खत्म हो जाय इसकी कोई बात नहीं। यह बुनियाद है। यह मान्यतायें हैं जो बेरोजगारी को पैदा कर रही हैं। आप देख रहे हो आज देश के अन्दर तमाम उद्योग–धन्धों के अन्दर संकट है। आज देश की तमाम इण्डस्ट्रीज में और सारे देश में संकट है कि वे कारखाने बन्द हो गए। क्या हिन्दुस्तान में इतनी मशीनें पैदा हो गई हैं? क्या हिन्दुस्तान का इतना मशीनीकरण हो गया है, इतनी ज्यादा मशीनें पैदा हो गई हैं कि अब देश को उनकी आवश्यकता नहीं रही? क्या आपकी टैक्सटाइल मिल्स राजस्थान में इतनी हो गई हैं कि वह पूरी पोटेंशियलिटी से काम नहीं कर रही हैं? क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि जो बढ़िया माल है उसको अप-टू-डेट मिल जो पैदा करती हैं उसके मुकाबले में जो अन-अपटूडेट मिल्स हैं वह काम नहीं कर सकती हैं। इसलिए पूंजीवाद के जो उसूल हैं वे मुनाफे के लिए काम करते हैं और इतना ही नहीं वे मुनाफे के लिए ही नहीं बल्कि अधिकतम मुनाफे के लिए काम करती हैं। इसलिए अगर इस चीज को पैदा करने में उनको एक रुपये का फायदा होता है तो और वह दूसरी चीज जो इन्सान के लिए फायदे के लिए भी न हो, वह इन्सान के नुकसान के लिए हो लेकिन उसको पैदा करने से दो रुपये का फायदा होता है तो एक रुपये के फायदे की चीज को छोड़ देंगे और दो रुपये वाली चीज को पैदा करने लगेंगे भले ही इससे इन्सान को नुकसान हो।

इस रूप में आज जो पूंजीवाद का विकास हमारे देश के अन्दर हमारी सरकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ने किया है उसमें आपने साथ ही पूंजीवाद का संकट भी खड़ा कर लिया है और प्रोडक्शन का संकट भी खड़ा कर लिया है। एक तरफ गरीबों की, बेरोजगारों की फौज है जो काम चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है तो दूसरी तरफ कुछ पूंजीवादी हैं और अरबपति हैं जो कुछ कारखानों के मालिक हैं जिनमें उनकी अरबों की सम्पत्ति लगी हुई है और उनके गोदामों में माल भरा हुआ है लेकिन माल नहीं बिकता, क्योंकि बेरोजगारों के पास जो पैसा है उससे वे उन्हें खरीद नहीं सकते उनके पास पैसा नहीं है। उनका माल कौन खरीदे। इसलिए माल गोदामों में भरा हुआ है इसलिए कारखाने नहीं चलते और इसलिए रिट्रेंचमेंट करेंगे और रिट्रेंचमेंट करेंगे तो मजदूर बेरोजगार होंगे और फिर सरकार को टैक्स से पूरा पैसा नहीं मिलेगा जिससे सरकार फिर अपने नौकरों को नौकरियों से निकालेगी। आज यह संकट दुनियां के तमाम पूंजीवादी देशों के सामने आया है और हिन्दुस्तान जो कि ऐसे जमाने में आजाद हुआ है जबकि पूंजीवाद का कुछ देशों के अन्दर बहुत जबरदस्त विकास हो चुका था, ऐसे जमाने मे हिन्दुस्तान पूंजीवादी तरीके के आधार पर विकास नहीं कर सकता। बीस वर्षों के अन्दर ही गम्भीर पूंजीवादी संकट का सामना आज हमारे देश के अन्दर हमारी सरकार को करना पड़ रहा है। जो पूंजीवादी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने इसके केवल दो ही हल बताये हैं। या तो युद्ध हो या महामारी हो। या तो युद्ध होकर कुछ करोड़, अरब लोगों को समाप्त कर दिया जाय, इससे बेरोजगारी की समस्या, जन संख्या की समस्या हल हो जाय या परमात्मा की मदद आ जाय ऐसी सरकारों को कि कोई हैजा फैल जाय, प्लेग हो जाय या कुछ न कुछ महामारी हो जाय जिसमे जनसख्या कम हो जाय। तो ऐसी सरकारें इन्सान की मौत के ऊपर उम्मीद करके चलती हैं। इन्सान की मौत के भरोसे के ऊपर ये पूंजीवादी अपनी पूंजी को बढ़ाने की दुनियां में कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि दुनियां में युद्ध हुए हैं, इसी वजह से पूंजीवादी देश चाहते हैं कि दुनियां के अन्दर युद्ध हो ताकि कारखानों का माल बिके, उनके हथियार बिकें और उनका आर्थिक संकट हल हो सके।

तो सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि........

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

अभी दो तीन मिनट में ही समाप्त करता हूं। आज समाज में चूंकि जो हमारी पहले अर्थ व्यवस्था थी, व्यक्ति अपनी जरूरत का सामान अपने परिवार के साथ स्वय पैदा करता था, वह समाज का नक्शा आज टूट गया। आज हमें कहीं जाना है तो हम मोटर या हवाई जहाज में बैठना पसन्द करेंगे, बैलगाड़ी में बैठना पसन्द नहीं करेंगे, इसलिए समाज के विकास को रोक कर बेरोजगारी की समस्या को इन आदर्शों के साथ हल कर सकें ऐसे दार्शनिक भी देश में हैं। इसलिए लोग आवाज उठाते हैं कि क्यों विकास किया जाय, वापिस गांवों की तरफ चलें,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वापिस चर्खे की तरफ चलें कुम्हार के पहिये पर बैठ जायं । हम यह समझते हैं कि ये एन्टी-प्री हिस्टोरिक ग्राइडियाज हैं रिएक्शनरी ग्राइडियाज हैं । समाज को ग्रागे बढ़ाना है तो समाज को ग्रौर हिन्दुस्तान को मोडर्न नेशन बनाना होगा ग्रौर इस वजह से ग्राज इस तरह की मशीनों से ग्रौर नई व्यवस्था से डरने की ग्रावश्यकता नहीं है । ये नई व्यवस्था, ये नये समाज की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं । ग्रगर इस प्रकार के उद्योग धन्धे उत्पादन के साधन बनेंगे तो एक मालिक के नीचे लाखों लोग काम करते हैं तो ग्रापको भी उसकी मिल्कियत को सामाजिक बनाना पड़ेगा । ग्रगर सामाजिक तौर से उत्पादन होता है तो उस मिल्कियत को भी सामाजिक बनाना पड़ेगा । यही रास्ता है इसको हल करने का ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बेरोजगारी को बढ़ाने की समस्या स्टेट की है, राज्य की है । उसके लिए उसकी नैतिक जिम्मेदारी है ।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

उसकी वैधानिक जिम्मेदारी भी है उस समस्या को हल करने की । इसका हल पूरी तरह तो समाजवाद के जरिये ही हो सकता है, लेकिन टेम्परेरी हल राजस्थान के ग्रन्दर यह है कि जमीनों का एकदम बटवारा कर दें । ग्रापके पास सवा करोड़ एकड़ जमीन है जिसको ग्राप एकदम एलाट कर सकते हैं । ग्रगर ग्रापके पास ह्यूमन एप्रोच है तो ग्राप 6 महीनों के ग्रन्दर कर सकते हैं । ग्रभी दिल्ली में एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की एक कान्फ्रेंस हुई थी तो उसमें श्री जगजीवनराम ने कहा है, लेकिन ग्रापका नजरिया वही है कि कितना मुनाफा कमा लें, कितनी नीलाम कर दें । वह जमीन भूमिहीनों के पास न जाकर कुछ मुरब्बेदारों, बड़े बड़े लोगों के पास चली जायगी ग्रौर वही होगा ग्रौर उसी तरह की समस्याएं खड़ी हो जायगी ।

इसलिए, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रारज़ी तौर पर राजस्थान में इस समस्या को हल करने का तरीका यह है कि बड़े बड़े से पैमाने पर जमीनों का एकदम एलाटमेंट कर दें जिससे कि ग्रस्थाई तौर पर समस्या को सुलझाया जा सकता है, लेकिन परमानेन्ट हल तो समाज की व्यवस्था को बदलने से है, समाजवाद के लाने से है, वर्ना ग्रापकी यह समस्या सुलझने के बजाय हर प्लान के बाद उलझती हुई चली जायगी, जैसे कि फर्स्ट प्लान के बाद सेकण्ड प्लान में उलझी ग्रौर सैकण्ड प्लान के बाद थर्ड प्लान में उलझी ग्रौर थर्ड प्लान के बाद फोर्थ प्लान में उलझ गयी ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री डागा !

श्री मूलचन्द डागा (पाली): माननीय सभानेत्रीजी एक बहुत बड़ा प्रश्न है राजस्थान सरकार के सामने अब तक ग्रपनी सड़कों पर ये जिन्दा लाशें वह देखेगी, एक बहुत बड़ा

(श्री मूलचन्द डागा)

सवाल है ये लोग जिनके चेहरे बुझे हुए हैं वे सड़कों पर घूमते रहेंगे। हर आदमी यह महसूस करता है कि यह देश के लिए कलक है कि कोई आदमी हाथ-पैर होते हुए भी काम नहीं पाता है। इस सवाल का निराकरण, इस समस्या का निराकरण किस प्रकार हो सकता है, यह एक प्रश्न है। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि हमारे देश के लोग मोहताज बनें, दया के पात्र बनें और वे यह आशा करें कि राज्य सरकार उनके लिए खाने का इन्तजाम करे, प्रबन्ध करे। इस प्रकार की पद्धति जो आपके प्रस्ताव में बतलाई गई है वह अधिकतर इस प्रकार से मोहताज बनाने की है। एक दफा कुछ विकलांगों की सभा हुई तो उसमें यह तय हुआ था कि हम नहीं चाहते कि दुनियां के कुछ लोग हमारे जीवन-निर्वाह के लिए हमें भोजन दें। हम नहीं चाहते हैं कि ईश्वर के दिये हुए हाथ-पैर या और अंग जो काम करते है उनके होते हुए हाथ फैलायें।

राजस्थान में क्या तरीका हो कि जिसके कारण बेरोजगारों को रोजगार दे सकें। एक तरीका तो साफ है वह जमीनों के एलाटमेंट का है। मैं समझता हूं कि आपके राज्य में एक पूंजीपति और बड़ा पूंजीपति बन रहा है, और इसके कारण यह प्रश्न पैदा होता है कि आपके पास जो भूमि है आप श्रम मंत्री भी हैं और राजस्व मंत्री भी हैं, आप रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, लेकिन एलाटमेंट के मामले में भूमि वितरण करने को जो योजना बनाई है, जो नियम बनाये हैं, उन नियमों के अन्तर्गत जो कानून बनाये हैं और उन नियमों के अन्तर्गत जिस प्रकार भूमि का वितरण होता है आजकल मैं समझता हूं कि 90 प्रतिशत भूमि का वितरण उन लोगों को होता है जिनके पास भूमि है और जिन लोगों के पास दूसरे प्रकार के धन्धे हैं और काम नहीं करते हैं पर बैठे बैठे मुनाफा उठाना चाहते हैं। इसके लिए इसको आप वापिस देखें।

और जो आप सीलिंग का कानून लागू करना चाहते हैं तो उसको तुरन्त लागू करें। सीलिंग से मैं समझता हूं कि और जमीन मिलेगी, और राजस्थान के अन्दर कुल बेकारी भी नहीं है, लेकिन मेरे खयाल से अर्ध-बेकारी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 4-5 महीने काम करते हैं और 6-7 महीने साल में बेकार बैठे रहते हैं। इस जन-शक्ति का उपयोग करें, यह देश का कर्त्तव्य है, अगर हम समझते हैं कि हमारी जन-शक्ति का पूरा उपयोग नहीं हो सकता है तो मैं समझता हूं कि हमारा आर्थिक विकास और हमारी योजनाएं असफल होती हैं। योजना का सफलीभूत होना न होना इस बात पर निर्भर होता है कि हमारी जन-शक्ति काम कर रही है। और जब जन-शक्ति का उपयोग नहीं होता है तो अनैतिकता और बुराइयां पनपती हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली के अखबार में एक खबर आई है कि कुछ गुण्डे पकड़े गये। यह क्यों? जहां जन-शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं वहां मेरे खयाल से अनैतिक काम ज्यादा पैदा होते हैं। तो इस बीमारी को मिटाने का इलाज एक यह भी है कि हम लोग सीलिंग के कानून को जल्द से जल्द लागू करें और सीलिंग का

(श्री मूलचन्द डागा)

कानून लागू करने के बाद जो भूमि हमें ग्रौर लेनी है उस भूमि को ग्रपने हाथों में लेकर राजस्थान के जो गांवों के लोग शहरों में ग्राते हैं, शहरों में जो नौकरी ढूंढने ग्राते हैं ग्रौर जो खेती हर मजदूर है उन लोगों को काम मिलेगा। इसका निराकरण करने का यह तरीका है कि हम लोग जितने भी खेती हर मजदूर हैं उन लोगों में सोसाइटी, सहकारिता के ग्राधार पर भूमि का वितरण करें। मुझे तो विरोध जो संयुक्त दल करता है इसका तो मालूम नहीं होता है कि उनकी क्या नीति ग्रौर रूल है। एक तरफ तो पुराने दायरे में चलते हैं। रेलगाड़ी में यात्रा करना चाहते है ग्रौर बैलगाड़ी की चाल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्र की सम्पत्ति घोषित कर दी जाय तो विरोध होगा। मुझे उनकी नीति नहीं मालूम हुई। राजस्थान कांग्रेस दल जिस नीति पर चल रहा है उस नीति पर मजबूती से चला जाय। जो ग्रापने कानून बना लिये हैं उनका एक्जीक्यूशन करें।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल (ग्रलवर) : पालन नहीं होता है यही तो बात है। ग्रापके माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली में जाकर विरोध करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह मानता हूं कि ग्रगर यह नीति को टालें तो उस नीति को बदलना है। यह सवाल नहीं है। ग्राज रूस ग्रौर ग्रमेरिका में भी बेकारी है। बेकारी का प्रश्न हिन्दुस्तान के लिए ही नहीं है। ग्राप ग्रन्य देशों मे देखेंगे तो ग्रापको बेकारी मिलती है। मेरा प्रश्न है कि हम लोग यह काम कर सकते हैं कि जो कुछ....

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : डागा साहब, ग्राजकल ो एम. एल ए. लोगों में बेकारी फैली हुई है। ग्रापकी मिनिस्ट्री कब एक्सपान्ड होगी ?

श्री मूलचन्द डागा : एम. एल. एज. में बेकारी फैली हुई है तो उनके लिए काम है। जो बेकारी की ग्रावाज देते हैं ग्रगर गवर्नमेन्ट एक कानून सख्त बना दे कि जो बेकार हैं उनको जेलों में ठूंस दिया जायगा तो बहुत कम लोग बेकार रहेंगे ग्रौर सब लोग काम में लग जायेंगे।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : मैं कहता हूं कि ग्राप लोग यह बना दें।

श्री रामकिशन : ग्राप इसको मान लें तो मैं ग्रपना प्रस्ताव वापिस ले लूंगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : बड़ा क्रियात्मक सुझाव है।

श्री मूलचन्द डागा : जो काम करता है उसको काम नहीं करने देना ग्रौर जो बोलता है उसको बोलने नहीं देना यह भी बेकारी है।

श्री खेतसिंह : यह बेकारी की खास डेफिनेशन है।

श्री मूलचन्द डागा : तो, सभानेत्री जी, जो एम्प्लायमेंट की रिपोर्ट है उससे मालूम होता है कि ग्रापके जो एम्प्लायमेंट

(श्री मूलचन्द डागा)

एक्सचेन्ज के अन्दर काम करते हैं, जो महकमा सारा काम करता है उससे मालूम होता है कि वह आंकड़े गलत बताता है। अगर उन आंकड़ों को देखें तो मालूम होगा कि राजस्थान में जो अनुसूचित जातियां और शेडूल्ड कास्ट्स है उन लोगों को जो नौकरियां मिलनी चाहिए और जिन पदों पर मिलनी चाहिए वह आज तक नहीं मिली हैं। यह आपकी रिपोर्ट है जो कल–परसों डिसकस होने वाली है। उस से मालूम होगा कि बेकारी का मुख्य कारण यह है और सबसे बड़ा कारण यह है कि जो लोग 55 वर्ष के हो गये हैं और जो तरीका हम लाये हैं उसके बाद भी काम कर रहे हैं। अभी तक जो टीचर्स रखे हैं, उनमें जो ट्रेन्ड हैं उनको भी निकाल दिया गया है। अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि ट्रेन्ड टीचर रखें या नहीं रखें। तो एक तरफ तो आप उन लोगों को काम में ले रहे हैं जिनको काम में नहीं लेना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि हम श्रम की महत्ता को महत्व नहीं देते हैं। राजस्थान में एक सबसे बड़ा प्रश्न पैदा हो रहा है कि क्या हमें जातिवाद के आधार पर नौकरी देना चाहिए। कई दफा उन्होंने इस बात को लिखा है :

"यह सिफारिश की जाती है कि भविष्य में रोजगार कार्यालय रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना भी तैयार रखें जिससे यह पता चले कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पदों के लिए निर्धारित योग्यतायें क्या हैं तथा क्या आरक्षित पदों के लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के नाम भेजे गये थे? नियुक्ति अधिकारियों से यह निवेदन भी करना चाहिए कि वह रोजगार कार्यालयों को सूचित करें कि रोजगार कार्यालयों द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों को क्यों नहीं चुना गया।"

नौकरियों पर उन्हें रखते है जिन लोगों को नौकरियां देना चाहते हैं और कोई न कोई बहाना लेकर उन लोगों को हटा दिया जाता है, उन लोगों को मौका नहीं दिया जाता है तो यह मालूम पड़ता है कि आपका जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज महकमा काम करता है, यह बिल्कुल बेकार का आफिस है, इससे कोई लाभ नहीं होता है, इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए।। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज जिन लोगों का नाम रजिस्टर करता है उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं और उनको सूचना तक नहीं मिलती है। इसके अलावा आपने जो यह महकमा खोल रखा है इससे यह भी मालूम नहीं होता है कि कितने अनुसूचित जातियों के लोगों को काम पर लगा दिया गया है, किन किन पदों पर लगाया गया है। जब उनसे सूची मांगी जाती है तो वह सूची देने से इन्कार कर देते हैं। इस महकमे के द्वारा यह भी मालूम नहीं होता है कि छोटी जातियों के कितने लोगों को, अनुसूचित जातियों के लोगों को काम पर लगाया गया है। श्रम की महत्ता आज इतनी गिर गई है कि जो पढ़े लिखे लोग कालेज से निकल कर आते हैं वह दफ्तरों में पढ़ने के बाद नौकरी चाहते हैं और वह न मिलने के कारण निष्क्रिय घूमते रहते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री मूलचन्द डागा)

मेरा ऐसा विश्वास है कि हमें शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में कुछ न कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा, ऐसा परिवतन लाना पड़ेगा जिससे जो शिक्षा से निकल कर आयें वह केवल नौकरी की तलाश ही न करें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री विजय।

श्री विजय सिंह रावत (नसीराबाद): सभापति महोदया, जो आज बीस वर्ष की आजादी के बाद भी देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी देखने में आ रही है, इसका परिणाम हमारे देश के अन्दर तो भुगतना हो पड़ रहा है लेकिन विदेशों के अन्दर भी इसके भयंकर परिणाम हो रहे हैं। मैंने छोटी उम्र के अन्दर ही सभी विदेशों के अन्दर भ्रमण किया है और मैंने देखा है कि बेकारी के कारण लोग सड़कों के ऊपर एक तरह से मरी हुई लाश की तरह पड़े रहते हैं। मेरा निवेदन है कि श्रम मत्री महोदय जयपुर की सड़कों पर और बाजारों में रात के समय में राउन्ड लेवें तो उनको लोग छबड़ी को सिर के नीचे रख कर सोते हुए मिलेंगे। उनको यदि पूछा जावे कि तुम कहां के रहने वाले हो तो कोई कहेगा कि मैं बाड़मेर का रहने वाला हूं, कोई कहेगा कि मैं अजमेर का रहने वाला हूं, कोई कहेगा कि मैं सिवाने का रहने वाला हूं और कोई कहेगा कि मैं खण्डार का रहने वाला हूं। यह सारी बातें जो आज हो रही है, यह सरकार की गलतियों के कारण हो रही हैं। देश के आजाद होने के बाद में सरकार ने जो योजनायें बनाई और सरकार ने जो संकल्प किये वह पूरे नहीं हो पाये। मैं समझता हूं कि सरकार के पास में इस विषय में कोई न कोई निश्चित नीति होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत काम करके बेकारी को दूर किया जा सके।

लेकिन, सभापति महोदया, यह देखने में आता है कि सरकार ने जो जगह जगह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल रखे हैं, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इनके अन्दर केवल सिफारिश के आधार पर और केवल टेलीफोन्स के ऊपर नौकरियां दी जाती हैं। जो यह सरकार दावा करती है कि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को साढ़े बारह प्रतिशत नौकरियों में प्राथमिकता देती है यह बिल्कुल गलत है। जो रिपोर्ट में सिफारिशें की गई हैं उनको पढ़ने से मालूम होता है कि यह सरकार बेकारी के प्रश्न को दूर करने के लिए जागरूक है या नहीं। सरकार यदि सोशियल सिक्योरिटी करने का दावा करती है, तो जैसा कि पी. के. चौधरी ने कहा है, और जैसा कि विदेशों में भी होता है कि जो देश के अन्दर बेकार होते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज किया जाय और दर्ज करने के बाद सरकार की यह ड्यूटी हो जाती है कि उन लोगों को वह नौकरी देवे। अगर वह नौकरी नहीं दे सकती है तो जिस प्रकार पीरियड के अनुसार तीन पौण्ड इंगलैंड में ऐसे लोगों को मिलते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है उसी तरह से यहां पर व्यवस्था करें। आज स्थिति यह है कि जो लोग बेकार हैं और जिनका नाम रजिस्टर हो जाता है वह सात-आठ साल तक वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। यहां तक भी देखने में आता है, सभापति महोदया, जो

(श्री विजयसिंह रावत)

लड़के तेईस वर्ष की उम्र में, बाइस वर्ष के अन्दर ग्रेजुएशन करने के बाद में बी.एड. कर लेते हैं वह भी वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती है। और जो चौबीस साल की सीमा है, उस उम्र के खत्म होने के बाद में वह नौकरियों में नहीं आ सकते हैं। इन सब स्थितियों के कारण हम देखते हैं कि आज बेकार लोगों की भरमार है।

इस स्थिति को देखते हुए सरकार को चाहिए कि वह बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कल कारखाने और खोलें। लेकिन सरकार ने उसके विपरीत जो ग्रामों में ग्रामोद्योग थे, और खानों का जो रायल्टी बेसिस पर काम चलता था, जैसा कि बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार ने उन धन्धों को अपने हाथ में ले लिया है और सरकार के द्वारा हाथ में लेने के कारण आज गांव के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पाती है। ठेकेदार आज जगह जगह बने हुए हैं वह इस कारण से बने हुए हैं क्योंकि अमुक अमुक मंत्री या राजनैतिक नेता के साथ में लगे हुए है। इसी कारण से जब गांवों में अकाल पड़ता है तो लोग गांवों को छोड़ छोड़ कर शहरों में आ जाते हैं और शहर में आने के कारण जिन शहरों के अन्दर आबादी ढाई लाख थी, वह आज तीन लाख हो गई हैं। आज शहरों में लाखों की तादाद में आबादी बढ़ रही है और गांव पिछड़ते जा रहे है। आखिर इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? इसकी जिम्मेदारी सरकार पर आती है। सरकार यह सब जानते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को इग्नोर करती जा रही है और इसका नतीजा दिन प्रतिदिन भयकर होता जा रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं कि मुझे चुनाव के दौरान जानकारी मिली कि अजमेर के अन्दर इक्कीस सौ विद्यार्थी ऐसे हैं जो एस.टी.सी. पास किये हुए है, और जिनको पिछले चार पांच वर्षों से नौकरी नहीं मिली है।

सभापति महोदया, जो किसान लोग हैं और जो गांवों में रहने वाले खेतिहर है वह दो रुपये रोज कमा कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, दस बारह साल तक उनकी शिक्षा पर खर्च करते हैं, इतना खर्च सहन करने के बाद में जब बच्चे एस.टी.सी पास हो जाते हैं तो उसके बाद भी सरकार अगर उनको नौकरी नहीं दे पाती है तो इससे अच्छा तो यह है कि सरकार इस एस.टी.सी. को बिल्कुल बन्द कर दे जब तक कि पहले एस.टी.सी. पास विद्यार्थियों को नौकरी न मिल जाय। यह तब ही हो सकता है, जब सरकार के अन्दर जिम्मेदारी की भावना आ जाय। मेरा सुझाव यह है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो बेकार लोग अपना नाम लिखायें, उनके नाम लिखे जाने के बाद, जैसा कि सोशियल सिक्योरिटी का सुझाव दिया गया है, उसके आधार पर यह तय कर दिया जाय कि जब तक नौकरी नहीं दी जाय तब तक कोई भत्ता या कोई दूसरे प्रकार की फैसिलिटी उनको दी जाय। इसमें एक बात यह और होगी कि जो अफीसियेन्ट आदमी अजमेर का वह भरतपुर जा सकता है और जो भरतपुर का है वह बाड़मेर में जा सकता है। यदि सोशियल सिक्योरिटी की स्कीम को लागू कर दिया जाय तो एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह कहीं ले जा सकते हैं,

(श्री विजयसिंह रावत)

और वह उसके लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता है। जहां तक मुझे विदेशों की जानकारी है, वहां पर जिस व्यक्ति ने अपना नाम रजिस्टर कराया है, उसके पास में चौबीस घण्टे में नौकरी की इत्तला आ जाती है। यह व्यवस्था यहां पर सरकार क्यों नहीं करती है? अगर यह नहीं करती है तो सरकार को चाहिए कि जो छोटे छोटे ग्रामोद्योग और उद्योगों का सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया है, और ठेकेदारों को ठेके देकर लोगों के रोजगार को छीन लिया है, उनसे उन ठेकों को वापिस लेने की कार्यवाही की जानी चाहिए। लोग रायल्टी के द्वारा खानों से पत्थर निकाल कर शहरों में ले जाते थे उन खानों के उपर आज कब्जा ठेकेदारों का हो गया है। इस कारण खानों के ऊपर, जिनसे इनडीविजुअल आदमी अपना जीवन निर्वाह करता था, ठेकेदारों का कब्जा हो गया है और वह उनसे धन्धा चला कर पैसा बनाता है और पांच साल के बाद में लोकप्रिय मन्त्री उससे पैसा लेकर चुनाव लड़ते हैं।

यह सारी चीजें होना इस राजस्थान के अन्दर ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर यही चित्र सामने आता है। बोम्बे में यह है कि वहां पर रात को फुटपाथ पर चल नहीं सकते। उन फुटपाथ पर सोते हुए लोगों की तस्वीरें लेकर विदेशी जाते हैं। हम घूमते थे तो विदेशी लोग कहते थे :

India is a very poor country. There people don't have anything even to serve. And so many things, they said.

उसको सुन कर कितनी चोट हृदय पर लगती है। आज आप कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, भारत सदा से ही विश्व में बहुत ऊंचे आदर्शों वाला देश रहा है, उसका किस रूप में विदेशो चित्रण कर रहे हैं, उसको आप सुनोगे तब पता चलेगा।

जहां तक माननीय रामकिशनजी ने यह प्रस्ताव रखा है, उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। बेरोजगारों को या तो रोजगार दिया जाय या उन्हें जीवन निर्वाह के लिये भत्ता दिया जाय। ऐसी व्यवस्था की जाय कि केवल भत्ते के लिये ही उन्हें मोहताज नहीं किया जाय, ऐसी व्यवस्था की जाय कि जल्दी से जल्दी उनको रोजगार दिया जाय, और अगर यहां राजस्थान में उनको रोजगार नहीं दे सकें तो उनको श्रम करने के लिये दूसरी स्टेट्स में भेजा जाय। श्रम देने की ड्यूटी सरकार की है, श्रमिकों की ड्यूटी श्रम करने की है....

श्री खेतसिंह : श्रम करने के लिये तैयार हैं या शरम करने के लिये तैयार हैं ?

श्री विजयसिंह रावत : श्रम।

एक माननोय सदस्य : आप तो शरम खाने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री विजयसिंह रावत : तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए जीवन निर्वाह के लिये बेरोजगारों को जीवन निर्वाह भत्ता दिया

(श्री विजयसिंह रावत)

जाय इसकी मांग करता हूं, जिससे कि बेकारी दूर हो। आज जो हमारी नैतिकता का पतन हो रहा है, समाज में व्यभिचार बढ़ रहा है; बेरोजगारी की वजह से अन्य प्रकार की कई खराबियां समाज मे आ रही हैं और हमारे समाज का स्तर गिर रहा है, वे सब खराबियां दूर हों जिससे कि हम अच्छे भारतीय नागरिक बन सकें और यहां के नागरिक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री नत्थीसिंह। उन्होंने संशोधन पेश किया है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदया, अभी उधर बैठने वाले तीन माननीय सदस्यों ने इस बात को माना कि राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या अत्यन्त ही नग्न रूप में सामने है। उन्होंने यह भी माना कि आज सड़ी हुई और जिंदा लाशें सड़क पर नजर आती हैं। यह कहने के बाद भी उन्होंने कहा कि सरकार ने तो बहुत कुछ किया है पर हो नहीं पाया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब कुछ इसलिये नहीं हो पाया है कि सरकार में अभी वह उत्कट और तीव्र इच्छा पैदा नहीं हुई कि बेरोजगारी की समस्या को हल करें। कुछ दिनों पहले उधर बैठने वाले कुछ माननीय सदस्यों को बेरोजगारी का खतरा पैदा हुआ था तो उस समय अपनी उस बेरोज़गारी को मिटाने की उनके दिल में इतनी उत्कट इच्छा थी कि मायूसी उनके चेहरों से टपकती थी। मायूस चेहरे होते हुए भी उन्होंने अथक परिश्रम किया और अपने रोजगार को कायम रखने में वे कामयाब हुए।

मुझे इस बात की खुशी है कि येन-केन प्रकारेण उन्होंने अपने रोजगार को कायम रखा येन-केन प्रकारेण मंत्रीजी रहे और श्रम मंत्री बने बैठे हैं। तो जो उत्कट इच्छा इनके दिल में अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिये थी उसी तरह की उत्रेट इच्छा अगर इनके दिलों में जनता की बेरोजगारी को मिटाने के लिये होती। उसी प्रकार की बेचैनी को यदि ये जनता के लिये भी अनुभव करते तो आज इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तीन पंचवर्षीय योजनाएं निकल जाने के बाद भी बेरोजगारी आज ज्यों की त्यों दिखाई देती है, इससे हमें लगता है कि तीनों पंच वर्षीय योजनाओं में सरकार ने बेरोजगारी को मिटाने के लिये, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया। एक तरफ देखते हैं कि आज पढ़े लिखे बेरोजगारों की जमात की जमात खड़ी है, अभी चौधरी साहब फरमा रहे थे कि सोशियलिस्ट पार्टी के नेता ने कह दिया कि थर्ड डिविजनर्स को भी कालेजों में दाखला दो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होने गलत अर्थ लगाया है, आज सरकार यह समझे हुए है कि केवल कलम घिसाई का रोजगार देना है, यह सरकार का भ्रम है। आज हमारे गांवों में खेती पर जो लोग लगे हुए है उनमें बेरोजगारी है, श्रमिकों मे बेरोजगारी है, सर्व-साधारण में बेरोजगारी है, आज पढ़े लिखे छात्र हमारे गांवों में जाते हैं, वे बेरोजगार हैं। इस

(श्री नत्थीसिंह)

बेरोजगारी के लिये दोषी सरकार है कि इसने इस बेरोजगारी का कोई हल नहीं निकाला।

ग्रासींद से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बेरोजगारी का भत्ता देने से उन लोगों में हीनत्व की भावना ग्रायेगी, पर मैं बताना चाहता हूं कि समाज के हर व्यक्ति को रोजगार देना सरकार का कर्त्तव्य है, सरकार ग्रपनी जिम्मेदारी महसूस करे कि समाज के हर व्यक्ति को रोजगार पाने का हक है। माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें कहा है कि वयस्क लोगों को रोजगार दिया जाय पर ग्राज हिन्दुस्तान की समस्या है वह बड़ी विकट है, छोटे छोटे बच्चों को भी ग्राज श्रम करना पड़ रहा है, वे रिक्शा चलाते हैं या ग्रौर किसी प्रकार का रोजगार करते हैं, ऐसी हिन्दुस्तान की समस्या है, वयस्क लोगों को रोजगार भत्ता दिया जाय यह कह कर उन्होंने ग्रापका काम ग्राधा कर दिया है। लोग दरग्रसल काम चाहते हैं, उनको काम दीजिये, काम यदि ग्राप नहीं दे सकते तो उनको कुछ न कुछ काम नहीं दे सकने का एवजाना देना चाहिए, क्योंकि समाज के हर व्यक्ति को काम देना ग्रापका कर्त्तव्य है।

उधर बैठने वालों की ग्रादत पड़ी हुई है कि जब तक उनके ग्राका लोग नहीं कह देते तब तक वे सही बात को भी उल्टा ही कहते हैं। उनको पता नहीं है मैं उनकी जानकारी के लिये बता दूं। उनके बड़े ग्राका दिल्ली में बैठते है, उन्होने ग्राज ही स्वीकार किया है कि बेरोजगारी का भत्ता दिया जाना चाहिये। इसे दो क्षेत्रों में जल्दी ही लागू करना चाहते हैं ग्रौर ग्रौरों के बारे में हम सोच रहे हैं। मैं जानता हूं कि हमारे श्रम मन्त्री दो ही बहाने लेंगे एक तो यह कि हमारे पास साधन नहीं है ग्रौर दूसरा यह कि ग्राबादी बढ़ रही है, इसके सिवा ग्रौर कुछ भी उनके पास कहने को नहीं है। पर इसी के लिये तो ग्राप बैठे हुए हो, ग्रगर कुछ नहीं कर सकते तो बद्रिकाश्रम चले जाइये ग्रौर जब भगवान ग्रापको बुद्धि दे तो फिर ग्राजाइये। श्रम मन्त्री जी ग्राज ग्रगर वहां नहीं होते ग्रौर पहले जहां बैठा करते थे वहीं पर बैठे होते तो मेरे से ज्यादा बलन्द ग्रावाज में कहते कि राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये प्रिविपर्स जल्दी बन्द कर देनी चाहिये। पर ग्राज वहां बैठे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ग्रपने ग्रापको हीरो बताने के लिये बन्द कमरे में प्रिविपर्स खत्म करने की बात करते हैं, बाहर ग्राते ही दूसरी बात करते हैं, इस खिचड़ी नीति से तो कुछ भी होने वाला नहीं है, इस मिक्स्ड ग्रर्थ व्यवस्था में तो लोग बेरोजगार रहेंगे। ग्रब तो ग्रोप–रेशन का समय ग्रा गया है, मरहम पट्टी से कुछ भी होने वाला नहीं है। समाज में जो सम्पन्न वर्ग हैं उन पर कन्ट्रोल करना होगा ग्रौर जो लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देना होगा। इसके सिवा ग्रौर कोई चारा नहीं है। हमने सदन में बार बार कहा कि 1500 से ज्यादा खर्चा नहीं करने दें पर ग्राप इसको मानते नहीं। ग्रंग्रेजी के मामले में कुछ लोगों के दबाव में ग्राकर हिन्दी भाषी प्रान्त की केबिनेट कहती है कि ग्रंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। ग्रंग्रेजी में पास होना चाहिये। चेम्बर में

(श्री नत्थीसिंह)

कहेंगे कि हम क्या करें हम पर दबाव है। पराधीनता हिन्दुस्तान से चली गई पर कांग्रेसी सीटों पर बैठने वालों की दासता नहीं गई।

(4 म. प.)

ग्राप ग्रगर चाहते हैं कि रोजगार की समस्या का हल हो तो ग्राज मौका है। इस प्रस्ताव को पारित करवाइये, हिम्मत के साथ। तब सरकार सोचेगी कि प्रस्ताव तो सदन में पारित हो गया है। ग्रब कोई न कोई तरीका काम में लाना पड़ेगा। प्रस्ताव पारित कर दिया तो कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी वैसे मन्त्रीजी को भी यह सिद्धान्त रुप से तो स्वीकार है। पर प्रस्ताव पारित कर दिया तो मन्त्री मण्डल से नहीं चले जावें, यह डर है। पर मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है, पास कर देंगे तो मन्त्रि मण्डल से भी जाने की नौबत नहीं ग्रावेगी। पर हिम्मत जरूर ग्रावेगी।

हम 1½ हजार से ज्यादा का खर्चा किसी को नहीं करने दें। हम मांग करें कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। कुछ व्यक्तियों के हाथ में सारी पूंजी नहीं रहनी चाहिये। इसके ग्रलावा चारा नहीं है।

ग्राज एम्प्लोयमेंट एक्सचेंज की बात कही जा रही है। डागा साहब कह रहे हैं बेकार हो गये हैं। जेल में जाने की परिभाषा दो। ग्रगर यह क्रियात्मक सुझाव है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज का दफ्तर जरूर रहना चाहिये। जब नाम लिखाने जाता है कोई तो 10) रिश्वत का देना पड़ता है। दफ्तर वाले तो रोजगार करते हैं बेरोजगारों से। नाम वहां से निकलवाना है तो भेजो 50) ग्रौर ग्रगर ग्रच्छी जगह नाम भिजवाना है तो दो सौ। जैसे पद पर भिजवाने की बात हो, उसी पद के ग्रनुरूप पैसा होता है देने का। जेल भिजवाने की बात कह रहे हैं तो बढ़ा रोजगार।

फुलेरा से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने भी कह दिया कि भत्ता नहीं दिया जाना चाहिये। सोशियल सिक्योरिटी स्कीम ग्रौर इन्श्योरेन्स का काम जरूर करें। मुझे हंसी ग्राती है। हट्टे कट्टे ग्रादमी है, काम करना चाहता है पर काम मिलता नहीं, पर दो जून खाने की समस्या तो है। ग्राप चाहते हैं वह बेरोजगार ग्रादमी इन्श्योरेन्स का पैसा ग्रौर उसकी प्रीमियम ग्रौर दे। ग्राखिर कहां से लावेगा वह ? उसके सामने तो पेट भरने की भी समस्या हो रही है। ग्रौर करजे में थोड़ा बहुत डूबा है, घर है उसे भी गिरवी रखकर प्रीमियम भी दे पर फिर पीछे पीछे भागता रहे नो यह गलत बात है।

ग्रापको हिम्मत के साथ यह कदम उठाना ही होगा ग्रौर ग्राज जमीन के ग्रलॉटमेन्ट की बात कही जाती है। जमीन तो ग्राप ग्रलाट कर देंगे इससे देश में कुछ बेरोजगारी की समस्या हल होगी, जो ग्राज खेतिहर मजदूर गांवों में हैं उसमें ग्रंश मात्र का हल ग्राप कर पावेंगे पर जब तक पूरी तौर से इस सिद्धान्त को तय नहीं करेंगे ग्रापकी समस्या बनी रहेगी। जैसे हमारे ग्रासीन्द से ग्राने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे ग्रौर वैर से ग्राने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि पश्चिमी राजस्थान

(श्री नत्थीसिंह)

में भीलवाड़ा व उदयपुर में ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है भरतपुर, अलवर, जयपुर में कम पैसा खर्च किया है। यह पक्षपात की बात आप करते हैं। आसीन्द वालों ने कहा कि हमारे यहां सिवाय सिंचाई की योजनाओं के किसी बात पर पैसा खर्च नहीं किया। इधर बड़े बड़े कारखाने उनको नजर आये। मैं उन्हें दावत देता हूं वे आवें इधर और हमको बता जावें वे कल कारखाने। आपके मुख्य मन्त्री महोदय की इस शानदार 12 साली सरकार ने पूर्वी राजस्थान में कहां कहां कल कारखाने खड़े किये हैं वे कहां कहां नजर आ रहे हैं वे दिखा दें। सवाल यह है आप यह कहते हैं आपके यहां थोड़ा बहुत इरिगेशन में काम हुआ, पर इधर तो वह भी नहीं हुआ। 15 सालों में कोई काम ही नहीं हुआ। किसी तरह से इस गाड़ी को धक्का दिया जा रहा है। इस धक्का देने वाले रास्ते के तरीके से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। जरूरी है, सरकार को हिम्मत के साथ आगे आना पड़ेगा। पर यह हिम्मत दिखाई देती नहीं इस सरकार में।

इसके लिये सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जहां खेती की तरक्की की बात आप कहते हैं वहां खेती पर निर्भर रहने वाली इन्डस्ट्री पर जोर क्यों नहीं देते ? यह बेकारी की समस्या तभी हल होगी बहुत अंशों में जब कि आप खेती पर आश्रित उद्योग धन्धों को पनपावेंगे।

नाइलोन के कारखाने खोलने का वक्त नहीं है यह। मैं यह जरूर चाहता हूं कि देश का इन्डस्ट्रियेलाइजेशन हो और इसके लिये यह भी जरूर मानता हूं कि नाइलोन का कारखाना भी खुलें, पर इस वक्त यह चाहता हूं कि इससे पहले लोगों के पेट की आग को शान्त किया जाना चाहिये। यह नाइलोन से अधिक जरूरी है। नाइलोन और लिपस्टिक बाद में आ जावेगा। दर असल आपने प्रायोरिटी कायम करने में अपने दिमाग का सही उपयोग नहीं किया।

शिक्षा के नाम पर इधर वाले भी और उधर वाले भी बराबर कहते हैं इसे बदला जाना चाहिये। आज तो इनसे कोई काम नहीं होता। आज का शिक्षित तो केवल सरकारी नौकरी में जाना चाहता है। आपने इस के समाधान के लिये आज तक कौनसा कदम उठाया है इन बीस सालों में अपने शानदार 15 साला राज में ? भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री महोदय अपने पंख फड़फड़ा कर रह गये कि सेक्रेटरी और यह सर्विस क्लास काम करने देती नहीं। पर वह शब्द मैं कहूं या न कहूं, कहीं असंसदीय तो नहीं है, यह नपुंसकता का जवाब कुछ अच्छा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह असंसदीय नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : यह संसदीय है, तो अच्छी बात है। आपको हिम्मत के साथ कदम उठाने चाहिये। अगर यह सर्विस आपके कहे मुताबिक नहीं काम करती है तो उसे सबक दीजिये। केन्द्र से कहिये। अगर आपकी हिम्मत है तो अपनी बात मनवाइये, क्रियान्वित करें अपने इरादों को। मजदूर नेता होने के नाते ट्रेड यूनियन में काम करने

(श्री नत्थीसिंह)

वाले होने के नाते उपदेश तो आप बहुत देते हैं। आगे बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं। क्रियान्वित करने के वक्त पीछे हटते हैं? उसका क्या नाम है हिन्दी है जो ऐसा करते है? वह नाम लेना मैं नहीं चाहता। केवल यह कहूंगा आप अपनी आत्मा के साथ छलना करते हैं। इसके सिवाय और कुछ नहीं कहना चाहता। भारतीय संस्कृति का यह कहना है कि जो आदमी अपनी आत्मा को धोखा दे उससे विशेष आशा नहीं की जा सकती।

आज का दिन हमारे श्रम मन्त्री की कसौटी का दिन है। कसौटी इस बात की होगी कि सिद्धान्त रूप में जिसको मानते हैं कि देश में बेरोजगारी नहीं रहनी चाहिये, जो बेरोजगार है, उसको काम देने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार काम नहीं दे पा रही है तो भत्ता जरूर दिया जाना चाहिये कोई दान नहीं है, किसी तरह से और कोई बात नहीं है, यह तो अधिकार है उस दिन तक के लिये जिस दिन तक आप उसे काम न दे दें। मैं नहीं मानता....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं सभानेत्री महोदया।

मैं इसमें संशोधन देना चाहता था, पर दे नहीं दे पाया। मैंने यह कहा था उसमें कि इस प्रस्ताव में सभी बातें तो आ गई हैं पर अवधि नहीं दी गई है। यह सरकार अवधि के बारे में जब पूछेंगे तो कह देगी कि शीघ्रातिशीघ्र। और इसका शीघ्रातिशीघ्र हम सब जानते हैं। यह सरकार तो शीघ्रातिशीघ्र शब्द को 20 वर्ष भी लम्बा कर सकती है और सौ वर्ष भी कर सकती है। यह अलग बात है कि यह स्वयं कितने दिन की मेहमान है। इस शब्द को तो इसने रबड़ की तरह बना रखा है। तो मेरा संशोधन यह था कि 2 अक्टूबर 67 के बाद हमारे राजस्थान में अगर कोई आदमी बेरोजगार होता है या रहता है तो सरकार उसको भत्ता देगी। 2 अक्टूबर को आप महात्मा गांधी को याद करेंगे। पर याद आप करते चलते हैं और काम उल्टे करते जाते हैं। आपकी तो आज यह दशा है कि एक तरफ महात्मा गांधी को याद करते चलेंगे और दूसरी तरफ उनका बहुत प्रिय सिद्धान्त आप भूलते जाते है। शराब बन्दी पर वे बहुत जोर देते थे, पर आपके यहां शराब बन्दी तो चलेगी नहीं शराबखोरी जरूर चलेगी तेजी से। तो हिम्मत से याद करो दो अक्टूबर को कि अगर दो अक्टूबर के बाद कोई बेरोजगार रहता है तो उसके लिये सरकार बेरोजगारी के भत्ते की व्यवस्था करेगी।

यह बोझा, यह पहाड़ आप पर पड़ेगा तभी इसका समाधान कुछ निकलेगा। पर आज तो आपकी नीति बन रही है, समाधान नहीं करना, टालना। उसको टालो, किसी तरह टालो, किसी भी समस्या को टालो। राजस्थान में ही नहीं, पर हिन्दुस्थान में आज कांग्रेस की कोई नीति अगर रह गई है तो एक मात्र यही रह गई है कि कोई समस्या है कैसी भी है तो उसे टाल दो।

(श्री नत्थीसिंह)

यह टालने की नीति है। चाहे उनके मेनीफेस्टो में कुछ भी हो। अब की बार श्रम मन्त्री महोदय इस टालने की नीति से दूर हटेंगे और हिम्मत के साथ ऐसी बात कहेंगे जिससे कि हमें इतमीनान हो कि जो लोग इस बीस वर्ष के उनके शासन काल में स्वर्ण युग में भूखा है, बेरोजगार है, काम धन्धा नहीं पा रहा है वह भी शायद सोने के इन हारों में से एकाध तिनका ही पा जावे जो आपने बीस वर्षों में इकट्ठा किया है। इससे उनको सन्तोष होगा। इतना ही निवेदन करना है।

श्रीमती सभानेत्री : आप उत्तर देंगे अब। (मन्त्री महोदय से)

श्री आलम अली : अभी बहुत बोलने वाले हैं।

श्रीमती सभानेत्री : बोलने वाले तो हैं पर समय कम है चार बज गये हैं अब उसका उत्तर दिया जावेगा। दूसरे रेजोल्यूशन भी हैं। काफी के अधिक समय लिया जा चुका है इस प्रस्ताव पर। फिर भी चार बज गये हैं। आप उत्तर दें।

श्री आलम अली : पढ़े लिखों की बात नहीं है। दो बातें हमारी भी सुनो।

श्रीमती सभानेत्री : आप दूसरे प्रस्ताव पर बोल लेना।

श्री आलम अली : आप प्रतिबन्ध लगाते है, बोलने नहीं देते हैं।

कई माननीय सदस्य : इन्हें बोलने दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आप दो चार मिनिट बोल लें।

श्री आलम अली : दो ही मिनिट बोलूंगा और आपकी मरजी हो जावे मेरी बात अच्छी लगे तो टाइम और दे दें और बोल लूंगा।

माननीय सभानेत्रीजी, मैं बड़ा दुख रे साथ कहणो चावूं कि बीस साल रे बाद भी आहो बात कही जा रही है और आजादी रे बीस साल बाद भी रोटी देणे की बात भी पूरी नहीं कर पाया है। बड़ी शरम की बात है आ।

सभानेत्री जी, मैं आपके द्वारा मन्त्री ने वा बात याद दिवाणो चावूं जो आजादी सूं पेली वे जनता ने कहता हा। ऐ कहता हा कि मे राजा महा राजा और अंग्रेजों सूं छुटकारो दिलावांगा और पेट भर कर रोटी कपड़ो देवांगा और लोगों ने पूरो आराम देवांगा। आज यो आराम दियो है कि एक सिपाही को तबादलो बीकानेर से उदयपुर हो जावे, गरीब सिपाही कम तनखा के कारण उदयपुर जाणो नहीं चावे, 500 रुपिया देकर ट्रान्सफर केन्सिल करायो है।

(शेम शेम की ध्वनि)

गवर्नमेन्ट होस्टल में आणे के बाद मैं महसूस करूं हूं कि ए पांच सौ रुपिया लेणहार गरीबों री गरीबी दूर करेगा ? रोटी देगा ?

(श्री ग्रालम ग्रली)

सभानेत्री जी, मेरो सुझाव एक छोटो सो है। ग्रबार ग्राप कह या रिहा कि सरकार के पास रुपिया की कमी है। मैं कहूं सरकार ग्रपणी फिजूलखर्ची उडावणगो बन्द करे तो रुपिया ही रुपिया है। लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर तहसील में दो लाख करीब कड़बी ग्रकालग्रस्त इलाके ताई खरीदी गई जो ग्राज भी दो तहसील में ही 2 तीन लाख यूं ही खा जावे। दो लाख तीन लाख हर तहसील में बचा लेवे वा पड़ी पड़ी सड़ रही है जिणरी जांच सरकार चावे तो करवा सके है इण तरासूं ही न जाणे दूसरी तहसीलां में कांई कांई पड़ो सड़ रह्यो है ग्रौर सरकारी धन रो दुरुपयोग हो रह्यो है तो इन धन रो सदुउपयोग ग्रगर करो जावे तो गरीब बेरोजगार ने इण सूं मदद मिल सके है। दो तीन लाख ही कांई, करोड़ों रुपीया बरबाद हो रीया है। पर वे गरीबों रे काम में नहीं ग्रावे ग्रौर लूंगाड़ा खाकर चल्या जावे।

वो बाप नहीं है जो ग्रपणा बेटा ने रोटो न दे सके कपड़ो नहीं दे सके, काम नहीं दे सके।

सभानेत्रीजी, जो बाप बेटा बेटी ने रोटी रोजी नहीं दे सके वो बाप नहीं है। ग्राज वो दिन दूर नहीं जद ये उड़ता नजर ग्रावेगा। ए बातां ने लोग ग्रब बर्दाश्त नहीं करेगा। जो बाप जनम दे है वो रोटी ग्रौर कपड़ों ग्रौर काम की व्यवस्था नीं कर सके। मैं एक कहावत कहूंगो।

सभानेत्री जी, एक ग्रा सरकार है ग्रौर उण में बेठोड़ा ए लोग कल्पना करे है। क्या ? एक मेरे जैसा गरीब कोई मुसलमान हो। ऊ को व्याब नहीं हुयो। (हंसी)

सभानेत्रीजी, एक सेठ ग्रायो उं के पास ग्रौर कयो कि मजूरी करे ला ? वो बोल्यो हां करूंला तो तेल को मारो ग्रौ चाडो सिर पर ले ले ग्रौर चाल ग्रारे लार दुकान पर। थ ने चार ग्राना दूंगा। वो कल्पना करण लागो कि ए चार ग्राना मने मिलेगा तो मैं इं सूं एक मुरगी लेस्यूं। उण का वच्चा होवेगा। उणां ने बेचकर बकरी खरीद लेस्यूं ग्रौर बकरी के बच्चा होवेगा, उणां ने बेचकर एक ऊंट खरीद लेस्यूं ग्रौर ऊंट ने बेचकर ब्याव कर लेस्यूं। उ के छोरा छोरी होवेगा। बे कहेंगा ग्रब्बाजान खाणु खाल्यो, मैं नट्ंगा तो ब शोर ग्रौर हल्लो मचावेगा तो दोनों हाथां सूंयूं कान एंठूंगा। हाथ इण समचे वो हिलायो तो माथा परलो वो सेठ को घड़ियो तेल को पड़ गियो ग्रौर फूट गयो। सेठ उके जूता दिया चार। तो ग्रै तो वा कल्पना करे है। वा कल्पना हर पांच साल के बाद ग्रै करे है।

श्री खेतसिंह : घड़ियो फूठ गयो स्वतन्त्र पार्टी को।

श्री ग्रालम ग्रली : थें भी स्वतन्त्र हा स्वतन्त्र को राज होसी तो थें ग्रोजूं ग्रठी ने बैठ जास्यो। टुकड़ांरे पाछे ग्रौर स्वार्थ रे पाछे हो थें तो। कोई खरा नहीं हो। थां रा वे भी दिन हो कि जद थें कांग्रेसियां ने

(श्री आलम अली)

(× × ×) आज वठी ने जाकर बेठा हो। (× × ×)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, (× × ×) शब्द नहीं बोलणो चावे। ऐ शब्द कार्यवाही मां सूं निकाल दिया जावे।

श्री आलम अली : सभानेत्री जी, भारी भाषा में तो इ ने ठीक ही मानां हां।

एक माननीय सदस्य : राजस्थानी में बोल रहे हैं ये।

श्रीमती सभानेत्री : आपके मुकाबले में मैं भी राजस्थानी समझती हूं।

श्री आलम अली : हर जगह छोटा छोटा निवार का कारखाना भी खोल देता तो लोगां ने आमदनी भी होसी और बेरोजगारी भी मिटसी।

आज खेती रा नाम पर गलत तरीका सूं लाखों करोड़ों रुपिया वरबाद किया जा रिया है। पर कुआं में ए बिजली नहीं लगा सके बेरा ऊंडा नहीं करा सके। थोड़ो बहुत करे है, पर इ सूं काम नहीं चाले। ए काम बहुत करणो चाहि जे तो बेरोजगारी भी नहीं रेवे।

ए तो बैठा है सेक्रेटेरियट में और अपणें आमने समझ राखिया है। पेदिये पाथी की तरह। पेदियो समझे है कि थारा पर ही सारो आसमान रुकियो है।

जो देश की स्वतन्त्रता रे वास्ते लड़िया आज उण के वास्ते रोटी को इन्तजाम नहीं। आज जद किसानों का बेटा बोर्डर पर भेजियोडा है उठे वे खड़ा है वे बांका बच्चा आज बेरोजगार और भूखा फिरे है। आपका एक भी बच्चा है क्या ? बीं के घर वालां रे वास्ते रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है। वे आप की इण फिजूलखर्ची ने और आपका ऐश आराम ने और आपकी गलतियां ने कतई बर्दाश्त नहीं करेगा अब।

आप अब अपणे ने कन्ट्रोल में कर लो तो ठीक है नहीं तो मामलो गड़बड़ नजर आवेगा।

मैं ज्यादा नहीं कह कर इतो ही कहूं हूं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मन्त्री जी उत्तर देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री) माननीय सभानेत्रीजी, यह संकल्प जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है उसके दर्शन के सम्बन्ध में नहीं जाना चाहूंगा।

यह बात सही है कि समाज में विषमताएं हैं, समाज में से विषमताएं खत्म हो पा नहीं रही है।

आज के दिन हम एक ऐसी प्रणाली को लिये हुए हैं जिसमें पब्लिक ओपीनियन को लेकर हमें चलना पड़ता है। हमने अपने विधान में यह अंगीकार किया है कि

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हमारी व्यवस्था कैसी होनी चाहिये और हम किस प्रकार की व्यवस्था से अपने आपको प्रशासित करना चाहते हैं। हमने अपने डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल आफ ट्रेड पालिसी में इस बात को अधिकार किया है कि वहां तक हमारे मुल्क के साधन होंगे हमारे सीमित साधनों के अनुरूप हम राज्य में से बेरोजगारी को दूर करेंगे और धारा 41 जो हमारे संविधान की है उसको मैं सदन के सम्मुख पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

"The State shall, within the limits of its economic capacity and development...."

यह हमारे उद्देश्य की स्पष्ट बात कही गई है।

"........make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want."

इस धारा में जिसमें बिल्कुल साफ है। यह राज्य का कर्त्तव्य होगा कि हम अपने आर्थिक साधनों और विकास के अनुरूप उन लोगों को रोजगार देने का प्रयत्न करेंगे, शिक्षा देने का प्रयत्न करेंगे और साथ ही वृद्धावस्था में, बीमारी की हालत में और डिसएबलमेन्ट होने की स्थिति में उनके निर्वाह का प्रबन्ध भी करेंगे।

संकल्प में, जो प्रस्तुत किया गया है यह कहा गया है कि जब तक हम बेरोजगारों को रोजगार न दिलावें तब तक हमें उसको भत्ते के रूप में कुछ देना चाहिये वह कितना ही नौजवान हो, चाहे काम करने वाला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बातें यहां पर भिन्न 2 माननीय सदस्यों के द्वारा कही गयी हैं उसमें मूल बात यही है कि हमें उन लोगों को रोजगार दिलाना चाहिये जो बेरोजगार हैं। लेकिन रोजगार दिलाने का तरीका क्या हो, किस प्रकार रोजगार दिलाया जाय आया पुराने पेशे और परम्परायें हैं उनके अनुरूप चलें, जो कुम्हार का चाक है, जैसा कहा गया, या बढ़ई का जो गांव में काम है उसको उसी तरह से कायम रखते हुए पुरानी परिपाटी को कायम रखते हुए हम उनको व्यवसाय दें या रेपिड इन्डस्ट्रियलाइजेशन के जरिये ऐसे अवसर दिये जा सकें कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्यवसाय या रोजगार दे सकें।

आज के दिन यह कहना कि हम योजनाओं को नहीं चाहते या योजनायें नहीं होनी चाहिये इसके बारे में तो मुझे जवाब नहीं देना चाहिये। यह ओल्ड और हेक्टिक आइडिया है. यह रिट्रोगेट स्टेप है जो मुल्क की तरक्की में बाधा उत्पन्न करता है। हमने पूंजी वादी थ्योरी को मान कर हमने समाजवादी समाज व्यवस्था को माना है और इसी के लिये सारे प्रयत्न और सारी योजनायें हैं और यह हो सकता है जैसा आप

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कहते हैं कि बीस साल के बाद भी समाजवादी समाज व्यवस्था की तरफ इतने आगे नहीं बढ़े, तीव्र गति नहीं रही, तेजी से चलना चाहिये था लेकिन यह मामला बिलकुल गलत होगा कि हम आगे नहीं बढ़े। हमारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि हमारे देश का विकास होने के साथ साथ हमारे लोगों की भली हालत बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। और देश की आर्थिक व्यवस्था में आये दिन जो कल्पना थी हम आगे बढ़ाकर व्यवस्था को अच्छी कर सकें। हमारी इन सारी योजनाओं का उद्देश्य हमारे जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं उनके अनुरूप रहे और हमने अपनी योजनाओं के अनुसार प्रगति की है। देश में रोजगार में वृद्धि करने की हमने प्रगति की है। नागरिकों को समुचित रोजगार दिलाने के बारे में सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई आंकड़े दिये। लेकिन मैं एक ही आधार मान कर चलता हूं कि जो नेशनल सेम्पल सर्वे का आधार है और उसी को आधार मान कर हमें योजनाओं में आगे बढ़ना चाहिये। नेशनल सेम्पल सर्वे के 16 वें प्रतिवेदन में यह माना गया है कि 1.64 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। चौथी और पांचवी पचवर्षीय योजना में क्रमशः 9.84 लाख, 11.15 लाख और 11 64 लाख व्यक्ति लेबर फोर्स में बढ़ेंगे। इन पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में यद्यपि काफी रोजगार में वृद्धि हुई है और हमारा खर्चा भी प्रति व्यक्ति जहां अखिल भारतीय औसत 175 है हमारा प्रति व्यक्ति व्यय 184 रुपया हुआ है और इन योजनाओं में 10.92 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है। हम यह अनुमान करते हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 10.64 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा और जब कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 3.89 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। राज्य के नियोजन विभाग द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किये गये हैं उनसे ऐसा लगता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में तो काफी मजदूर बढ़े हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितनी आशा की जाती थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में उससे दो लाख के करीब रोजगार कम बढ़ा है और हमने 8 लाख के करीब टारगेट आंके थे वे करीब 5 पाइन्ट कुछ लाख हैं। इस के कारणों में कई कारण हो सकते हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि केवल यही कारण नहीं है कि आबादी बढ़ गयी। मैं भी इस बात को मानता हूं कि आबादी बढ़ी और आबादी बढ़ने की कल्पना की वह भी उसके साथ ही। रोजगार के क्षेत्र में आबादी कम होती तो बढ़ोतरी होती। मैं मानकर चलता हूं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिनसे विवश हो कर हमारे रिसोर्सेज में फर्क पड़ता है, आमदनी में फर्क पड़ता है और अभी तक हम प्रकृति पर इतने निर्भर हैं कि यदि प्रकृति हमें धोखा देती है, जैसे तीन वर्ष से वर्षा नहीं हुई, राज्य की आय कम हुई, और बातों में खर्चा अधिक करना पड़ा तो साधनों में थोड़ी कमी आती है। और इसी प्रकार से हम यह अब तक उम्मीद करते थे कि निजी क्षेत्र में जो इन्डस्ट्रीज

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

लगेंगी और उसमें जिस प्रकार से हम रोजगार दे सकेंगे उसमें भी इसी वजह से कमी आयी है। हम यह आशा कर रहे हैं कि साल अच्छे हों, अकाल की परिस्थिति न रहे, हमारे साधनों का पूरा उपयोग करें तो यह जो समस्या है उसका बहुत अ श तक समाधान कर पायेंगे।

राजस्थान प्राकृतिक साधनों से भरा हुआ है। राजस्थान में खानें हैं, राजस्थान में जमीनें हैं। राजस्थान में और प्रकृति के साधन हैं। उन प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग करके जनता जनार्दन की सेवा में अर्पित करना है और उनका पूरा उपयोग करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं।

यहां लैंड अलॉटमेन्ट की बात कही गयी। मैं समझता हूं लैंड अलॉटमेन्ट की हमारी जो अब तक की स्तिथि है उसमें यह मान कर चल सकते हैं कि जितने भी छोटे प्रोजेक्ट्स हैं सिवाय राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को छोड़ कर उनमें लैंड अलटमेन्ट का काम करीब 2 पूरा हो चुका है। थोड़ा सा बाकी है वह हो जायगा। परमानेन्ट अलॉटमेन्ट होना चाहिये वहां टेम्परेरी अलॉटमेन्ट करके भी साधनों में वृद्धि की है। राजस्थान केनाल का जहां तक ताल्लुक है नियम इस साल पास हो जाने के बाद जहां पानी आया है वहां उसका उपयोग किया है और टेम्परेरी अलॉटमेन्ट किया है। पानी आ जाने के बाद परमानेन्ट अलॉटमेन्ट होंगे और उनमें इस बात का भी खयाल है कि इस प्रोजेक्ट का खर्चा भी निभे। जो भूमिहीन हैं गरीब लोग हैं जो दूसरे एरियाज से हमारे यहां आकर बसे हैं उनका भी हमें खयाल रखना है। और इसी उद्देश्य से राजस्थान केनाल अलॉटमेन्ट रूल्स बना कर तैयार हुए हैं और भारत सरकार के पास भेजे हैं। उसकी एक-आध मीटिंग हुई है लेकिन अभी तक उसका फाइनेलाइजेशन नहीं हुआ है।

मैं जैसा निवेदन कर रहा था स्टेट के एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है उसके अनुसार 31 मार्च सन् 1962 को समाप्त होने वाले वर्ष में 3 61, 666 व्यक्ति नियोजित हुए। यह सख्या 31 मार्च 1966 को 4, 17, 664 हुई निजी क्षेत्र में छूटे हुए कारखानों में जहां 25 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते थे 31 मार्च, 66 को जो सख्या नियोजित हुई वह 77, 219 थी। यह सख्या 31–3–67 को 93,810 हुई इन आंकड़ो से राज्य के रोजगार के क्षेत्र में प्रगति की झलक मिलती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में योजनाओं के शुरू होने पर और अन्त में जो बैकलोग बेरोजगारों का योजना के शुरू में था, तीनों योजनाओं के अन्त में हरेक में बैकलोग हुआ है, यह क्रम लगातार जारी है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस बात से भी आपको अन्दाजा लगाना पड़ेगा····

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सही है या नहीं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं मानता हूं। कौन इन्कार कर सकता है ? इसका कारण यह है कि आबादी जितनी बढ़ी है उसके अनुपात में हम देखें तो बैकलोग उस अनुपात से नहीं आएगा।

श्री जुझारसिंह : आबादी का भी अन्दाजा लगाना चाहिये था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आबादी का अन्दाजा तो क्या लगावें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 1945 में पैदा हुआ बच्चा 1967 में काम करने लायक होगा। 15 अगस्त 1947 का बच्चा पैदा हुआ 20-21 वर्ष के बाद रोजगार के योग्य होगा। इस बीच में तीन योजनायें निकल गईं। तो आबादी कहां आ गई बीच में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लगातार जो स्थिति है उसमें आप देखेंगे तो दो चीजों में हमको बांटना पड़ेगा। एक तो अर्बन एम्प्लायमेंट और अनएम्लायमेंट और रूरल एम्पलायमेंट और अनएम्पलायमेंट। अर्बन एम्पलायमेंट और अनएम्पलायमेंट का जहां तक ताल्लुक है जैसे माननीय रामकिशनजी ने कहा अर्बनाइजेशन के बारे में। जिस तरह से हमारा एक व्यक्ति गांव में रहने वाला है, वह गांव से आकर शहर में नौकरी की तलाश में आता है। उसकी आकांक्षायें हैं, उसकी अभिलाषायें है। एक व्यक्ति अपने लड़के को मैट्रिक पास कराता है इस ख्याल से कि वह लड़का आगे जाकर प्रगति करेगा। मैट्रिक पास को बहुत बड़ी बात मानते हैं। वह समझते हैं कि शहर में जाकर बाबू बन जायेंगे, नौकरी करने लग जायगा। उनकी खेती बाड़ी से छूटकर आता है। जब शहर में नौकरी नहीं मिलती है तो वह मास्टरी चाहता है। क्योंकि जहां तक सरकारी नौकरी का सम्बन्ध है, ज्यादा से ज्यादा नौकरी अगर किसी को मिलती है तो वह मास्टरी की। तो इस तरह वह न इधर का न उधर का रहता है। इसलिये इधर उधर भटकता है और हमें शिक्षित बेरोजगार मिलते हैं बहुत सारे तो इसी कारण से....

श्री हीराभाई : लोगों को नौकरी से क्यों प्यार है ? उसका तरीका तो होगा।

श्री जुझारसिंह : पैटर्न आफ एम्पलायमेंट में क्या चेंज हुई 20 वर्ष में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कई तरह की चेंजेज आई। जितने आई. टी. आइज. से लड़के निकलते हैं उनको रोजगार मिलता है....

श्री रामकिशन : कई बेरोजगार बैठे हैं।

श्री विजयसिंह रावत : आपको मालूम है आई टी. आई. व पोलिटेकिनक्स से निकले हुए कितने ऐसे लड़के हैं जो बेरोजगार हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हम सोचते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेपिड गति से होगा, उसमें धीमापन आया और दो तीन

Page No. 153

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सालों के अन्दर इन्डस्ट्रियलाइजेशन की गति धीमी होने के कारण गति में फर्क पड़ा। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आज हमारे यहां पर जितने प्लान प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनमें कमी करने की वजह से और कुछ के पूरे हो जाने की वजह से फर्क आया या नई योजनायें न होने की वजह से फर्क आया।

श्री विजयसिंह रावत : आटोमेटिक मशीन्स लगने के कारण जो आई. टी. आई. और पॉलीटेकनिक से लड़के निकलते हैं, जहां पर एक मशीन पर 15 आदमी काम करते थे वहां पर आज दो आदमी काम कर रहे हैं।

(4.35 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सारी चीज पर मैं आ रहा था कि वास्तव में हमने आज के दिन जो नीति रखी है उसमें अपने आप स्पष्ट होना चाहिए। जहां तक मशीनीकरण का ताल्लुक है, मशीनीकरण हो लेकिन उससे यदि उसकी वजह से लेबर फोर्स में छटनी करने की नौबत आती है तो उसको उतना ही धीमा करना पड़ेगा ताकि आटोमेशन की वजह से छटनी की स्थिति पैदा न हो। लेबर फोर्स ज्यों ज्यों हमारे पास आता जाय, त्यों त्यों आटोमेशन की तरफ बढ़ें।

दूसरी चीज क्या होती है, जैसे एक साथी ने कहा, मुख्य उद्देश्य उद्योगपतियों का यह होता है कि किस प्रकार उनकी कमाई हो, उद्योग में मुनाफा हो और किस प्रकार वह ज्यादा से ज्यादा लेबर के पसीने की कमाई है, उसका शोषण करे, खजाने में ज्यादा से ज्यादा जमा करे और इसलिए यह छंटनी आटोमेशन और इससे निकलने वाले दुर्गुण हैं। इसलिए सिद्धांततः हम इस बात को मानकर चलते हैं कि निजी क्षेत्र में जितने भी मुनाफे हों, कम से कम हो। उस मुनाफे का बटवारा मजदूरों में हो और उस मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन के जरिए वसूल कर सकें, सारी की सारी रकम वसूल करनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : निजी क्षेत्र का होना आवश्यक है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फिलहाल मैं आवश्यक मानता हूं।

श्री विजयसिंह रावत : एक जानकारी और दे दें। आपने फरमाया कि पहली, दूसरी और तीसरी योजना के अन्दर हमने प्रगति की है। वह बेरोजगारी बढ़ाने में की है या रोजगार घटाने में की है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लोग अपने आप समझते हैं। राजस्थान के नक्शे को देखें।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

चम्बल के बांध को देखें, गांधी सागर को देखें राणा प्रताप सागर को देखें....

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह रावत : आपको बता दूं कि आप डिफेन्स फंड के पैसे खाकर बैठ गए और गरीब रो रहे हैं....

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य जो कुछ कहें, जिम्मेदारी के साथ कहें। कोई बात कहने का आपको अधिकार नहीं है जब तक वह बात इससे सम्बन्ध रखती हो, उसमें तथ्य हो, किसी सदस्य के खिलाफ कहें तो नोटिस देकर कहें....

श्री विजयसिंह रावत : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे उसके बाद में यदि....

श्री विजयसिंह रावत : मैं सूचना दे रहा था, उनको क्या अड़चन थी कि बीच में बोल उठे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कितने लोग गांवों से आकर आज के दिन शहरों में काम करते हैं। 1956 में राजस्थान में अकाल पड़ा तो भी एक रुपए के पांच सेर गेहूं मिले। आज के दिन तक राजस्थान में कोई आदमी भूख से नहीं मरा। आज राजस्थान में अकाल की इतनी परिस्थिति होते हुए भी ऐसी नौबत नहीं आई कि किसी को खाने को नहीं मिला हो। राजस्थान का आदमी बहादुर है, राजस्थान का आदमी काम करना चाहता है, राजस्थान का आदमी भूखों मर कर भी काम कर सकता है और आपको जीवित रख सकता है लेकिन अपनी इज्जत को नहीं बेच सकता। अगर किसी राजस्थान के आदमी को कहेंगे कि तुम नौजवान हो, तुम दो रुपया ले लो तो वह दो रुपया लेना पसन्द नहीं करेगा। इसलिए जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है वह राजस्थान की साईकलोजी, राजस्थान की परम्परा और राजस्थान की टेंडेंसी के खिलाफ है और राजस्थान के नौजवान इसको कभी पसन्द नहीं करेंगे, वह चाहे घास खोदेंगे, वह चाहे मिट्टी खोदेंगे लेकिन दो दो रुपया ऐसे लेना पसन्द नहीं करेंगे। फिर क्या इससे एम्प्लायमेंट की समस्या हल हो जायेगी। जिस आदमी को निर्वाह भत्ता देंगे तो उसको क्या देंगे। बारह आने दे दिए या 14 आने दे दिए तो क्या इससे उसका काम चल जाएगा। आज के दिन जो काम करने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं उनके लिए काम की कमी नहीं है। जो अपने घर में बैठना चाहेंगे या पढ़-लिख कर जो बाबूगिरी करेंगे उनके लिए काम करेंगे लेकिन जो काम करने वाले हैं उनके लिए काम की कमी नहीं है। जो पढ़ लिख कर बाबूगिरी करना चाहते हैं लेकिन कुलीगिरी नहीं कर सकते, कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं उनको काम उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो हमारी परम्पराएं हैं हमारे ट्रेडीशन्स हैं उनके अन्दर हम इस तरह की चीजों को बरदाश्त नहीं करेंगे। अब हमारे सामने कुछ शिक्षकों की समस्या है। आज के दिन जिस प्रकार की शिक्षा हमारे लोगों को मिल रही

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

है उस शिक्षा से क्या हम बेरोजगारी की समस्या को हल कर पायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा में नवीनीकरण और नए प्रयोग किए जा रहे हैं।....

श्री लादूराम सुलानिया : मन्त्री महोदय यह बता दें कि जब वह मन्त्री पद से हट कर घर चले जायेंगे तो कुलीगिरी कर सकेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं तो कमाई करने का माद्दा रखता हू, तुम्हारी तरह से थोड़े ही हूं।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए काम बहुत है, जो काम नहीं करना चाहते हैं उनके लिए काम नहीं है। और आज के दिन हम अपनी सारी शक्ति एक बात पर लगाये बैठे है कि राजस्थान में प्राकृतिक साधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके और इन साधनों को हम जनता के काम में लायें। तो इसलिए जहां जहां भी जमीनें हैं, जितने भी बांध बध सकते हैं, जितने भी ताल ब खोद सकते हैं, जितने भी कुए खोद सकते हैं, बिजली ले जा सकते हैं, उन सब साधनों को देकर इन योजनाओं के अन्दर हम राजस्थान की माली हालत को, लोगों की एम्प्लायमेंट पोर्टेशियलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। इसके बावजूद अगर हम इस प्रकार के तरीके अख्तियार करें तो हो सकता है आंकड़ों में आपको इस तरह की बातें मिल जायं, दो-चार आदमो मिल जायं जो आपको कहें कि हमें नौकरी नहीं मिलती लेकिन जो आदमी काम करने वाला है उसको काम की कोई कमी नहीं है। आप जाइए हमारी तरफ कोटा की तरफ चले जाइए दो ढाई और तीन रुपये तक में मजदूर नहीं मिलेगा। आज राजस्थान के लोग जो कि कारीगरी का काम करते हैं, जो मिस्त्री हैं वे 11) 11) रुपये रोज मे दिल्ली में कमाई करते हैं। राजस्थान के लोग मेहनत करना जानते हैं, उनकी कदर है। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि कला उद्योग का ह्रास हो रहा है। आप हस्तकला के मामले में ही देखिए। आज केथुन में जो हमारे यहां डोरियां का काम करने वाले हैं, उनके डोरिये की आज दिन पहले से ज्यादा खपत होती है। आज के दिन कम से कम कोटा का डोरिया ज्यादा खपत होता है। उनके रोजगार में वृद्धि हुई है। आज के दिन अमेरिका में कोटा का डोरिया ज्यादा पसन्द किया जाता है और वहां पर इसकी ज्यादा खपत होती है। तो हमारी पुरानी परिपाटियां हैं, पुराने ट्रेडीशन्स है उनके अनुसार यह चीज उचित नहीं है।

आज यह बिल्कुल ठीक बात है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था लायें कि जिसमें निजी जो उद्योग हैं उनका ज्यादा महत्व नहीं हो। मोनोपोलाइजेशन आफ इन्डस्ट्रीज का खात्मा हो। एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा उद्योग नहीं हो। आमदनी पर सीमा लगा दी जाय, अरबन प्रोपर्टी पर सीमा लगा दी जाय लेकिन उसके लिए हम-आपको वातावरण बनाना पड़ेगा। क्या आज हम इस सदन में

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सर्व सम्मति से यह पास करने के लिए तैयार हैं कि अरबन प्रोपर्टी पर सीलिंग लगा दी जाय.......

श्री रामकिशन : बहुमत से तैयार हैं।

(व्यवधान – शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह कहना बहुत आसान है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सर्व सम्मति की क्यों बात करते हैं, बहुमत से क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्या आज हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जो मेजर इन्डस्ट्रीज हैं उनका नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए। प्राइवेट प्रोपर्टीज पर ज्यादा से ज्यादा सम्पत्ति–कर लगे क्या इसके लिए तैयार हैं ? यह हो सकता है कि एक वक्त आएगा इस तरह का वातावरण बनेगा कि जिसमें हम सब मिलकर यह तय करेंगे। लेकिन यह तो सिद्धान्त का सवाल है।

(श्री विजयसिंह रावत द्वारा व्यवधान)

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय विजयसिंह। आप कृपया इस तरह से डिबेट में बाधा उपस्थित नहीं करें। आप बैठे 2 बहुत दफा बोलते जा रहे हैं। आपका कोई पोइन्ट आफ आर्डर हो तो आप आसन की आज्ञा से कह सकते हैं लेकिन इस तरह से बैठे 2 बातें करते रहें यह बिल्कुल अच्छा नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : मैं तो यह कहता हूं कि स्वयं मंत्री महोदय इसका उदाहरण पेश करें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मंत्री महोदय चाहे कुछ भी कहते रहें लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि बैठे 2 इस प्रकार टोकते रहें। उचित यह रहेगा कि आपको अगर कोई एतराज हो तो आसन की अनुमति से आप एक मिनट, दो मिनट बोल सकते हैं। लेकिन यह कोई वादविवाद का तरीका नहीं है कि बैठे 2 बीच में इस तरह से रिमार्क्स पास करते जाय या कभी कुछ करते जाय यह ठीक नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे माननीय सदस्य जो बहुत बड़ी 2 बातें करते हैं भारतीय संस्कृति की बातें करते हैं क्या वे इस बात के लिए तैयार है कि वे अपने साथ वाले लोग जिनको साथ मिला करके कांग्रेस की गवर्नमेंट को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे क्या वे उनको मनाने के लिए तैयार हैं कि देश में से प्रिवीपर्स खत्म कर दिया जाय या प्राइवेट प्रोपर्टी को खत्म कर दिया जाय ? इस तरह से बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें व्यवहारिक बनना पड़ेगा। आज के दिन हम अगर यहां पर हैं तो मुल्क की हालत को देखते हुए, मुल्क का जो विकास हो रहा है हम मुल्क के अन्दर सब लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं और वह

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

दिन दूर नहीं है जब कि हम मुल्क के अन्दर यह क्लाइमेट पैदा कर सकेंगे जब कि बच्चा 2 यह कह सके कि प्राइवेट प्रोपर्टीज खत्म हो जानी चाहिए, ये निजी उद्योग जिनको आज इतना महत्व दिया जा रहा है, खत्म हो जाने चाहिए। अरे आज तो यह हालत है कि हमने सीलिंग का कानून पास किया लेकिन सीलिंग लागू नहीं कर सके। जो सीलिंग लागू होगी तो उससे जमीन मिलेगी और उसका बटवारा होगा....

श्री बृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : यह तो आपकी खुद की कमजोरी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हम इस तरह से काम करना नहीं चाहते हैं, हम अपने देश के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम अपने दिमाग को स्पष्ट रखना चाहते हैं, हम भी क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी विचारों के हैं लेकिन सब लोगों को क्रांतिकारी बनाने के लिए....

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसीलिए जमीनों पर नाजायज कब्जे बढ़ते जाते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अरे जो लोग आज की राजनीति में जो पुराने दकियानूसी तरीके हैं जिनको समाजवाद का मतलब तक नहीं आता है....

श्री हीराभाई : सीलिंग के कानून को लागू क्यों नहीं करते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अरे तुम तो बैठ जाओ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप तो अपनी जमीन को पहले छोड़ दो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए मुल्क में क्लाइमेट तैयार करनी पड़ेगी फिर मैं....

श्री लादूराम सुलानिया : मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में पूछ लेना, पहले मन्त्री महोदय को जवाब देने दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिनकी सोशियल सिक्योरिटी नहीं है, जिनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है या किसी तरह से मालिक किसी बात को लेकर मजदूर को निकाल देता है तो जब तक उसका फैसला नहीं हो कम से कम इस बात के लिए प्रयत्न करेंगे कि ऐसे सोशियल सिक्योरिटी मेजर्स अडाप्ट किये जायं कि जिसको बेकार बना दिया गया है, इस बेकार आदमी का जब तक मुकदमा चलता रहे इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में उस वक्त के लिए कम से कम हमें उसको कुछ देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए भी मैं केवल प्रयत्न ही कर सकता हूं। यह मेरी प्राइवेट थिंकिंग है और इस बारे में गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने भी पायलेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और इस सिद्धान्त को माना है। मध्य प्रदेश में जब वहां के मिस्टर द्रविड़ लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने बजट में यह प्रावधान रखा था कि जो लेबर फोर्स बेकार हो जाती है, जिनको रिट्रेंच कर दिया जाता है, जिनको डिसमिस हो जाना पड़ता है, या जिन पर मुकद्दमा चलता रहे तो उनको उस दौरान में कम से

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कम खाने पीने के लिए कुछ मिल जाय इस तरह की व्यवस्था की जाय। मैं उस हद तक जाने को तैयार हूं। लेकिन यह कहना कि बराबर हम इस बारे में मजदूरों को इस प्रकार का निर्वाह भत्ता देते जाय, मैं इसको ठीक कदम नहीं मानता न कभी यह ठीक कदम रहेगा। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि जहां तक हो सके हम सीमित साधनों में बेकारी को बढ़ने न दें, बेकारी को खत्म करें और इस प्रकार के उपाय काम में लाएं कि जिससे जो बैक लॉग है, जितनी लेबर फोर्स बढ़ती जाती है तो वे लोग बैक-लॉग में नहीं आएं और इनको बेकार नहीं बैठना पड़े। इसके लिए हमको सतत् प्रयत्नशील रहना चाहिए और इस बारे में हमारी कोशिश रहेगी।

यह जो कुछ मैंने निवेदन किया है वह व्यवहारिक दृष्टि-कोण से निवेदन किया है। और....

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय उपाध्यक्ष मैं एक जानकारी चाहता हूं....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिस प्रकार की हमारी स्थिति है मुल्क की....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय जवाब दे दें तब आप पूछियेगा।

श्री लादूराम सुलानिया : पाइंट आफ इन्फार्मेशन। मैं पूछना चाहता हूं कि यह माननीय मंत्री महोदय ने दलील दी उसमें वे सक्सेसफुल भी हो गये। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। आप यह कहते हैं कि जो कल सरकार बनाना चाहते थे अगर वे सारे लोग आगे हो जायं और सब कुछ कर लें यह बात दूसरी है, लेकिन माननीय मन्त्री जी....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्या इन्फार्मेशन है ?

श्री लादूराम सुलानिया : लेकिन माननीय मन्त्री महोदय इस बात से सहमत हो जाय कि जो सारे राजस्थान से चुनकर मन्त्री-मण्डल में लोग आये है और जिनको वहां स्थान मिला है 52 से 67 तक वे सारे जयपुर जिले में जो उनके फार्म हैं, उनको छोड़ दें, आप यह घोषणा कर दें उसके बाद यह घोषणा कर दें। उसके बाद आप यह कहने के अधिकारी हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे यह पता नहीं है कि किस किस के फार्म्स हैं। एक फार्म को तो मैं जानता हूं जहां चुनावों के बाद जब सरकार बनाने की बात थी तो विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य उस फार्म पर इकट्ठे होते थे। उस फार्म के बारे में मेरे पास रिपोर्ट भी आई है और मैं मुनासिब कार्यवाही करूंगा।

श्री लादूराम सुलानिया : क्या रिपोर्ट आई है वह भी बता दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस आर्थिक व्यवस्था में आज के दिन हम हैं और जिस तरह की

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मुल्क की आज के दिन पोजीशन है तो मुल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ, मुल्क की दौलत बढ़ाने को तरफ, मुल्क की केपिटल बढ़ाने की तरफ और उस कैपिटल के आधार पर जो रिसोर्सेज हमारे बढ़ने चाहिए उस आधार पर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लायमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा पोटेन्शियल बढ़ाना है, और यह साधन एम्प्लायमेंट के बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी नहीं तो कुछ सालों के बाद हम कामयाब होंगे और यह अनएम्प्लायमेंट नहीं रहेगा। लोगों को खाने–पीने का अवसर मिलेगा और कोई भी आदमी हमारे देश में गरीब नहीं रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका विरोध करता हूं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में कुछ बातें कहीं। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि कांग्रेस दल के सभी लोगों ने सिवाय मन्त्रीजी के इस मामले को सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया है और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इस सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि सदन का एक भी माननीय सदस्य मूल रूप में इस सिद्धान्त के विपरीत नहीं निकला और सब ने इसका समर्थन किया है, और जहां तक एप्रोच का सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए वोट नहीं करायें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मन्त्री जी इसको सर्व सम्मति से मान लें तो भी वोट कराने की जरूरत नहीं रहेगी।

श्री रामकिशन : मेरा निवेदन करना यह था कि सिद्धान्त रूप में करीब करीब सभी पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया है, लेकिन अन्त में मुझे मन्त्रीजी का जवाब सुनकर बड़ी निराशा हुई। वैसे मैं आशा नहीं करता हूं कि कांग्रेस का कोई मन्त्री विवेक शील बात कर सकेगा, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि वही मन्त्रीजी एक ही मुख से दो दो बातें कहना चाहते हैं, और संसार में और इस मुल्क में दो वाणी वाला प्रयोग आज से नहीं बहुत दिनों से चला आ रहा है। मन्त्री जी कहते हैं कि यह शिक्षा का दोष है। मन्त्रीजी कहते हैं कि सारा सदन सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। जिम्मेवारी किस पर डाल रहे हैं। शिक्षा को दोष है तो सरकार पर जिम्मेवारी है। सर्व सम्मति से प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो विरोधी दल के 50 सदस्य इसका समर्थन करेंगे। आपका दल तो समाजवादी है और लोकतन्त्र की किस तरह की परम्परा की बात कर रहा है। लेकिन अक्सर कहने का मतलब यह होता है कि सच बात ग्रहण नहीं करे और समस्या को इधर–उधर टालें उन्होंने बड़े जोर–शोर से कहा कि प्राइवेट क्षेत्र में इतना नियोजन कर दिया, सार्वजनिक क्षेत्र में इतना नियोजन कर दिया तो मैंने कब इन्कार किया कि आपने नियोजन नहीं किया। मैंने इतने बड़े तथ्य सदन के सामने रखे थे तो यह कहा था कि आपने जो लक्ष्य रखा था उसको पूरा नहीं किया, नियोजन की जो दिशाएं रखनी चाहिएं उस

(श्री रामकिशन)

दिशा में आप नहीं गये। मुझे जो चीज कहनी थी उनको विस्तार के साथ बता दिया कि इन इन कारणों से बेरोजगारी फैली है। उन सब समस्याओं का निराकरण करने के बजाय आपने समस्या का रूप रख दिया। आप डाक्टर के पास जाते हैं और वह दवा देने के बजाय यह बता दे कि आपका यह रोग है और चला जाय वापिस तो मैं समझता हूं कि संसार में उस डाक्टर को लोग मूर्ख कहेंगे। जो बात आप कह रहे है उनको हम स्वीकार कर रहे हैं कि आपने उनको नहीं किया है। वह हमको करना है।

आपने जोर-शोर से कहा है कि हम राजस्थान में समाजवाद ला रहे हैं, राजस्थान में समाज-व्यवस्था कर रहे हैं। आप समाजवाद के अर्थ को समझते हैं। आप सब पढ़े-लिखे है और मुझ से ज्यादा विद्वान् है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। समाजवाद का अर्थ है सम्पन्नता और समानता। दोनों ही हो तो समाजवाद का अर्थ होता है। सम्पन्नता ही अर्थ नहीं है। समानता भी होनी चाहिए। सम्पन्नता हुई है तो समानता कितनी बढ़ी है इससे देखा जाता है समाजवाद। पर दरअसल में आप राजस्थान की और योजना आयोग की रिपोर्ट को देखेंगे तो पता लगेगा कि कितनी पूंजी बढ़ी है वह कुछ हाथों में सीमित हुई है संचित हुई है। वह समाज में वितरित नहीं हुई है। इसको आपका योजना कमीशन मानता है। उसकी कमेटियों की रिपोर्ट मानती है। तो समाजवाद कहते हैं किस को ? न तो आपने समाजवाद की तरफ प्रयत्न किया है और न पूंजीवाद की तरफ प्रयत्न किया है। आप पूंजीवादी व्यवस्था को ही अपनाते तो हमें खुशी होती और क्रान्ति की व्यवस्था साफ होती। जो बेरोजगारी फैली हुई है उसके लिए आपने पुरानी कहानी पढ़ दी। आपके सामने जो दो-चार पुरानी किताबें हैं उन्हीं को आपने पढ़ा हैं। नई विचारधारा को आप जानते नहीं हैं। आप कहते हैं कि आबादी बढ़ रही है। और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि राजस्थान में एक सम्भावना और है। राजस्थान में औरतें कम हैं और आदमी ज्यादा है इससे तो आबादी और भी बढ़ेगी। अगले नियोजन की दृष्टि से इसको आप गम्भीरता से ध्यान में रखें। मैंने आंकड़ों को देखा है। एक हजार आदमियों के पीछे 947 औरतें हैं। आप समझिये मन्त्रीजी, कहानी गम्भीर है। आप समझेंगे तो क्या, लेकिन फिर भी निवेदन करना पड़ता है। राजस्थान की हालत यह है कि शहर में 1000 आदमियों के पीछे 902 औरतें और गांवों में 910 हैं। अगला नियोजन आप तैयार करें तो उसमें आप इस बात का ध्यान रखे। आबादी पहले से ज्यादा बढ़ेगी, किन्तु हिन्दुस्तान में जो आबादी की रफ्तार रही है तो इन तीन दशकों में राजस्थान में सबसे ज्यादा आबादी बढ़ी है। 41 के दशक में राजस्थान की 18 1 प्रतिशत आबादी बढ़ी है। दूसरे दशक में 41 से 51 में 15.2 बढ़ी है और तीसरे दशक में 51.61 मे 26.14 बढ़ी हैं। अपने देश में जब कि सारी आबादी 18 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ पाई है। यहां तो आबादी इससे भी ज्यादा बढ़ेगी और

(श्री रामकिशन)

बढ़ने का बड़ा कारण आपने पैदा किया है। बेरोजगारी दूसरे तरीके की और राजस्थान में शुरू होने वाली है। अभी तक राजस्थान में स्त्री-शिक्षा कम है। जैसे जैसे स्त्री-शिक्षा बढ़ती जायगी जिससे शहरों में स्त्रियां रोजगार के लिए सामने आयेंगी। तो इन सब सम्भावनाओं को देखते हुए आप अगली योजनाओं को बनायें। इसके लिए आपको फुरसत कहां है। आपको फुरसत आंकड़े इकट्ठे करके रखे गये आपके सामने तो पढ़कर सुना दिये सदन में यह है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने समस्या का समाधान नहीं बतलाया। सभी माननीय सदस्यों ने कहा हैं कि राजस्थान के लोग 2 रुपये की भीख मांगने नहीं आयेंगे। आपने मूल प्रस्ताव को समझा ही नहीं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि आप भत्ता दें। उस प्रस्ताव में सबसे पहला शब्द है कि उनको काम दें। अगर उनको काम नहीं देते हैं तो उनको जिन्दा रखने के लिए व्यवस्था करें........

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय 15 मिनिट और बढ़ा दिया जाता है।

श्री पी. के. चौधरी : नो सर।

श्री रामकिशन : तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप तय करिये। राजस्थान की परम्परा यह रही है कि भीख नहीं मांगेंगे। आप यदि तय कर देंगे तो कोई भीख के लिए आयेगा नहीं। आपको जोर क्या पड़ता है, लेकिन माननीय सदस्य इस समस्या को जिस रूप में लेना चाहते थे उसको उन्होंने नहीं लिया।

देश में जहां तक सोशियल सिक्योरिटी का सवाल हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि उनका नजरिया आम तौर पर ब्रिटिश नजरिया है। मैं चाहता हूं कि हमारा भारतीय नजरिया हो एशियन नजरिया हो, अफ्रीकन नजरिया हो। आप हमारी समस्या को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। पूंजी निर्माण की आवश्यकता ही क्या है? हम कम लागत से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और सोशियल सिक्योरिटी के जहां प्रोग्राम चलते हैं तो दूसरी तरह का दृष्टिकोण होता है। तो मैंने सरकार के सामने सब तरह के जो तथ्य थे पहले रखे हैं। उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता। माननीय मन्त्री महोदय की बात न तर्क संगत है और न मानवीय। वे अगर तर्क संगत बात नहीं कहते तो कम से कम मानवीय बात तो करते। आपने केवल एक बात कही कि फैक्ट्री के जो लोग रिट्रेन्च होते हैं तो उनका जब तक फैसला होता है उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो वे कितने लोग है। आपके सारे उद्योग, रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज जहां 25 के ऊपर की स्ट्रेन्थ है...

उनमें केवल अस्सी-नब्बे हजार एम्प्लायड हैं, उनमें से पांच-सात सौ अगर रिट्रेन्च हो जाते है तो क्या उससे आप इस समस्या को सुलझा देंगे। असल समस्या यह है कि जो शहरों के पढ़े-लिखे लोग हैं, जो बेरोजगार हैं और जो गांवों के अन्दर अर्द्ध बेरोजगार

(श्री रामकिशन)

लोग है–इन दोनों की समस्या को आप कैसे सुलझाना चाहते है। उन्होंने कहा कि सब लोग नौकर होना चाहते हैं। मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं नौकरी के पक्ष में नहीं हूं, अगर नौकरी न दे सकें तो कोई दूसरा काम तो आप उन्हें दीजिये। अब कोई मजदूर नहीं बनना चाहता है, कुली नहीं बनना चाहता है–यह बात कहते हुए उन्होंने कहा कि हमारे इलाके के अन्दर दो ढ़ाई रुपये में मजदूर मिलते हैं। उन्होंने यह बात ऐसे कही जैसे उन्होंने कोई नई बात कह दी हो। यह बात सही है, लेकिन यह बात भी सही है कि आज पैंतालीस रुपये मन चना मिलता है। आप इस बात को समझिये कि आज स्थिति क्या है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को इस रूप में न लेकर आप सही अर्थों में लें। वैसे यह सरकार समस्याओं को अव्यवहारिक समझती है, शुरू में सबको अव्यवहारिक समझती है लेकिन असल में बाद में लगता है कि यह व्यवहारिक हैं। मेरी तो मान्यता है कि इससे आप समाजवादी समाज के निर्माण की ओर मजबूती के साथ में बढ़ सकते हैं और इससे आपके हाथों में ताकत आयेगी। अब कहा कि मैं वातावरण बना रहा हूं। आप बीस साल के अन्दर भी इस प्रान्त में वातावरण नहीं बना पाये हैं तो अब क्या वातावरण बना रहे हैं। आपको हमने कहा कि प्राइवेट प्रोपर्टी को अबोलिश कर दें। वह आप नहीं करते हैं तो फिर क्या वातावरण बना रहे हैं। आप कहेंगे कि स्वतंत्र पार्टी इसके खिलाफ है। मैं कहता हूं कि आप स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट-सबको छोड़ दीजिये। कांग्रेस दल इस बात को मानता है तो उसको यह करनी चाहिए। हम तो प्रगतिशील नहीं हैं, प्रतिक्रियावादी हैं–सब कुछ हैं। लेकिन आप प्रगतिशील हैं तो उस तरह का आचरण करके आपको दिखाना चाहिये.......

एक माननीय सदस्य : अडल्ट्रेशन हो गया है।

श्री रामकिशन : आप केवल प्रगतिशील और समाजवादी होने का नारा देकर मुगालता देते आये हैं। मैं समझता हूं कि आप बाहर सभाओं में लोगों को मुगालता दे सकते हैं, लेकिन इस सदन के अन्दर जो माननीय सदस्य बैठे हैं, यह हो सकता है कि हममें से कुछ मूर्ख हों लेकिन हम लोग शतप्रतिशत मूर्ख नहीं है. थोड़ी बहुत बुद्धीमानी हम लोगों में भी है, इसलिए हम आपके मुगालते में नहीं आ सकते। मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि जिस सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है और जिसकी कोई पालिसी नहीं है, उस सरकार को अब हटाने के लिए मैं चाहूंगा कि सदन के माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को इसी रूप में स्वीकार करें। आपने कहा कि स्वतन्त्र पार्टी इसलिए तैयार नहीं होगी कि प्राइवेट प्रोपर्टी को अबोलिश किया जाय। मैं समझता हूं कि सदन के पिचहत्तर प्रतिशत माननीय सदस्य इस बात के लिए तैयार हैं कि प्राइवेट प्रोपर्टी को अबोलिश किया जाय। इसके साथ ही हम पन्द्रह साल से इस बात की मांग कर रहे हैं कि आमदनी के ऊपर सीलिंग लागू किया जाय, साथ ही

(श्री रामकिशन)

शहरी सम्पत्ति के ऊपर कैपिटल लेवी लगाई जाय। और इन्हीं मांगों को लेकर हम आपसे अलग भी हुए थे, तब भी हमारी यही मांगें थीं। तो आप हमें इन बातों से मुगालता देना चाहते हैं, वह ग्राम सभाओं में जनता को मुगालता दे सकते हैं। कांग्रेस में रह कर आपके संस्कार भी विकृत हो गये हैं। आपके आचरण में विरोधाभास है। मेरी आपसे सिर्फ सहानुभूति हो सकती है। आप सभाओं में कुछ और बात कहते हैं मजदूरों के बीच में जाते हैं तो आपके भाषण कुछ और होते हैं। जब आप शिक्षा मन्त्री की हैसियत से जाते थे तो आपका आचरण दूसरा होता था, और श्रम मन्त्री की हैसियत से जाते हैं तो आपका आचरण दूसरा होता है। इस तरह से पब्लिक के साथ आपका आचरण अलग अलग होता है। मैं आपको कहता हूं कि आप एक वाणी वाले व्यक्ति बन जाइये। एक वाणी वाले व्यक्ति आप बनेंगे तो लोगों की आप में आस्था होगी। आस्था का आधार इसके अलावा क्या है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि आपने इसमें एक बड़े खर्च की रकम की बात कही, तो इसमें केवल आपको चार करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी है। यह सदन आपको इस काम के लिए चार करोड़ रुपये देना चाहता है और इसकी आमदनी करने के लिए भी हमने सुझाव दिये हैं, एक तो आप अनएम्पलायमेंट टैक्स लगा सकते हैं, इसके लिए आपको माथुर साहब इजाजत दे देंगे क्योंकि माथुर साहब समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से नार्वे और स्वीडन के अन्दर ब्यूटी टैक्स लगाया गया है, उसी प्रकार से आप अपने यहां पर सुन्दरता का टैक्स लगा सकते हैं। और इस प्रकार के टैक्स की इजाजत भी आपको दी जा सकती है जिससे आपकी आमदनी का प्रश्न हल हो जायगा। मेरा निवेदन है कि बेरोजगारी के कारण लोगों के चेहरों पर चमक नहीं रही है, बेरोजगारी के कारण लोगों के चहरों पर रूखापन आ गया है क्योंकि बेरोजगारी से वेदना और सम्वेदना पैदा होती है। तो जो मैंने आपको तर्क दिये हैं उन तर्कों से इस समस्या को न देखें तो कम से कम मानवीय दृष्टि से इसे देखें। और आप यह जो बातें कह रहे हैं, इन पर आप दुबारा विचार विचार करें। इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले, मैं समझता हूं, सरकारी पार्टी के अन्दर जो माननीय सदस्य हैं, वह हैं, केबिनेट मेम्बर्स के अलावा और मैं समझता हूं कि केबिनेट में भी कुछ सदस्य प्रगतिशील हैं और कुछ प्रतिक्रियावादी हैं। जो सदस्य प्रगतिशील हैं उनको साहस से काम लेना चाहिये।

मेरा निवेदन है कि वाणी से कुछ नहीं होता है, आचरण से व्यक्ति को आंका जाता है। इसके अलावा कांग्रेस दल में जो हरिजन सदस्य हैं और जो महिला सदस्य हैं वह इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। महिलाओं पर तो गरीबी की मार एकदम सीधे रूप से पड़ती है, बेरोजगारी के अन्दर जो बच्चे घूमते हैं, उनकी तकलीफ को एक महिला ही समझ सकती है, इसलिए वह इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगी, पार्टी के व्हिप के चक्कर में न पड़कर वह इसका समर्थन करेंगी। मैं समझता हूं कि इन सारी बातों को दृष्टि में रखकर यह सदन इस बात के ऊपर एकमत है, वह इस प्रस्ताव को एकमत से पास

(श्री रामकिशन)

करेंगे—इतनी ही मेरी अपील है। मैंने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में आर्थिक आधार के ऊपर भी तर्क प्रस्तुत किये हैं। उनका कोई जवाब नहीं दिया गया है, इसलिए मैं कोई नई बात बतला कर आपके मस्तिष्क पर और बोझ नहीं बढ़ाना चाहता हूं। मंत्री महोदय बिल्कुल गणेशजी है, जिस प्रकार गणेश जी दिन भर सब कुछ कर लेते थे लेकिन उसके बाद में उनका काम यह था कि शाम को चार पांच बजे पार्वती के चरण स्पर्श कर लेते थे.......

एक माननीय सदस्य : यह तो सुखाड़ियाजी के चरण पूजते हैं।

श्री रामकिशन : सुखाड़िया जी तो पूंजीवाद के प्रतीक हैं। आप दिन भर आराधना करते हैं शिव की और शाम को लक्ष्मी के, पार्वती के चरण स्पर्श करते हैं....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप कड़वी से कड़वी बात भी कहना चाहते हों, कुछ भी कहना चाहते हों वह मन्त्री महोदय के लिए कह सकते हैं। मैं उसके लिए मना नहीं करता। लेकिन आप गणेश जी को इस प्रकार से गलत व्याख्या नहीं करें। गणेश जी के तो उत्तम काम थे, उनकी आप मजाक क्यों करते हैं। देवताओं के लिए इस प्रकार की बात क्यों कहते हैं जब आप उनके बारे से नहीं जानते हैं।

श्री रामकिशन : अगर मेरी बात माननीय सदस्य को बुरी लगी है....

श्री नत्थीसिंह : आपको पुजारी जी की बात समझनी चाहिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : गणेश जी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का भी पता लगा लेते थे, इसलिए ही उनकी आंख और कान बड़े थे। दुनियां की तमाम बातों का सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर लेते थे इसलिए ही उनका मस्तिष्क बड़ा है, और पेट इसलिये बड़ा है कि वह सब चीजों को हजम करने की शक्ति रखते हैं।

श्री जुझारसिंह : यह तो गोबर गणेश की बात कह रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य का यह कहना है कि गणेशजी से मंत्री महोदय की तुलना करना गणेश जी अपमान करना हैं।

श्री जुझारसिंह : यह तो गोबर गणेश की बात कह रहे हैं।

श्री रामकिशन : माननीय सदस्य ने कहा, वग धार्मिक भावना से तो नहीं कह रहे है। मैं मानता हूं कि वह जीवन भर पुजारी रहे हैं और उनको पूजा का धन मिलता होगा। लेकिन जिस सन्दर्भ में मैंने गणेशजी कहा है उसको आप समझने की कोशिश करें। मैंने कहा कि दिन में तो वह शिव की पूजा करते हैं और रात में लक्ष्मी की पूजा करते हैं और पार्वती के चरण पूजते हैं। मेरा यह मतलब था। मैं गणेशजी की बुद्धि और कर्मों का विवेचन नहीं कर रहा हूं, अगर उनको बताने की जरूरत होगी तो मैं कर दूंगा क्योंकि मैं अध्ययन करता हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि आप दिन में तो समाजवाद की बात करते हैं और

(श्री रामकिशन)

रात में चरण लक्ष्मी के पूजते हैं, आप पूंजीवाद की बात करते हैं। मैने प्रतीकात्मक रूप में यह कहा है। माननीय सदस्य को राम, कृष्ण, या गणेशजी के बारे में कोई भ्रम हो तो उस पर अलग से विवाद हो सकता है।

मैं मन्त्री महोदय से और कांग्रेस पार्टी के उन सदस्यों से, जो प्रगतिशील हैं लेकिन दबे हुए लोग हैं निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को एकमत से पास करें। यह मैं अपील करता हूं। यदि आप लोगों ने इसका विरोध किया तो जब आप लोग अपने गांवों में और अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में जायेंगे तो लोग आपको कन्जरवेटिव कहेंगे, आपको गैर प्रगतिशील कहेंगे और आपको गैर समाजवादी कहेंगे। लोगों के अन्दर इस तरह की भावना आपके लिए पैदा होगी। इसलिये आप इस ओर देखें और मन्त्री महोदय के कहने में न आकर इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मतदान करें। हम तो आपका भविष्य देखते हैं, आप अपना जीवन अपनी आस्था और अपने संस्कारों को नष्ट मत कीजिये। इतना कह कर मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को एकमत से पारित करें। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस के प्रगतिशील माननीय सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इसके अलावा हमारे सब दल तो साथ है हीं, अगर किसी की इसमें आस्था नहीं है तो वह पीछे रह जायेंगे। लेकिन कांग्रेस के सिद्धान्तों को देखते हुए आपको इसे पास करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री केदारनाथ : आज जीत हुई है हमारी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, जो संकल्प श्री रामकिशन जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही (विराम) सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल 11 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 5 बज कर 9 मिनट पर मंगलवार दिनांक 11-7 67 के मध्याहन पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट 1

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 201 का उत्तर देखिये)

निम्नलिखित मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है:-

क्र० सं०	मार्ग का नाम
1.	सिरोही-सिरोही रोड़
2.	सिरोही-सुमेरपुर
3.	सिरोही-स्वरूपगंज-वासा
4.	सिरोही-आबूरोड़
5.	आबूरोड़-माउण्ट आबू-देलवाड़ा-अचलगढ़
6.	आबूरोड़-दांता
7.	आबूरोड़-अम्बाजी
8.	आबूरोड़-पालडी-अनादरा
9.	आबूरोड़-पालडी-भंडार
10.	जयपुर-शाहपुरा-मेड
11.	जयपुर-शाहपुरा-थानागाजी-अलवर
12.	अलवर-देहली
13.	अलवर-मुबारिकपुर
14.	जयपुर-दौसा
15.	जयपुर-महुवा-भरतपुर
16.	जयपुर-आगरा
17.	भरतपुर-देहली
18.	अजमेर-नसीराबाद-केकड़ी
19.	जयपुर-देहली
20.	अजमेर-कोटा
21.	जयपुर-दूदू-किशनगढ़-अजमेर
22.	जयपुर-निवाई-वनस्थली-टोंक
23.	जयपुर-देवली
24.	जयपुर-कोटा
25.	कोटा-देवली

क. सं.	मार्ग का नाम
26.	कोटा–बूंदी
27.	कोटा–भोपाल
28.	अजमेर–किशनगढ़–हरमाडा
29.	अजमेर–व्यावर–बिलाडा–जोधपुर
30.	अजमेर–जैतारण
31.	व्यावर–जोधपुर
32.	जोधपुर–पाली–सुमेरपुर–सिरोही
33.	जोधपुर–पाली–सुमेरपुर
34.	जोधपुर–पाली
35.	जोधपुर–पाली–सोजत–व्यावर
36.	पाली–व्यावर–अज[illegible]
37.	जोधपुर–सोजत
38.	जयपुर–जोधपुर
39.	आगरा–अजमेर
40.	अलवर–अजमेर
41.	कोटा–जोधपुर
42.	देहली–ग्वालीयर

परिशिष्ट 3

(कृपया ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 214 का उत्तर देखिये)

जयपुर शहर में ग्रकाल राहत योजना के ग्रन्तर्गत कुग्रों व नल कूपों की सूची

(ग्र) स्थानीय कुए जिनसे जल वितरण चालू हो गया है।

(1) बोल्या का कुग्रा, तोपखाना देश ।

(2) ग्रामेर रोड पर पेट्रोल पम्प के पास ।

(3) छीपों का कुग्रा, पुरानी बस्ती ।

(4) पहाड़ गंज, चार नीम के पास वाला कुग्रा ।

(5) गोपालजी का रास्ता, खो वालों का चौक वाला कुग्रा ।

(6) लाडली जी का खुर्रा चौकड़ी रामचन्द्रजी ।

(7) गांधीनगर, टोंक रोड के पास वाला कुग्रा ।

(ब) स्थानीय कुए जिनमें मोटर पम्प लग चुके हैं व परिक्षण चल रहा है।

(1) बड़ का कुग्रा, पुरानी बस्ती ।

(2) खटियारों का कुग्रा घाट गेट ।

(3) लालजी सांड का रास्ता, मोदीखाना वाला कुग्रा ।

(स) नये नल कूप जो विभिन्न स्थानों पर बनाये गये हैं व जिनसे जल वितरण चालू हो गया है :

(1) माधोसिंह सर्किल, बनीपार्क ।

(2) बजाज नगर ।

(3) जनता कालोनी ।

(4) ग्रादर्श नगर ।

(5) ग्रमानीशाह नाला (1)

(6) ग्रमानीशाह नाला (2)

(7) तिलक नगर ।

(8) राजकीय प्रवास गृह ।

(द) नये नल कूप जो विभिन्न स्थानों पर बनाये गये हैं जिन पर कार्य चल रहा है।

(1) नारी का नाका।

(2) गणेश मार्ग, बापू नगर।

(3) आदर्श नगर सर्किल।

(4) सरदार पटेल मार्ग 'सी' स्कीम।

(5) अजमेर रोड, रेलवे पुल के पास।

(6) कान्तीचन्द्र रोड, बनी पार्क।

(7) रामनिवास बाग, टोंक रोड।

(8) राज भवन, सिविल लाइन्स।

परिशिष्ट 4

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 224 का उत्तर देखिये)

सूची 'अ'

कोटा डिवीजन से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति छात्रावासों की सूची

क्रम सं.	स्थान का नाम	योजना का नाम
1.	झालावाड़	अनुसूचित जाति का छात्रावास
2.	कोटा (छात्राओं के लिये)	,, ,,
3.	कोटा (छात्रों के लिये)	,, ,,
4.	अटरू	,, ,,
5.	केशोराय पाटन	,, ,,
6.	खानपुर	अनुसूचित जन जाति
7.	इटावा	,, ,,
8.	केलवाड़ा	,, ,,
9.	कोटा	,, ,,
10.	किशनगंज	,, ,,
11.	नमाना	,, ,,

कोटा डिविजन के राजकीय छात्रावासों के व्यय की सूची

नाम छात्रावास	व्यय की राषि
ग्रनुसूचित जाति छात्रावास, झालावाड़	23395)00
ग्रनुसूचित जाति छात्रावास कोटा छात्राग्रों के लिये	70939)00
ग्रनुसूचित जाति छात्रावास (छात्रों के लिये)	
ग्रनुसूचित जाति छात्रावास ग्रटरू	
ग्रनुसूचित जन जाति छात्रावास, खानपुर	19097)00
ग्रनुसूचित जन जाति छात्रावास, कोटा	
ग्रनुसूचित जन जाति छात्रावास, केलवाडा	71755)00
ग्रनुसूचित जन जाति छात्रावास, किशनगंज	
ग्रनुसूचित जाति छात्रावास, इटावा	
ग्रनुसूचित जन जाति छात्रावास केशोरायपाटन	25090)00
ग्रनुसूचित जाति छात्रावास, नमाना	21060)00

परिशिष्ट 5

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 226 का उत्तर देखिये)

पंचायत समितियों को दिये गये अनुदान की सूची

नाम पंचायत समिति	64-65	65-66	66-67
1—राजगढ़	—	2000)	—
2—सरदार शहर	—	2000)	—
3—सूजानगढ़	2000)	—	—
4—रतननगर	2000)	—	—

यह रकम अभी तक पंचायत समितियों में खर्च नही की है। और उनके पीं. डी. अकाउन्ट्स में यह राशि पड़ी है।

b-1.11

परिशिष्ट 5 6

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 266 321 का उत्तर देखिये)

Copy of Order No. D. 5222/F. 4(9) Lab/56 dated Jaipur the 25th July, 1960 from the Dy. Secretary to the Government, Labour Department to all concerned.

In continuation of this Department circular No. F. 4 (9) Lab/56 dated the 25th April, 1960, the Governor has been pleased to order that in order to further afford facilities to scheduled Castes/Scheduled Tribes applicants seeking employment in Government Department against vacancies reserved for such communities, it will not be compulsory for candidates belonging to these categories to register themselves at the Employment Exchange for getting Government Employment. All vacancies in Government Department will however continue to be notified to the Employment Exchanges as hither to.

The salary bills of scheduled castes/Scheduled Trides applicants appointed against reserved vacancies will to this extent be excepted from the provison of para 5 of the Department order No. F 4 (9) Lab/56 dated the 23rd /30th September, 1958.

....

Government of Rajasthan

Social Welfare Department

No. Estt/47965-81 Dated 18-10-65

Copy forwarded to the following for information :

1. The Asssitant Director, Social Welfare Department, Jaipur/ Udaipur / Jodhpur / Bikaner / Bharatpur.

o

2. The Social Welfare Officer, Ajmer / Dungarpur / Banswara and Kota.

3. The Accounts officer, Social Welfare Department, Jaipur.

4. The Payment Section.

5. R & P Section.

6. Statistical Section.

7. All dealing clerks (Estt-Section)

....

परिशिष्ट 7

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 228 का उत्तर देखिये)

सूची (अ)

वर्ष 66-67 में नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को टोंक व जयपुर जिले में गृह निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत धनराशि की सूची।

नाम जिला	स्थान	स्वीकृत धनराशि
टोंक	मालपुरा	7500) रू०
जयपुर	चाकसू	17500) रू.
	कोटपूतली	1000) रू.
	चौमू	1000) रू.
	जयपुर	44500) रू.

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार से अर्थ प्रबन्धित अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु योजना के अन्तर्गत अस्वच्छ कार्यों में लगे नगरपालिका क्षेत्र में लोगों को (स्वीपर) तथा (स्वेकेन्जर) को 66-67 में टोंक व जयपुर जिलों में निम्न प्रकार गृह निर्माण हेतु सहायता दी गई।

नाम जिला	स्थान	स्वीकृत धनराशि
टोंक	—	—
जयपुर	बांदीकुई	1000)
	चौमू	1000)
	साम्भर	25000)
	चाकसू	6000)
	झोटवाड़ा	17000)
	जयपुर	55000)

परिशिष्ट 8

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 244 का उत्तर देखिये)

ग्राम दबलाना (पंचायत समिति हिण्डोली) के कंजरों द्वारा वार्षिक जमा कराई गई रकम की सूची—

क्र०सं०	नाम	रकम जो जमा कराई गई	जमा कराने की तारीख
1.	श्री गिरधारी	150)	27-3-65
2.	,, फूल्या	150)	,, ,,
3.	,, कान्या	100)	,, ,,
4.	,, नायब	140)	,, ,,
5.	,, तालक्या	100)	,, ,,
6.	,, समरया	100)	,, ,,
7.	,, सावकारिया	100)	,, ,,
8.	,, सहया	100)	,, ,,
9.	,, अलक्या	100)	,, ,,
10.	,, सरया	100)	,, ,,
11.	,, बक्सा	100)	,, ,,
12.	,, प्रथया	100)	,, ,,
13.	बलादारिया	100)	,, ,,
14.	,, रेशमा	100)	30-4-64
15.	,, सोन्या	100)	,, ,,

कुल योग:—1640)

परिशिष्ट 9

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 258 का उत्तर देखिये)

सूची—

राजस्थान भू-जल मंडल द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वित कम्प्रेसर मशीनों की सूची।

98 कम्प्रेसर मशीनें निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य कर रही है—

क्षेत्र	मशीन संख्या
1. जोधपुर पूर्व	5
2. जोधपुर पश्चिम	3
3. नागौर	3
4. पाली	3
5. सिरोही	3
6. जयपुर	12
7. अलवर	3
8. अजमेर	6
9. टोंक	3
10. उदयपुर	9
11. कांकरोली	3
12. सालुम्बर	3
13. कोटा	5

क्षेत्र	मशीन संख्या
14. भवानी मण्डी	2
15. बूंदी	3
16. झालावाड़	4
17. डूंगरपुर	3
18. सांगवाड़ा	3
19. बांसवाड़ा	4
20. गरही	4
21. भीलवाड़ा	5
22. चित्तोड़गढ़	6
	98 कुल

परिशिष्ट 10

(समयाभाव के कारण नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

स्थगित प्रश्न

गंगानगर जिले में सड़क निर्माण

382. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर जिले में किस किस स्थान पर कहां से कहां के लिये सड़कों का निर्माण कार्य चालू है ?

(2) जिन सड़कों का कार्य चालू है या जो सड़कें किसी कारण के अधूरी पड़ी हुई हैं उनको कब तक पूरा किया जायेगा ?

(3) जिन सड़कों का कार्य चालू है उनमें कहां कहां पर कंकरीट की जा रही है तथा कहां कहां पर डामर की बनाई जा रही है ?

उत्तर

1. सूची 'अ' प्रस्तुत है ।

2. अर्थाभाव के कारण यह सड़कें कब तक पूरी हो जायगीं कहा जाना संभव नहीं है ।

3. निम्न सड़कों पर डामर होने को है :

(1) रायसिंहनगर से सरूपसर

(2) अनोपगढ़ से रायसिंहनगर

(3) नोहर फेफाना रोड़

(4) नोहर से रावतसर

(5) सांगरिया से टिब्बी

(6) भादरा से पीली बंगा रोड़

(7) बाकी सड़कें जो सूची (अ) में हैं बांवला व मिट्टी की बनाई जा रही हैं ।

(तारांकित, स्थगित प्रश्न संख्या, 382 दिनांक 1.6.67 की सूची देखिये)

सूची

(तारांकित प्रश्न सं॰ 382)

क्रम सं॰	नाम सड़क	निम्न माइलों में कार्य प्रगति पर है ।
(1)	अनुपगढ़ से सरूपसर	मील 22.0 से 24.0 के बीच 5 फर्लांग में काम चल रहा है ।
(2)	श्री गंगानगर साहिबवाला रोड़ जैड माइनर के सहारे ।	मील 6.0 से 9.5
(3)	केसरी सिंहपुरा से कर्मीनपुर रोड़	सड़क की सम्पूर्ण 4 मील की लम्बाई में कार्य प्रगति पर है ।
(4)	रायसिंहनगर से सरूपसर रोड़	मील 9 से 17
(5)	विजयनगर से राजियासर रोड	मील 10 से 25
(6)	अनुपगढ़ से रायसिंहनगर	मील 5 से 21 तथा 27 से 30 तक
(7)	अनुपगढ़ छतरगढ़ रोड़	मील 4 से 13, 17 से 21 तथा 30 से 40
(8)	नोहर फोफाना रोड	मील 13.1 से 16.6 भूमि अवाप्ति के कारण रुका हुआ है ।
(9)	भादरा सहाबा रोड	मील 4 से 19
(10)	नोहर रावतसर	मील 13 से 19
(11)	सांगरिया से टीब्बी रोड	मील 9 से 14.4
(12)	पक्का भावया पीली बंगा रोड	मील 11 में कार्य प्रगति पर है ।
(13)	बीकानेर गंगानगर रोड	मील 103.7 से 147.1

————

मेड़ता शहर मे पुष्कर, नागौर आदि की डामर सड़क

550. **श्री गोर्धन सोनी** (मेड़ता)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मेड़ता शहर से जिन सड़कों पर पुष्कर, नागौर, जैतारण, पीपाड़, डेगाना, मुंडवा, कुचेरा, भोपालगढ़ आदि स्थानों के लिये बसें चलती हैं वे एक भी पूरी डामर रोड़ नहीं हैं व कच्ची सड़कें व कच्चे रास्ते खराब हैं ? यदि हां, तो सरकार इन सड़को को डामर रोड़ कब बनवाने का विचार रखती है और अब तक इन्हें डामर रोड़ नहीं बदवाने का कारण क्या है जब कि इन रास्तों पर करीब 75 बसें पास हैं ?

उत्तर

जी हां नागौर से मेड़ता तथा पीपाड़ सीटी से भोपालगढ़ सड़कों के डामर किये जाने की स्वीकृति दे दी गई है बाकी सड़कों पर डामर कब तक हो सकेगा अर्थाभाव के कारण नहीं कहा जा सकता।

सीमेंट फैक्ट्री सवाई-माधोपुर को पत्थर निकालने का ठेका

625. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा):

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छाबड़ा) :

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर)

श्री हरिबल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी को जगल मे पत्थर निकालने का ठेका दिया हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भैरोंपुरा रिजर्व फारेस्ट एरिया भी इस ठेके में सम्मिलित है ?

(3) पत्थर खुदाने का काम किस किस तारीख से फैक्टरी ने शुरू किया ? अब तक जगल का कितना क्षेत्र फैक्टरी के द्वारा इस हेतु काटा जा चुका है ?

(4) यह ठेका कब से और किन शर्तों पर दिया हुआ है ? यदि कोई इकरारनामा हुआ था तो इकरारनामे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या पत्थर खुदाई का काम प्रारम्भ करने से पहले जगल नीलाम किया जा चुका था अथवा वन सम्पदा का तखमीना कर करा लिया गया था ?

(6) क्या खुदाई का काम प्रारम्भ करने से पहले फैक्टरी ने नियमानुसार वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त करनी थी ? यदि नहीं, तो वन विभाग द्वारा फैक्टरी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(7) क्या यह सही है कि वन विभाग ने जंगल के नुक्सान को आंक कर फैक्टरी

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

से लगभग 2 लाख रु. का मुआवजा वसूल करने की सिफारिश की थी ?

(8) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बहुत कम रकम मुआवजे के रूप में वसुल की गई ? यदि हां तो क्यों और किस आधार पर ?

(9) यह निर्णय कब लिया गया और रकम की वसूली कब की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, किन्तु भैरूपुरा रिजर्व फोरेस्ट न होकर प्रोटेक्टेड फोरेस्ट है।

(3) भैरूंपुरा में पत्थर खुदाने का का कार्य फैक्ट्री द्वारा दिनांक 24-4-66 को शुरू किया गया था। फैक्ट्री द्वारा अब तक 98 एकड़ जंगल काटा गया है।

(4) यह ठेका प्रथम बार अल्प अवधि के लिए खनिज विभाग द्वारा 11-3-66 को दिया गया। इसके पश्चात् उसी विभाग के आदेश दिनांक 6-8-66 द्वारा इस क्षेत्र का माईनिंग लीज दिया गया जिसकी प्रति एवं फैक्ट्री द्वारा जयपुर स्टेट के बीच हुए इकरारनामें की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं, वन विभाग द्वारा कैसेज बनाये गये व मुआवजे के लिए नोटिस दिये गये।

(7) जी हां, सम्बन्धित अधिकारी ने 194900) रु० बतौर मुआवजा वसूल करने की सिफारिश की थी। यह मुआवजा पैदावार की कीमत का 6 से 11 गुने पर आधारित था।

(8) जी नहीं, वन पैदावार की कीमत की आधी रकम की वसूली के आदेश राज्य सरकार द्वारा इस बिना पर दिये गये कि फैक्ट्री ने इस क्षेत्र में काम करने की इजाजत लिखित रूप में राज्य सरकार के खनिज विभाग से प्राप्त कर ली थी। दूसरे राज्य सरकार को इस फैक्ट्री से काफी मात्रा में सैल्स टैक्स, रायल्टी के रूप में आय होती है तथा काफी संख्या में फैक्ट्री द्वारा लोगों को रोजी दी जाती है।

(9) यह निर्णय तारीख 13–3–67 को लिया गया व फैक्ट्री द्वारा रकम 24-3-67 को जमा कराई गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है।)

स्थगित प्रश्न

(19-6-67)

तहसील शेरगढ़ की सड़कों के कार्य

626. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की

(श्री खेतसिंह)

कृपा करेंगे:—

(1) तहसील शेरगढ़ में कितनी सड़कों का कार्य इस समय अधूरा पड़ा है ?

(2) ये सड़कें प्लान रोड्स हैं अथवा अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत थीं ?

(3) इन सड़कों को पूरा कराने का राज्य सरकार का कोई इरादा है या नहीं ?

(4) इन सड़कों को बनाने में आज तक राज्य सरकार का कितना खर्चा लग चुका है ? और अब उन्हें पूरा करने में कितना खर्चा और लगने की संभावना है ?

(5) इन सड़कों को बनाने में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार ही खर्चा लगा है अथवा अधिक लगा है ? यदि अधिक लगा है तो क्या कारण है और इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेवार है ?

उत्तर

(1) 6 सड़कों का काम अधूरा है।

(2) केवल बालेसर तिवरी प्लान रोड़ है बाकी 5 सड़कें अकाल राहत कार्यों के तहत शुरू की गई थीं।

(3) बालेसर तिवरी चौथी योजना तक पूरा होने को है। अर्थाभाव के कारण बाकी रोड्स के लिये निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(4) 8,04,316) रु. खर्च हुआ है लगभग 3,50,000) रु. खर्च करने पर सड़क पूरी हो सकती है।

(5) खर्चा नियमानुसार किया गया है।

शुद्धि – पत्र

(सोमवार, दिनांक 10 जुलाई, 1967)

स्तम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	10	पच यत	पंचायत
1	13	मक्ताप्रसाद	मुक्ताप्रसाद
6	5	श्री पीः के चौधरी	श्री पी. के. चौधरी
6	10	श्रोग्स्ट	अगेन्स्ट
6	21	तो पंचायत	पंचायत
7	17	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह्
8	13	सज्ञा	सज्ञा
9	2	मार्फत थी।	मार्फत योजना थी।
9	8	उिपार्टमेंट	डिपार्टमेंट
9	17	जिम्मेदार	जिम्मेदार
10	अंतिम से 3	लक्ष्मणसिह (डूगर-	लक्ष्मणसिह् (डूंगर
11	4	श्रो परसराम	श्री परसराम
14	16	(वर्तमान):	(वर्तमान)
16	5	सबससिटेंस	सबसिस्टेंस
16	18-19	(प्रतापगढ) क्या	(प्रतापगढ़): क्या
18	अंतिम से 8	है मुझ।	है मुझे।
19	4	क्या जगल	क्या जंगल
20	17	लकड़ा जाती है।	लकड़ी जाती है।
20	22	मत्री	मंत्री
21	16	श्रो परसराम मदेरणा	श्री परसराम मदेरणा
22	1 व 16	श्री सतीश चन्द अग्रवाल	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल
24	3	यह जगल	यह जंगल
26	17	पचायत समिति भदेसर का	पचायत समिति भदेसर को

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
28	अंतिम से 4 व 8	मल्टीप्लीकेशन	मल्टीप्लिकेशन
31	15	7 माडल हैं	7 माइल है
37	1	ग्राम पचायत	ग्राम पंचायत
38	9	अन्तगत	अन्तर्गत
40	10	कब वन	कब बन
42	11	धग्यवाद	धन्यवाद
48	अंतिम से 10	सार्वजनिक निर्माण यंत्री	सार्वजनिक निर्माण मंत्री
48	,, 6	दोनो काय	दोनों कार्य
49	,, 5	महोवद	महोदय
52	,, 10	आथोराईन्ड	आथोराईज्ड
54	13	जानकारी द	जानकारी दी
,,	अंतिम से 4	thc	the
61	9	बाज का	बीज का
64	6	सरक्तर	सरकार
64	9	जी हां ?	(1) जी हां।
64	10	शिकायत	(2) शिकायत
69	10	मजूरी देकर	मंजूरी देकर
71	3	श्री सुवालाल चोधरी	192. श्री सुवालाल चौधरी
71	अंतिम से 3	निर्भाण	निर्माण
73	,, 3	श्री समर्थलाल	195. श्री समर्थलाल
74	,, 6	,,	196. श्री समर्थलाल
78	14	यातावात	यातायात
79	5	माग	मार्ग
81	15	तल	नल
85	शीर्ष	(श्री देवीदत्त गाड़िया)	(स्वायत्त शासन मंत्री)
86	अंतिम से 5	वोजना	योजना
87	शीर्ष	(श्री कालराम सुलानिया)	(श्री लादूराम सुलानिया)
89	अंतिम से 4	खर्मचारियों	कर्मचारियों

स्कम्म संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
94	5	अघूरा	अधूरा
96	शीर्षक	प्रश्नोरत्त	प्रश्नोत्तर
96	अंतिम से 2	उपलब्रि	उपलब्धि
97	,, 8	चाल	चालू
114	,, 6	व्यवमार	व्ययभार
,,	,, 3	निदिष्ट	निर्दिष्ट
115	अंतिम	पचायत मत्री	पंचायत मंत्री
118	5	लणकरणसर	लूणकरणसर
124	2	लाडन	लाडनू
127	11	आवटित	आवंटित
131	12	पचायत समितियों को आवटन	पंचायत समितियों को आवंटन
131	15	सरकार निर्धारित	सरकार द्वारा निर्धारित
141	1	सूच ।	सूचना
142	16	वडिग	वडिंग
146	अन्तिम से 2	डिव	डिवी-
152	9	सन्ट	सेन्ट
153	2	जिम्मेदारी	जिम्मेदारी से
,,	अन्तिम से 2	लेजिबल	एलिजिबल
154	20	सरलस	सरप्लस
155	3	अरप्लस	सरप्लस
158	22	सकत हैं।	सकते हैं।
161	स्कम्म	[6	[162
165	19	हो तकती	—
166	अन्तिम से 4	सर्टिफिकेशन	सर्टिफिकेट
169	18	एम. एल. एल.	एम. एल. एज.
172	19	प्रेक्टस	प्रेक्टिस

स्कम्म संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
177	9	इस मामल	इस मामले
179	18	महोदद	महोदय
184	9	वे उन्होंने	उन्होने
187	अन्तिम से 2	निणय है	निर्णय है
189	अन्तिम	leg	legs
191	5	बहिगमन	बहिर्गमन
212	18	स्यान	स्थान
,,	अन्तिम से 4	समम्या	समस्या
213	अन्तिम	वष के	वर्ष के
214	5	बढ़ाने का	बढ़ाने की
215	1	कोशिश	की कोशिश
,,	17	छुआछत है	छुआछूत है
,,	अन्तिम	व्यवस्या	व्यवस्था
216	अन्तिम	व्यवस्त	व्यस्त
217	5	तरह ते	तरह से
,,	अन्तिम से 10	उनका	उनकी
218	18	तस्वीकार	तस्वीर
,,	20	भतपुर	भरतपुर
,,	21	शाबादी	आबादी
,,	अन्तिम से 6	आयादी	आबादी
,,	अन्तिम	निथोजन	नियोजन
219	2	राजस्वान	राजस्थान
,,	अन्तिम से 4	बूसरे	दूसरे
224	10	अ घा	आधा
227	अन्तिम से 11	बात सोच	बात सोचें
230	अन्तिम से 8व14	वात	बात

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
233	8	इ लिए	इसलिए
237	अन्तिम से 12	मार्कंड	मार्क ड
,,	,, 8	तो में	तो मैं
,,	,, 4	दोन	दोनों
250	12	जपने	अपने
252	1	दूलरों	दूसरों
255	अन्तिम से 7	में एक	मैं एक
260	,,	जादमी	आदमी
261	,, 5	नहीं होना	नहीं होगा
262	स्कम्भ	260	262
262	8	वेरोजएारी	बेरोजगारी
263	15	सकड़	सड़क
269	अन्तिम से 3	करने ी	करने की
270	,, 8	प पती	पनपती
272	4	आजकल ो	आजकल जो
276	अन्तिम से 11	और दज	और दर्ज
282	8	उत्रेट	उत्कट
,,	20	जम त	जमात
286	अन्तिम से 7	अंश्र मात्र	अंश मात्र
,,	,, 2	औद	और
287	1	उदयपुर मैं	उदयपुर में
2 1	6	वर्प	वर्ष
,,	अन्तिम से 9	लमय	समय
293	2	या रिहा	रिया हा
294	8	प्रारे लार	मारे लार
297	5	अधिकार किया है कि वहां	अंगीकार किया है कि जहां
,,	अन्तिम से 5	अ थिक	आर्थिक

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
299	9	म ली	माली
,,	अन्तिम से 8	च हिये	चाहिये
301	20	अल टमेन्ट	अलाटमेन्ट
306	11	दुर्गण हैं।	दुर्गुण हैं।
309	अन्तिम से 9	ताल ब	तालाब
312	16	रिम र्क्स	रिमार्क्स
319	अन्तिम से 5	सचित	संचित
326	,, 9	की भार	की मार
327	, 3	से नहीं	में नहीं
328	15	गणेशजी	गणेशजी का
329	अ तिम से9	में अपसा	में अपना
,,	,, 5	मैं निवेदन	से निवेदन
348	1	शहर में	शहर से
,,	14	बदवाने का	बनवाने का
,,	अ तिम से 5	करनी थी ?	करली थी ?
349	,, 12	का कार्य	कार्य